खण्ड-470, अंक-7
बुधवार, 29 माघ, शक संवत् 1930
(18 फरवरी, 2009 ई0)

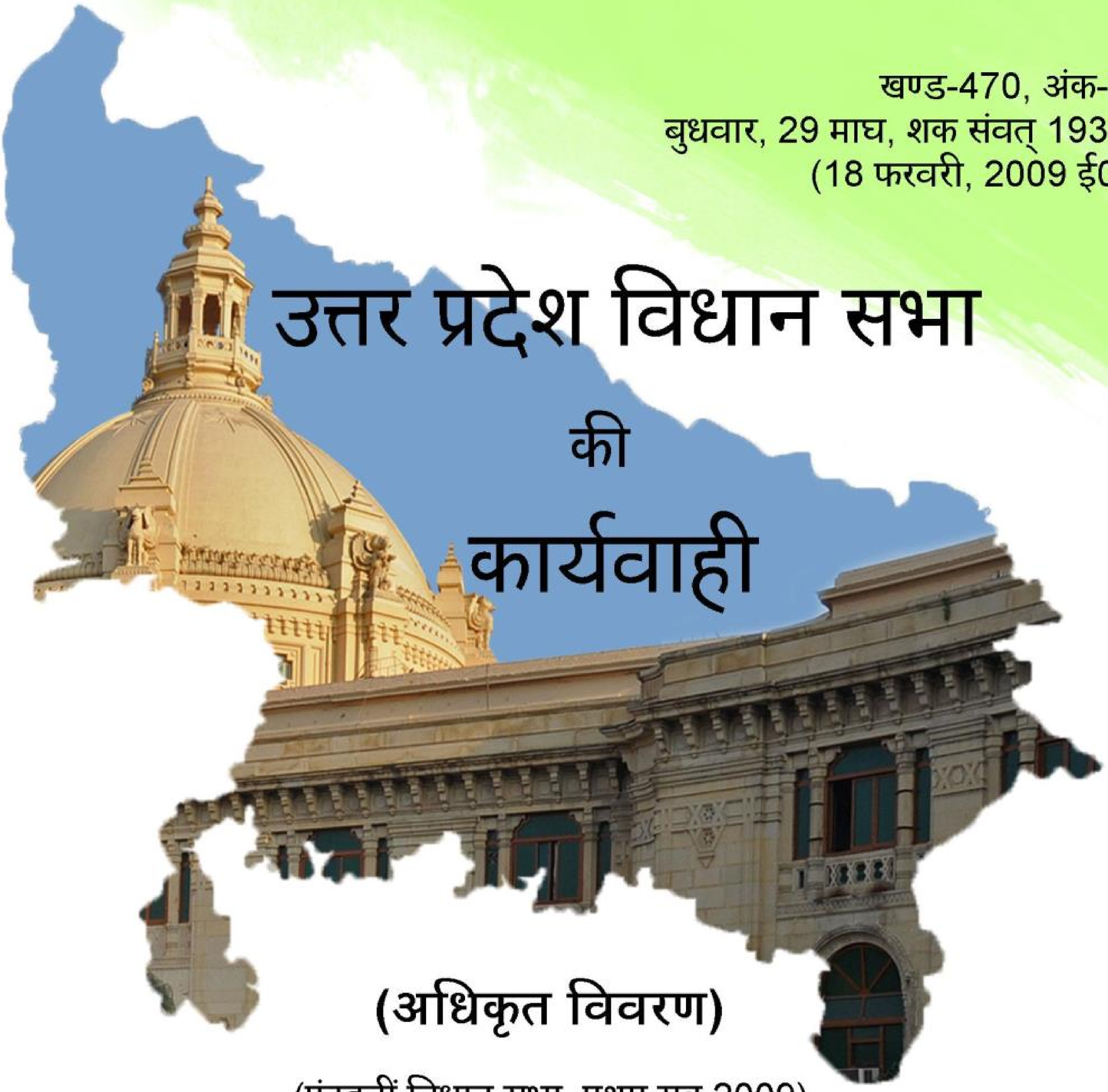

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2009)

खण्ड 470 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2009

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	ङ-ञ
प्रश्नोत्तर	1-104
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	104-105
जनपद बागपत में जिला योजना में स्वीकृत कतिपय मार्गों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	105-106
झांसी महानगर में स्थित प्रसूति गृह में महिला चिकित्सक की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	106
मुजफ्फरनगर के थाना भवन क्षेत्रान्तर्गत कतिपय विकास खण्डों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	107
जनपद गाजियाबाद की वैशाली आवासीय योजना में कतिपय क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	107-108
फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	108
फतेहपुर खागा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा नक्सहरा के पास ससुर खदेरी नदी पर बने जर्जर पुल का पुनर्निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	108-109
जनपद बहराइच में बेलहा-बहरौली बांध के टूट जाने के प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	109
वाराणसी के काशी विद्यापीठ ब्लाक में सुसवाही गांव की जल निकासी हेतु नाला बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	109-110
उन्नाव के विकास खण्ड असोहा अन्तर्गत बेलौरा चौपई मार्ग से देवरा घाट सई नदी पुल तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	110
जनपद गाजीपुर के कतिपय विकास खण्डों के टेकमा, लालगंज, तराव राजबहों को देवकली पम्प कैनाल से जोड़ने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	110
गाजियाबाद के पर्यटन स्थल गढ़मुक्तेश्वर में विद्युत आपूर्ति सायं 8.00 बजे करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	111

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद सीतापुर की मिश्रिख तहसील का विभाजन कर महौली तहसील बनाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	111
जनपद वाराणसी से ढाब क्षेत्र के लोगों के आवागमन हेतु रामचन्दीपुर गांव के पास पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	111-112
जौनपुर के गढ़वारा क्षेत्रान्तर्गत जंगली जानवरों के काटने से कतिपय लोगों की हुई मृत्यु के फलस्वरूप परिजनों को आर्थिक सहायता एवं जंगली जानवरों के आतंक से निजात दिलाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	112-113
सहारनपुर के देवबन्द चीनी मिल के प्रबन्ध तंत्र द्वारा मिल मजदूरों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जांच कराकर मजदूरों को न्याय दिलाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	113
अम्बेडकर नगर के ग्राम बन्दीपुर के भूमि गाटा संख्या-1131 मि0 एवं 1079 मि0 पट्टे पर दी गई आवास हेतु भूमि पर कब्जा दिलाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	113-114
नियम-300 के अन्तर्गत नियमानुसार केवल महत्वपूर्ण सूचनाओं को ही दिये जाने का अनुरोध	114
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	114-115
लोक सभा सचिवालय की भांति विधान सभा सचिवालय में भी मा0 विधायकों के वाहन प्रवेश-पत्रों पर विधायक या सदस्य, विधान सभा अंकित न किये जाने तथा सूचना विभाग की डायरी उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	115-116
सूचना विभाग द्वारा परम्परानुसार वर्ष 2009 की डायरी न छपवाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	116-117
वित्तीय वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक के लिए साधारण चर्चा और अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान हेतु कम दिन निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	117-118
उत्तर प्रदेश विनियोग (2008-2009 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2009 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	118
उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2009 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	118

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन विधेयक, 2009 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	118
डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्न रुपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	119
जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के ग्राम सिठौली, मजरा-चकवां में इफ्को नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री नागेन्द्र यादव आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	119
उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2009 (पुरःस्थापित) ...	119
श्री माधव पासवान की सुरक्षा विषयक व्यवस्था का प्रश्न	120
नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	120-144
वित्तीय वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी) ...	144-201
उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल (निरसन) विधेयक, 2009 (पारित)	201-202
उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2009 (पारित)	202-206
उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2009 (पारित)	206-211
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	211-213
नत्थी	214-215

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 18 फरवरी, 2009

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-316

अंगद यादव, श्री	आजमगढ़
अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय तोमर, डा0	बागपत
अजय यादव, श्री	एटा
अजय सिंह, श्री	जालौन
अनिल कुमार, श्री	बुलन्दशहर
अनिल कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
अनिल कुमार अहिरवार, श्री	महोबा
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल चौधरी, डा0	हाथरस (महामायानगर)
अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
अनूप कुमार गुप्ता, श्री	सीतापुर
अनूप सण्डा, श्री	सुल्तानपुर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्दुल वारिस खाँ, श्री	मुजफ्फरनगर
अब्दुल समद अंसारी हाजी, श्री	वाराणसी
अमरमणि त्रिपाठी, श्री	महराजगंज
अमरेश कुमार शुक्ल, श्री	बाराबंकी
अम्बिका सिंह, श्री	गोरखपुर
अमेरिका प्रधान, श्री	गाजीपुर
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द गिरि, श्री	लखीमपुर खीरी
अरविन्द सिंह यादव, श्री	कन्नौज
अरशद खान, श्री	पीलीभीत
अरूण कुमार यादव, श्री	आजमगढ़
अरूणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अलाउद्दीन, श्री	बलरामपुर
अलीम हाजी, श्री	बुलन्दशहर
अवध पाल सिंह यादव, श्री	एटा
अवधेश वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री	महराजगंज
अवस्थी बाला प्रसाद, श्री	लखीमपुर खीरी
अशोक कुमार दोहरे, श्री	औरैया
अशोक कुमार कंसल, श्री	मुजफ्फरनगर
अशोक कुमार राणा, श्री	बिजनौर
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
आदित्य पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री	इलाहाबाद
आर0 के0 शर्मा, पंडित	बरेली
आरिफ अनवर हाशमी, श्री	गोण्डा
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आसिफ, श्री	हरदोई
इमरान मसूद, श्री	सहारनपुर
इरफान सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री	सिद्धार्थनगर

उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
उदयराज, श्री	उन्नाव
उदयलाल मौर्य, श्री	वाराणसी
उमेश पाण्डेय, श्री	मऊ
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कमलेश चन्द्र दिवाकर, श्री	कानपुर देहात
काजिम अली खाँ उर्फ नवेद मियां, नवाब	रामपुर
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
कुवेर सिंह, श्री	एटा
कुलदीप सिंह गंगवार, श्री	फर्रुखाबाद
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृपा शंकर सिंह, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार, श्री	बहराइच
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्ण गोपाल पटेल, श्री	लखीमपुर खीरी
के0 के0 सन्नान, डा0	जौनपुर
केदारनाथ वर्मा, श्री	बलिया
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कैलाश सिंह राजपूत, श्री	कन्नौज
कौशल किशोर, डा0	लखीमपुर खीरी
कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत	बलरामपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री	बुलन्दशहर
गिरीश चन्द्र, श्री	मुरादाबाद
गुटियारी लाल दुबेश, श्री	आगरा
गुरू प्रसाद मौर्य, श्री	इलाहाबाद
गेंदा लाल चौधरी, श्री	हाथरस (महामायानगर)
घूराराम, श्री	बलिया
चन्द्रदेव, श्री	आजमगढ़
चन्द्र प्रकाश मिश्र "मटियारी", श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रवीर सिंह, श्री	मेरठ
चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री	सिद्धार्थनगर
छत्रपाल सिंह, श्री	बरेली
छोटे सिंह, श्री	जालौन
जगदीश नारायण, श्री	जौनपुर
जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगपाल, श्री	सहारनपुर
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	महराजगंज
जमीरउल्ला, श्री	अलीगढ़
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री	चन्दौली
जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री	बस्ती
जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री	फैजाबाद
जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री	आगरा
जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0	वाराणसी
ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
ददुदन मिश्रा, श्री	श्रावस्ती
ददुदू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दशरथ प्रसाद चौहान, श्री	सन्तकबीरनगर
दाउद अहमद, श्री	हरदोई
दिनेश प्रसाद, श्री	चित्रकूट

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दीनानाथ कुशवाहा, श्री — देवरिया
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री — आजमगढ़
दूधराम, श्री — बस्ती
धनंजय सिंह, श्री — जौनपुर
धर्मपाल, श्री — गाजियाबाद
धर्मपाल यादव डी0पी0 यादव, श्री — बदायूं
धर्मराज निषाद, श्री — अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0 — सहारनपुर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री — बरेली
धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — बलरामपुर
धू राम लोधी, चौधरी, श्री — हमीरपुर
नकुल दूबे, श्री — लखनऊ
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती — गोण्डा
नरेन्द्र सिंह, श्री — सीतापुर
नाथू राम कुशवाहा 'इंजीनियर', श्री — ललितपुर
नारायण सिंह, श्री — आगरा
नितिन अग्रवाल, श्री — हरदोई
निर्मल वर्मा, श्री — सीतापुर
नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री — शाहजहाँपुर
पंकज कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
पी0 के0 राय, डा0 — कुशीनगर
पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री — बाँदा
पूजा पाल, श्रीमती — इलाहाबाद
पूरन प्रकाश, श्री — मथुरा
प्रजापालन, श्री — एटा
प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती — कानपुर देहात
प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री — बदायूं
प्रदीप जैन 'आदित्य', श्री — झाँसी
प्रदीप माथुर, श्री — मथुरा
प्रमोद तिवारी, श्री — प्रतापगढ़
प्रमोद सिंह, श्री — देवरिया

प्रवीण पटेल, श्री — इलाहाबाद
प्रेमलता कटियार, श्रीमती — कानपुर नगर
फतेह बहादुर, श्री — महराजगंज
फरहत हसन, श्री — ज्योतिबाफूलेनगर
फरीद महफूज किदवई, श्री — बाराबंकी
फसीहा बशीर चौधरी (गजाला लारी), श्रीमती — देवरिया
फागू, श्री — मऊ
बलबीर, श्री — मुजफ्फरनगर
बिमलेश सिंह, श्रीमती — अलीगढ़
बिरजू राम, श्री — जौनपुर
बृजेश सौरभ, श्री — प्रतापगढ़
ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री — देवरिया
भगवती प्रसाद सागर, श्री — झाँसी
भगवान दास, श्री — सन्तकबीरनगर
भगेलू राम, श्री — सुल्तानपुर
भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री — इटावा
भोला, श्री — आजमगढ़
मदन भैया, श्री — बागपत
मदन चौहान, श्री — गाजियाबाद
मधुसूदन शर्मा, श्री — आगरा
मनोज चौधरी, श्री — सहारनपुर
ममतेश शाक्य, श्री — एटा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री — रायबरेली
महबूब अली, श्री — ज्योतिबाफूलेनगर
महेन्द्र सिंह, श्री — अलीगढ़
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री — इटावा
महेश चन्द्र गुप्ता, श्री — बदायूँ
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री — सिद्धार्थनगर
माधव पासवान, श्री — गोरखपुर
मिथिलेश कुमार कठेरिया, श्री — शाहजहाँपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मिथलेश कटियार, श्रीमती	कानपुर देहात
मीता गौतम, कु0	बाराबंकी
मुरलीधर, श्री	फतेहपुर
मुस्लिम खाँ, श्री	बदायूँ
मोहम्मद इकबाल, श्री	बिजनौर
मोहम्मद गाजी, श्री	बिजनौर
मोहम्मद जलील खान, श्री	गोण्डा
मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री	सीतापुर
मोहम्मद तावीश खां, श्री	सन्तकबीरनगर
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
यशपाल सिंह, श्री	बिजनौर
यशपाल सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
यसपाल सिंह रावत, श्री	गोरखपुर
याकूब हाजी, श्री	मेरठ
योगराज सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
योगेन्द्र सागर, श्री	बदायूँ
योगेश वर्मा, श्री	मेरठ
रघुनाथ प्रसाद संखवार, डा0	कानपुर देहात
रजनी तिवारी, श्रीमती	हरदोई
रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री	फतेहपुर
रतनलाल अहिरवार, श्री	झाँसी
रफी अहमद उस्मानी, डा0	लखीमपुर खीरी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश गौतम, श्री	गोण्डा
रमेश चन्द्र बिन्द, डा0	मिर्जापुर
रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री	सहारनपुर
राकेश कुमार गोस्वामी, श्री	महोबा
राकेश धर त्रिपाठी, डा0	इलाहाबाद
राकेश बाबू, श्री	फिरोजाबाद
राजकुमार रावत, श्री	मथुरा
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
राजबली जैसल, श्री	इलाहाबाद
राजाराम त्यागी, श्री	रायबरेली
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र कुमार, श्री	मऊ
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राजेन्द्र सिंह, डा0	आगरा
राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री	गोरखपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	लखीमपुर खीरी
राजेश त्रिपाठी, श्री	गोरखपुर
राजेश यादव, श्री	शाहजहाँपुर
राजेश्वरी, श्रीमती	हरदोई
राधे लाल रावत, श्री	उन्नाव
राधे श्याम गुप्ता, श्री	फतेहपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकरनगर
राम किशुन, श्री	चन्दौली
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश कुशवाहा, श्री	कानपुर नगर
राम प्रकाश यादव, श्री	फिरोजाबाद
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम प्रसाद जायसवाल, श्री	देवरिया
राम विशुन आजाद, श्री	गोण्डा
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
राम शिरोमणि शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राम सागर अकेला, श्री	श्रावस्ती
राम सिंह, डा0	अलीगढ़
राम सेवक सिंह पटेल, श्री	बदायूँ
रामस्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रिजवान अहमद खाँ, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
रोशन लाल वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
लखीराम नागर, श्री	मेरठ
लालजी यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकरनगर
वाचस्पति, श्री	कौशाम्बी
वारिस अली, श्री	बहराइच
वासुदेव सिंह "बाबा", श्री	बुलन्दशहर
विजय कुमार, श्री	गाजीपुर
विजय कुमार उर्फ विजय यादव, श्री	मुरादाबाद
विजय पाल सिंह, श्री	बरेली
विजय बहादुर यादव, श्री	गोरखपुर
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्यासागर गुप्त, श्री	लखनऊ
विनोद सिंह, श्री	सुल्तानपुर
विनोद कुमार हरित, श्री	मेरठ
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विशम्भर सिंह यादव, श्री	बांदा
विश्वनाथ, श्री	कुशीनगर
वीरेन्द्र कुमार, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र सिंह, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री	बुलन्दशहर
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
वृज सिंह उर्फ वृज कुंवरि, श्रीमती	गोण्डा
शम्भू चौधरी, श्री	कुशीनगर
शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री	बरेली
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शहनवाज, श्री	बिजनौर
शिवबालक पासी, श्री	रायबरेली
शिवशंकर, श्री	बलिया
शीशराम, श्री	बिजनौर
शेख नसीरउद्दीन सिद्दीकी, श्री	फिरोजाबाद
शेरबहादुर, श्री	अम्बेडकरनगर
श्यामदेव राय चौधरी, श्री (दादा)	वाराणसी
श्याम नरायण यादव, श्री	आजमगढ़
श्याम लाल, श्री	बलरामपुर
श्रीपति आजाद, श्री	महराजगंज
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी
संजय कुमार त्रिपाठी, श्री	प्रतापगढ़
संजय कपूर, श्री	रामपुर
संजीव दरियाबादी, "बन्टी" श्री	कानपुर नगर
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
संध्या, कुमारी	मैनपुरी
सत्य नारायण जैसल, श्री	सोनभद्र
सत्यपाल सिंह, चौ0	अलीगढ़
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री	गौतमबुद्धनगर
सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0	बागपत
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री	आजमगढ़
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
सिवगतुल्लाह अंसारी, श्री	गाजीपुर
सी0 एम0 प्रसाद, श्री	सोनभद्र
सीमा द्विवेदी, श्रीमती	जौनपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सी0वी0 इन्निस, श्री	नाम-निर्देशित	सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर	सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़	सुशील कुमार, श्री	चन्दौली
सुखलाल, श्री	पीलीभीत	सूरजपाल सिंह ठाकुर, श्री	आगरा
सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव	सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सुन्दर लाल लोधी, श्री	उन्नाव	सूर्यभान, श्री	मिर्जापुर
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर	सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
सुभाष, श्री	बलिया	सोबरन सिंह, श्री	मैनपुरी
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	आजमगढ़	हरगोविन्द भार्गव, डा0	सीतापुर
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी	हरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया	हसरत उल्ला, श्री	एटा
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर	होराम सिंह, श्री	गौतमबुद्धनगर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ		

नोट :- सहकारिता मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य) तथा भूतत्व एवं खनिकर्म तथा पंचायती राज मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

विशिष्ट बी0टी0सी0 की प्रतिभागी परीक्षा कराकर चयन कराने की मांग

**श्री मदन भैया-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विशिष्ट बी0टी0सी0 के चयन में प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में व्यावहारिक ज्ञान (प्रैक्टिकल) तथा शिक्षण कार्य के मूल्यांकन हेतु अलग-अलग मानक तथा अंक निर्धारित हैं ? क्या इसके फलस्वरूप बी0टी0सी0 अभ्यर्थियों की योग्यता सूची (मेरिट लिस्ट) बनाये जाने एवं उनके चयन में कठिनाइयां एवं विषमताएं उत्पन्न हो गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस समस्या के स्थाई समाधान हेतु प्रदेश स्तर पर विशिष्ट बी0टी0सी0 की प्रतियोगी परीक्षा करा कर चयन करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा मंत्री (डा0 धर्म सिंह सैनी)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

विशिष्ट बी0टी0सी0-2007 में प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों का चयन शासनादेश दिनांक 10 जुलाई, 2007 एवं 13 जुलाई, 2007 की व्यवस्थानुसार किया गया है। इन शासनादेशों में अभ्यर्थियों के चयन का आधार प्रतियोगी परीक्षा न होकर मेरिट है।

श्री मदन भैया-

मान्यवर, आपके माध्यम से मंत्री जी से तीन अनुपूरक प्रश्न करना चाहता हूं। एक क्या मंत्री जी को जानकारी है कि लखनऊ विश्वविद्यालय तथा कानपुर विश्वविद्यालय में प्रैक्टिकल और व्यावहारिक ज्ञान के लिये कितने-कितने अंक निर्धारित हैं ? दूसरा क्या सरकार चयन प्रक्रिया पारदर्शी बनाने के लिये मेरिट को आधार न मानकर प्रतियोगी परीक्षा के लिये शासनादेशों में संशोधन करेगी ? तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बी0एड0 की जिन विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं समाप्त हो रही हैं तो एम0बी0बी0एस0, इंजीनियरिंग की तरह क्या उन अभ्यर्थियों को विशिष्ट बी0टी0सी0 की चयन प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

मान्यवर, इसमें लखनऊ और कानपुर विश्वविद्यालयों के बारे में जानकारी करके बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, विश्वविद्यालयों में कितने नम्बर प्रैक्टिकल और कितने नम्बर थ्योरी में हैं उससे आपका क्या मतलब ? आप बेसिक शिक्षा मंत्री हैं। दूसरा अनुपूरक बताइये।

डा0 धर्म सिंह सैनी-

हमने इसमें प्रतियोगी परीक्षा कराने से क्योंकि बच्चे जिन्होंने कक्षा 10, कक्षा 12, स्नातक और बी0एड0 बड़ी लगन और मेहनत से किया है वह बच्चे अगर हम एक दिन की प्रतियोगी

परीक्षा कराकर मात्र उनको करा दें, चयन करा दें तो मेरे ख्याल से यह व्यवहारिक नहीं होगा। हमने इसीलिये थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को प्राप्तांक के प्रतिशत के आधार पर मेरिट बनाने का काम किया इसमें हमने बिल्कुल पारदर्शी करने का काम किया है।

श्री मदन भैया-

मान्यवर, विषय अलग नहीं है। लखनऊ और कानपुर में प्रैक्टिकल के अलग-अलग नम्बर हैं इसको दिखवा लीजिए इसीलिये हमने पूछा कि इसका आधार क्या है ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

हाई स्कूल, इण्टर और बी0एड0 में अलग-अलग है।

श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, पहले हमारे भाई ने भी पूछा जिन्होंने इस वर्ष बी0एड0 की परीक्षा दी है क्या उनको भी इसमें सम्मिलित करने की सरकार की कोई योजना है। क्योंकि बहुत सारी यूनीवर्सिटियों के सेशन इररेगुलर हैं ? लड़के जगह-जगह प्रयास कर रहे हैं कि विशिष्ट बी0टी0सी0 के जो विज्ञापन निकले हैं इसमें उन्हें आवेदन करने का अधिकार मिले। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की बात करने वाली यह सरकार की अगर यह नीति है तो यह बता दें ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

परीक्षाफल आने के बाद ही सम्मिलित किया जा सकता है, उससे पहले कैसे हम उसको कर सकते हैं।

श्री जोखू लाल यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से सी0पी0एम0टी0, पी0एम0टी0 में कक्षा 12वीं में जो छात्र अपीयर होते हैं वो सी0पी0एम0टी0/पी0एम0टी0 की परीक्षा में बैठ सकते हैं इण्टरमीडिएट का रिजल्ट आने के बाद उस पर निर्णय करेगा उनका परिणाम। क्या माननीय मंत्री जी उन छात्रों के प्रति सजग हैं जिन लड़कों ने बी0एड0 की परीक्षा दे दी है और उनका रिजल्ट आना बाकी है। ऐसे छात्रों को पी0एम0टी0 और सी0पी0एम0टी0 की भांति, प्रवेश परीक्षा में उनको इस चयन सम्बन्ध में बैठने देंगे ?

श्री अध्यक्ष-

चयन समिति में। यह विशिष्ट बी0टी0सी0 के चयन का मसला है। अभी तो बी0एड0 ही नहीं किया है, अभी तो उसको शुरू किया है।

श्री जोखू लाल यादव-

बी0एड0 की परीक्षा दे रहे हैं, रिजल्ट नहीं आया है। इण्टरमीडिएट वाले बच्चे सी0पी0एम0टी0/पी0एम0टी0 में भी यही होता है कि इण्टरमीडिएट में जो छात्र होते हैं, परीक्षा में वो अपीयर होते हैं और उसी दौरान के सी0पी0एम0टी0/पी0एम0टी0 में भी बैठ जाते हैं। ठीक उसी तरह से तमाम ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनका बी0एड0 का रिजल्ट आना बाकी है।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, माननीय जोखू लाल जी ने जो सवाल उठाया उसका मामला अलग है। उसमें प्रतियोगी परीक्षा होती है और प्रतियोगी परीक्षा के आने तक अगर वह पास होता है तो वह उसमें सम्मिलित रहेगा। इसलिये परीक्षा देने में कोई दिक्कत नहीं है। इसमे उसी परीक्षा के आधार पर मेरिट बनेगी, इसलिये इसमें उस तरह की व्यवस्था नहीं की जा सकती।

चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विशिष्ट बी0टी0सी0 की जो चयन प्रक्रिया प्रदेश में चल रही है उसमें अभ्यर्थियों का चयन भी हो गया है लेकिन उसमें जो महिला अभ्यर्थी हैं, जिनका चयन हुआ है तो उसमें मेरा सुझाव भी है और मैं यह जानना भी चाहता हूं, यह अनुपूरक प्रश्न है कि महिलाएं अपनी इच्छा के अनुसार अपनी पोस्टिंग चाहती हैं, अपने गृह जनपद में, अपने घर के निवास के करीब में कहीं उनको मिल जाय, तो क्या सरकार की कोई ऐसी नीति है ? माननीय मंत्री जी ने कोई ऐसी पालिसी बनाई है ? उनकी इच्छा के अनुसार उनकी पोस्टिंग करने का काम करेंगे ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

हमारे यहां शिक्षकों की कमी थी, स्कूल बंद थे। शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिये यह नियुक्तियां की गई हैं और फिर उन्हें मनचाही पोस्टिंग देंगे तो यह स्कूल बन्द रहेंगे। इसलिये अब सरकार का लक्ष्य है कि जो स्कूल बन्द हैं, जहां टीचर नहीं हैं, उनमें ही भेजने की प्रक्रिया है। ऐसी कोई नीति नहीं है, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं।

डा0 अजय तोमर-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मदन भैया जी के इस प्रश्न के अनुपूरक प्रश्न में जानना चाहता हूं, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि जिस प्रकार विशिष्ट बी0टी0सी0 के लिये जिला स्तर पर मेरिट बनायी जा रही है, किसी जिले में मेरिट 156, 58 और 60 है और किसी जिले में मेरिट 200 से ऊपर क्रास कर गई है तो इसमें कुछ जिलों में उन छात्रों के साथ जिन छात्रों ने किसी दूसरे जिले में भर दिया है या दूर के जिले में भर दिया है उनको कम अंकों के आधार पर भी नियुक्तियां मिल गई हैं और जो अच्छे मेरिट के छात्र हैं जो नहीं भर पाये है उन लोगों को नियुक्तियां नहीं मिल पाई हैं। क्या प्रदेश स्तर पर एक मेरिट बनाकर और मेरिट के आधार पर जो रिक्त स्थान जनपद में हैं उस स्थान पर भेजने का कार्य किया जायेगा ताकि पूरे प्रदेश के छात्रों को समान अंकों के आधार पर उनकी नियुक्तियां की जा सकें ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

मान्यवर, इसका जिला स्तरीय कैडर है और अलग-अलग जनपदों में जहां जितनी रिक्तियां हैं उसी के अनुसार वहां आवेदन लिये गये हैं और उसी के अनुसार वहां मेरिट के अनुसार उनका चयन किया गया है।

(नत्थी 'ख' का प्रश्न संख्या-3 पुकारने पर माननीय चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न स्थानान्तरित है।

(नत्थी 'ख' का प्रश्न संख्या-4 पुकारने पर)

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, अनुग्रह नारायण जी के प्रश्न में रुचि है।

श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

मान्यवर, हमारी भी रुचि है।

श्री अध्यक्ष-

अब मैंने अगला प्रश्न ले लिया है। उसी समय कहे होते।

चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

मेरा उत्तर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष-

आप संतुष्ट थे, बैठ गये। अब आगे बढ़ गये हैं। अगला प्रश्न ले लिया गया है।

तारांकित प्रश्न

कृषि लागत मूल्य आयोग द्वारा गन्ने का मूल्य एवं प्रीमियम निर्धारण किये जाने सम्बन्धी जानकारी

*1- श्री हुकुम सिंह (अनुपस्थित)-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि लागत मूल्य आयोग द्वारा क्या यह अनुशंसा की गई है कि प्रति कुन्तल गन्ने का मूल्य 142 रु0 तथा प्रीमियम के रूप में 30 रु0 प्रति कुन्तल निर्धारित किया जाए ? यदि हां, तो उक्त अनुशंसा के आधार पर क्या प्रदेश सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की प्रश्नगत अनुशंसा विषयक कोई अधिकारिक सूचना भारत सरकार द्वारा प्रदेश सरकार को उपलब्ध नहीं करायी गयी है। अतः तत्सम्बन्ध में प्रदेश सरकार द्वारा कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बी0 पी0 एल0 एवं अन्त्योदय राशन कार्डों की जांच

*2-श्री अनुग्रह नारायण सिंह (अनुपस्थित)-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय राशन कार्डों की क्या कोई जांच कराई गई है ? यदि हां, तो उनमें से कितने सही तथा कितने फर्जी पाये गये हैं ? क्या बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय कार्डों के लिये अर्ह व्यक्तियों का भी सर्वे कराया गया ? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और उन्हें यह कार्ड कब तक उपलब्ध कराये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री राम प्रसाद चौधरी)-

जी हां।

जांच के फलस्वरूप अपात्रों के 232674 बी0पी0एल0 तथा 100676 अन्त्योदय राशन कार्ड निरस्त कर पात्र परिवारों को जारी कर दिये गये।

जी हां।

जी हां।

प्रदेश में बी0पी0एल0 पुनर्सर्वेक्षण का कार्य ग्राम्य विकास विभाग द्वारा कराया जा रहा था परन्तु शासनादेश सं0-1796/38-6-08-129 एल.सी./01, दिनांक 04 अक्टूबर, 2008 के द्वारा बी0पी0एल0 पुनर्सर्वेक्षण स्थगित कर दिया गया जिसके कारण पुनर्सर्वेक्षण में बी0पी0एल0 परिवारों की गणना पूर्ण नहीं हो सकी।

प्रश्न नहीं उठता।

*3-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

[4थे मंगल के तारां0 प्र0 सं0-6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में 'सड़क नीति' का निर्धारण

*4-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा क्या कोई "सड़क नीति" निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार "सड़क नीति" बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां। शासन द्वारा वर्ष 1998 में मार्ग विकास नीति निर्धारित की गई है।

प्रदेश में मार्गों के योजनाबद्ध व सर्वोन्मुखी विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मार्ग नीति बनाई गई है जिसके प्रमुख उद्देश्य निम्नवत् हैं :-

1-प्रदेश के समस्त मार्गों को सतत् प्रयासों के द्वारा निरन्तर गड्ढामुक्त रखना।

2-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का निर्माण।

3-राष्ट्रीय मार्गों, राज्य मार्गों, प्रमुख जिला, मार्गों अन्य जिला मार्गों एवं ग्रामीण मार्गों के अनुरक्षण एवं विकास की व्यवस्था करना।

4-सेतुओं/रेल उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं/फ्लाई ओवर्स का नवनिर्माण एवं पुनर्निर्माण की व्यवस्था करना।

5-बाईपासों, रिंग मार्गों एवं एक्सप्रेस वेज के निर्माण की व्यवस्था करना।

6-शहरी क्षेत्रों में मार्गों के विकास की व्यवस्था करना।

7-उल्लिखित कार्यों हेतु वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करना।

8-निर्माण कार्यों में निजी क्षेत्र की सहभागिता सुनिश्चित करना।

9-निर्माण/अनुरक्षण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

10-निर्माण कार्यों के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय डिसिप्लिन, डिलीवरी एवं डवटेलिंग सुनिश्चित करना।

11-रिबन डेवलपमेन्ट, अतिक्रमणों को रोकने एवं मार्ग सुरक्षा की व्यवस्था करना।

12-लोक निर्माण विभाग में प्रक्रियात्मक एवं संगठनात्मक परिवर्तन करना।

13-पर्यावरण की सुरक्षा करना।

वर्तमान में प्रदेश में मार्गों की आवश्यकता के दृष्टिगत नई मार्ग नीति बनाया जाना विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, इस प्रश्न को करने के पीछे मेरा उद्देश्य था, उससे सभी सदन में सहमत भी होंगे कि सूबे में किसी भी जनपद के बार्डर पर जो आखिरी गांव होता है उसको सड़क मार्ग से जोड़ दिया जाता है। उसके बाद उस जनपद की सीमा तक तीन सौ, चार सौ, पांच सौ, छः सौ मीटर का मार्ग जोड़ने को रह जाता है इसी तरह से जो उस गांव का दूसरे जनपद का सेन्टर मार्ग प्लेस है वह जुड़ गया लेकिन बीच के तीन चार सौ मीटर, चार सौ या पांच सौ या फिर एक किलोमीटर न होने की वजह से एक जनपद के व्यक्ति को दूसरे जनपद के उसी गांव तक जो उसके पड़ोस में है एक किलोमीटर दूर, वहां पहुंचने के लिए 15-20 किलोमीटर की दूरी तय करके जाना पड़ता है। सड़क नीति में अगर इस बात का उल्लेख कर दिया जाए कि इस तरह के जो बार्डर के चाहे वह किसी विधान सभा के बार्डर की बात हो चाहे जनपदों के बार्डर की बात हो, अगर वह नजदीक में अवस्थित हैं तो उनको जोड़ दिया जाए। यह जन सुविधा के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मेरा प्रथम अनुपूरक प्रश्न इसी से सम्बन्धित है क्या सरकार इस पर नई सड़क नीत बनाते वक्त विचार करेगी। मान्यवर, दूसरा प्रश्न है कि आप देखते होंगे बहुत से सड़क मार्ग विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्र के, वह बहुत क्षतिग्रस्त हैं उन पर चलना बहुत मुश्किल होता है तो क्या सरकार कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाने पर विचार करेगी कि आठ वर्ष या दस वर्ष बाद या पांच वर्ष बाद जब मार्ग क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसकी मरम्मत स्वयंमेव होने लगे और साथ में अन्य विभागों के जो बने हुए मार्ग हैं जैसे मंडी विभाग के हैं, या गन्ना विभाग से मार्ग बन गया, ट्यूबवेल विभाग से मार्ग बन गया, जिला पंचायत से मार्ग बने हैं, सांसद निधि से बने हैं या विधायक निधि से बने हैं उन मार्गों के अनुरक्षण के बारे में सरकार की तरफ से हमेशा एक मौन दिखाई देता है तो क्या उन मार्गों की मरम्मत के लिए सड़क नीति में कोई सकारात्मक बिन्दु जोड़ा जाएगा। मान्यवर, इसके अलावा मेरा अनुपूरक यह है कि नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राज्य मार्गों से जोड़ा जाएगा हमारे यहां राष्ट्रीय राज्य मार्ग 93 है जो आगरा को अलीगढ़ से जोड़ता है आज की तारीख में जो विलेज रोड यानि ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें बन रही हैं उनके क्रस्ट की मोटाई भी 24 सेन्टीमीटर है और खेद की बात है कि राष्ट्रीय राज्य मार्ग होने के बाद भी, लोक निर्माण मंत्री जी ने उसका मुआयना खुद भी कर लिया, राष्ट्रीय राज्य मार्ग विगत 6 वर्षों से घोषित है लेकिन

उसकी क्रस्ट की मोटाई मात्र 20 सेन्टीमीटर है। जहां तक मेरी जानकारी है राष्ट्रीय राज्य मार्ग के क्रस्ट की मोटाई 50 से 60 सेंटीमीटर न हो तो यह ट्रैफिक के भार के लिए अक्षम साबित कर दिया जाता है। मेरा यह भी सुझाव है कि इस चीज को भी सड़क नीति में शामिल कर लिया जाए कि राष्ट्रीय राज्य मार्ग के लिए क्या मोटाई क्रस्ट की होगी ? ओ0डी0आर0 क्षेणी के मार्ग के लिए क्या मोटाई होगी क्रस्ट की, राज्य के राजमार्ग के लिए क्या मोटाई होगी ? और उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि 3 साल से यह राष्ट्रीय राजमार्ग टूटा पड़ा है और उसकी मरम्मत आज तक नहीं हुई और उसका आंकलन भी, जिसमें पूरा पैसा केन्द्र सरकार को देना है लेकिन आगणन भी अक्टूबर, 2008 में भेजा गया तो इन सब चीजों में अधिकारियों की जवाबदेही भी सड़क नीति में तय करनी जरूरी है ताकि यह प्रदेश विकास के रास्ते पर बढ़ सके और जनसुविधाएं प्राप्त हो सकें। मैं इन्हीं सब पर मा0 मंत्री जी का उत्तर चाहूंगा।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात मंत्री (ठाकुर जयवीर सिंह)-

मान्यवर, जहां तक गांवों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का मामला है, हमारी सरकार इसके लिए पूरी तरह संवेदनशील है, जहां एक ओर 2004-05 में इसके लिए 1828.53 करोड़ की व्यवस्था थी, उसके सापेक्ष हमारी सरकार ने वर्ष 2008-09 में 6848.29 करोड़ की व्यवस्था की है। मा0 सदस्य की जो चिन्ता है, उसी के दृष्टिगत सारे गांव जुड़ सकें, मुख्य मार्गों से, उसके लिए हमने 1869 गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने का काम किया है और वर्तमान साल में 2280 मार्गों को जोड़ने का प्रस्ताव किया है, उसके लिए तैयारी की है, बजट की व्यवस्था की है। दूसरी जो चिन्ता मा0 सदस्य ने प्रकट की है, मार्गों के मरम्मत के लिए, मान्यवर, में आपके माध्यम से मा0 सदस्य के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि राजमार्ग प्रमुख जिला मार्गों की सतह का नवीनीकरण कराने के लिए एक अन्तराल सुनिश्चित किया गया है और उस अन्तराल के बाद उन मार्गों की मरम्मत कराने का काम करते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र के मार्ग हैं, उनके राजमार्ग को हर चार साल पर और अन्य मार्गों पर उसकी अलग-अलग रूपरेखा तय हुई है, उस अवधि में हम उसकी मरम्मत कराने का काम करते हैं। उसके बावजूद भी कहीं सड़क उखड़ी हुई है और कोई जनप्रतिनिधि सूचना देते हैं तो विशेष मरम्मत के द्वारा भी मरम्मत का काम कराने का काम करते हैं। मा0 सदस्य ने जो तीसरी चिन्ता प्रकट की है, उस मामले में बताना चाहूंगा, उसके लिए हमारी सरकार चिन्तित है और संवेदनशील है कि प्रदेश में वाहनों के बढ़ते हुए लोड और ट्रैफिक लोड के कारणों से जो हमारी 1998 की मार्ग नीति थी, उसमें वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत जो आवागमन बढ़ रहा है, हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, ट्रैफिक लोड बढ़ रहा है, उसके दृष्टिगत जो चिन्ता प्रकट की है, उस सबको शामिल करते हुए यह प्रयास किया गया है और नई मार्ग विकास नीति 2008 तैयार की गई है, जो विचाराधीन है और मैं समझता हूं कि जो भी आपके सुझाव हैं, ज्यादातर सुझावों को उसमें सम्मिलित किया जायेगा क्योंकि सारे जनप्रतिनिधियों की जो चिन्ता रहती थी, उन सब को सम्मिलित करते हुए, नीति बनाने का प्रयास किया गया है और इसी के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश में नई मार्ग विकास नीति 2008 विचाराधीन है।

श्री राधेश्याम गुप्ता-

मा0 अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने एक प्रश्न भी आज लगाया है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र के अनुसूचित, पिछड़े, कमजोर वर्ग के 2 हजार की आबादी वाले एन0एच0 2 से सेनापूर मलौनी तक, रावतपुर से डगरेई तक, तेलियानी से गड़रियनपुरवा होते हुए खानपुर तक, जमुरावां से मटियारा होते हुए सिहार तक, हैवतपुर से नोनिहनपुर, हसनापुर तक, पिलखिनी से उमरापुर मकनपुर तक, लोहारी से अग्निहोमीपुरवा, बरौली बुजुर्ग तक, कढेरवा से मछली पुर होते हुए भलेवा तक, सिरसी से जय चन्द्रापुर तक तथा सराय अमैरया से पथुवा तक ग्रामों के सम्पर्क मार्गों का डामरीकरण, निर्माण कराना सुनिश्चित करायेंगे ? तो मान्यवर, उत्तर यह आया है कि प्रश्न में वर्णित समस्त ग्रामों ...

श्री अध्यक्ष-

आप अनुपूरक कीजिए। आपका प्रश्न किस नम्बर पर है ?

श्री राधेश्याम गुप्ता-

मान्यवर, 72 नम्बर पर हमारा प्रश्न लगा है।

श्री अध्यक्ष-

आपका प्रश्न जब आयेगा, तब उसके बारे में कहिएगा। जो यह प्रश्न संख्या-4 है, जो चल रहा है, उस पर आप अनुपूरक पूछिए।

श्री राधेश्याम गुप्ता-

मान्यवर, मेरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

लेकिन हम क्रम तोड़कर नहीं जायेंगे। प्रश्न संख्या-4 के बारे में अगर कोई अनुपूरक प्रश्न पूछना है तो मा0 मंत्री जी से पूछिए। आप तो बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, मंत्री रहे हैं।

श्री यशपाल सिंह चौहान-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो सड़क पंचायतीराज विभाग, आर0ई0एस0 द्वारा और मण्डी समिति द्वारा जो सड़कें बनायी जाती हैं और विधायक निधि से जो सड़कें बनायी जाती हैं उनकी जो टूटफूट हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग नहीं लेता है। इसके बारे में सरकार की क्या नीति है ? यह थोड़ा स्पष्ट कर दें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसको थोड़ा देखें, प्रश्न में है कि क्या लोक निर्माण मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा क्या कोई सड़क नीति निर्धारित की गयी है ? इस पर उत्तर आया जी हां और यह पूरा डिटेल में बता दिया। मान्यवर, दूसरा यदि नहीं, तो क्या सरकार सड़क नीति बनाने पर विचार करेगी ? इसका उत्तर आया है कि वर्तमान में प्रदेश में मार्गों की आवश्यकता के

दृष्टिगत नई मार्ग नीति बनाया जाना विचाराधीन है। मान्यवर, जब विचाराधीन है और जो वर्तमान आवश्यकताएं हैं, तमाम अन्य जगहों से बढ़ते हुए ट्रैफिक के कारण जो वर्तमान की आवश्यकताएं हैं, उसमें सर्वांगीण प्रदेश के हित को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में मार्ग विकास नीति बनाना विचाराधीन है। उस मार्ग नीति में उन सारी बातों जिससे कि प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो उनको शामिल करके ही नई मार्ग विकास नीति बनायी जाएगी। मान्यवर, जो विचाराधीन है उसके अलावा अन्य प्रश्न का उत्तर कहां से दिया जा सकता है।

श्री उदयराज-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अब से दो वर्ष पहले सई नदी, गंगा नदी तथा दूसरी नदियों में सेतुओं का निर्माण कराया गया था लेकिन आज तक उन सेतुओं को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने का काम नहीं किया गया है। क्या सरकार जो सेतु बने हुए थे, जनता की समस्या को देखते हुए उन सेतुओं को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने का काम करेगी ? और मान्यवर, दूसरा यह है कि आज जो हालत है, ओवरलोडिंग इस तरह बढ़ी है कि 18-20 टन के लोडिंग ट्रक लादकर वह जिन सड़कों से निकल रहे हैं सारी की सारी सड़कें ध्वस्त होती जा रही हैं। तो मान्यवर, क्या सरकार ऐसे मार्गों को तुरन्त मरम्मत कराकर ठीक कराने का काम करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, यह जानना चाहते हैं कि जो बड़े-बड़े पुल निर्मित हो चुके हैं वह सम्पर्क मार्गों से जुड़ें तो आपकी जो नीति बनने जा रही है इसमें वह सम्मिलित हैं ?

ठाकुर जयवीर सिंह-

जी सम्मिलित हैं।

श्री अध्यक्ष-

और मरम्मत के बारे में आप बता ही चुके हैं कि इस पर विचार हो रहा है। श्री उदयराज जी माननीय मंत्री जी बता चुके हैं कि ओवरलोडिंग ज्यादा हो गयी तो उसकी क्षमता बढ़ाना है, उस पर विचार करने के लिए कह चुके हैं कि वह सब चीजें इसमें सम्मिलित हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में विगत 1-2-3-4 वर्षों में जो सड़कें निर्मित हुयी थीं उनमें कहीं पर आधा काम हुआ है, कहीं पर डामर पड़ा है कहीं पर नहीं पड़ा है। यही हाल पुलों के अप्रोचों को लेकर है। तो जो काम अधूरे पड़े हैं उनको माननीय मंत्री जी प्राथमिकता पर कब तक पूर्ण करा लेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी, प्रश्न के संदर्भ में ही उसकी थोड़ी ग्रेविटी में चला करें। कितने मार्ग टूट गये, कितने अधूरे पड़े हैं। स्पेसिफिक सवाल है कि क्या कोई नीति बनी है और दूसरा है कि क्या कोई नीति विचाराधीन है। दो उत्तर आये हैं। इसके परिप्रेक्ष्य में आप जो भी जानना चाहें आप माननीय

मंत्री जी से प्रश्न पूछें। अब प्रदेश में कितनी रोड़ टूटी हैं, कितनी बनवाया है, कितनी नहीं बनी है उसकी सूचना माननीय मंत्री जी के पास कहां से रहेगी।

श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

मान्यवर, हम तो इतना ही कहना चाहते हैं कि सड़क नीति के अन्तर्गत ही ऐसे प्राविधान हैं कि जो सड़क स्वीकृत हुयी हैं उसको पूर्ण किया जाएगा। हम टूटे रोडों की बात नहीं कर रहे हैं। जो सड़कें स्वीकृत हुयी हैं किसी पर 25 फीसदी काम हुआ है, किसी पर 50 फीसदी, किसी पर 75 फीसदी काम हुआ है उन सड़कों को क्या सरकार समयबद्ध तरीके से पूरा करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय उदयराज जी का प्रश्न था कि ऐसे पुल हैं जो नहीं जुड़ पाये हैं, क्या इनको सम्पर्क मार्गों से जोड़ेंगे ? आधी रोड बनी है, आधी नहीं बनी है, क्या इसको जोड़ेंगे ? उदयराज जी का प्रश्न इससे मिलता-जुलता था। उसके बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं अभी इस पर विचार करा रहा हूं, ऐसे मार्ग जो अधूरे पड़े हैं या ऐसे पुल जो सम्पर्क मार्गों से नहीं जुड़ पाये हैं।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता था कि प्राथमिकता के आधार पर जो अन्तर्राज्यीय मार्ग हैं जैसे कि राजस्थान से कुछ जुड़े हुए मार्ग हैं, कुछ मध्य प्रदेश से जुड़ने वाले मार्ग हैं, क्या उनको बनाने के बारे में प्राथमिकता के आधार पर सरकार ध्यान देगी ? विशेषकर मैं जो बात करना चाहता था वह आगरा, शमसाबाद और राजाखेड़ा रोड के बारे में कहना चाहता था। यह एक अन्तर्राज्यीय मार्ग है। जो कि आगरा को शमसाबाद होते हुए राजाखेड़ा से जोड़ता है। हमने कई बार इसका जिक्र भी किया था यहां पर लेकिन हर बार हमें आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। यह ऐसा मार्ग है कि राजस्थान को जोड़ते समय राजस्थान की सीमा में तो बहुत अच्छा बना हुआ है लेकिन यह एन0टी0पी0सी0 से लगा करके शमसाबाद होते हुए और वहां पर एक नदी का पुल है वहां पर तो बहुत ज्यादा खराब है, इतना ज्यादा खराब है कि उधर से आने वाले वाहन और इधर से जाने वाले वाहनों में बहुत गतिरोध होता है, इसलिये मैं अन्तर्राज्यीय मार्ग को प्राथमिकता के आधार पर बनाने के बारे में सरकार से आश्वासन चाहता था कि क्या प्राथमिकता के आधार पर सरकार इस अन्तर्राज्यीय मार्ग को बनाने की कोशिश करेगी।

श्री अध्यक्ष-

अभी अन्तर्राज्यीय मार्ग को बनाने के बारे में बताया तो गया था।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह मार्ग नीति के सम्बन्ध में प्रश्न है और उस पर पूरी जानकारी माननीय मंत्री जी ने दे दिया। मान्यवर, जहां तक विभिन्न मार्गों की बात आती है तो आवश्यकता और वित्तीय संसाधन के उपलब्धता के आधार पर सरकार निर्णय लेती है, इसलिये अलग-अलग मार्ग के बारे में प्रश्न पूछेंगे तो इसका उत्तर हम कहां से दे पायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

हां नहीं दे पायेंगे, इसकी सूचना भी तो चाहिए माननीय मंत्री जी को। हर माननीय सदस्य दो-तीन जो भी अनुपूरक प्रश्न करना चाहिए कर लीजिए कोई बात नहीं, लेकिन अब ऐसे-ऐसे प्रश्न पूछेंगे जिसकी सूचनाओं की जरूरत पड़ेगी, अब माननीय मंत्री जी तात्कालिक तौर पर कहां से दे पायेंगे। इसके सापेक्ष में आप लोग जो भी प्रश्न पूछना चाहें, नीति के बारे में या कुछ विचार करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके संदर्भ में पूछिये। हां मदन चौहान जी बताइये, क्या पूछेंगे ? इसी लाइट में पूछिये, अगर अलग से पूछना चाहते हों तो लिखकर दे दीजिए माननीय मंत्री जी को।

श्री मदन चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानकारी करना चाहूंगा कि बहुत से मार्ग बहुत घनी बस्ती में से निकल कर जाते हैं, मान्यवर, क्या उनमें जहां पर अच्छी रोड बन गई है और गांव या शहर के बीच में होकर जाते हैं उसमें क्या ब्रेकर लगाने की कोई ऐसी नीति है जिससे दुर्घटनाएं बच सके। मैं जानकारी करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष-

अब ऐसी कोई नीति के बारे में क्या बतायेंगे। मदन चौहान जी आपने ऐसी सड़कों के बारे में उल्लेख किया है। जिनके बारे में पूछा है कि क्या कोई ऐसी नीति है जहां ईंटा या कुछ लगाने का तो इसके बारे में माननीय मंत्री जी कहां से जवाब दे देंगे ? आप सड़क नीति के बारे में पूछें उसकी लाइट में पूछें कि क्या यह विचार कर सकते हैं जो हम यह सुझाव दे रहे हैं ऐसे तो चलिये अनुपूरक हो सकते हैं।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

अब सब लोग सड़क पर उतर आये।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से हम एक प्रश्न जानना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी ने मार्ग नीति के बारे में बताया मान्यवर कि मार्ग नीति बनाई गई है। प्रदेश के समस्त मार्गों को सतत् प्रयासों के अन्तर्गत गड्ढा मुक्त रखना। मान्यवर, प्रायः यह देखा गया कि जो मार्ग अच्छे हैं, उनमें पी0डब्ल्यू0डी0 के अधिकारी उन्हें गड्ढा दिखाने के लिए पुनः लेयर डालने का काम करते हैं जो खराब हैं उनको नहीं बनाते हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी गड्ढा मुक्त करने के लिए सदस्यों से सुझाव लेने का काम करेंगे ? मैं यह जानना चाहता हूं।

ठाकुर जयवीर सिंह-

मान्यवर, मार्गों के नवीनीकरण के बारे में जैसा मैंने अभी बताया कि यह समयबद्ध चार्ट है, जब-जब मार्गों का नवीनीकरण करना अपेक्षित होता है, उसमें मार्गों की कैटेगिरी दी हुई है जो अपने स्टेट के मार्ग है जिला के मार्ग है शहरी मार्ग है, ग्रामीण मार्ग है, अलग-अलग कैटेगरीवाइज किया गया है और उसके लिए समय निर्धारित है कि इतने समय में उसका नवीनीकरण किया जाना है।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, सदस्यों से सुझाव लेने की बात हमने इसलिए कही क्योंक माननीय सदस्यों को ज्यादा जानकारी रहती है कि कौन मार्ग खराब है कौन नहीं है तो क्या माननीय सदस्यों से सुझाव लेकर गड्ढा मुक्त करने का काम करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

नहीं अब कुछ नहीं। हां कुबेर जी, केवल दो मिनट में बोल लीजिए, आप बड़ी देर से खड़े हुए हैं।

श्री कुबेर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, लोक निर्माण विभाग द्वारा 14 किमी0 सड़क का निर्माण कराया गया अनुपूरक कर रहा हूं मुझे बीच में रोकना मत मैं बस एक मिनट में खत्म कर दूंगा। यह मेरा 18 नम्बर पर लगा हुआ है।

मेरा उसी से सम्बन्धित अनुपूरक है।

श्री अध्यक्ष-

उससे सम्बन्धित आप अनुपूरक नहीं करेंगे।

श्री कुबेर सिंह-

मान्यवर, मेरा कहना है कि जब आपने 14 कि0मी0 सड़क के कार्य पर 30-35 लाख रु0 खर्च कर दिया और 270 मीटर भाग ऐसा आ गया उसके सम्बन्ध में प्राविधान न होने के कारण उसको छोड़ दिया तो फिर वह जो पैसा खर्च हो गया उसका क्या औचित्य रह गया ? क्या उस 270 मीटर भाग को भी शामिल करके कार्य करा देंगे जिससे कि वह रोड कम्प्लीट हो जाये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, माननीय कुबेर सिंह जी का कहना है कि लगभग 300 मीटर का भाग छूट गया है क्या उसको भी बनवा देंगे ?

ठाकुर जयवीर सिंह-

मान्यवर, माननीय कुबेर सिंह जी की बात है उसका भी अनुपालन करा देंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, उसको आपको दिखवाना पड़ेगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

मान्यवर, हमारी तरफ से बौद्ध परिपथ पर जापान सरकार ने काफी पैसा दिया है उसके बाद भी वह परिपथ ऐसे ही पड़ा हुआ है। आपको अपना अंशदान लगाकर उस सम्बन्धित सड़क को शीघ्र पूरा कराने की आवश्यकता है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इस प्रश्न से अलग है। आप लिखकर दे देंगे तो उनको जानकारी दे दी जायेगी।

श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

मान्यवर, इस वर्ष प्रदेश के 24 जिले बाढ़ की तबाही से प्रभावित हो गये थे और उसमें तमाम सड़कें कट गयी थीं। क्या इस वर्ष कटी सड़कों का निर्माण कराये जाने की कोई कार्य योजना है ?

ठाकुर जयवीर सिंह-

मान्यवर, जहां-जहां पर विशेष मरम्मत की आवश्यकता होती है वहां पर प्राथमिकता पर विचार करते हैं।

श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

मान्यवर, मेरा विधान सभा क्षेत्र इस बार बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। वहां के लिये अभी तक कोई कार्य योजना प्रकाश में नहीं आयी है और न ही उन कटी सड़कों का निर्माण हो रहा है जिससे लोगों को आने जाने में काफी असुविधा हो रही हैं मान्यवर, यह नेपाल के नीचे का इलाका है और यहां पर दुधवा नेशनल पार्क स्थापित होने के कारण बहुत पर्यटक आते हैं। उन पर्यटकों को भी आवागमन में असुविधा हो रही है। मेरे विधान सभा क्षेत्र निघासन, लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत यह मार्ग है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आपने उनके संज्ञान में ला दिया है, वह विचार करेंगे।

श्री इरफान सोलंकी-

मान्यवर, कानपुर शहर में पी0डब्लू0 डी0 से पिछले दो साल से जो सड़कें पास है उन पर कार्य नहीं हो रहा है। हमारे यहां कानपुर शहर में गंगा पुल लखनऊ को जोड़ता है उस सड़क मार्ग पर भी कोई कार्य नहीं हो रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो सड़कें पास हैं उन पर कब तक काम शुरू हो जायेगा ?

ठाकुर जयवीर सिंह-

मान्यवर, यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य अपने क्षेत्र के बारे में अलग से बता रहे हैं। कौन सा कार्य स्वीकृत है वह कब प्रारम्भ होगा इसकी सूचना माननीय मंत्री जी इस समय कहां से दे देंगे।

श्री अब्दुल वारिस खां-

मान्यवर, हमारे यहां मुजफ्फरनगर में पानीपत-खटीमा मार्ग का पिछले 4 वर्ष से नवीनीकरण नहीं किया गया है वह बहुत ही खराब हालत मे है। आप मंत्री जी से उत्तर दिला दें।

श्री अध्यक्ष-

कोई उत्तर आयेगा, तभी तो उत्तर दिलाया जायेगा।

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, एक स्थिति यह है कि जिस तरह से पीएमजीएसवाई में 5 साल तक के लिये ठेकेदार से मेन्टीनेंस का कान्ट्रेक्ट होता है आगामी सड़क नीति में प्रत्येक मार्ग के निर्माण के वक्त

चाहे वह किसी भी श्रेणी का हो, इस सुझाव को शामिल कर लिया जाय, और मान्यवर, दूसरा मेरा एक सुझाव और है नेशनल हाईवे एथारिटी के एक अधिकारी से मेरी बात हुई थी। हमने कहा कि राजस्थान में नेशनल हाईवे के हालात बहुत अच्छे हैं और उन पर ट्रैफिक का लोड कम दिखाई देता है तो उन्होंने बताया कि वहां पर एक स्पेशल सेल बनी हुई है जिसका काम यह है कि इस वर्ष उन्होंने टू लेने के मरम्मत के लिये पैसा मांगा और एक साल में जो ट्रैफिक बढ़ा उसके आंकड़े वह बनाते हैं और उसको केन्द्र सरकार को भेजते हैं। नेशनल हाइवे पर तो हन्ड्रेड परसेन्ट फंडिग भी केन्द्र सरकार को करनी है। तो उसी तरह से एक अलग सेल यहां भी बना दिया जो प्रत्येक नेशनल हाईवे रोड पर कितना ट्रैफिक लोड है, देखे तो उससे हमें यह भी फायदा होगा कि इस वर्ष जो हमारी दो लेन की रोड है आगे हमें अगले एक साल मे दो साल में या 4 साल में उसको 4 लेन का कराने के लिए पैसा मिलेगा और 4 लेन को 6 लेन का कराने का पैसा मिलेगा यह मैं सुझाव चाहूंगा कि सड़क नीति में सम्मिलित कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, सुझाव ले लिया जाय। माननीय मंत्री जी, एक सुझाव दिये हैं डाक्टर साहब, उसको देख लीजिएगा।

डॉ0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, इसके साथ ही मैं चाहूंगा कि मथुरा अलीगढ़ मार्ग के बारे में भी विचार कर लिया जाय। बहुत-बहुत धन्यवाद।

प्रदेश में गन्ने की वर्तमान सत्र में पेराई दर का निर्धारण

*5-श्री मदन चौहान-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गन्ना किसानों के गन्ने की वर्तमान पेराई सत्र में दर कितने रुपये कुन्तल निर्धारित की गई है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

वर्तमान पेराई सत्र 2008-09 हेतु गन्ने की निम्नवत दर निर्धारित की गयी है :-

1-अनुपयुक्त घोषित प्रजातियों के लिये	रु0 137.50 प्रति कुन्टल
2-साधारण प्रजातियों के लिये	रु0 140.00 प्रति कुन्टल
3-अगैती प्रजातियों के लिये	रु0 145.00 प्रति कुन्तल

श्री मदन चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो 2008-2009 हेतु गन्ने की दर घोषित की है 137 रुपये 50 पैसे, 140 रुपये और 145 रुपये। मान्यवर, मैं जानना चाहूंगा कि किन आधारों पर यह कीमत घोषित की गयी ? क्या इसमें कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों का भी ध्यान रखा गया है यह माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करें ?

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, जो प्रदेश के सर्वांगीण किसानों के और गन्ना की सारी चीजों को और लागत को देखते हुए सर्वांगीण और जो केन्द्र की न्यूनतम दर है उसको भी ध्यान में रखते हुए, किसानों

के हित में यह गन्ना मूल्य घोषित किया गया है और प्रदेश सरकार को इनको धन्यवाद देना चाहिए कि किसी एक वर्ष में सर्वाधिक दर बढ़ाने का काम किया गया है।

श्री आरिफ अनवर हाशिमी-

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गन्ना किसानों को उनकी लागत का सही मूल्य और कम लागत से गन्ना पैदा करने के लिए जैसे कि प्रदेश में गन्ने का रकबा बहुत घट गया, चीनी का उत्पादन जो पिछले वर्ष हुआ था वह कम हो गया तो गन्ना किसानों को गन्ना समितियों से मुक्ति दिलाने के लिए जिस तरह से और तिलहन, दलहन, गेहूं, धान बेचने की छूट है उसी तरह से सरकार इस पर कोई नीति बनाकर गन्ना समितियों के शोषण से मुक्ति कराकर खुले बाजार में गन्ना बेचने की कोई नीति बनायेगी किसानों के हित में ?

श्री अध्यक्ष-

खुले बाजार में कैसा बता रहे हैं जरा स्पष्ट कर दीजिए।

श्री आरिफ अनवर हाशिमी-

मान्यवर, जैसे सरकार भाव तय करती है अन्य अनाजों का तिलहन का, दलहन का, धान का, गेहूं का अन्य अनाज जो किसान उत्पाद करता है तो गन्ना भी किसान उत्पाद करता है लेकिन उसमें गन्ना समितियों का कमीशन कट जाता है जिसका किसानों को कोई लाभ नहीं पहुंचता है और उनकी पर्ची भी कम आती है। जो तगड़ा होता है उसको पर्ची भी मिल जाती है और घटतौली का शिकार भी गन्ना किसान बुरी तरह से होता है। तो गन्ना किसानों का शोषण होने के कारण प्रदेश में गन्ने का रकबा, बुआई बहुत कम हो गयी है इसलिए इस वर्ष चीनी का उत्पादन बहुत घट गया है मेरा जानना है माननीय मंत्री जी से कि गन्ना की खेती को बढ़ावा देने के लिए जो घटा रकबा है कम करने के लिए चीनी उत्पादन को बढ़ाने के लिए गन्ना किसानों को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए यह जो गन्ना समितियां है उनसे गन्ना किसानों को स्वतंत्र करके गन्ना बेचने की अनुमति दी जायेगी ?

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, माननीय सदस्य किसानों के हित की बात नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं गोण्डा गया था और वहां पर यह बताया गया कि कुछ समय पूर्व वहां पर गन्ना किसानों की घटतौली होती थी और लोग लाठी लेकर खड़े हो जाते हैं और माल नाप लेते थे कि इतना गन्ना है। इस प्रथा को समाप्त करने के लिये ही और गन्ना किसानों के हित को दृष्टिगत रखते हुये किसान समितियां, जो गन्ना कृषक समितियां हैं, उनके माध्यम से, जिससे चीनी मिल मालिक उनका शोषण न कर सकें, इसलिये समितियों के माध्यम से ही गन्ना क्रय करने की व्यवस्था की गयी है। उससे अतिरिक्त करने का प्रश्न इसलिये नहीं उठता क्योंकि उससे किसानों का हित संभव नहीं होगा।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, जो किसानों से कमीशन काटा जाता है उसकी सरकार भरपाई कर दे समितियों को। लेकिन किसानों को आप लाभ पहुंचा दें। यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

किसानों के लाभ के लिये ही तो समिति बनी है।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो यह मदन चौहान ने गन्ना मूल्य निर्धारण के बारे में सवाल किया है उसके बारे मे माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि अच्छा मूल्य बढ़ाकर किसानों को देने का काम किया है। वर्तमान में बहुत सारी चीनी मिलें किसानों को 15 से 20 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का काम कर रही है और जो सरकारी नियंत्रण की चीनी मिलें हैं, चीनी मिल संघ की चीनी मिलें हैं, वह वही दर से गन्ना मूल्य भुगतान करने का काम कर रही है जो माननीय मंत्री जी और सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बराबर की प्राइवेट चीनी मिल 15 से 20 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का काम कर रही है क्या माननीय मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो सरकार के नियंत्रण की चीनी मिलें हैं, वह भी उनके बराबर किसान को गन्ना मूल्य देने का काम करें ?

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, जो घोषित गन्ना मूल्य है, उसके अनुसार भुगतान किया जा रहा है। उससे अतिरिक्त का कोई प्रश्न नहीं उठता।

डा0 पी0 के0 राय-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं सरकार ने अपने इसी सत्र में एक बात का उल्लेख किया है कि विगत वर्ष गन्ने का उत्पादन 59.59 टन प्रति हेक्टेयर था और इस वर्ष वह उत्पादन क्षमता घटकर 56.44 टन प्रति हेक्टेयर हो गयी। इससे जाहिर है कि गन्ने की जो बुवाई है उसमें कमी आई है। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि चीनी मूल्य का जो निर्धारण किया गया है क्या उसमें किदवई फार्मूले का समावेश किया गया है और जो गन्ना मूल्य का निर्धारण किया गया और जो चीनी का वर्तमान समय में विक्रय मूल्य है उस चीनी के विक्रम मूल्य को आधार मानकर गन्ना के मूल्य का निर्धारण किया गया है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय राय साहब, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जो निर्धारण किया गया है जो हमारे चीनी उत्पादन के बाद जो चीनी का मूल्य है या भारत सरकार द्वारा जो न्यूनतम मूल्य है, उसको भी ध्यान में रखकर इन तमाम बिन्दुओं को माननीय मंत्री जी बतायें कि इसको आधार मानकर ही मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया की गयी है, इसमें आप क्या चाहते हैं। कि चीनी उत्पादन में जो हमारी कीमत है, उसके आधार पर इसके निर्धारण का ख्याल किया गया है कि नहीं।

डा0 पी0 के0 राय-

मान्यवर, गन्ना मूल्य का सम्बन्ध चीनी से है और अगर चीनी का दर बढ़ेगा तो उसके हिसाब से भी गन्ने का दर बढ़ना चाहिये। मेरा प्रश्न यह है कि चीनी का दाम जितना बढ़ा है उसके आधार पर क्या गन्ना मूल्य का निर्धारण किया गया है कि नहीं ?

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, समग्र विचार करने के बाद, चीनी का मूल्य घटता बढ़ता रहता है और उसमें जो सुसंगत नियम हैं जो भारत सरकार हर वर्ष खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चीनी के रिकवरी के आधार पर न्यूनतम गन्ना मूल्य घोषित किया जाता है उसके बाद विभिन्न राज्य सरकारें परामर्शी मूल्य घोषित करती हैं मान्यवर, जिस प्रकार से चीनी का मार्केट मूल्य घटता बढ़ता रहता है उस प्रकार से गन्ने का मूल्य घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। इसलिए समग्र विचार करने के उपरान्त किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह क्रान्तिकारी निर्णय लिया गया है।

श्री पंकज कुमार-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज हर तरफ से किसान ही लुटता है, अभी मा0 मंत्री जी ने मा0 सदस्य के प्रश्न के जवाब में कहा था कि आप किसानों के हितों की बात नहीं करना चाहते हैं। यदि मंत्री जी किसानों के हितों की बात सोचते हैं तो मैं अनुरोध करना चाहता हूं और उनसे पूछना चाहता हूं कि जब किसान कुछ भी खरीदता है तो उसका सही मूल्य अदा करता है, लड़की की शादी भी उसे इस परिस्थिति में करनी पड़ती है तो ब्याज पर पैसा ले करके वह शादी कर पाता है बच्चों की शिक्षा में वह ब्याज पर पैसे लेता है। मैं केवल इतना मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो किसानों का बकाया भुगतान है उसे अब अदा कर रहे हैं या किया जा चुका है। हम लोगों ने पहले भी मांग की थी कि उसका ब्याज सहित भुगतान किया जाना चाहिए तो क्या सरकार इस पर भी विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 मलिक जी, यह प्रश्न पूछा गया गन्ना मूल्यों के सन्दर्भ में, गन्ने का बकाया भुगतान है, कितना है ? यह सब अलग विषय है इसके लिए मा0 मंत्री जी को अलग से सूचना मंगानी पड़ेगी।

श्री मदन चौहान-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मूल्य निर्धारण में किसान की जो लागत मूल्य आती है, उसका जिक्र किया गया है, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि लागत मूल्य क्या है और जो उन्हें भुगतान किया जा रहा है, उससे किसान को कितना फायदा हो रहा है ? दूसरा मेरा अनुपूरक है कि जो मिलें बोनस दे रही हैं वह मिलें जो बोनस लगा करके 150, 155 या 170 का रेट दे रही हैं क्या उनको दो सौ रुपये प्रति क्विंटल भुगतान करने का आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

इसका उत्तर तो अभी मा0 मंत्री जी ने दिया है। उन्होंने कह दिया कि हमारा जो निर्धारण हुआ है, उसी आधार पर हम देते हैं।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि लागत मूल्य किसान का प्रति क्विंटल क्या रहा है ?

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, जो गन्ना मूल्य घोषित होता है उसके लिए मान्यवर, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति है वह चीनी मूल्य तथा सभी सुसंगत तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जो संस्तुति करती है, उसके आधार पर गन्ना मूल्य घोषित किया जाता है। तो इसमें समस्त का समावेश है और उसके आधार पर गन्ना मूल्य घोषित किया जाता है।

श्री मदन चौहान-

कितना लाभ मिल रहा है, यह बता दें ?

जनपद बरेली की बहेड़ी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम टेहरा में बहगुल नदी एवं देवरनिया नदी पर पक्का डैम बनाये जाने की मांग

*6-श्री छत्रपाल सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद बरेली की बहेड़ी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम टेहरा में बहगुल नदी पर तथा देवरनिया नदी पर ग्राम खिरनी में सिंचाई विभाग द्वारा कच्चे बांध प्रति वर्ष गर्मी के सीजन में बांधे जाते थे जिससे क्षेत्र के सैकड़ों गांव लाभान्वित होते थे ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि विगत 10-12 वर्षों से उक्त बांधों के न बंधने से जल स्तर भूमि में काफी नीचे जाने से फसलों व जनजीवन को गम्भीर संकट पैदा हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नदियों पर पक्की डैम बनाने की योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी नहीं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री छत्रपाल सिंह-

मान्यवर, मैंने प्रश्न किया था बरेली जनपद की बहेड़ी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम टेहरा में बहगुल नदी पर तथा देवरनिया नदी पर ग्राम खिरनी में सिंचाई विभाग द्वारा काफी वर्षों पहले से गर्मी के मौसम में प्रतिवर्ष कच्चे बांध बांधे जाते थे, पानी को रोका जाता था और उसके कारण से जमीन का जो जलस्तर है वह ऊपर उठ जाता था और उससे किसानों को बहुत सुविधा रहती थी, जमीन में नमी रहती है और यह सब फसल के लिये लाभदायक था। मान्यवर, 15-20 वर्षों से वह डैम बांधना बन्द हो गया और उसके कारण से न केवल फसलों को नुकसान हुआ बल्कि पेयजल तक की समस्या उत्पन्न हो गयी। गांव-गांव में लोगों को पीने योग्य पानी उपलब्ध नहीं है, नदियों और नहरों में पानी नहीं है। इस प्रकार से बहुत बड़ा संकट लोगों के सामने है और ऐसे गांवों की संख्या लगभग सौ-डेढ़ सौ के आसपास होगी। एक टेहरा नदी है और उसके

पीछे एक और नदी है वहां खमड़ियां गांव है, वहां पर भी इस प्रकार का एक डैम बांध जाता था। मैंने प्रश्न यह रखा था कि अगर वहां पर पक्के डैम बना दिये जायें तो पानी का जल स्तर ऊंचा हो जायेगा और नहरें जो कि पहले से ही बनी हुई हैं और जो कभी इन कच्चे डैमों से पानी लेकर नहरों के पानी से सिंचाई होती थी। उन नहरों को भी लोगों ने अपने-अपने कब्जे में ले रखा है अगर वह पुनः डैम बनाकर नहरों को पानी दिया जाये तो सैकड़ों गांव की समस्या खेती के लिये तो हल होगी, ही होगी।

श्री अध्यक्ष-

आप अनुपूरक प्रश्न पूछिये।

श्री छत्रपाल सिंह-

मान्यवर, मैं जानना चाहता था कि उन कच्चे बांधों को बनाने के लिये सरकार की क्या योजना है ? उसमें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इसमें बतायें।

नलकूप एवं लघु डाल नहर राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जयवीर सिंह)-

मान्यवर, माननीय सदस्य को अवगत कराना है जैसा कि प्रश्न में लिखा था कि जी हां, मान्यवर, देवरनिया नदी पर ग्राम खिरनी के निकट पक्का रेगुलेटर बनाये जाने के लिये 160.29 करोड़ रुपये की एक योजना स्वीकृत कर दी गयी है और इसी वित्तीय वर्ष में सम्भवतः धन अवमुक्त हो जायेगा। इसके साथ ही दूसरी नदी थी वहां के लिये भी उसकी योजना पर विचार कर रहे हैं और प्राइमरी स्टेज पर सर्वे हो गया और उस पर विचार कर रहे हैं।

श्री छत्रपाल सिंह-

मान्यवर, जो बहगुल नदी है उस पर चाहता था वहां ज्यादा भयंकर समस्या है उसकी स्वीकृति दे दें, पैसा आवंटित कर दें तो जनहित में रहेगा।

श्री अध्यक्ष-

अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि रेगुलेटर स्वीकृत हो गया है।

प्रदेश में आबादी के अनुरूप बी0पी0एल0 कार्डों की संख्या बढ़ाये जाने की मांग

*7-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का मानक के अनुसार ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में कितनी-कितनी आय सीमा रखी गयी है ? इनका बी0पी0एल0 कार्ड बनाने की प्रक्रिया क्या है ? प्रदेश में वर्तमान वर्ष में कितने बी0पी0एल0 कार्ड बनने का लक्ष्य है ? क्या सरकार बी0पी0एल0 की आबादी के अनुरूप बी0पी0एल0 कार्डों की संख्या बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

योजना आयोग के शासनादेश दिनांक 17-6-2004 के अनुसार पांच सदस्यों के परिवार को आधार मानते हुए गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की वार्षिक आय का मानक ग्रामीण क्षेत्र में रु0 19,884/- एवं शहरी क्षेत्र में रु0 25,546/- निर्धारित है।

प्रदेश में बी0पी0एल0 कार्ड बनाने हेतु निम्नवत प्रक्रिया निर्धारित है--

ग्रामीण क्षेत्र-ग्रामसभा की खुली बैठक में आम राय से आर्थिक रजिस्टर के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की सूची मौके पर तैयार की जाती है तथा सूची पर सम्बन्धित कानूनगो/एडीओ के अतिरिक्त सम्बन्धित ग्राम प्रधान के भी हस्ताक्षर कराये जाते हैं।

शहरी क्षेत्र-स्थानीय निकाय के अधिकारियों की सहायता से लाभार्थी परिवारों का चिन्हींकरण कराया जाता है तथा उसके आधार पर बी0पी0एल0 राशन कार्ड निर्गत किये जाते हैं।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार बी0पी0एल0 राशन कार्ड पूर्व में ही निर्गत किये जा चुके हैं।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अतिरिक्त राशन कार्ड बनाया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह समाज के बहुत बड़े वर्ग से सम्बन्धित प्रश्न है। आप प्रश्न देख लें और उत्तर देख लें, मैंने प्रश्न किया था, मेरे प्रश्न का दूसरा भाग है कि प्रदेश में वर्तमान वर्ष में कितने बी0पी0एल0 कार्ड बनने का लक्ष्य है ? उसका उत्तर आया कि-भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार बी0पी0एल0 राशन कार्ड पूर्व में ही निर्गत किये जा चुके हैं। मैंने शब्द कितना पूछा था, उसका उत्तर नहीं आया। दूसरे मेरी जिज्ञासा है कि प्रदेश में लगभग 5 करोड़ से ज्यादा बी0पी0एल0 के लोग हैं जबकि इसके पहले भी मा0 मंत्री जी के एक प्रश्न के उत्तर में यह जवाब आया था कि मात्र 1 करोड़, 6 लाख लोगों को भारत सरकार ने इसके लिए अनुमन्य किया है। चूंकि बी0पी0एल0 परिवारों के लिए मौजूदा सरकार ने पेंशन, कालोनी, इलाज अब तो दो योजनायें महामाया और सावित्री बाई फुले जैसी नई योजना बच्चियों के लिए आ गयी है उससे भी इसको जोड़ दिया गया। सब कुछ इसी के ऊपर निर्भर करता है जिसमें केन्द्र सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, जैसे इलाज है या जो प्रदेश सरकार के द्वारा फडिंग वाली योजना है उसके लिए भी अगर यही मानक रखा जो कि पूरी तरीके से दोषपूर्ण है। बी0पी0एल0 सूची वर्ष 2002 में बनी उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नये पात्रों को एड कर सकते हैं और पुरानों को हटा सकते हैं जो अपात्र है। उस प्रक्रिया का भी अनुपालन नहीं किया गया और जिस क्षेत्र में अनुपालन किया भी गया उसकी इण्टरनेट पर इण्ट्री नहीं हुई। नतीजा यह हुआ कि जो लाभ उन परिवारों को मिल सकता था वह आज की तारीख में नहीं मिल रहा है, दोषपूर्ण सूची होने की वजह से और संख्या कम होने की वजह से कितने कार्ड बनाने का लक्ष्य था ? उसको बढ़ाने के लिए अभी तक प्रदेश सरकार की ओर से क्या प्रयत्न किये गये ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

भारत सरकार से एक करोड़ 6 लाख लोगों के लिए गरीबी रेखा से नीचे कार्ड अनुमन्य थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया था पुनसर्वेक्षण का। पूरे उत्तर प्रदेश में जो गरीबी रेखा

से नीचे रहते हैं ग्राम्य विकास विभाग इसको लीडिंग कर रहा था। भारत सरकार में एक विशिष्ट कमेटी का चयन किया गया है जो अध्ययन कर रही है पूरे देश का उसके आदेश के बाद भी पुनसर्वेक्षण का कार्य और उसमें बढ़ोत्तरी कर सकते हैं। यह सरकार तो कर रही थी लेकिन भारत सरकार ने इसको रोक दिया।

श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

पूरे प्रदेश में बुन्देलखण्ड की स्थिति सबसे खराब है। लगभग 40 फीसदी लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। महामाया योजना या सावित्री योजना, आवास योजना के लिए वह बार-बार भटकते है। बड़ा गहरा मजाक उनके साथ किया जा रहा था। अगर भारत सरकार ने कोई अनुमति नहीं दी थी तो पुनसर्वेक्षण क्यों किया गया ? एक साल तक लोग यह आशा लगाते रहे कि उनको गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड बन जाएगा लेकिन अक्टूबर में आपने उसे स्थगित कर दिया। निश्चित रूप से संवैधानिक स्थिति जो भी हो लेकिन गरीबों को लगा कि उनका कार्ड बन जाएगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गरीबी रेखा के कार्ड का जो भारत सरकार से लक्ष्य निर्धारित है उसके विकल्प के तौर पर पहचान पत्र के बारे में क्योंकि प्रदेश सरकार की गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए योजनाएं चल रही हैं उनको योजनाओं का लाभ मिलेगा ? खासतौर से बुन्देलखण्ड में जहां लगातार पलायन की स्थिति है लोग परेशान हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बी0पी0एल0 कार्ड के अलावा कोई अन्य पहचान पत्र जारी करने पर विचार करेंगे जिससे उन गरीब लोगों को इन सारी योजनाओं का लाभ मिल सके ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

सरकार का कोई विचार नहीं है। जो लोग अनुमन्य हैं भारत सरकार से जनपद वाइज उसमें पात्र है। गांव छोड़कर जो लोग चले गये हैं उन गांवों में नहीं रहते हैं उनकी जगह दूसरे पात्र व्यक्तियों के लिए कार्ड जारी किया जा रहा है।

श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

महामाया आवास योजना, सावित्री बाई योजना है जो गरीब आदमी हैं उनके बारे में लोक सभा में जाकर सांसद लोग यह बात क्यों नहीं करते यह बात मेरी समझ में नहीं आती। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गरीबों के साथ इतना मजाक क्यों किया जा रहा है उनको राज्य की योजना का लाभ मिलना चाहिए खासतौर से बुन्देलखण्ड की जो स्थिति है।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने कह दिया कि विचार नहीं है।

श्री उदयराज-

मान्यवर, 2002 में जो बी0पी0एल0 सर्वे हुआ था जिसकी सूची के आधार पर पूरे प्रदेश में बी0पी0एल0 कार्ड, अन्त्योदय कार्ड या सब कार्ड जारी किये गये थे अगर आप उस सूची को देखें उसमें ऐसे-ऐसे लोगों के नाम है मैं अपने क्षेत्र में देख रहा हूं जिनकी महीने में कम से कम 50 हजार रुपये की इन्कम है, ट्रेक्टर हैं, गाड़ियां हैं, ऐसे लोगों के नाम सूची में है। मैं इतना

जानना चाहता हूं कि तमाम ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बी0पी0एल0 सूची में नाम नहीं है वह झुग्गी-झोपड़ियों में जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन जो भी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं का लाभ ऐसे लोगों को नहीं मिल पाता। मैं केवल इतना चाहूंगा कि एक सर्वे कराकर जिन अपात्र लोगों के नाम बी0पी0एल0 सूची में है उनको निरस्त करके उनकी जगह गरीब लोगों के नाम शामिल करके उनको इसका लाभ मुहैया कराने का काम करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

अभी मंत्री जी ने यही बताया कि 2002 की जो सूची बनी है उसका जो सर्वे हो रहा था वह स्थगित हो गया है। ग्राम्य विकास विभाग उसको लीड कर रहा था। भारत सरकार ने एक समिति बना दी और उस पर रोग लगा दी है कि हम अपने ढंग से परीक्षण करायेंगे। वह सर्वे स्थगित हो गया है तो मंत्री जी कहां से सर्वे करा दें ? अगर किसी ग्राम सभा में कोई शिकायत मिलती है और शिकायत मिलने के बाद यह पाया जाता है कि अमुक व्यक्ति जिसका राशन कार्ड बना है, बी0पी0एल0 सूची में नाम है, वह गलत है जो उसका निरस्त कराकर उसकी जगह पर दूसरे व्यक्ति का जो बी0पी0एल0 में है, उसको राशन कार्ड और दूसरी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, ऐसे लोगों को आप करा सकते हैं ? ऐसा तो आप करा सकते हैं, इसमें सर्वे नहीं शिकायत के आधार पर आप करा सकते हैं।

श्री राम प्रसाद चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश किया है कि इसकी सतत् जांच होती रहे। जहां भी शिकायत होती है, जांच करने की कार्यवाही होती है और नये कार्ड का निर्धारण किया जाता है। माननीय सदस्य, को जहां की भी जानकारी है इस तरह की, शिकायत करें तो निश्चित रूप से जांच की जायेगी।

श्री उदयराज-

मान्यवर, आप नोट कर लें। हमारे यहां 200 राशन कार्ड निरस्त हुए और उनकी जगह आज तक एक भी नहीं बना।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप उनको एक लिखकर दे दीजिए।

श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि यह जो शहर और गांव में बी0पी0एल0 की आमदनी का अंतर रखा गया है इसका मुख्य कारण क्या है ? क्या गांव में बसने वाले लोगों को 19,600 रुपये और जहां तक मेरी जानकारी है शहर में बसने वाले लोगों को 24 हजार रुपये पर बी0पी0एल0 माना जाता है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या गांव में रहना गुनाह है ? अगर गांव में रहना गुनाह नहीं है, एक तरफ तो सरकार चाहे वह केन्द्र की हो या राज्य सरकार हो वह यह प्रयास कर रही है कि शहरीकरण रुके और दूसरी तरफ गांव के लोगों की सुविधाओं में लगातार कटौती

करते जा रहे हैं। हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि गांव शहर का बी0पी0एल0 का अंतर है, इसको समाप्त किया जायेगा ?

श्री. अध्यक्ष-

वर्मा जी, एक तरफ गांव की हिमायत भी आप कर रहे थे और फिर कह रहे हैं कि बराबर कर दिया जाय। वर्मा जी गरीबी का निर्धारण हो गया है।

श्री जोखू लाल यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से हम यह जानकारी चाहते हैं कि गांव सभा में बी0पी0एल0 कार्ड धारक और बी0पी0एल0 सूची दो चीजे हैं और यह सरकार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को वो तमाम सुविधायें चाहे वह चिकित्सा की हो और चाहे वह वजीफे की हो या आवास की हो, क्या यह सरकार जो 2002 में बी0पी0एल0 सूची बनी हुई है उस बी0पी0एल0 सूची के आधार पर उन लोगों को सुविधा मुहैया करायेगी ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

ग्राम विकास के मानक में अलग बी0पी0एल0 सूची है और खाद्य एवं रसद विभाग में अलग है और इसी दोनों को एक करने के लिये सर्वेक्षण सरकार कराने जा रही थी जिसको भारत सरकार ने रोक दिया है।

श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

मान्यवर, मेरा जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष-

आप यह जानते हैं कि गांव और शहर में आय का जो रेशियो बनाया गया क्यों इतना अंतर है, इसको किस आधार पर तय किया है ? एक ओर आप कह रहे हैं कि गांव से आप पलायन कराना चाहते हैं तो गांव में कम कर दिया जाय, शहर में थोड़ा ज्यादा है तो और रोका गया कि पलायन कराया गया।

डा0 पी0 के0 राय-

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो आय सीमा निर्धारित की गई है, उस आय सीमा के अन्तर्गत क्या उसमें उन परिवारों की संख्या उतनी ही है जितनी भारत सरकार के द्वारा कार्ड हेतु 1 करोड़ 6 लाख 69 हजार के आस-पास निर्धारित किया गया है तो जो आय सीमा आपने निर्धारित किया है उसके अन्तर्गत उतने ही लोग हैं जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है ? दूसरा प्रश्न यह है कि जब सर्वे आपने दोबारा कराया तो उस वक्त तो कुछ आंकड़े आपके पास आये होंगे। आप जवाब देंगे कि सर्वे पूरा नहीं हुआ। लेकिन सर्वे कराने के बाद क्या वह संख्या 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा आई है या उससे कम थी ? तीसरा आखिरी, यह सरकार गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिये बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं ला रही हैं और मकसद है सरकार का कि गरीबों तक उसका लाभ पहुंचे लेकिन उसमें एक बाध्यता है कि जो बी0पी0एल0 कार्ड होल्डर होगा वही उसका एक तरह से पहचान-पत्र है कि वह गरीबी की

रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार है, ऐसी स्थिति में राज्य सरकार जो प्रदेश के उन गरीबों के लिये कल्याणकारी योजनाएं ला रही हैं तो क्या सरकार उस कोटे से हटकर जो उस गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनके लिये कोई और पहचान पत्र देने का काम करेगी जिससे कि उनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके ?

श्री लालजी वर्मा-

माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर उत्तर दिया जो माननीय सदस्य ने जानकारी चाही है इन्होंने पूछा है कि प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का मानक के अनुसार ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में कितनी-कितनी आय सीमा रखी गयी है ? इनका बी0पी0एल0 कार्ड बनाने की प्रक्रिया क्या है ? इनका प्रश्न बी0पी0एल0 से सम्बन्धित है। यह बी0पी0एल0 कार्ड से मिलने वाली अन्य सुविधाओं के बारे में बात कर रहे हैं यह विषय से हटकर सवाल है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी राय साहब यह जानना चाहते हैं कि गरीबी की रेखा के लिए जो आय का निर्धारण किया गया है उसके आधार पर आय का सर्वे हुआ। मान लीजिए 100 संख्या आई और बी0पी0एल0 कार्ड पचास का बना तो क्या गरीबी की रेखा के नीचे की जो आय की निर्धारण सीमा है उसके आधार पर जो जनसंख्या है उसके सापेक्ष यह बी0पी0एल0 कार्ड बना है यह कम बना है या ज्यादा बना है या और बनना चाहिए हमारी ज्यादा गरीबी है, कार्ड और बनने चाहिए या नहीं यह बता दीजिए।

श्री राम प्रसाद चौधरी-

निश्चित रूप से यह कार्ड कम बने हैं संख्या ज्यादा है पूरे प्रदेश का आंकड़ा है नहीं। आंकड़े के हिसाब से हम भारत सरकार से निवेदन करने वाले थे कि हमारे यहां वास्तविक गरीबी की रेखा से नीचे की संख्या यह है। हमारे जो अनुमन्य हैं कार्ड, एक करोड़ चार लाख के लगभग हैं उसको बढ़ाने के लिए निवेदन कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

बात आ गई है।

डा0 पी0के0 राय-

मेरा यह कहना है कि मान्यवर, कार्ड भले ही न बने लेकिन गरीबी की रेखा से नीचे जो लोग हैं उनको राज्य सरकार अन्य जो सुविधायें हैं वह प्रदान करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

इसके लिए अलग से आइडेन्टी कार्ड बनाने की नीति नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मेरी जो जिज्ञासा है वह पूरी नहीं हुई है।

श्री प्रसाद तिवारी-

आपकी पूरी कब होगी यह बतायें इनकी जिज्ञासा अधूरी भी है अतृप्त भी है। (हंसी)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इनकी जिज्ञासा अधूरी भी है और अतृप्त भी है। विधि का विधान है मान्यवर, हर चीज की आयु निर्धारित होती है अब जैसे बी0पी0एल0 कार्ड की मान्यवर, एक सीमा है। यह एक सीमा पार कर गये हैं। इनका बैचलर पूरा न होने से कई मानसिक बीमारियां हो जाती हैं। अगर आप चाहते हैं खन्ना जी हमारे भाई हैं मित्र हैं आप चाहते हों तो सदन में बात करें इनका विवाह हो जाए। इनकी समस्या का समाधान करा दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में एक बात बताई कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से और उसी के अनुपालन में 4-10-2008 को मुख्य सचिव के द्वारा एक शासनादेश भी जारी हुआ कि जो अपात्र है उनको हटाने का और जो पात्र हैं उनको जोड़ने का आदेश आज की तारीख में भी मंत्री जी पास हैं। अगर अपात्र हटाये जाते हैं तो पात्र जोड़े नहीं जाते हैं। अगर हटाकर जोड़ भी दिया जाता है तो इण्टरनेट के ऊपर उसकी इन्ट्री नहीं होती। जो करेक्शन माननीय मंत्री जी के द्वारा होता है, इस प्रदेश की सरकार के द्वारा होता है उसको किया जाना चाहिए। तभी गरीबों को फायदा मिलेगा। जिस उद्देश्य से यह योजना भारत सरकार ने दी है खाली यह कह देना कि एक करोड़ 6 लाख के आंकड़े दिये हैं तो यह आकाशवाणी हो गई इसके आगे कुछ नहीं है इसके आगे कुछ बात नहीं हो सकती यह कहना उचित नहीं है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि अपात्र को हटाया जाए और पात्रों को जोड़ा जाए और इसकी इण्टरनेट पर इन्ट्री की जाए। तभी लाभ हो सकता है नहीं तो मान्यवर, यह कहीं भी जांच का काम सही नहीं हो रहा है। यह कह दिया जाता है कि सर्वे को स्थगित कर दिया गया है इसके आधार पर हुआ हैं इसलिए इसको हटा दो। यह गरीबों की योजना है इसमें संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए। मंत्री जी की सदाशयता तब होती जब वह इस बात का आश्वासन देते कि इस आदेश को लागू जरूर किया जाएगा जो आदेश 4-10-2008 को लागू हुआ है।

श्री अध्यक्ष

मंत्री जी, खन्ना साहब का कहना है कि जो सर्वे करा रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उसके बारे में बता दें।

श्री राम प्रसाद चौधरी-

मान्यवर, जो अपात्र व्यक्ति मिलते हैं उनके स्थान पर नये व्यक्तियों का चयन करते हैं। इण्टरनेट पर लेने की जो बात है, उसके सम्बन्ध में कल ही शासनादेश जारी हो गया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के गेट नं0-9 से दारुलशफा एवं जनपथ स्थित सचिवालय जाने हेतु भूमिगत मार्ग अथवा उपरिगामी सेतु बनवाये जाने की मांग

*8-श्री सुधीर कुमार-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ नगर में विधान सभा मार्ग पर आने-जाने वाले वाहनों में निरन्तर वृद्धि होने के कारण विधान सभा के 9 नम्बर गेट से दारुलशफा

एवं जनपथ स्थित सचिवालय के कार्यालयों में जाने के लिए नागरिकों एवं कर्मचारियों को सड़क पार करने में काफी असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार विधान सभा के 9 नम्बर गेट से दारुलशफा एवं जनपथ स्थित सचिवालय के कार्यालयों में जाने हेतु भूमिगत मार्ग अथवा उपरिगामी सेतु बनाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां, यदाकदा मार्ग पर अधिक यातायात होने की दशा में नागरिकों एवं कर्मचारियों को सड़क पार करने में असुविधा होती है।

सम्प्रति कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री उदयराज-

मा0 अध्यक्ष जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सुधीर जी बाद में पूछ लेंगे। जब हम लोग हाउस के लिए निकलते हैं, दारुलशफा से निकल करके हजरतगंज के बीच की रोड की जो हालत है, कहिए कभी 10 मिनट लगें, 15 मिनट लगें और कहिए आधा घण्टा लगे। यदि घूमकर आइये तो एक घण्टा लग जायेगा। इतना विधायकों को आने में दिक्कत हो रही है। आपने तो उत्तर दे दिया कि कोई योजना पुल बनवाने की या अण्डरग्राउन्ड रास्ता बनवाने की नहीं है। मैं तो केवल एक चीज आपसे चाह रहा हूं कि आप इतनी व्यवस्था करा दीजिए कि विधान सभा गेट के ठीक सामने कोई चौराहा बनवा दीजिए, वहां ट्रैफिक के सिपाही खड़े कर दीजिए, नहीं तो किसी दिन किसी विधायक की दुर्घटना हो जायेगी, मर जायेगा। आप इतना तो कर ही सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते हैं तो। आपके पास धनाभाव है, लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं। अध्यक्ष जी, इतनी स्थिति गम्भीर रहती है कि हम लोग जब रोड क्रास करने लगते हैं तो पता नहीं कब कौन ठोकर मार दे। यह हालात है। संसदीय कार्य मंत्री जी, आप इतना तो करा ही सकते हैं कि वहां पर ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था करा करके कि जिस समय विधायक निकलते हैं, तो उनको निकलने में दिक्कत न हो।

श्री सुधीर कुमार-

मा0 अध्यक्ष जी, एक दिन मैं विधान सभा से निकल रहा था, मेरे साथ भी हादसा होते-होते बच गया। मान्यवर, जिस तरीके से मा0 मंत्री जी ने अभी सदन को अवगत कराया कि कर्मचारियों को सड़क पार करने में असुविधा होती है, मंत्री जी ने इसको स्वीकार किया है। इसके बावजूद भी कोई योजना विचाराधीन नहीं है। यह सरकार बड़ी-बड़ी योजनाएं चालू करने का बीड़ा अपने ऊपर उठाये हुए हैं, कभी गंगा एक्सप्रेस-वे, कभी कोई, कभी कोई, मगर यहां सदन के सम्मानित सदस्यगणों की सुरक्षा से सम्बन्धित है, मैं समझता हूं यह सरकार पूरी तरह से उदासीन है। प्रश्न का उत्तर जिस तरीके से मा0 मंत्री जी ने दिया है, मैं समझता हूं कि सदन के सभी सदस्यों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नहीं दिया गया है। मा0 मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं और आग्रह भी करना चाहता हूं कि इस पर तत्काल कोई व्यवस्था सुनिश्चित करें

और एक भूमिगत व्यवस्था करने की योजना बनाये या उपरिगामी सेतु बनाने की योजना तत्काल चालू करने का कष्ट करें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जैसा मा0 उदयराज यादव जी ने जिज्ञासा की है कि ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था करा दी जाए। मान्यवर, हम इसको दिखवा लेंगे और मा0 सदस्यों को आने-जाने में कोई असुविधा न होने पाए, इस दृष्टि से ट्रैफिक पुलिस का इन्तजाम करा दिया जाएगा। दूसरी बात जहां उपरिगामी सेतु या अण्डरग्राउन्ड रास्ते का सवाल है, मान्यवर, इससे विधान सभा का जो शो है, लुक है, वह प्रभावित होगा और इस बात को ध्यान में रखते हुए, ऐसा कोई विषय विचाराधीन नहीं है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मा0 अध्यक्ष जी, दो सुझाव देना चाहता हूं। मैं मा0 मंत्री जी की सुविधा के लिए यह बताना चाहता हूं कि यह नई व्यवस्था नहीं होगी, मुझे 80, 85, 89, 91 का याद है तब तक वहां पर जब विधान सभा चलती थी तो विधान सभा के गेट और इस गेट के बीच में ट्रैफिक पुलिस रहती थी। तो आपने बहुत सी अच्छी आदतें छोड़कर बुरी आदतें पकड़ लीं, उनमें एक यह भी है तो इसमें दिखवाने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको निर्देश देना चाहिए कि कल से यह व्यवस्था प्रारम्भ हो जायेगी. इसमें कौन सी दिक्कत है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने कह दिया, कल से यह व्यवस्था रहेगी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री प्रमोद तिवारी-

और दूसरी बात, मान्यवर, जो लुक की बात हो रही है वह तभी होगा जब ओवरब्रिज होगा और अगर आप नीचे से जायेंगे तो लुक और आकर्षक हो जाएगा।

प्रदेश में एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डर आपूर्ति में हो रही अनियमितता की रोकथाम की मांग

*9-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डर में निर्धारित मात्रा से कम गैस मिलने, पानी भरा होने यहां तक कि ट्रकों पर लदे हुए सिलेण्डरों को उतार कर गैस निकालने एवं वितरकों द्वारा उक्त कम मात्रा के सिलेण्डरों की शिकायतें प्रायः पाई जाती हैं जिसके कारण गैस के दामों में वृद्धि और दूसरी तरफ कम मात्रा में आपूर्ति से उपभोक्ताओं को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन अनियमितताओं को रोकने हेतु कोई प्रभावी कार्ययोजना बनाने पर विचार करेगा ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी हां।

एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डर में हो रही अनियमितताओं को रोकने के लिए पूर्व से ही निरन्तर प्रभावी कार्यवाही सम्पन्न करायी जा रही है जिसके तहत शासनादेश दिनांक 19-2-2007 तथा 03 मार्च, 2008 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये हैं। आपूर्ति विभाग, परिवहन विभाग, राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा की गई सघन जांच में जनवरी, 2008 से अक्टूबर, 2008 तक की अवधि में 2418 गैस एजेन्सियों, 940 होटलों पर छापे डाले गये तथा 8849 वाहनों की जांच के सापेक्ष 554 एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी, 160 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये, 10819 सिलेण्डर एवं 555 वाहनों को जब्त किया गया, जिनका अनुमानित मूल्य रुपये 354.56 लाख है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे खुशी है कि जिन बिन्दुओं पर मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया और जिनसे हर घर के उपभोक्ता को परेशानी उठानी पड़ रही है उसको माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है। अब मेरा अनुपूरक यह है कि एक तो पहले यह शिकायत थी कि जो वितरक है उनके यहां जो डिलीवरीमैन हैं वह ट्रालियों पर लेकर चलते हैं और उपभोक्ताओं को डिलीवरी देते हैं और उनमें गैस कम पायी जाने की शिकायत प्रायः मिलती है। बाद में देखा गया कि यह रोग इतना बढ़ गया कि जब बाटलिंग प्लान्ट से ट्रकों पर लादकर सिलेण्डर बाहर जाते हैं तो कहीं एकान्त जगह पर पुलिस और विभागीय लोगों की मिलीभगत से वह ट्रक खड़ा करके बारी-बारी सारे सिलेण्डरों से गैस निकालकर दूसरा सिलेण्डर रिफिल कर लेते हैं। इसको भी माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है। तो इस तरह से आपने जो कुछ भी कार्यवाही की है उसका सीधा लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है। मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता क्योंकि यह जिम्मेदारी राज्य सरकार की है कि वह उपभोक्ताओं तक सही मात्रा में गैस उपलब्ध कराये और दाम का निर्धारण तो केन्द्र सरकार करती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी आपने किया है उसका लाभ अभी भी उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच पा रहा है और यह घटतौली, गैस निकालने और कम मात्रा में गैस डिलीवरी देने का काम जारी है और उपभोक्ता परेशान है। मेरा कहना है कि इससे जब लाभ नहीं मिल रहा है तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में एक कोई समिति का गठन कर दिया जाये वह इन तमाम बिन्दुओं पर जो कार्यवाही की गयी है और जिसका सीधा लाभ नहीं मिल रहा है उस पर विचार करे कि और क्या कार्यवाही की जा सकती है जिससे कि उपभोक्ताओं का हित संरक्षित हो जाये। क्या इस पर सरकार विचार करेगी ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

मान्यवर, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, जिलाधिकारी के नेतृत्व में एक समिति बनाकर बहुत पहले से जांच की कार्यवाही चल रही है। जो माननीय सदस्य जी कह रहे हैं तो मुख्यालय से भी टीम बनाकर घटतौली की और जिस तरह की भी मिलावट और आपने लिखा है कि पानी की भी मिलावट है तो मैं एक टीम बनाकर मुख्यालय से जांच कराने का काम करूंगा।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी को मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि आम उपभोक्ता के सम्बन्ध में यह प्रश्न किया गया, इसमें गैस सिलेण्डर की जो दरें हैं वह दो तरह की, जहां तक मेरी जानकारी में निर्धारित है। एक घर पर डिलीवरी करने के लिए और एक गोदाम से डायरेक्ट उपभोक्ता सिलेण्डर लेने खुद जाता है और लेकर आता है तो उसका एक अलग दाम है, लेकिन जितने भी प्रदेश में गैस सिलेण्डर एजेन्सी के मालिक है वह एक ही दर पर सिलेण्डर देने का काम करते हैं उपभोक्ताओं को तो मेरा यह सुझाव है माननीय मंत्री जी से कि कोई व्यवस्था सुनिश्चित कराने का कोई शासनादेश जारी करें कि प्रत्येक गैस सिलेण्डर एजेन्सी के यहां एक बोर्ड लगाने का काम हो और जिस पर दोनों दरें अलग-अलग अंकित हों, ऐसी कोई व्यवस्था करानें का काम माननीय मंत्री जी करें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है सुझाव है। अब प्रश्नों का समय समाप्त।

प्रदेश के गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान मिलों से कराने की मांग

*10-श्री जोखू लाल यादव तथा श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के गन्ना किसानों का विभिन्न मिलों पर भुगतान हेतु दिनांक 31-10-08 तक कितनी धनराशि बकाया है ? उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार गन्ना किसानों के बकाया धनराशि का भुगतान ब्याज सहित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

चीनी मिलों पर दिनांक 31-10-2008 तक रु0 383.41 करोड़ बकाया है, जिसका विवरण निम्नवत् है :--

(धनराशि करोड़ रु0 में)

क्र0सं0	चीनी मिल	बकाया
1	भारत सरकार के उपक्रम	7.43
2	निगम क्षेत्र	--
3	सहकारी क्षेत्र	--
4	निजी क्षेत्र	375.98
	योग	383.41

उपरोक्त बकाये रु0 383.41 करोड़ के सापेक्ष रु0 142.62 करोड़ का भुगतान चीनी मिलों द्वारा कर दिया गया है तथा अवशेष रु0 240.79 करोड़ गन्ना मूल्य के भुगतान के सम्बन्ध में प्राविधानित नियमों के अन्तर्गत विधिसम्मत कार्यवाही की जायेगी।

नोट :-ता0प्र0सं0-9 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

जनपद फैजाबाद में भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप बी0 पी0 एल0 कार्डों को बनाये जाने की मांग

*11-श्री लल्लू सिंह-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में पूर्व में बनाये गये बी0पी0एल0 कार्ड निरस्त कर दिये गये हैं तथा वर्तमान में सर्वेक्षण कराकर बी0पी0एल0 पात्रता सूची बनाने का कार्य भी निरस्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्तमान में पात्र बी0पी0एल0 परिवारों को इसका लाभ किस प्रकार से दिया जा रहा है ? क्या सरकार पात्रता की सूची बनाने का कार्य समयबद्ध सीमा में पूर्ण कराकर बी0पी0एल0 कार्ड बनाने का कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी नहीं, जनपद फैजाबाद में पूर्व में बनाये गये बी0पी0एल0 कार्ड निरस्त नहीं किये गये हैं। वर्तमान में केवल सर्वेक्षण का कार्य स्थगित किया गया है।

पूर्व से बने बी0पी0एल0 कार्डों पर खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के चिन्हांकन करने के लिये उपयुक्त प्रक्रिया एवं अन्य सम्बन्धित मुद्दों पर संस्तुति देने के लिये एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया है। उक्त विशेषज्ञ दल की संस्तुतियों के आधार पर भारत सरकार के दिशा निर्देश प्राप्त हो जाने के पश्चात् गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की पात्रता सूची निर्धारण हेतु पुर्नसर्वेक्षण कराकर बी0पी0एल0 राशन कार्ड बनाये जा सकेंगे।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में गन्ने के उत्पाद के अनुरूप गन्ने मूल्य के भुगतान कराने की मांग

*12-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इस वर्ष पेराई सत्र 2008-09 में गन्ने का उत्पादन पिछले वर्ष 2007-08 से कितने मीट्रिक टन कम होने का अनुमान है ? क्या यह कमी गन्ना उत्पादकों को उनके गन्ने का उचित मूल्य न मिलने के कारण है ? यदि हां, तो क्या सरकार गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिये 175 रुपया प्रति क्विन्टल गन्ना मूल्य भुगतान करने के आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

वर्ष 2008-09 में प्रदेश की चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्र में 111.280 लाख टन गन्ने के उत्पादन का प्राथमिक अनुमान है, जो गत वर्ष 2007-08 की तुलना में लगभग 495.79 लाख टन कम है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

*13-श्री इमरान मसूद-

[3सरे मंगल के ता0 प्र0 सं0-13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में पम्प नहर की टेल तक पानी पहुंचने हेतु प्रत्येक पम्प नहर में अलग से विद्युत फीडर को स्थापित करने की मांग

*14-श्री विशम्भर प्रसाद निषांद-

क्या सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश की पम्प नहरों की क्षमता बढ़ाकर प्रत्येक पम्प नहर में अलग से विद्युत फीडर स्थापित करायेगी तथा टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नलकूप एवं लघु डाल नहर मंत्री (श्री जयवीर सिंह)-

भारत व बांग्लादेश के बीच हुए अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार गंगा व उसकी सहायक नदियों से जनवरी से मई तक अतिरिक्त जल उठाने पर प्रतिबन्ध है एवं शेष महीनों में भी भारत सरकार की स्वीकृति के बिना जल उठाना वर्जित है, अतः पम्प नहरों की क्षमता बढ़ाया जाना सम्भव नहीं है।

पम्प नहरों की टेल तक पानी पहुंचाने हेतु लगातार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 30 क्यूसेक एवं उससे अधिक क्षमता की 38 लघु डाल नहरों पर अलग से 33 के0वी0 स्वतंत्र फीडर की स्थापना हेतु एक परियोजना प्रस्तावित है।

परियोजना स्वीकृत होने के फलस्वरूप ही उक्त कार्य सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की अनधिकृत कालोनियों के विनियमितीकरण हेतु गाइड लाइन्स

*15-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के शहरों की अवैध कालोनियों को नियमित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

अनधिकृत कालोनियों के विनियमितीकरण हेतु शासन द्वारा गाईड लाइन्स शासनादेश संख्या-5097/9-आ-3-2001(आब.), दिनांक 26-05-2001 द्वारा निर्गत की गयी है। शासनादेश संख्या-5438/9-आ-3-2001(आब.) दिनांक 02-12-2003 तथा शासनादेश संख्या-3805/8-3-2008-194 काम्प/2001, दिनांक 05 अगस्त, 2008 द्वारा किये गये कतिपय संशोधनों के साथ उक्त गाईड लाइन्स वर्तमान में प्रभावी है।

उक्त गाईड लाइन्स में मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं :--

(i) यह योजना दिनांक 05 अगस्त, 2008 तक निर्मित कालोनियों पर प्रभावी होगी।

(ii) विकास प्राधिकरण द्वारा चिन्हित अनधिकृत कालोनियों का सर्वेक्षण स्वयं कराया जायेगा।

(iii) अनधिकृत रूप से विकसित कालोनियों को आवासीय एवं गैर आवासीय भू-उपयोग की श्रेणी में बांटा गया है।

(iv) अनधिकृत कालोनियों के विनियमितीकरण हेतु सम्बन्धित प्राधिकरण एक ले-आउट तैयार करेगा और उसके अनुरूप नियमितीकरण की कार्यवाही सम्पन्न होगी।

(v) ले-आउट का अनुमोदन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित एक उपसमिति द्वारा किया जायेगा, तदुपरान्त प्राधिकरण बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(vi) योजना के लाभार्थियों से भूमि के क्रय सम्बन्धी दस्तावेज/प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जायेंगे। इन कालोनियों के रिक्त भूखण्डों पर पार्क एवं खुले क्षेत्र, सड़कें, सामुदायिक सुविधायें आदि प्रस्तावित की जायेगी, जिसके लिये रिक्त भूखण्डों को सम्बन्धित भू-स्वामी से क्रय करने का प्रयास किया जायेगा।

(vii) विनियमितीकरण की सुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु विकास प्राधिकरणों द्वारा लाभार्थियों को नोटिस जारी की तिथि से अधिकतम छः माह का समय दिया जायेगा।

(viii) अनधिकृत कालोनियों के अनुमोदित ले-आउट प्लान के अनुसार आवेदकों से विकास शुल्क, भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क, मानचित्र शुल्क, शमन शुल्क तथा अन्य निर्धारित शुल्क जमा कराकर भवन मानचित्रों के शमन की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

निर्धारित अवधि में गन्ना मूल्य का भुगतान न करने पर निजी मिलों से बकाये मूल्य पर ब्याज की वसूली कराने की मांग

*16-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार की नीति के अनुसार निर्धारित अवधि के अन्दर गन्ना मूल्य का भुगतान न करने पर मिलों को किसानों के बकाये मूल्य का 15 प्रतिशत ब्याज देना होता है ? यदि हां, तो प्रदेश में किन-किन मिलों ने इस निर्देश का पालन नहीं किया है और इस निर्देश का उल्लंघन करने वाले मिल मालिकों के विरुद्ध सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

वर्तमान पेराई सत्र में निजी क्षेत्र की अधिकांश चीनी मिलों द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा रहा है। जिन चीनी मिलों द्वारा निर्धारित समय से गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया गया है उन्हें नोटिसें जारी की गयी हैं। गन्ना समितियों द्वारा विलम्बित

अवधि के गन्ना मूल्य पर ब्याज के बिल निरन्तर प्रक्रिया के अन्तर्गत चीनी मिलों को भेजे जा रहे हैं। गन्ना मूल्य में विलम्ब होने पर चीनी मिलों से वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया जाना एक नियमित प्रक्रिया है। वसूली प्रमाण-पत्र में गन्ना मूल्य व ब्याज की वसूली जिलाधिकारी द्वारा भू-राजस्व बकाये की भांति वसूला जाता है।

अतारांकित प्रश्न

जनपद बस्ती के क्षतिग्रस्त बस्ती-महुली मार्ग की मरम्मत कराने की मांग

1-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद-बस्ती का बस्ती-महुली मार्ग क्षतिग्रस्त होने से आवागमन में काफी असुविधा होती है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद-बस्ती के कि0मी0-1 व 2 (800 मीटर) का स्वामित्व लोक निर्माण विभाग का न होकर नगरपालिका का है। लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व वाला शेष भाग क्षतिग्रस्त नहीं है।

लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले भाग पर सामान्य मरम्मत मद का कार्य करा दिया गया है। मार्ग यातायात हेतु सुगम है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (विकास) की अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यीय समिति की जांच

2-श्री प्रदीप माथुर-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2008 के पहले बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-80 तथा 105 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता (विकास) लो0नि0वि0 की अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यीय समिति द्वारा जांच आख्या उपलब्ध करा दी गई है ? यदि हां, तो वह क्या है तथा उसका परीक्षण शासन द्वारा कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां, जांच आख्या शासन में दि0 09-02-09 को प्राप्त हुई है। जांच आख्या शासन स्तर पर परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर के सिकन्दराराऊ राजवाहा की भदवास व कचौरा माइनर की सफाई का कार्य करने की मांग

3-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-महामायानगर के सिकन्दराराऊ राजवाहा की भदवास व कचौरा माइनर की सफाई न होने के कारण हजारों हेक्टेयर भूमि सिंचाई

से वंचित रह जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार सिंचाई की समस्या को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त राजवाहा की भदवास व कचौरा माइनर की सफाई एवं पुनर्स्थापना का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

वर्तमान फसल में भदवास व कचौरा माइनरों की आवश्यकतानुसार सिल्ट सफाई का कार्य कराया जा चुका है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत शाखा सहायक खण्ड-39 से सम्बद्ध कतिपय माइनरों की सफाई कराने की मांग

4-श्री जोखू लाल यादव-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर, जनपद-इलाहाबाद के अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-39 इलाहाबाद से सम्बद्ध कैथवल माइनर, पट्टी राम माइनर, प्रतापपुर माइनर, सौरहा माइनर आदि की सफाई न होने के कारण पानी टेल तक नहीं पहुंचता है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्राथमिकता के आधार पर उक्त नहरों की सफाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

शारदा संगठन के अधीनस्थ शारदा सहायक खण्ड-39, इलाहाबाद से सम्बद्ध कैथवल माइनर, पट्टी राम माइनर, प्रतापपुर माइनर, सौरहा राजवाहा (न कि सौरहा माइनर) में नहरों के टेल तक पानी पहुंचाकर खरीफ 1415 फसली में सिंचाई की गयी तथा फसली 1416 रबी में भी टेल तक पानी पहुंचा दिया गया एवं सिंचाई की जा रही है। प्रत्येक वर्ष उपलब्ध धन के अनुसार नहरों की सिल्ट सफाई की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता निर्धारित कर सिल्ट सफाई का कार्य कराया जाता है। इसी क्रम में प्रतापपुर माइनर को छोड़कर उपरोक्त सभी माइनरों की सिल्ट सफाई का कार्य फसली रबी 1416 में कराया गया था।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

5-श्री जोखू लाल यादव-

[एक से अधिक विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

उ0 प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री के0 के0 ऐरन के विरुद्ध जांच

6-श्री उदयराज -

क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उ0 प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री के0के0 ऐरन के विरुद्ध चल रही विभागीय जांच पूर्ण हो चुकी है ? यदि हां, तो उसका परिणाम क्या रहा और यदि नहीं, तो उसके कब तक पूर्ण होने की सम्भावना है ?

खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती ओमवती)-

जी नहीं। इस सम्बन्ध में श्री के0 के0 ऐरन के विरुद्ध अपूर्ण जांच को पूर्ण करने तथा जांच में देरी के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों/अधिकारियों को चिन्हित करने सम्बन्धित दोनों जांच करने के लिये समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, ताकि समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार जांच पूर्ण हो सके।

प्रश्न नहीं उठता।

खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के अधिकारी श्री के0 के0 ऐरन को मूल विभाग में भेजे जाने की मांग

7-श्री उदयराज-

क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश दिनांक 26 मार्च, 2003 के अनुसार कोई भी अधिकारी 05 वर्ष से अधिक लगातार प्रतिनियुक्ति पर नहीं रह सकता है ? यदि हां, तो क्या खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के अधिकारी श्री के0के0 ऐरन जून, 2000 से अब तक लगभग 8 वर्षों से प्रतिनियुक्ति पर चल रहे हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त अधिकारी को उनके मूल विभाग में वापस करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती ओमवती-

जी हां।

लघु उद्योग अनु0-2 से प्राप्त सूचना के अनुसार उद्योग विभाग के अधीन उद्यमिता विकास संस्थान में श्री के0 के0 ऐरन की प्रतिनियुक्ति पर तैनाती दि0 23-3-2005 को दो वर्ष के लिये की गयी थी। बाद में इनकी प्रतिनियुक्ति अवधि यथावत् रखे जाने का निर्णय लघु उद्योग विभाग में शासन स्तर से लिया गया। श्री ऐरन की प्रतिनियुक्ति अवधि उद्योग विभाग में अभी 05 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा विकास प्राधिकरण की भूमि पर वल्क सेल योजना के अन्तर्गत नर्सिंग होम हेतु भूमि आवंटन की मांग

8-श्री उदयराज-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ लक्ष्मण सिंह निवासी 29/141 छोटी गली राजा मण्डी, जनपद-आगरा का पत्र दिनांक 22-4-08, जो आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को वल्क सेल योजना के अन्तर्गत 3 एकड़ भूमि नर्सिंग होम बनवाने हेतु मांग की गयी थी, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

प्रकरण मे शासन के पत्र दिनांक 14 मई, 2008 द्वारा उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण से आख्या मांगी गयी, जिसके अनुसार आगरा विकास प्राधिकरण की शास्त्रीपुरम् योजना के अन्तर्गत आवंटी द्वारा वांछित वल्क सेल भूमि रिक्त न होने के कारण जमा धनराशि को नियमानुसार ब्याज सहित रु0 3,76,328.00 का चेक सं0 031949 दिनांक 10-10-06 आवंटी को वापस किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर में गावं मवीखुर्द व सैदपुर में विकास प्राधिकरण सहारनपुर की स्थापित करने की मांग

9-श्री इमरान मसूद-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सहारनपुर में गांव मवीखुर्द व सैदपुर में विकास प्राधिकरण सहारनपुर की कोई आवासीय परियोजना प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर में गांव मवीकलां में चल रही आवास विकास परिषद् की योजना संख्या-8 से प्रभावित किसानों को भूखण्ड आवंटन किये जाने की मांग

10-श्री इमरान मसूद-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सहारनपुर में गांव मवीकलां में चल रही आवास विकास परिषद की योजना संख्या-8 में प्रभावित कितने किसानों को भूखण्ड प्राथमिकता पर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद सहारनपुर में प्रस्तावित आवास विकास परिषद् की आवासीय योजना संख्या-8 में अभी तक किसानों को कोई भूखण्ड आवंटित नहीं किये गये हैं, चूंकि योजना में विकास कार्य माह जनवरी, 2008 से प्रारम्भ हुए है। अभी तक कोई आवंटन इस योजना में नहीं हुआ है। सम्पत्तियां विकसित होने के उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

11-श्री इमरान मसूद-

[दूसरे गुरुवार के अता0प्र0सं0-146 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सहारनपुर में गांव मवी खुर्द व सैदपुर में आवास विकास परिषद् द्वारा निर्माण कराये जाने की मांग

12-श्री इमरान मसूद-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सहारनपुर में गांव मवी खुर्द व सैदपुर में प्रस्तावित आवास विकास परिषद् की आवासीय योजना का निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

सहारनपुर में गांव मवी खुर्द व सैदपुर में प्रस्तावित आवास विकास परिषद् की आवासीय योजना सं0-10 में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है। भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त होने के उपरान्त प्रश्नगत योजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश भवन, नई दिल्ली में कर्मचारियों की तैनाती तथा स्थानान्तरण नीति

13-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली स्थित उत्तर प्रदेश भवन में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो विगत 20 सालों से वहां तैनात है ? क्या उक्त कर्मचारी शासन की स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत आते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)-

उत्तर प्रदेश भवन, नई दिल्ली में विगत 20 सालों से, समूह "ग" का कोई कर्मी तैनात नहीं है तथा समूह "घ" के 23 कर्मचारी 20 वर्षों से अधिक की अवधि से तैनात हैं।

स्थानान्तरण नीति विषयक शासनादेश दिनांक 15-5-2008 के प्रस्तर-1 में समूह "ग" एवं "घ" के कार्मिकों की स्थानान्तरण नीति के प्राविधान दिये गये हैं। समूह "घ" के उक्त कर्मी अल्पवेतन भोगी कर्मचारी हैं। सामान्यतः उनका स्थानान्तरण नहीं किया जाता है। प्रशासनिक आधार पर उनके स्थानान्तरण पर विचार किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर की तहसील सादाबाद के क्षतिग्रस्त सादाबाद-राया मार्ग, ग्राम ऊंचा गांव (सुसायन) की मरम्मत कराये जाने की मांग

14-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद-महामायानगर की तहसील सादाबाद का सादाबाद-राया मार्ग, ग्राम ऊंचा गांव (सुसायन) स्थल पर पूर्णतः क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रश्नगत मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

सम्प्रति प्रश्नगत मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य किसी भी योजना में प्रस्तावित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानसुार।

जनपद महामयानगर की तहसील सादाबाद के क्षतिग्रस्त मई-बल्देव मार्ग ग्राम-सिधरापुर (गोबरा) की सी0सी0 कार्य व नाली के निर्माण कार्य कराये जाने की मांग

15-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद-महामायानगर की तहसील सादाबाद का मई-बल्देव मार्ग ग्राम सिधरापुर (गोबरा) के आबादी क्षेत्र में पूर्णतः क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग का सी0सी0 कार्य व नाली निर्माण का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रश्नगत मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

सम्प्रति प्रश्नगत मार्ग पर सी0सी0 कार्य एवं नाली निर्माण का कार्य किसी भी योजना में प्रस्तावित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद महामयानगर की सादाबाद तहसील के कतिपय क्षतिग्रस्त ग्रामों के मार्गों एवं नालियों के निर्माण की मांग

16-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-महामायानगर में सादाबाद-जलेसर मार्ग से ग्राम धरौरा होकर करकौली तक के मार्ग का ग्राम धरौरा का आबादी क्षेत्र वाला भाग पूर्णतः क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग में सी0सी0 कार्य व नाली निर्माण का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रश्नगत मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

सम्प्रति प्रश्नगत मार्ग पर सी0सी0 कार्य एवं नाली निर्माण का कार्य किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मथुरा के बल्देव कैलाश मार्ग से ग्राम नाहरगढ़ी के सड़क निर्माण कराये जाने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

17-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, आगरा क्षेत्र के प्रमुख अभियन्ता को भेजे गये पत्र संख्या-9384/8 सी मथुरा-आगरा क्षेत्र/07, दिनांक 11-7-07, जिसमें जनपद-मथुरा के बल्देव-कैलाश मार्ग से ग्राम नाहरगढ़ी के सड़क निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव व प्राक्कलन के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का लेपन स्तर तक निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

इस मार्ग का निर्माण कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद एटा के जलेसर फिरोजाबाद मार्ग के सम्पर्क मार्गों के निर्माण कराये जाने की मांग

18-श्री ऋषिवेर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा के जलेसर फिरोजाबाद मार्ग से अम्बेडकर ग्राम नगला सुखदेव सम्पर्क मार्ग का निर्माण वर्तमान वित्तीय वर्ष में कराया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त सम्पर्क मार्ग पर गांव महापुर के बाई पास पर लगभग 300 मी0 निर्माण कार्य नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त शेष सम्पर्क मार्ग को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद एटा में पूर्व निर्मित मार्ग फिरोजाबाद जलेसर मार्ग से अम्बेडकर ग्राम नगला सुखदेव सम्पर्क मार्ग की मरम्मत/सुधार का कार्य वित्तीय वर्ष 2007-08 में कराया गया हैं।

जी हां। महापुर आबादी भाग में (लम्बाई 300 मी0) में जल भराव होने के कारण उच्चीकरण की आवश्यकता है, परन्तु मरम्मत/सुधार के आगणन में उच्चीकरण का प्राविधान न होने के कारण महापुर आबादी भाग में मरम्मत/सुधार का कार्य नहीं कराया गया है।

सम्प्रति प्रश्नगत भाग के उच्चीकरण का कार्य किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

19-श्री अनिल कुमार सिंह-

[1ले शुक्रवार के अता0प्र0सं0-175 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ स्थित दारूलशफा बी0 ब्लाक की पानी की समस्या के स्थायी निराकरण की मांग

20-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित दारूलशफा बी-ब्लाक में काफी दिनों से पानी की भयंकर किल्लत से अध्यासी परेशान हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके स्थायी निराकरण के लिए कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं। माह मार्च, 2008 में पानी की आंशिक समस्या जल स्तर के नीचे चले जाने के कारण रही। दारूलशफा बी-ब्लाक में जलापूर्ति के लिये इस परिसर में एक नये नलकूप का निर्माण कार्य 17 जून, 2008 को पूर्ण करा दिया गया है जिसके फलस्वरूप वर्तमान में पानी की कोई समस्या नहीं है।

जनपद इलाहाबाद के जलालपुर कस्बे के सम्पर्क मार्गों को दुरुस्त कराने की मांग

21-श्री जोखू लाल यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर, जनपद-इलाहाबाद के अन्तर्गत जलालपुर कस्बा से सिढौली सम्पर्क मार्ग का निर्माण ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा कराया गया था, जो क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो उक्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यो ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना (द्वितीय चरण 2008-09) के अन्तर्गत जलालपुर कस्बा में सिढौली मार्ग के मरम्मत/सुधार कार्य हेतु कार्य शासनादेश सं0-300स0नि0/23-1-08-19रा0स0नि0/08, दिनांक 30-04-08 के द्वारा रु0 13.15 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है। मार्ग के मरम्मत/सुधार का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड. में पंचम एवं छठे वेतनमान को लागू कराये जाने की मांग

22-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 मुख्य मंत्री द्वारा सदन में दिनांक 18-8-08 को की गई घोषणा जो उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को छठा वेतनमान दिये जाने

से सम्बन्धित है, के प्रकाश में उ0 प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 में सार्वजनिक उद्यम विभाग के परामर्शानुसार पंचम एवं छठा वेतनमान कब तक लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी हां।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-607/44-1-2007-16 उवेरि/97, दिनांक 22 जून, 2007 में दी गयी व्यवस्थानुसार नये वेतनमान का लाभ दिया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

झांसी विकास प्राधिकरण में लम्बित नक्शे

23-श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी में वर्तमान में कितने नक्शे स्वीकृत हेतु लम्बित हैं ? क्या सरकार लम्बित नक्शे स्वीकृत करने हेतु कोई तिथि निर्धारित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक कुल 351 नक्शे स्वीकृत हेतु लम्बित हैं।

औपचारिकतायें पूर्ण होने पर नियमानुसार नक्शे स्वीकृत किये जाते हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 राज्य अतिथि गृह, कोलकाता में तैनात स्टाफ को बढ़ाये जाने की मांग

24-श्री राम विशुन आजाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य अतिथि गृह, कोलकाता में कुल कितने अधिकारी/कर्मचारी किन-किन पदों पर तैनात हैं ? क्या तैनात कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त अतिथि गृह के सुचारु संचालन हेतु कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

उ0 प्र0 राज्य अतिथि गृह, कोलकाता में 01 वरिष्ठ सहायक, 01 सहायक लेखाकार, 01 स्टाफ कार चालक, 04 बियरर, 01 फर्राश, 01 चौकीदार व 02 सफाई कर्मियों सहित कुल 11 कर्मचारी तैनात हैं। इनके अतिरिक्त 01 कुक का कार्य श्रम संविदा के आधार पर फर्म के माध्यम से सम्पादित कराया जा रहा है। उपलब्ध कर्मचारियों के माध्यम से ही अतिथि गृह में ठहरने वाले अतिथियों को संतोषजनक सेवायें उपलब्ध करायी जा रही हैं।

उ0 प्र0 राज्य अतिथि गृह, कोलकाता के कक्षों की मरम्मत/अनुरक्षण हेतु उपलब्ध धनराशि की जानकारी

25-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य अतिथि गृह, कोलकाता के कक्षों की मरम्मत/अनुरक्षण एवं रख-रखाव के कार्य कराये जाने हेतु गत वित्तीय वर्ष में राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा कितना धन उपलब्ध कराया गया है ? क्या कक्षों के सभी कार्य पूर्ण करा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिये जायेंगे ?

सुश्री मायावती-

गत वित्तीय वर्ष में रु0 17,12,975/- की धनराशि अतिथि गृह कोलकाता के कक्षों की मरम्मत/अनुरक्षण एवं रख-रखाव हेतु उपलब्ध करायी गयी।

उपलब्ध धनराशि से सम्बन्धित कार्य पूर्ण करा दिये गये हैं।

उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष कार्य करा दिये गये हैं।

उ0 प्र0 राज्य अतिथि गृह, कोलकाता हेतु नये वाहनों के क्रय किये जाने की मांग

26-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या मुख्य मंत्री को यह जानकारी है कि उ0 प्र0 राज्य अतिथि गृह, कोलकाता में उपलब्ध दोनों वाहन पुराने हो चुके हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार नये वाहन खरीदने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं, वर्तमान में उ0 प्र0 राज्य अतिथि गृह, कोलकाता में 03 वाहन उपलब्ध हैं जिसमें से एक वाहन को निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलाम करने की कार्यवाही विचाराधीन है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

दो वाहन पर्याप्त हैं।

जनपद सहारनपुर में ग्राम दौलतपुर (लखनौती) में यमुना नदी पर पुल बनाने हेतु स्वीकृत धनराशि की जानकारी

27-श्री इमरान मसूद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उ0 प्र0 सरकार द्वारा सहारनपुर जनपद में ग्राम दौलतपुर (लखनौती) में यमुना नदी पर पुल बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? क्या उक्त पुल का विस्तृत इस्टीमेट ब्रिज कारपोरेशन उ0 प्र0 द्वारा केन्द्र सरकार को भेजा गया है ? इस पुल में लागत का कितना हिस्सा केन्द्र का तथा कितना हिस्सा राज्य सरकार का होगा ? यह योजना कब तक पूर्ण हो जायेगी ? इस सन्दर्भ में क्या केन्द्र सरकार से पुल निर्माण हेतु राशि प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां, भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर।

जी हां, शासन के पत्रांक-2153/23-12-08-54एन0एच0/07, दिनांक 15-10-08 द्वारा विस्तृत आगणन भारत सरकार को प्रेषित है।

अभी तक पुल की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुई हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच की तहसील कैसरगंज की ग्राम पंचायत परसेन्डी के कोटेदार द्वारा राशन वितरण में की जा रही धांधली विषयक शिकायती-पत्र

28-श्री मदन भैया-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच की तहसील कैसरगंज की ग्राम पंचायत परसेन्डी के कोटेदार द्वारा राशन वितरण में की जा रही धांधली विषयक उक्त ग्रामवासी श्री गोविन्द व अन्य का शिकायती-पत्र दिनांक 09 जून, 2008 उप जिलाधिकारी, कैसरगंज, बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी हां।

शिकायती-पत्र की जांच नायब तहसीलदार फखरपुर से करायी गयी। जिनके द्वारा स्थलीय जांच की गयी व शिकायतकर्ताओं के अतिरिक्त ग्राम पंचायत के अन्य बहुत से कार्डधारकों के बयान लिये गये जिससे शिकायत की पुष्टि नहीं हो पायी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में हजरतगंज चौराहे से ओवर ब्रिज अथवा भूमिगत मार्ग की मांग

29-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या लोक निर्माण मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद लखनऊ स्थित हजरतगंज चौराहे से लाल बत्ती होने पर विधान सभा भवन के सामने तक दोपहिया एवं चार पहियों के वाहनों की लाइनें लग जाने से परिवहन यातयात बाधित हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस समस्या को दूर करने के लिए एक फ्लाई ओवर पुल अथवा भूमिगत सड़क बनवाने की योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां, यदाकदा यातायात के आवागमन के सुचारु रूप से संचालन में कठिनाई आ जाती है।

सम्प्रति कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच व बाराबंकी की सीमा पर बने संजय सेतु से वसूले गये राजस्व की जानकारी

30-श्री प्रदीप माथुर-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बहराइच व बाराबंकी की सीमा पर स्थित संजय सेतु किस वर्ष निर्मित किया गया था तथा उसकी लागत कितनी थी ? अब तक टोल टैक्स तथा अन्य विभागीय वसूली से कितना धन वसूला गया है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रश्नगत सेतु वर्ष 1983 से रु0 466.40 लाख की लागत से निर्मित किया गया था।

जनवरी, 2009 तक कुल 1413.652 लाख की धनराशि वसूली की गयी है।

उ0 प्र0 आवास विकास परिषद् की विकासनगर योजना के सेक्टर-8 स्थित भवन सं0-8/351 के सम्बन्ध में विवरण की मांग

31-श्री प्रदीप माथुर व श्री चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की विकास नगर, लखनऊ योजना के सेक्टर-8 का भवन संख्या-8/351 के आवंटी का नाम एवं पता क्या है ? उक्त भवन कब और किस पद्धति (नकद/किराया) पर आवंटित किया गया था ? दिनांक 31 मार्च, 2008 तक आवंटी पर आवास एवं विकास परिषद् की कितनी धनराशि बकाया है ? उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा बकाया धनराशि की वसूली एवं उक्त आवास (सम्पत्ति) के निस्तारण हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? उक्त भवन (सम्पत्ति) का निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

आवंटी का नाम श्रीमती दुर्गेश नंदिनी पाण्डेय पुत्री श्री वीरेन्द्र नाथ शर्मा है। अभिलेखानुसार इनका पता निम्नवत् है :-

1-डी-1/158, सत्यामार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।

2-डी-128/92, पाण्डेय हवेली, वाराणसी।

3-द्वारा श्री दिवाकर तिवारी, ग्राम व पोस्ट-अखाय, जनपद-बलिया।

उक्त भवन दिनांक 16-11-90 को सम्पन्न हुई लाटरी ड्रा में किश्त क्रय पद्धति पर आवंटित किया गया था।

दिनांक 31-3-08 तक भवन की किश्तों के विरुद्ध रु0 1,96,961.00 एवं दण्ड ब्याज रु0 2,87,825.80 अर्थात कुल रु0 4,84,786.00 बकाया है।

परिषद् द्वारा क्रमशः दिनांक 26-12-92, 20-2-93 एवं 8-12-93 को वसूली नोटिस निर्गत की गयी तथा दिनांक 17-1-94 द्वारा भवन का आवंटन निरस्त करते हुए दिनांक 25-7-94 द्वारा बकाया धनराशि वसूली हेतु जिलाधिकारी, लखनऊ को वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया।

आवंटी द्वारा भवन के विरुद्ध देय धनराशि का अद्यावधिक भुगतान करने एवं औपचारिकताओं की पूर्ति करने के उपरान्त भवन का विक्रय विलेख निष्पादित किये जाने का प्राविधान है।

शाहजहांपुर में बरेली सीतापुर रोड बाईपास पर बने नवनिर्मित सेतु पर टैक्स वसूली हेतु ठेके की नीलामी

32-श्री मिथिलेश कुमार-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर में बरेली से सीतापुर रोड बाई पास पर गंगा नदी पर नवनिर्मित पुल पर से निकलने वाले वाहनों से पुलाही (टैक्स) लिए जाने के ठेके की नीलामी कब हुई थी ? उक्त नीलामी कितने वर्षों के लिए तथा कितने मूल्य की हुई थी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि आगामी नीलामी कब की जायेगी ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रश्नगत पुल की नीलामी दिनांक 21 अगस्त, 2007 को हुई थी।

नीलामी दिनांक 01-4-2008 से 31-3-2011 तक कुल तीन वर्षों के लिये हुई है। नीलामी धनराशि रु0 1,59,66,000.00 रुपये (एक करोड उन्सठ लाख छाछठ हजार मात्र) प्रतिवर्ष एवं तीन वर्ष के लिये रु0 4,78,98,000.00 (रुपये चार करोड़ अठहत्तर लाख अट्ठानवे हजार मात्र) है।

आगामी नीलामी दिनांक 31-3-2011 के पूर्व सम्भावित है।

जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम कैड़ी में नाले के निर्माण की मांग

33-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या सिंचाई मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम कैड़ी में बाढ़ से सुरक्षा हेतु गांव में नाले का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक हैं ? यदि हां, तो उक्त नाले का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं। जनपद मुजफ्फरनगर का ग्राम कैड़ी कृष्णी नदी से ऊंचा है तथा यहां पर कोई भी जल भराव की समस्या नहीं है। ग्रामवासियों ने ग्राम कैड़ी में नाला नहीं बनाये जाने की इंच्छा व्यक्त की है। अतः नाले की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

आवश्यकता न होने के कारण।

जनपद मुजफ्फरनगर के कतिपय ग्रामों में पुल निर्माण की मांग

34-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर के ग्राम रायपुर व ग्राम सोन्ता रसूलपुर के बीच कृष्णी नाले पर पुल के निर्माण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस पुल का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

धन की व्यवस्था होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा थाना भवन व ग्राम मुल्लापुर के बीच कृष्णी नाले पर पुल निर्माण की मांग

35-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा थानाभवन व ग्राम मुल्लापुर के बीच कृष्णी नाले पर पुल के निर्माण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस पुल का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

धन की व्यवस्था होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

सेक्टर-एच, जानकीपुरम्, लखनऊ स्थित आवास सं0-2/700 के पास निर्मित दुकानों के व्यवसायिक नक्शों के सम्बन्ध में जानकारी

36-श्री प्रदीप माथुर-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के सेक्टर एच0 जानकीपुरम् के आवास सं0 2/700 के पास बनी दुकानों का व्यावसायिक उपयोग हेतु क्या नक्शा पास है ? यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

भवन स्वामी के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-16 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है।

जनपद सहारनपुर के आवास विकास योजना संख्या-8 में अधिग्रहित किए गये तालाबों की जानकारी की मांग

37-श्री इमरान मसूद-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सहारनपुर में आवास विकास योजना संख्या-8 में कितने तालाबों का अधिग्रहण किया गया है तथा उसका विवरण क्या है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दकी-

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की दिल्ली रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-8, सहारनपुर के ग्राम-मवीकलां में एक नग तालाब खसरा संख्या-144 की भूमि अधिग्रहीत की गयी है, जिसका क्षेत्रफल 5430 वर्गमीटर है। तालाब का स्वरूप यथावत् रहेगा।

सहारनुपर अम्बाला राजमार्ग-74 पर फुटपाथ एवं नाले निर्माण की मांग

38-श्री इमरान मसूद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर अम्बाला राज मार्ग पर सहारनपुर शहर में राष्ट्रीय राज मार्ग-74 पर सड़क के किनारे फुटपाथ व नाला निर्माण की कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उसका कार्य कब से प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

सहारनपुर शहरी भाग में राष्ट्रीय मार्ग सं0-73 में पड़ता है। रा0मा0 74 में सहारनपुर नहीं पड़ता है। भारत सरकार के परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सहारनपुर शहरी भाग में फुटपाथ व नाला निर्माण की कोई योजना स्वीकृत नहीं, की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सहारनपुर विकास प्राधिकरण से जनमंच सभागार के नवीनीकरण कराने की मांग

39-श्री इमरान मसूद-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नगर सहारनपुर में जन मंच सभागार का नवीनीकरण कराने की कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सहारनपुर नगर में स्थित जन मंच सभागार, नगर पालिका परिषद्, सहारनपुर की सम्पत्ति है इसलिए सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इसके नवीनीकरण कराने की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक मंगरौरा के कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों के मरम्मत की मांग

40-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक मंगरौरा में वर्ष 2003-04 में बना मदाफरपुर धरौली एवं नरायनपुर-मुजाही मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण उसकी मरम्मत का कार्य विभाग करा रहा था ? यदि हां, तो उक्त मार्ग की मरम्मत का कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

उक्त मार्ग के मरम्मत का कार्य माह 3/08 में पूर्ण किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के कतिपय मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव

41-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में मार्ग अकबरपुर-कादीपुर-चान्दा-पट्टी एम0डी0आर0के0 चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कार्या0 मुख्य अभियन्ता, इलाहाबाद क्षेत्र लोक निर्माण का प्रस्ताव उनके पत्र सं0 8940 दि0 7-7-04 प्रमुख सचिव लोक निर्माण अनु0-11 अथवा 14 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त कार्य को कब तक स्वीकृत कर प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं। प्रश्न में संदर्भित पत्र शासन को प्राप्त नहीं हुआ है अपितु जनपद प्रतापगढ़ में मार्ग अकबरपुर-कादीपुर-चान्दा-पट्टी एम0डी0आर0 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु प्रस्ताव प्रमुख अभियन्ता (नियोजन वर्ग) लो0 नि0, लखनऊ के पत्र सं0-177नि0/139-01नि0/08, दिनांक 15-01-09 द्वारा शासन में प्राप्त हुआ है।

सम्प्रति यह कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा के कतिपय अनेक ग्रामों में राजकीय नलकूपों की स्थापना की मांग

42-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में अन्तपुर, रामचन्द्र पट्टी, धनसार, सरमा दाउदपुर, धूली, लोनियापुर, पूरेसुख चैन, चन्दुवापट्टी ब्लाक पट्टी एवं ब्लाक देवसरा में पर्वतपुर सुलेमान, मानापुर, रसूलपुर, हैदरपुर, स्त्रीपुर, धौरहरा, कादीपुर, सहरायभिखारी, आसपुर देवसरा, गहबरा, आहोपुर, सैतापुर में राजकीय नलकूपों की स्थापना हेतु सर्वेक्षण करा कर स्वीकृति प्रदान करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

जी नहीं। जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ की अध्यक्षता में गठित जिला नलकूप स्थल चयन समिति द्वारा प्रश्नगत ग्रामों का चयन नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोण्डा के मनकापुर विधान सभा क्षेत्र में सरजू नहर खण्ड-2 व 5 में माइनरों पर हुए पुल/पुलियों के निर्माण की जानकारी

43-श्री राम विशुन आजाद-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र, मनकापुर में सरजू नहर खण्ड-2 व 5 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 में किन-किन माइनरों

पर पुल/पुलिया का निर्माण कार्य कराया गया है ? माइनरों पर प्रस्तावित पुल/पुलियों का कितना निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा कितना कार्य अवशेष है ? क्या सरकार को यह जानकारी है कि कराये जा रहे एवं कराये गये निर्माण कार्यों की गुणवत्ता मानक के अनुसार नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र, मनकापुर के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 में सरयू नहर खण्ड 2 व 5 गोण्डा द्वारा किसी भी माइनर पर पुल/पुलियों का कोई भी निर्माण कार्य नहीं कराया गया है।

सरयू नहर खण्ड-2, गोण्डा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में 5 माइनर हैं जिनमें वर्ष 2007-08 के पूर्व 45 अदद पुल/पुलियों का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है तथा 04 अदद पुल/पुलियों का निर्माण कार्य शेष है।

सरयू नहर खण्ड-5, गोण्डा के अन्तर्गत माइनरों पर प्रस्तावित पुल/पुलियों के सापेक्ष अभी तक किसी पुल/पुलियों का निर्माण नहीं हुआ है। कुल 10 पुल/पुलियों का निर्माण कार्य अवशेष है।

उक्त खण्डों द्वारा जो भी पुल/पुलियों के निर्माण कार्य कराये गये हैं, वे गुणवत्ता व मानक के अनुसार ही कराये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया के कतिपय गांवों का बभनान गन्ना समिति के माध्यम से बभनान चीनी मिल को आपूर्ति किया गया गन्ना

44-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बभनान गन्ना समिति, बस्ती के अन्तर्गत जनपद-गोण्डा के कितने ग्रामों से गन्ना बभनान शुगर मिल को दिया जाता है ? क्या प्राप्त होने वाले गन्ने से बभनान गन्ना समिति को विकास हेतु वर्ष 2005 से दिनांक 30 अप्रैल, 2008 तक कमीशन की कितनी-कितनी धनराशि प्राप्त हुई ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त प्राप्त धनराशि में से जनपद-गोण्डा के विकास खण्ड छपिया के सम्मिलित गांव में विकास हेतु किन-किन परियोजनाओं पर कितना-कितना धन स्वीकृति किया गया व खर्च किया गया ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद गोण्डा के 119 ग्रामों का बभनान गन्ना समिति के माध्यम से बभनान चीनी मिल को आपूर्ति किया जाता है।

प्रश्नगत अवधि में गन्ना समिति बभनान को प्राप्त होने वाले कमीशन का विवरण निम्नवत् है :--

वर्ष	धनराशि (रुपये में)
2005-06	25,82,063.70
2006-07	31,78,578.24
2007-08 (30-4-08 तक)	8,00,649.00

गन्ना समिति बभनान व गन्ना विकास परिषद् द्वारा विकास खण्ड छपिया के सम्मिलित ग्रामों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत रु0 21,000/- की धनराशि व्यय की गयी है।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-8 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, मेरठ में माली पद पर तैनात श्री सियाराम की मृत्यु के उपरान्त अनुमन्य देयों के भुगतान की मांग

45-श्री चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड-8 उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, मेरठ में माली के पद पर कार्यरत श्री सिया राम का स्वर्गवास दिनांक 22-3-2008 को हो गया है ? यदि हां, तो क्या ? उसके समस्त देयों का भुगतान कर दिया गया है यदि नहीं, तो क्यों ? भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? क्या स्व0 श्री सियाराम के पुत्र श्री सुनील कुमार को मृतके आश्रित के रूप में नियुक्त किए जाने हेतु कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-8, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् आफिस काम्पलेक्स से0-9, शास्त्रीनगर, मेरठ का पत्रांक 1685/अधि0 अभि0 नि0 खं0-8/पी0एफ0/27 दि0 11-6-08 मय संलग्नकों सहित संयुक्त आवास आयुक्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ का प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दकी-

जी हां।

जी हां।

जी हां।

उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रित की भर्ती नियमावली 1974 यथा संशोधित के अनुसार कार्यप्रभारित कर्मचारियों की मृत्यु पर उनके आश्रित को सेवायोजन का लाभ अनुमन्य नहीं है। तद्नुसार प्रार्थिनी को सूचित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

46-श्री रियाज अहम्द-

[1ले सोमवार के अता0प्र0सं0-177 के अन्तर्गत स्थानान्तरित].

श्रीमती शारदा देवी पत्नी स्व0 श्री मुन्नीलाल गुप्ता को सम्भागीय खाद्य नियंत्रक आगरा के केन्द्र खदौली के गोदाम का किराया दिये जाने की मांग

47-डा0 अनिल चौधरी-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्भागीय खाद्य नियंत्रक आगरा सम्भाग आगरा का आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग का दि0 8-5-08 के पत्र संख्या 683 गो0 सन्दर्भित जनपद आगरा के केन्द्र खदौली पर श्रीमती शारदा देवी पत्नी स्व0 श्री मुन्नीलाल गुप्ता के नवनिर्मित गोदाम का किराया स्वीकृत करने के सम्बन्ध में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या श्रीमती शारदा देवी को किराए का भुगतान हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भवन क्षेत्र के कतिपय अनेक क्षतिग्रस्त मार्गों के निर्माण की मांग

48-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भवन क्षेत्र के अन्तर्गत अम्बेटा रिदान से सिम्भालंका मार्ग, मालैण्डी से ताना मार्ग, चीन्दाहेडी से नौनागली दरगाहपुर मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो उक्त क्षतिग्रस्त मार्गों के निर्माण हेतु धनराशि कब तक अवमुक्त कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

अम्बेहटा रिदान से सिम्भालका मार्ग वर्तमान में खड़ण्जा स्तर का है, मालैण्डी से ताना मार्ग एवं चौदाहेडी से नौनागली दरगाहपुर मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

सम्प्रति अम्बेहटा रिदान से सिम्भालका मार्ग का निर्माण कार्य एवं मालेण्डी से ताना तथा चौदाहेडी से नौनागली दरगाहपुर मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भवन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत की मांग

49-श्री अब्दुल बारिस खां-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भवन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले अन्तर ग्रामीण मार्ग, जिनमें मुख्य रूप से बसी से गागौर मार्ग, मछरौली से भोगी माजरा मार्ग, भडी से चौसाना मार्ग, झिझाना बस स्टैण्ड वाया चन्दनपुरी मेरठ-करनाल मार्ग, ग्राम डेरा पंडितान से विडौली बांध तक का मार्ग, ग्राम कल्लरपुर सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त है? यदि हां, तो क्या सरकार इन क्षतिग्रस्त मार्गों को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां। प्रश्न मार्ग शून्य एवं खड़न्जा स्तर के है।

प्रश्नगत मार्ग किसी योजना में स्वीकृत नहीं हैं।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के मोरना विधान सभा क्षेत्र के कतिपय ग्रामों के सम्पर्क मार्गों को ठीक कराने की मांग

50-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के मोरना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले ग्राम काटका का सम्पर्क मार्ग जो गांव के गंगनहर की पटरी से जोड़ता है, अत्यन्त क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मार्ग को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां, विधान सभा क्षेत्र मोरना के अन्तर्गत काटका गांव से गंगनहर की पटरी तक गन्ना विभाग द्वारा खड़ंजा लगाया गया है जो वर्तमान में क्षतिग्रस्त अवस्था में है।

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भवन विधान सभा क्षेत्र के ग्राम चौसाना में बी0पी0एल0 सूची में हुई अनियमितता की जांच

51-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भवन विधान सभा क्षेत्र के ग्राम चौसाना में बी0पी0एल0 सूची के सर्वेक्षण में पाई गई अनियमितताओं के दृष्टिगत वहां क्या दोबारा सर्वेक्षण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

ग्राम चौसाना, विकास खण्ड ऊन में बी0पी0एल0 पुनर्सर्वेक्षण का कार्य कराया गया था, किन्तु यह सर्वेक्षण लागू नहीं हुआ, क्योंकि इस प्रक्रिया को शासनादेश दिनांक 4-10-08 द्वारा स्थगित कर दिया गया। वर्तमान में वर्ष 2002 के सर्वेक्षण के अनुसार 100 परिवारों की बी0पी0एल0 सूची प्रचलित है।

यथासमय निर्णय होने पर पुनर्सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड थाना भवन व ऊन में गन्ना विभाग द्वारा अन्तर ग्रामीण सड़क निर्माण योजना

52-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड थाना भवन व ऊन में वर्ष 2008-09 में गन्ना विभाग द्वारा किन-किन अन्तर ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

गन्ना विकास विभाग द्वारा जिला योजना के अन्तर्गत अन्तर ग्रामीण सड़क निर्माण योजना में वित्तीय वर्ष 2008-2009 में विकास खण्ड थाना भवन तथा ऊन में निम्न सड़कों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है :-

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	सड़क का नाम
1	थाना भवन	1-भैसानी बाईपास प्रथम भाग
		2-भैसानी बाईपास द्वितीय भाग
2	ऊन	1-गढ़ी हसनपुर चौसाना रोड से डेरा तक
		2-पुरबियों के डेरे से ऊन चीनी मिल गेट तक

सिंचाई विभाग की परियोजनाओं का परिकल्पन एवं अनुसंधान के कार्य के सम्बन्ध में जानकारी

53-श्री मदन भैया-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सिंचाई विभाग में परिकल्प निदेशालय एवं अनुसंधान संगठन है ? यदि हां, तो सिंचाई विभाग की परियोजनाओं का परिकल्प एवं अनुसंधान का कार्य निजी संस्थाओं को किस शासनादेश के आधार पर दिया जाता है तथा वित्तीय वर्ष 2006-07 में विभिन्न परियोजनाओं का इस मद में संस्था का कितना धन व्यय किया गया है ? क्या सरकार द्वारा इसके दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग, लखनऊ में परिकल्प निदेशालय स्थित है।

सिंचाई विभाग की परियोजनाओं का परिकल्पन एवं अनुसंधान का कार्य वर्तमान में परिकल्प निदेशालय लखनऊ द्वारा परिकल्पन में व्यस्त होने के कारण निजी प्रतिष्ठित एवं तकनीकी रूप से विशेषज्ञ संस्थाओं से शासनादेश संख्या-2035/08-27-सिं0-4-49 डब्ल्यू/08, दिनांक 09-06-08 द्वारा दी गयी अनुमति के अनुसार कराये जा रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2006-07 में किसी परियोजना के परिकल्पन एवं अनुसंधान का कार्य किसी निजी संस्था से नहीं कराया गया है। अतः इस मद में कोई व्यय नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के प्रतापपुर क्षेत्र की सहिनवां ताल ड्रेन की सफाई की मांग

54-श्री जोखू लाल यादव-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत सहिनवां ताल ड्रेन की सफाई हेतु सरकार की कोई कार्य योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त ड्रेन की सफाई कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

उ0 प्र0 ऊसर भूमि सुधार योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 में इस ड्रेन की पुनर्स्थापना का कार्य कराया गया था। ड्रेन की सफाई हेतु मेन्टिनेन्स प्लान बनाया गया है।

सिंचाई विभाग को धन प्राप्त होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-39 से सम्बद्ध कतिपय अनेकों माइनरों की सफाई हेतु आवंटित धनराशि के विवरण की मांग

55-श्री जोखू लाल यादव-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-39 से सम्बद्ध कैथवल माइनर, पट्टी राम माइनर, प्रतापपुर माइनर, जंघई माइनर तथा सोरहा माइनर आदि नहरों में पानी टेल तक पहुंचाने हेतु उक्त नहरों की बेड कटिंग/तली की सफाई हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितनी धनराशि आवंटित की गई है ? उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त माइनर नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने हेतु सफाई कराने पर विचार करेगी ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-39 से सम्बद्ध माइनरों/राजबहों की सिल्ट सफाई हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-09 में विभागीय मद में रु0 13.60 लाख तथा रु0 0.50 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है।

माइनर/राजवहा का नाम	विभागीय मद में व्यय की गयी धनराशि (लाख रु0 में)	जिला स्तरीय मद में व्यय की गयी धनराशि (लाख रु0 में)
1-कैथवल माइनर	--	0.50
2-पट्टीराम माइनर (पट्टीरामपुर माइनर)	5.80	--
3-प्रतापपुर माइनर	--	--
4-जंघई माइनर (जंघई राजवाहा)	3.40	--
5-सोरहां माइनर (सोरहां राजवाहा)	4.40	--
योग-	13.60	0.50

उक्त माइनरों में टेल तक पानी पहुंच रहा है तथा प्राप्त धनावंटन के परिप्रेक्ष्य में आवश्यकतानुसार ही नहरों की सफाई करायी जाती है।

जनपद सहारनपुर में आवास विकास योजना संख्या-8 द्वारा मन्दिर समिति की भूमि के अधिग्रहण की जानकारी

56-श्री इमरान मसूद-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में आवास विकास योजना संख्या-8 में क्या मन्दिर समिति (ठाकुर द्वारा) की जमीन का अधिग्रहण किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा कराये गये सर्वे रिपोर्ट तथा खसरा खतौनी के अनुसार अधिग्रहण के समय उक्त भूमि पर कोई मन्दिर/निर्माण नहीं था, केवल कृषि कार्य में प्रयोग की जा रही थी। वर्तमान में भी उक्त भूमि रिक्त है, कोई निर्माण नहीं है। उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा प्रश्नगत भूमि का कब्जा दिनांक 24-4-2002 को अपर जिलाधिकारी, भूमि अध्याप्ति (आवास) मेरठ के माध्यम से दिया गया एवं राजस्व अभिलेखों में परिषद् के नाम अन्तरण भी हो चुका है तथा उक्त भूमि का अभिनिर्णय दिनांक 30-6-2004 को अपर जिलाधिकारी, भूमि अध्याप्ति (आवास), मेरठ द्वारा घोषित किया जा चुका है।

सहारनपुर शहर के स्वीकृत महायोजना 2021 के अनुसार उक्त भूमि का प्रयोग आवासीय/व्यवसायिक है तथा भूमि का आंशिक भाग से मास्टर प्लान रोड निर्मित की जानी प्रस्तावित है, जिस पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

प्रदेश की महामाया आवास योजना की भांति अल्पसंख्यकों हेतु आवासीय योजना की मांग

57-श्री इमरान मसूद-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार महामाया आवास योजना की तरह प्रदेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों के लिये भी कोई योजना चलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

वर्तमान में ऐसी कोई आवासीय योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती महुली के क्षतिग्रस्त मार्ग के मरम्मत की मांग

58-श्री मदन भैया-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बस्ती-महुली मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है जिससे आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त मार्गों की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद-बस्ती के कि0मी0-1 व 2 (800 मीटर) का स्वामित्व लोक निर्माण विभाग का न होकर नगर पालिका का है। लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व वाला शेष भाग क्षतिग्रस्त नहीं है।

लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले मार्ग पर सामान्य मरम्मत मद में उपलब्ध धनराशि से मरम्मत पूर्व में ही करा दिया गया है।

लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले मार्ग के भाग पर सामान्य मरम्मत मद का कार्य करा दिया गया है। मार्ग यातायात हेतु सुगम है।

वित्तीय वर्षवार विदेशी मदिरा की बिक्री के विवरण एवं उत्तर प्रदेश प्रतिबन्धन की मांग

59-श्री उदयभान करवरिया-

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2008-09 में विगत छः माह में प्रदेश में कुल कितनी देशी तथा विदेशी मदिरा की बिक्री की गई है ? वर्ष 2007-08 में कितनी मात्रा में देशी तथा विदेशी मदिरा की बिक्री की गई है ? क्या मदिरा बिक्री उत्तर प्रदेश में प्रतिबन्धित करने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

वर्ष 2008-09 में विगत छः माह में 108442622 बल्क लीटर देशी मदिरा, 32854207 बोतल विदेशी मदिरा तथा 42000442 बोतल बीयर की बिक्री की गई।

वर्ष 2007-08 में 205862594 ब्लक लीटर देशी मदिरा, 69869390 बोतल विदेशी मदिरा तथा 71348237 बोतल बीयर की बिक्री की गयी।

जी नहीं।

मदिरा की बिक्री प्रतिबन्धित होने से राज्य के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के साथ ही आबकारी अपराधों में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होगी, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की आपराधिक घटनाओं में भी वृद्धि की सम्भावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता।

जनपद हरदोई ग्राम पंचायत जासू विकास खण्ड बेहन्दर के ग्राम प्रधान द्वारा बी0पी0एल0 कार्डों में अनियमितता सम्बन्धी प्राप्त शिकायती-पत्र पर कार्यवाही की मांग

60-श्री लालजी यादव-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शैलेन्द्र यादव ललई, विधायक जनपद जौनपुर का शिकायती-पत्र, दिनांक 5-6-2008, जो ग्राम पंचायत जासू विकास खण्ड बेहन्दर, जनपद-हरदोई के वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा बी0पी0एल0 कार्डों में गम्भीर अनियमितता के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गन्ने के मिल मालिकों द्वारा किसानों को भुगतान की मांग

61-श्री इमरान मसूद-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितना गन्ना वर्ष 2007-08 में पैदा हुआ तथा कितना भुगतान गन्ना मिलों द्वारा किसानों को कर दिया गया ? क्या भुगतान न करने वाले कितने मिल मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

वर्ष 2007-08 में कुल 1608.59 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के अन्तरिम आदेश दिनांक 15-5-2008 द्वारा निर्धारित दर रु0 110 प्रति कुन्टल के अनुसार दिनांक 6-2-2009 तक चीनी मिलों द्वारा रु0 8200.26 करोड़ गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है।

अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान न करने वाली तीन चीनी मिलों क्रमशः मझावली, गोपी एवं कमलापुर के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत कर वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

जनपद सहारनपुर में आवास विकास योजना संख्या-8 में अर्जन मुक्त भूमि

62-श्री इमरान मसूद-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सहारनपुर में आवास विकास योजना संख्या-8 में भूमि अर्जन के पश्चात् कितनी भूमि अर्जन से मुक्त की गई है ? अर्जन से मुक्त की गई भूमि का विवरण क्या है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रश्नगत योजना में भूमि अधिग्रहण के बाद कोई भी भूमि अर्जन मुक्त नहीं की गई है।

63-श्री लालजी यादव-

[2सरे सोमवार के अता0 प्रश्न सं0-182 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

64-डा0 रफी अहमद उस्मानी

[1ले सोमवार के अता0 प्रश्न सं0-181 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद इलाहाबाद में कमला पम्प कैनाल सेकेण्ड सेक्शन सोनवे से कोटा तक नहर की खुदाई प्रकरण

65-श्री उदयभान करवरिया-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में कमला पम्प कैनाल सेकेण्ड सेक्शन सोनवे से कोटा तक नहर की खुदाई प्रकरण पर मांगी गई जानकारी विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 611616 दि0 28-4-08 ए0सी0 सिंचाई कार्य मण्डल, इलाहाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

मुख्य अभियन्ता, सोन संगठन के अधीनस्थ बाघला नहर प्रखण्ड, इलाहाबाद के अन्तर्गत ग्राम सोनवे से कोटा तक की अधिकतर सींच वर्तमान में एक गूल, जिसकी लम्बाई 1.00 कि0 मी0 है, से होती है। कुछ खेत जो असिंचित रह जाते हैं, उसकी सींच के लिए वर्तमान गूल को लगभग 500 मीटर की अतिरिक्त खुदायी कराना आवश्यक है। इसके लिए नहर बनाया जाना आवश्यक नहीं है। गूल की खुदायी सिंचाई विभाग द्वारा नहीं की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

चीनी मिल कर्मचारियों के भविष्य निधि, बोनस एवं वेतन के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र

66-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चीनी मिल कर्मचारियों के भविष्य निधि, बोनस एवं वेतन के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर उनका आदेश संख्या-सी0एम0/ वि0को0/एम/181751/2008, दिनांक 02-06-2008 प्रमुख सचिव/सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

सहकारी चीनी मिल पुवायां की आर्थिक स्थिति अत्यन्त खराब होने के कारण सितम्बर, 1998 से मिल के कर्मचारियों की पी0 एफ0 कटौती एवं अंशदान की धनराशि जमा नहीं हो पायी थी। यह धनराशि किसी अन्य मद में प्रयोग नहीं हुई बल्कि मिल में हानि होने के कारण भुगतान नहीं हो पाया। वर्ष 1998 के बाद से जब-जब मिल की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है तब-तब रु0 158.15 लाख की धनराशि सितम्बर, 1998 के बाद से अब तक पी0एफ0 एकाउण्ट में जमा करायी जा चुकी है। धन की उपलब्धता के आधार पर बीमारी, शादी आदि के लिये कर्मचारियों को पी0एफ0 का भुगतान किया जा रहा है।

मिल समिति द्वारा वर्ष 2006-07 के बोनस का भुगतान किया जा चुका है। वर्ष 2007-08 का भुगतान लम्बित है। वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 के ओवर टाइप की धनराशि स्वीकृत बजट से अधिक होने के कारण भुगतान नहीं हुआ है।

जनपद पीलीभीत के ग्राम चन्दोई में हाफिज रहमत खाँ लॉ कालेज को खकरा नदी के कटान से बचाने की मांग

67-श्री रियाज अहमद-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत की सदर तहसील के ग्राम चन्दोई में हाफिज रहमत खां नामक लॉ कालेज खकरा नदी के कटान के मुहाने पर है ? यदि हां,

तो क्या सरकार लॉ कालेज को बचाने हेतु लॉ कालेज के पास खकरा नदी के किनारे पिचिंग करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जनपद पीलीभीत में खकरा नदी के किनारे ग्राम-चन्दोई, बक्शपुर एवं सिंघनखेड़ा के अन्तर्गत लॉ कालेज को खकरा नदी के कटान से बचाने हेतु पूर्व में 9 नं0 बोल्डर डैम्पनर का निर्माण कराया गया है। कार्य स्थल की परिस्थिति के अनुसार पिचिंग लगाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

68-श्री सुन्दर सिंह-

[1ले सोमवार के अता0 प्रश्न सं0-182 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बुलन्दशहर के स्याना क्षेत्र पड़ने वाली मध्य गंगा नहर से निकलने वाले रजवाहे की सफाई एवं कतिपय ग्रामों तक पानी पहुंचाने की मांग

69-श्री सुन्दर सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या विधान सभा क्षेत्र स्याना जनपद बुलन्दशहर में पड़ने वाली मध्य गंगा नहर से एक राजवाहा खाद माइनर निकलता है जो गर्मी के सीजन में मात्र ग्राम ढकरौली तक ब्लाक जहांगीराबाद तक ही पानी पहुंचाती है जो सिंचाई योग्य पर्याप्त नहीं है ? क्या यह भी सही है कि ग्राम ढक्का ढकरौली हिमाबाद जवांसा व भोगुर आदि गांवों में सिंचाई का पानी नहीं मिला है ? क्या सरकार वर्तमान में गेहूं की फसल की बुआई को दृष्टिगत रखते हुए उक्त राजवाहे की सफाई कराकर पानी उक्त गांवों तक पहुंचाने का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मध्य गंगा संगठन के अन्तर्गत किसी भी नहर प्रणाली पर खाद माइनर के नाम से कोई नहर नहीं है। लखावटी शाखा के कि0 मी0 19.82 से खानपुर राजवाहा निकलता है। खरीफ 14.16 फसली में इस राजवाहे से ग्राम ढकरौली ब्लाक जहांगीराबाद तक पानी पहुंचाया गया।

खरीफ 14.16 फसली में ग्राम ढक्का, ढकरौली, हिमाबाद, ज्वासा व भोपुर आदि गांवों तक पानी पहुंचाया गया है।

मध्य गंगा नहर परियोजना प्रथम चरण की नहरें मात्र खरीफ में सिंचन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु परिकल्पित हैं। रबी फसल में इन नहरों से सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जाती है। गेहूं की फसल रबी फसली में बोई जाती है। इसलिए गेहूं की फसल में पानी नहीं दिया जाता।

नहरें रबी फसल हेतु परिकल्पित नहीं हैं।

नहरों से खरीफ फसली में ही सिंचाई की जाती है।

फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र के कतिपय विकास खण्ड एवं ग्रामों में सरकारी नलकूप लगाने की मांग

70-श्री राधेश्याम गुप्ता-

क्या सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में सिंचाई हेतु भिटौरा विकास खण्ड के ग्राम कटका, हैबतपुर, मलाका, भलेवा, सुखपुर, लतीफपुर, तारापुर, खेरवा, रमवा, मण्डासराय, भगवन्तपुर विकास खण्ड तेलियानी के ग्रामों धारुपुर, बैजानी, खानपुर, डिढौरा, खरंग सेनपुर भहवा, बादलपुर तथा विकास खण्ड हरवा के ग्रामों पंथवा, सहजादेपुर, भिआमऊ में सरकारी नलकूप लगाने की व्यवस्था करेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला नलकूप स्थल चयन समिति द्वारा उक्त स्थानों पर चयन किये जाने के फलस्वरूप नया नलकूप स्थापित किया जाना सम्भव हो सकेगा।

बांदा, बहराइच मार्ग 13 स्टेट हाइ-वे फतेहपुर से असनी गंगा पुल तक के नवनिर्मित मार्ग के पुनर्निर्माण की मांग

71-श्री राधेश्याम गुप्ता-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा बहराइच मार्ग 13 स्टेट हाइ-वे फतेहपुर से असनी गंगा पुल तक नवनिर्मित मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या निर्माण एजेन्सी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? क्या सरकार उक्त मार्ग का पुनर्निर्माण करायेगी ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां, कुछ खराबी परिलक्षित हुई थी। प्रश्नगत मार्ग असनी से फतेहपुर वास्तव में फतेहपुर बछरांवा मार्ग (एस0एच0-13) के पुनर्निर्माण कार्य (आरएमसी-10) का एक भाग है। यह कार्य विश्व बैंक पोषित योजना के अन्तर्गत सम्पन्न हुआ है। प्रश्नगत मार्ग का अधिकांश भाग हानिकारक लवण से प्रभावित क्षेत्र है। मार्ग के निर्माण हेतु अनुमानित मार्ग में लचक के आधार पर प्राविधान किये गये थे। मार्ग पर कबरई क्वेरी से अनुमन्य से अधिक भार वाले वाहन चलने से भी कुछ खराबी परिलक्षित हुई।

उपरोक्त मार्ग को निर्माण एजेन्सी द्वारा सही हालत में कर दिया गया है तथा यह यातायात के लिये अच्छी हालत में उपलब्ध है। अतः प्रकरण में सम्बन्धित एजेन्सी के खिलाफ कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

मार्ग के पुनर्निर्माण की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मार्ग पर वर्ष 2009 में नीतिगत नवीनीकरण का कार्य अनुमन्य हो जाएगा।

जनपद फतेहपुर के अनुसूचित, पिछड़े कमजोर वर्ग के कतिपय ग्रामों के सम्पर्क मार्गों के डामरीकरण की मांग

72-श्री राधेश्याम गुप्ता-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र के अनुसूचित, पिछड़े कमजोर वर्ग के 2 हजार आबादी वाले एन0एच0 2 से सेनीपुर मलौनी तक, रावतपुर से डगरेई तक, तेलियानी से गड़रियनपुरवा होते हुए खानपुर तक, जमुरावां से मटियारा होते हुए सिहार तक, हैवतपुर से नोनिहनपुर, हसनापुर तक, पिलखिनी से उमरापुर मकनपुर तक, लोहारी से अग्निहोमीपुरवा, बरौली बुजुर्ग तक, कटेरवा से मछली पर होते हुए भलेवा तक, सिरसी से जय चन्द्रापुर तक तथा सराय अमैरया से पथुवा तक ग्रामों के सम्पर्क मार्गों का डामरीकरण निर्माण कराना सुनिश्चित करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रश्न में वर्णित समस्त राजस्व ग्राम लेपित मार्गों से जुड़े हैं तथा इन्हें सीधे जोड़ने की कोई योजना नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

फतेहपुर रेलवे उपरिगामी सेतु पर साइड मार्ग के निर्माण की मांग

73-श्री राधेश्याम गुप्ता-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि फतेहपुर रेलवे उपरिगामी सेतु का निर्माण, जो सेतु निगम ने किया है, की गुणवत्ता खराब है एवं साइड के मार्ग निर्माण नहीं किये गये हैं ? निर्माण कार्य ठीक न होने के कारण अभी तक लोक निर्माण विभाग को सेतु निगम ने सेतु का दायित्व नहीं सौंपा है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दंडित करने एवं सेतु निर्माण की साइड के मार्गों का निर्माण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं, सेतु का निर्माण गत मार्च, 2004 में पूर्ण हुआ है। सेतु तब से उपयोग में है तथा तभी से सेतु लोक निर्माण विभाग के अनुरक्षण में है।

बांदा साइड की सर्विस रोड न बनवाने के लिये तत्कालीन उप परियोजना प्रबन्धकों एवं वरिष्ठ सहायक अभियन्ताओं को निन्दित किया जा चुका है। स्वीकृत आगणन के विरुद्ध कोई धनराशि शेष नहीं है। अतः साइड रोड का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में बी0 पी0 एल0 कार्डों के वितरण की मांग

74-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में बी0पी0एल0 सूची में कितने नाम हैं तथा कितनों के पास बी0पी0एल0 कार्ड हैं ? क्या सूची में सम्मिलित सभी लोगों को कार्ड देने की सरकार की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

वर्ष 2002 में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार आगरा जनपद में शहरी क्षेत्र में 19,160 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 71,088 कुल 90,248 परिवारों के नाम बी0पी0एल0 सूची में सम्मिलित हैं। इनमें से 25,283 परिवारों के पास बी0 पी0 एल0/अन्त्योदय राशन कार्ड उपलब्ध है।

बी0 पी0 एल0 राशन कार्ड जारी किये जाने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है तथा तद्नुसार जनपद आगरा के लिये निर्धारित किये गये लक्ष्य के अनुसार बी0 पी0 एल0 राशन कार्ड जारी किये गये हैं।

बी0 पी0 एल0 सूची में सम्मिलित सभी परिवारों को बी0 पी0 एल0 राशन कार्ड जारी किया जाना भारत सरकार द्वारा बी0 पी0 एल0 राशन कार्ड का लक्ष्य बढ़ाये जाने पर ही सम्भव है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर डिवाइडर एवं फुटपाथ निर्माण की मांग

75-श्री इमरान मसूद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 74 के सहारनपुर में शहरी क्षेत्र में पड़ने वाले भाग पर क्या सरकार डिवाइडर व फुटपाथ का निर्माण करावेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

सहारनपुर शहरी भाग में राष्ट्रीय मार्ग सं0-74 न होकर राष्ट्रीय मार्ग सं0-73 पड़ता है। भारत सरकार के परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सहारनपुर शहरी भाग में डिवाइडर व फुटपाथ निर्माण की कोई योजना स्वीकृत नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के ग्राम लखनौती में यमुना नदी पर पुल निर्माण की मांग

76-श्री इमरान मसूद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के ग्राम लखनौती में करनाल को जाने के लिये क्या सरकार यमुना नदी पर पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं। सम्प्रति किसी योजना में पुल स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद् के कर्मचारियों को समता-समानता के आधार पर सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों की भांति पेंशन दिलाये जाने की मांग

77-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद् के कर्मचारियों को अवकाश ग्रहण करने के बाद पेंशन की सुविधा अनुमन्य नहीं है ? क्या मा0 मंत्री जी समता-समानता के आधार पर इन कर्मचारियों को भी अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों की भांति पेंशन देने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद् के कार्मिकों को पेंशन की सुविधा अनुमन्य किये जाने का प्रकरण विचाराधीन है, जिस पर शीघ्र निर्णय ले लिया जायेगा।

जनपद बुलन्दशहर के स्याना बुगरासी मार्ग से ग्राम हाजीपुर तक क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत की मांग

78-श्री सुन्दर सिंह-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र स्याना, जनपद बुलन्दशहर के स्याना बुगरासी मार्ग से ग्राम हाजीपुर तक का रास्ता लगभग 1 कि0मी0 क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या उक्त क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत सरकार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग पर लेपन स्तर तक का पुनः निर्माण कार्य गन्ना विकास परिषद् अगौता जनपद बुलन्दशहर द्वारा कराया जा रहा है, जो प्रगति पर है।

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र के नये मार्गों के निर्माण कार्य की स्वीकृति तथा कार्यवाही

79-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

79-क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के कुल 5 नये मार्गों के निर्माण कार्य की स्वीकृति हेतु मुख्य अभियन्ता (मु0-1) का पत्र सं0 1400 नि0-139-01-नि0/2006, दिनांक 9-3-2006 विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन लो0नि0अनु0-11 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

सम्प्रति कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं किया गया है।

वित्तीय संसाधन सीमित है।

जनपद प्रतापगढ़ की पट्टी विधान सभा के पात्र व्यक्तियों को बी0 पी0 एल0 राशन कार्ड उपलब्ध कराने की मांग

80-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले विधान सभा पट्टी जनपद-प्रतापगढ़ के कितने पात्र व्यक्तियों के राशन कार्ड निर्गत किये गये हैं ? वर्तमान में बढ़ती हुई मंहगाई व भुखमरी को देखते हुए क्या सरकार सभी पात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

प्रतापगढ़ की पट्टी तहसील में बी0 पी0 एल0 के 20072 तथा अन्त्योदय योजना के 12349 राशन कार्ड जारी किये गये हैं।

भारत सरकार द्वारा प्रदेश के लिये 106.79 लाख का लक्ष्य निर्धारित है जिसके अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ के लिये निर्धारित लक्ष्य के अनुसार राशन कार्ड निर्गत किये गये हैं। निर्धारित लक्ष्य के अतिरिक्त राशन कार्ड दिये जाने की असमर्थता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास परिषद् द्वारा निजी प्रबन्धन के विद्यालयों को सस्ती दरों पर भूमि उपलब्ध कराने की वर्तमान नीति

81-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विकास प्राधिकरणों एवं आवास विकास परिषद् द्वारा निजी प्रबन्धन के विद्यालयों को सस्ती दरों पर भूमि दिये जाने की वर्तमान नीति क्या है ? क्या निबन्धक चिट फण्ड द्वारा पंजीकृत संस्थाओं को ही उपरोक्त लाभ देने की व्यवस्था है ? यदि हां, तो प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

शासनादेश संख्या-3018/11-5-89-607 डीए/89 दिनांक 05-07-1989 के माध्यम से उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् तथा विकास प्राधिकरणों की योजनाओं में निजी प्रबन्धन के विद्यालयों को सस्ती दर पर भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में यह व्यवस्था की गयी है कि भूखण्ड आवंटन हेतु सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा एक समिति गठित कर ली जाय, जिसमें शिक्षा

विभाग के स्थानीय अधिकारी को भी शामिल किया जाय। समिति संस्था के आवेदन का परीक्षण कर अपनी आख्या अभिकरण को प्रस्तुत करेगी जिस पर बोर्ड बैठक में निर्णय लेकर आवंटन की कार्यवाही की जाती है। भूखण्ड की दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1704/नौ-आ-1-96, दिनांक 19 अप्रैल, 1996 एवं शासनादेश संख्या-231/नौ-आ-1-99 दिनांक 01 फरवरी, 1999 में व्यवस्था दी गयी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

अखोप से कुण्डैल नियामत अली मार्ग के अधूरे पड़े मरम्मत कार्य को पूर्ण कराने की मांग

82-श्री लालजी यादव-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2008 के द्वितीय बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-12 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि उक्त कार्य समय अवधि में आज तक पूर्ण नहीं कराया गया ? क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

अखोप से कुण्डैल नियामत अलीमार्ग के कि0मी0-1 तथा 2 का विशेष मरम्मत सहित नवीनीकरण वर्ष 2006-07 में करा दिया गया था। मार्ग के शेष भाग 2 कि0मी0 का पैच मरम्मत कार्य मार्च, 2008 में करा दिया गया है। सीयर सोनाडीह मार्ग की मरम्मत/नवीनीकरण वर्ष 2006-07 में पूर्ण करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में जिला योजना (एस0 सी0 पी0) द्वारा पदारथपुर से भवानीपुर तक सम्पर्क मार्ग को पूर्ण कराने की मांग

83-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में जिला योजना (एस0सी0पी0) द्वारा वर्ष 2006-07 में पदारथपुर से भवानीपुर तक सम्पर्क मार्ग का शेष निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उक्त कार्य मानक के अनुसार न कराकर मनमाने ढंग से कराया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्या टी0ए0सी0 से जांच कराकर मानक के अनुसार शीघ्र कार्य पूर्ण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी नहीं, कार्य मानक के अनुसार कराये जा रहे हैं।

टी0 ए0 सी0 जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। धनराशि की उपलब्धता के आधार पर कार्य का शीघ्र पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

बरेली-बागेश्वर राजमार्ग पर फोर लेन के निर्माण कराने की मांग

84-श्री छत्रपाल सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली बागेश्वर राजमार्ग पर उत्तराखण्ड सीमा पर बहेड़ी तहसील व किच्छा तहसील क्षेत्र में वन विभाग, व्यापार कर, मण्डी समिति आदि की जांच चौकियां होने के कारण भारी वाहनों से कर वसूलने के कारण रात्रि में भयंकर जाम लगने के कारण जनता को अत्यधिक कठिनाई होती है ? क्या सरकार उक्त सीमा पर फोर लेन का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

इस मार्ग के किनारे पटरी पर दोनों ओर दो-दो मीटर चौड़ाई में खड़न्जा लगा दिया गया है ताकि वाहनों के खड़े होने से यातायात बाधित न हो।

वर्तमान में कोई योजना स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

85-श्री छत्रपाल सिंह-

[पहले सोमवार के अता0 प्र0 सं0-178 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गोण्डा के मनकापुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गन्ना विभाग द्वारा सम्पर्क मार्गों एवं पुलियों के निर्माण कराये जाने की मांग

86-श्री राम विशुन आजाद-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत गन्ना विभाग द्वारा किन-किन सम्पर्क मार्गों एवं पुलियों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07 व 2007-08 में कितने-कितने धन का आवंटन किया गया है ? क्या स्वीकृत किये गये मार्गों पर निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या कराये गये कार्यों की गुणवत्ता मानक के अनुसार है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार स्वीकृत मार्गों की गुणवत्ता की जांच करवाकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

गन्ना विभाग द्वारा मनकापुर विधान सभा क्षेत्र वर्ष 2006-07 व 2007-08 में स्वीकृत मार्गों एवं धन के आवंटन की स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्र0 सं0	वर्ष	सड़क का नाम	लम्बाई कि0मी0 में	अनु0 लागत लाख रु0	व्यय धनराशि लाख रु0
1	2006-07	मछली गांव सादुल्लानगर सम्पर्क मार्ग से रमईपुर ग्राम तक	1.85	30.46	29.12
2	2007-08	मसकनवां-तुरकोली प्रधान मंत्री सम्पर्क मार्ग से गौरही मार्ग	1.00	20.10	18.90
3		जैदवा से कसैला सम्पर्क मार्ग	1.00	16.90	8.58

उक्त क्रम संख्या-1 एवं 2 पर उल्लिखित मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा क्रम संख्या-3 पर उल्लिखित मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड मनकापुर के अम्बेडकर ग्राम हरनाटायर में बीरेपुर अम्बेडकर मार्ग से हरनाटायर मार्ग के निर्माण की मांग

87-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड मनकापुर के अम्बेडकर ग्राम हरनाटायर में बीरेपुर अम्बेडकर मार्ग से हरनाटायर मार्ग को क्या सरकार पूर्ण करवाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मार्ग के संरेखण में पड़ने वाली भूमि पर काश्तकारों द्वारा मार्ग निर्माण प्रयोजन हेतु भूमि न दिये जाने का प्रकरण मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद गोण्डा के मनकापुर-मसकनवां बभनान मार्ग के क्षतिग्रस्त होने पर तकनीकी जांच करवाने की मांग

88 श्री राम बिशुन आजाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के मनकापुर-मसकनवां बभनान मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कब स्वीकृत हुआ एवं कितने धन का

आवंटन शासन द्वारा किया गया ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त मार्ग पर गुणवत्ता के विपरीत कार्य होने से मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार तकनीकी जांच करवाकर दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं उक्त मार्ग का पुनः सुदृढ़ीकरण करवाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मनकापुर-मसकनवां बभनान मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य 29.60 लम्बाई के लिये माह दिसम्बर, 2001 में स्वीकृत हुआ था तथा शासन द्वारा कुल रु0 810.00 लाख का आवंटन किया गया है। कार्य वर्ष 05-06 में पूर्ण हो गया था।

मार्ग अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त है जिसके मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है।

मार्ग की जांच प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ, लखनऊ द्वारा की जा रही है। सुदृढ़ीकरण का कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोण्डा के दर्जी कुआँ मनकापुर मार्ग के अधूरे एवं क्षतिग्रस्त पड़े मार्ग को पूर्ण कराने की मांग

89-श्री राम विशुन आजाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के दर्जी कुंआ मनकापुर मार्ग उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कब स्वीकृत किया गया एवं उस पर अब तक कितना धन व्यय किया गया ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त मार्ग अभी तक अपूर्ण है तथा जो कार्य कराया गया है वह मानक के विपरीत है एवं उक्त मार्ग क्षतिग्रस्त भी हो चुका है ? उक्त मार्ग की मरम्मत हेतु क्या सरकार धन आवंटन कर कार्य करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद गोण्डा में दर्जी कुआँ-मनकापुर मार्ग का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कोई कार्य स्वीकृत नहीं हुआ है। केवल चौड़ीकरण का कार्य शासनादेश सं0-यू0ओ0-200/23-1-2004 दिनांक 04-12-04 द्वारा रु0 194.89 लाख का 18.00 कि0मी0 लम्बाई के लिए स्वीकृत हुआ था। कार्य पर रु0 183.06 लाख व्यय किया गया है।

मार्ग के 4.00 कि0मी0 में सतह लेपन का कार्य अपूर्ण है। समस्त कार्य मानक के अनुरूप कराया गया है। वर्ष 2008 में अतिवृष्टि से मार्ग के कि0मी0 5 का 250 मी0 भाग क्षतिग्रस्त हो गया है, जो आपदा राहत निधि मद से इस वर्ष की प्राप्त धनराशि से पूर्ण कर लिया जायेगा।

क्षतिग्रस्त भाग के मरम्मत का कार्य प्रगति पर है।

कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के कतिपय मार्गों के सुदृढ़ीकरण एवं उच्चीकरण के कार्य हेतु धन आवंटन

90-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के मनकापुर मछली गांव गौरी चौकी मार्ग, बभनान-गौरा चौकी मार्ग एवं बजीरगंज-झलाही मार्ग पर वित्तीय वर्ष 2005-06, 2006-07 व 2007-08 में सुदृढ़ीकरण एवं उच्चीकरण हेतु विभाग द्वारा कितना-कितना धन आवंटित किया गया ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त मार्गों पर कराया गया कार्य गुणवत्ता के विपरीत है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद-गोण्डा के मनकापुर मछलीगांव का मनकापुर कोट तिराहे से मछलीगांव तक का 5.40 कि0मी0 लम्बा भाग सुदृढ़ीकरण हेतु माह 2/2006 में स्वीकृत हुआ था जिसके सापेक्ष वर्ष 05-06 रु0 20.00 लाख तथा वर्ष 06-07 में रु0 251.70 लाख से कार्य पूर्ण करा दिया गया है। मछलीगांव गौरा चौकी मार्ग, तथा बभनान-गौरा चौकी मार्ग हेतु वर्ष 2005-06, 06-07 एवं 2007-08 में कोई धनावंटन नहीं किया गया, क्योंकि इसके सुदृढ़ीकरण एवं उच्चीकरण का कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है। बजीर गंज झिलाही मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य हेतु रु0 343.94 लाख व्यय करके कार्य करा दिया गया है। वर्तमान में उक्त मार्गों की दशा आवागमन हेतु संतोषजनक है।

कार्यों की गुणवत्ता मानक के अनुरूप है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी में लखीमपुर निघासन मार्ग के मध्य पचपेड़ी घाट पुल के निर्माण की मांग

91-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में लखीमपुर निघासन मार्ग के मध्य पचपेड़ी घाट का पुल स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो उक्त पुल का निर्माण कार्य कब तक शुरू करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं। सम्प्रति किसी योजना में पुल स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी में शहर के मध्य पड़ने वाली रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज की मांग

92-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के शहर लखीमपुर के मध्य स्थित रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक शुरू करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

सम्बन्धित रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाने का कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड फूलबेहड़ के ग्राम पंचायत नरहर के उर्रा होते हुए अधूरे पड़े सम्पर्क मार्ग को पूरा कराने की मांग

93-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड फूलबेहड़ के ग्राम पंचायत नरहर का सम्पर्क मार्ग उर्रा होते हुए बन रहा था, जो अधूरा छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त अधूरे सम्पर्क मार्ग का निर्माण कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा तथा विलम्ब के लिये इसके दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां। सम्प्रति मार्ग अधूरा है। इस मार्ग की कुल स्वीकृत लम्बाई 5.80 कि0मी0 है जिसमें से 2.80 कि0मी0 [कि0मी0 3.5 एवं 6 (800)] का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कि0मी0 4 का कार्य इसी वित्तीय वर्ष (माह 3/2009) में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। मार्ग के शेष कि0मी0 1 व 2 के आंशिक रूप से निर्मित भाग का अवशेष कार्य पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। मार्ग निर्माण में विलम्ब परिस्थितिजन्य हैं। अतः किसी का दोष प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद महामायानगर के विकास खण्ड सादाबाद के ग्राम बीजलपुर में करबन नदी पर बने पुल पर एप्रोच रोड की मरम्मत की मांग

94-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर के विकास खण्ड सादाबाद के ग्राम बीजलपुर में करबन नदी के पुल पर विगत वर्ष बनी एप्रोच रोड दोनों तरफ क्षतिग्रस्त हो चुकी है ? क्या शासन उक्त एप्रोच रोड की मरम्मत करायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां। वर्ष 2008 में हुई भारी वर्षा के कारण एप्रोच मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है।

कार्य स्वीकृत है तथा इसे प्रारम्भ करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा स्थित गोविन्दनगर सहकारी आवास समिति द्वारा की गयी भूखण्डों की रजिस्ट्री को निरस्त करने की मांग

95-डा0 अनिल चौधरी-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में गोविन्द नगर सहकारी आवास समिति नाम की संस्था पंजीकृत व कार्यरत है ? क्या यह सही है कि शासन द्वारा समस्त सहकारी समितियों के बोर्ड भंग कर देने के बाद भी इस समिति के अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा सैकड़ों भूखण्डों की रजिस्ट्री नियमों के विपरीत अपने निकट सम्बन्धियों को कर दी गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार भूखण्डों की इन अवैध रजिस्ट्रियों को चिन्हित कर निरस्तीकरण की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

96-चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

[1ले शुक्रवार के अता0 प्रश्न सं0-171 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद महामायानगर की मांट ब्रांच गंग नहर के तहसील सादाबाद के कतिपय राजबाहों से रबी की फसल की सींच का क्षेत्रफल

97-डा0 अनिल चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मांट ब्रांच गंग नहर के तहसील सादाबाद, जनपद-महामायानगर को सिंचित करने वाले बल्देव राजवाहा, दधैटा राजवाहा, खदौली राजवाहा, जुगसना राजवाहा, कुरसंडा राजवाहा, सादाबाद राजवाहा व इनकी अल्पिकाओं के अन्तिम कुलावों पर रबी 2007-2008 फसल में सींच का क्षेत्रफल कितना-कितना रहा है ? क्या शासन पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मांट ब्रान्च गंग नहर के तहसील सादाबाद जनपद महामायानगर को सिंचित करने वाले बल्देव राजबाहा, दधौटा राजबाहा, खदौली राजबाहा, जुगसनां राजबाहा, कुरसण्डा राजबाहा, सादाबाद राजबाहा व उनकी अल्पिकाओं के अन्तिम कुलाबों पर रबी 1415 फसली वर्ष 2007-08 में सिंचित क्षेत्रफल क्रमशः 02, 0, 17, 0, 0, 0 एवं माइनर दुजिया पर 1 हेक्टेयर, माइनर रदायी पर 0 एवं माइनर अबैनी पर 0, सेमरा 0 तथा कृपा पर 0 सींच दर्ज हुई है।

जी हां। विवरण संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

(संलग्नक के लिये देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 214-215 पर)

जनपद महामायानगर की तहसील सादाबाद में जलेसर रोड-बहादुरपुर मार्ग से ग्राम बाग बधिक तक लेपन स्तर की सड़क की निर्माण की मांग

98-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-महामायानगर की तहसील सादाबाद में जलेसर रोड-बहादुरपुर मार्ग से ग्राम बाग बधिक तक लेपन स्तर की सड़क का निर्माण क्या शासन द्वारा कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

शासनादेश दिनांक 08-8-2008 द्वारा रु0 30.85 लाख की स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है जिसके विरुद्ध अब तक रु0 21.45 लाख की धनराशि आवंटित की जा चुकी है। अनुबन्ध गठित करके कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है जो मार्च, 2009 में पूर्ण किया जाना सम्भावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र के अधूरे पड़े अरैला मार्ग भाट पट्टी-महरुपुर पुल को पूर्ण कराने एवं आगणन मंगाकर धन अवमुक्त कराने की मांग

99-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिये मार्ग अरैला भाट पट्टी-महरूपुर पुल सहित वर्ष 2003 में स्वीकृत था, के अधूरे कार्य को पूर्ण करने हेतु पुनरीक्षित आगणन कब जनपद से मांगा गया तथा कब प्राप्त हुआ और कब धन अवमुक्त हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

कार्य हेतु पुनरीक्षित आगणन शासन के पत्र दिनांक 03-08-2007 द्वारा मांगा गया। आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद के पत्र दि0 20-09-2008 द्वारा रु0 66.47 लाख का पुनरीक्षित आगणन प्राप्त हुआ है। उक्त पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड आसपुर देवसरा की ग्राम सभा रमगढ़ा एवं परसन्डा के वर्तमान कोटेदार द्वारा बी0पी0एल0 राशन कार्डधारकों को राशन वितरण में की जा रही धांधली की जांच

100-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि जनपद-प्रतापगढ़ के विकास खण्ड आसपुर देवसरा की ग्राम सभा रमगढ़ा एवं परसन्डा ब्लाक मंगरौरा मे वर्तमान कोटेदार द्वारा बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय कार्ड धारकों को उचित मूल्य पर राशन वितरित नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच करवाकर कोटेदार के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

प्रतापगढ़ के विकास खण्ड आसपुर देवसरा की ग्राम सभा रमगढ़ा के उचित दर विक्रेता श्री भोले शंकर के विरुद्ध ग्रामवासियों द्वारा की गयी शिकायत की जांच करायी गयी। जांच में आरोप सिद्ध होने पर उचित दर विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 24-6-08 को अभियोग दर्ज कराया गया है तथा विक्रेता का अनुबन्ध पत्र दिनांक 30 जून, 2008 के आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

विकास खण्ड मंगरौरा के ग्राम सभा परसण्डा की उचित दर विक्रेता श्रीमती कान्ती देवी के विरुद्ध ग्रामवासियों द्वारा की गयी शिकायत की जांच करायी गयी, जांच में पाया गया कि गांव में पार्टीबन्दी होने के कारण 28 बी0पी0एल0 एवं 25 अन्त्योदय कार्डधारक राशन लेने दुकान पर नहीं जाते थे जिन्हें आवंटित खाद्यान्न दुकान पर उपलब्ध पाया गया। कार्डधारकों की सुविधा के लिए 28 बी0पी0एल0 एवं 25 अन्त्योदय कार्डधारकों को नजदीकी उचित दर विक्रेता मेसर्स सा0स0 समिति बारीकला से सम्बद्ध किया गया है जहां से उठान वितरण का कार्य नियमानुसार किया जा रहा है।

जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के वि0 स0 क्षेत्र फतेहाबाद में वर्ष 2008 में सड़क निर्माण में की गयी अनियमितता की जांच की मांग

101-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आगरा के वि0स0 क्षेत्र फतेहाबाद में वर्ष 2008 में निम्न गुणवत्ता की सड़कों के निर्माण में लिप्त अधिकारी व ठेकेदारों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में वर्ष 2008 में मार्गों का निर्माण कार्य उचित गुणवत्ता सहित सम्पादित कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् में कार्यरत तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मंहगाई भत्तों के भुगतान की मांग

102-श्री सुधीर कुमार-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् में कार्यरत तृतीय/ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जनवरी, 2008 से देय महंगाई भत्ते का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त महंगाई भत्ते का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन के आदेश संख्या-969/44-1-2008-23 उ0वे0रि0/98 दिनांक 30-9-08 द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के सापेक्ष परिषद् के कार्यालय आदेश दिनांक 17-10-2008 के द्वारा परिषद् के तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों सहित समस्त कार्मिकों को जनवरी, 2008 से देय मंहगाई भत्ते का भुगतान किये जाने के आदेश हुए थे, जिसके क्रम में परिषद् के समस्त कार्मिकों को भुगतान कर दिया गया है।

जनपद बरेली में बहेड़ी विधान सभा क्षेत्र की कतिपय नदियों पर पुल निर्माण कराने की मांग

103-श्री छत्रपाल सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जनपद में बहेड़ी विधान सभा अन्तर्गत सिंघरया नदी पर ग्राम चौड़ेरा ब्लाक मखोड तथा ढोरा नदी पर ग्राम बसुधरन ब्लाक शेरगढ़ पर पुलों का निर्माण क्या सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक शुरू करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्नगत सेतुओं का निर्माण किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

बरेली मण्डल के रिच्छा जहानाबाद राजमार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराने की मांग

104-श्री छत्रपाल सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली मण्डल में रिच्छा जहानाबाद मार्ग बरेली तथा पीलीभीत जिले को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण राजमार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण न होने के कारण भारी वाहनों को लगभग 100 कि0मी0 अधिक दूरी तय करनी पड़ती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस महत्वपूर्ण राजमार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

रिच्छा जहानाबाद मार्ग अन्य जिला मार्ग श्रेणी का है, जिसका बरेली जनपद के अन्तर्गत पड़ने वाला भाग कि0मी0 11 से 17 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। कि0मी0 18 से 25 तक का सुदृढ़ीकरण वर्ष 2006-07 में किया जा चुका है।

सुदृढ़ीकरण का कार्य माह 06/2009 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। चौड़ीकरण की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-मुजफ्फरनगर के ग्राम दभेड़ी व चन्देनामाल की क्षतिग्रस्त पुलिया के निर्माण की मांग

105-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर के ग्राम दभेडी व चन्देनामाल के सम्पर्क मार्ग के बीच में पड़ने वाली पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो उक्त पुलिया का निर्माण कार्य कब तक शुरू करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

प्रश्नगत पुलिया का निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

106-श्री अनिल कुमार सिंह यादव-

[1ले शुक्रवार के अता0 प्रश्न सं0-176 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

107-श्री जोखू लाल यादव-

[दिनांक 12-02-2009 को अता0 प्रश्न सं0-171 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश के गन्ना किसानों को मिल मालिकों/प्रबन्धकों से बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान कराने की मांग

108-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पेराई सत्र 2007-08 में गन्ना कृषकों को मिल मालिकों/प्रबन्धकों द्वारा किस-किस मूल्य पर गन्ने का भुगतान किया गया है ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में गन्ना कृषकों का कितना गन्ना मूल्य बकाया है ? क्या सरकार बतायेगी कि गत वर्ष का किसानों का बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान वर्तमान वर्ष में किस रेट पर किया जा रहा है ? क्या सरकार गत वर्ष निर्धारित मूल्य से भुगतान न करने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मा0 उच्चतम न्यायालय के अन्तरिम आदेश दिनांक 15-5-2008 द्वारा निर्धारित रु0 110.00 प्रति कुन्टल गन्ना मूल्य की दर से चीनी मिलों द्वारा भुगतान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2007-08 में चीनी मिलों पर एस0ए0पी0 के आधार पर रु0 1957.39 करोड़ एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-09 में दिनांक 10-2-2009 तक रु0 116.80 करोड़ गन्ना मूल्य बकाया है।

मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार गत वर्ष 2007-08 के गन्ना मूल्य का भुगतान रु0 110.00 प्रति कुन्टल की दर से किया जा रहा है।

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार गन्ना मूल्य का भुगतान न करने वाली चीनी मिलों के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

जनपद गोण्डा के कतिपय मार्गों पर सरयू नहर परियोजना खण्ड 5 व 2 द्वारा पुलों/पुलियों के निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच

109-श्री राम विशुन आजाद-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा के दर्जी कुआं, मनकापुर, मसकनवां, बभनान मार्ग, सोनबरसा, बगदर मार्ग बरसा-मण्डप मार्ग, शीतलगंज-वासदेवपुर लखपतनगर मार्ग, छपिया मार्ग से इटैला मार्ग मसकनवां से सुहैला तेन्दुआ रानीपुर मार्ग साबरपुर-मदनपुर-खरदौरी खोटिहन होते हुए महराजगंज ग्रण्ट मार्ग वर्ष 2005 से जून, 2008 तक सरयू नहर परियोजना के खण्ड पांच एवं दो द्वारा पुलों/पुलिया एवं एप्रोच का कराया गया निर्माण कार्य गुणवत्ता मानक के अनुसार नहीं है ? क्या सरकार टी0ए0सी0 जांच करवाकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में वित्तीय वर्ष 2007-08 में नहरों, माइनरों एवं राजबाहों पर 04 अदद पुल/पुलियों के निर्माण कार्य कराये गये हैं, जिनकी गुणवत्ता मानक के अनुसार है।

कार्यों की जांच टी0ए0सी0 तथा उनकी गुणवत्ता का पर्यवेक्षण गुण नियंत्रण खण्ड गोण्डा से कराया गया जिसमें कोई प्रतिकूल तथ्य सामने नहीं आया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के मनकापुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के मार्गों पर सरयू नहर परियोजना एवं सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित्त पुल/पुलिया एवं एप्रोच कार्य की जांच की मांग

110-श्री राम विशुन आजाद-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में वर्ष 2006-07, 2007-08 एवं जून, 2008 में लोक निर्माण विभाग के मार्गों पर सरयू नहर परियोजना एवं सिंचाई विभाग द्वारा पुल/पुलिया एवं एप्रोच का कार्य कराया गया, निर्माण कार्य क्या मानक के अनुसार है ? क्या उक्त मार्गों पर हो रहे निर्माण हेतु सिंचाई विभाग, गोण्डा द्वारा लोक निर्माण विभाग, गोण्डा से अनुमति ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार मार्गों पर हुए पुलिया/पुल एवं एप्रोच कार्यों का स्थलीय परीक्षण टीम गठित कर करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दकी-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में सरयू नहर परियोजना की विभिन्न नहरों द्वारा रबी एवं खरीफ की फसलों की सिंचाई की गयी भूमि

111-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा में वर्ष 2006 से 2008 मई तक सरयू नहर परियोजना द्वारा रबी व खरीफ फसलों के सिंचाई हेतु किन-किन नहरों की टेलों तक पानी पहुंचाया गया एवं कितने हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की गयी ? क्या सरकार बतायेगी कि परियोजना के अधिकारियों द्वारा जो रोस्टर तैयार किया गया है, उसकी सूचना सम्बन्धित माननीय जनप्रतिनिधियों एवं ग्राम प्रधानों को दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद गोण्डा में सरयू परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2006 से 2008 मई तक विभिन्न वर्षों में नहरों की टेलों पर पानी पहुंचाने के लिए परीक्षण के तौर पर चलायी गयी और सिंचाई करायी गयी जिसमें गोण्डा शाखा नहर, गौरिया अल्पिका, रूपईडीह-1 अल्पिका, कुरासी अल्पिका, पारासराय अल्पिका, मनकापुर शाखा, चिलचिला अल्पिका, कल्यानपुर अल्पिका, इटियाथोक शाखा, गिलौला अल्पिका, धानीपुर राजवाहा, बिरमापुर अल्पिका, सोडांश अल्पिका, कमरावां राजवाहा उपरोक्त नहरों से वर्ष 2006-07 एवं वर्ष 2007-08 में रबी एवं खरीफ की फसल की कुल 144.63 हेक्टेयर (दोनों वर्षों की मिलाकर) भूमि में सिंचाई करायी गई।

अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड-4, गोण्डा एवं सरयू नहर खण्ड-5, बहराइच द्वारा रोस्टर तैयार किये गये। अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड-4, गोण्डा द्वारा मा0 विधायक मुजहना/सदर गोण्डा को एवं सरयू नहर खण्ड-5, बहराइच द्वारा माननीय जनप्रतिनिधियों एवं प्रधानों को रोस्टर की प्रतियां उपलब्ध करायी गयीं।

प्रश्न नहीं उठता।

112-श्री चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद सहारनपुर के ग्राम फतेहपुर के दिल्ली-देहरादून राजमार्ग पर जल भराव को रोकने हेतु नाला निर्माण की मांग

113-श्री इमरान मसूद-

क्या लोक निर्माण मंत्री [illegible] की कृपा करेंगे कि दिल्ली-देहरादून रा0 राजमार्ग पर ग्राम फतेहपुर जनपद-सहारनपुर में [illegible] रोकने हेतु सरकार क्या नाला का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, [illegible] ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

[illegible] योजना में स्वीकृत नहीं है, परन्तु वर्ष 2008-09 की [illegible] फतेहपुर में नाला निर्माण का कार्य परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार [illegible] स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रश्नगत नाले का निर्माण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के [illegible] स्थानीय बरना नदी में जल भराव की रोकथाम हेतु प्रस्तावित योजना

114-श्री [illegible]

क्या सिंचाई मंत्री [illegible] कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर, जनपद-इलाहाबाद के अन्तर्गत स्थानीय बरना [illegible] जनपद प्रतापगढ़ से आने वाली किन-किन माइनर नहरों का टेल प्वाइंट [illegible] दिया जाता है ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त माइनर नहरों के अप्रयुक्त/[illegible] स्थानीय बरना नदी में जल भराव हो जाता है ? यदि हां, तो जल भराव की रोकथाम के लिये बरना नदी की सफाई हेतु सरकार की कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर जनपद इलाहाबाद में सौराहा राजवाहा, मोहम्मदाबाद राजवाहा, करकौली राजवाहा, [illegible] राजवाहा, तरहटी माइनर, रसूलहां माइनर, पिन्डोना माइनर, चम्पापुर माइनर, भुलेन्द्र माइनर एवं [illegible] का टेल बरुणा नदी/नाले में मिलता है।

जी हां।

जल भराव की समस्या के निराकरण हेतु बरुणा नदी के कि0 मी0 203.80 से 170.00 तक (टेल भाग) अर्थात् 33.80 कि0 मी0 लम्बाई जो नाले के रूप में जाना जाता है, के पुनर्स्थापना एवं क्षमता वृद्धि की योजना टी0ए0सी0 की 148वीं बैठक दिनांक 17-07-07 एवं स्थायी संचालन समिति की 28वीं बैठक दि0 25-07-07 में रु0 471.063 लाख अनुमोदित की गयी है, जिसके विरुद्ध रु0 50.00 लाख का आवंटन किया गया है। कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत तिन्दवारी पपरेन्दा मार्ग के चौड़ीकण एवं सुदृढ़ीकरण की मांग

115-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बांदा में बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत तिन्दवारी पपरेन्दा मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किमी0 1 से 12 तक विगत तीन वर्षों से चल रहा है ? यदि हां, तो उक्त कार्य पूर्ण करने की अवधि क्या है ? क्या निर्माण कार्य की देरी के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

कार्य माह अक्टूबर, 2007 में प्रारम्भ किया गया था।

कार्य माह 10/09 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत कार्य हेतु दि0 12-05-06, 27-12-06, 18-01-07 को आमंत्रित निविदाओं की दर अधिक होने तथा दि0 15-09-06 तथा 08-11-06 को निविदा प्राप्त न होने तथा दि0 21-02-07 से 15-05-07 तक चुनाव आयोग द्वारा लागू आचार संहिता के कारण विलम्ब हुआ है।

जनपद बांदा के कतिपय ब्लाक में बन्द नलकूपों को ठीक कराने की मांग

116-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बांदा के ब्लाक जसपुरा में 169 नलकूप, ब्लाक तिन्दवारी में 148 नलकूप तथा बड़ोखर खुर्द में 46 राजकीय नलकूप हैं ? यदि हां, तो कितने नलकूप चालू हैं तथा कितने यांत्रिक व विद्युत दोष के कारण बन्द पड़े हैं ? क्या सभी बन्द नलकूपों को ठीक कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

जी नहीं, जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा में 122 नलकूप, ब्लाक तिन्दवारी में 160 नलकूप तथा बड़ोखरखुर्द में 61 राजकीय नलकूप हैं।

दिनांक 16-10-08 की बन्दी के अनुसार ब्लाक जसपुरा में 78, ब्लाक तिन्दवारी में 130 तथा बड़ोखरखुर्द में 56 नलकूप चालू हैं तथा ब्लाक जसपुरा में यांत्रिक दोष से 02, विद्युत दोष से 09, ब्लाक तिन्दवारी में यांत्रिक दोषी से 02, विद्युत दोष से 09 नलकूप एवं ब्लाक बड़ोखर खुर्द में यांचिक दोष से 02 नलकूप अस्थायी रूप से बन्द थे।

दिनांक 23-10-08 तक यांत्रिक एवं विद्युत दोष से अस्थायी रूप से बन्द सभी राजकीय नलकूपों को दोषमुक्त कराकर चालू करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लोक निर्माण विभाग के दैनिक मजदूरों को कम मजदूरी दिये जाने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

117-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग में लगे दैनिक मजदूरों को ठेकेदारों द्वारा 100/- से कम मजदूरी देने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20 मई, 2008 अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग वृत्त, बांदा को क्या प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

वृत्ताधीन समस्त खण्डों में नियमानुसार 100/-प्रतिदिन मजदूरी दिये जाने के आदेश पूर्व में ही प्रसारित थे तथा तद्नुसार भुगतान हेतु खण्डों को निर्देशित करते हुए मा0 सदस्य विधान सभा को अधीक्षण अभियन्ता, बांदा वृत्त, लो0नि0वि0, बांदा के पत्रांक-3665/7एम-बांदा वृत्त/08, दिनांक 24-5-08 द्वारा अवगत करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में नरी-पलरा सम्पर्क मार्ग के अवशेष मार्ग को पूर्ण कराने की मांग

118-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में नरी-पलरा सम्पर्क मार्ग का निर्माण बुन्देलखण्ड विकास पैकेज के अन्तर्गत चल रहा है ? यदि हां, तो उक्त अवशेष कार्य कब तक पूरा कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

कार्य पूर्ण है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत स्थित बिजनाड़ा राजदाहे की पटरी के चौड़ीकरण सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

119-डा0 अजय तोमर-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र कम्प्यूटर संख्या सी-10183292 सी0एम0/ वि0को0/एम-183292/2008, जो जनपद बागपत स्थित बिजनाड़ा राजवाहे की पटरी के चौड़ीकरण का लेपन स्तर तक निर्माण के सम्बन्ध में था, मुख्य मंत्री कार्यालय द्वारा दिनांक 20-6-08 को प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण को भेजा गया था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों को देखते हुए सम्प्रति किसी योजना में कार्यवाही संभव नहीं प्रतीत होती है।

उपरोक्तानुसार।

मध्य गंगा नहर परियोजना स्टेज-2 की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति एवं स्वीकृत प्राक्कलनों के विरुद्ध निर्माण कार्य

120-श्री मदन भैया-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय जल आयोग से स्वीकृत न होने तथा इस मद में कोई वित्तीय धनराशि आवंटित न किये जाने के बावजूद मध्य गंगा परियोजना स्टेज-2 में मुख्य अभियन्ता मध्य गंगा द्वारा इस परियोजना में नहर के टायल लगाने हेतु 06 करोड़ की टायल अभी से बनवाकर रख दी गयी है ? क्या इस परियोजना के वर्किंग लम्ब छिन्नक (क्रास सेक्सन) स्वीकृत होने से पूर्व ही इसके काफी पक्के कार्यों के अनुबन्ध करा दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अनियमितताओं की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मध्य गंगा नहर परियोजना स्टेज-2 केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत है तथा शासनादेश संख्या-3285/07-27-सिं0-4-1डब्ल्यू (परि)/2005, दिनांक 27-7-07 द्वारा इस परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति एवं धनराशि रु0 1060.76 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

परियोजना की स्वीकृति के उपरान्त इसके निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2007-08 में रु0 26.175 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2008-09 में धनराशि रु0 50.00 करोड़ का बजट प्राविधान है जिसके सापेक्ष वर्तमान तक रु0 37.50 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

मध्य गंगा नहर परियोजना स्टेज-2 की मुख्य नहर में लाइनिंग का प्राविधान है। मुख्य नहर की लाइनिंग में सी0सी0 टाइल्स का प्रयोग किया जाना है जिनके बनाये जाने, क्योरिंग एवं उनकी सैटिंग तथा स्ट्रेन्थ पूरी होने में समय लगता है। अतः रु0 6.00 करोड़ की टाइल्स का निर्माण करा लिया गया है।

सक्षम अधिकारी द्वारा परियोजना के लम्ब छिन्नक स्वीकृत हैं एवं स्वीकृत लम्ब छिन्नक के आधार पर ही स्वीकृत प्राक्कलनों के विरुद्ध अनुबन्ध निर्गत कर निर्माण कार्य कराये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर में सादाबाद पुरा मार्ग से छत्तरगढ़ी तक सड़क निर्माण की मांग

121-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर में सादाबाद-पुरा मार्ग से ग्राम छत्तरगढ़ी तक लेपन स्तर तक सड़क का निर्माण कार्य क्या शासन द्वारा कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

सम्प्रति प्रश्नगत मार्ग लोक निर्माण विभाग की किसी योजना में प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर ग्राम-बहरदोई से पूरा तक शेष मार्ग पूर्ण कराने की मांग

122-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-महामायानगर में लगभग 40 ग्रामों को जिला मुख्यालय हाथरस से जोड़ने वाला बीस वर्ष पुराना सादाबाद-पूरा मार्ग ग्राम-बहरदोई पर समाप्त हो जाता है ? यदि हां, तो क्या इस मुख्य मार्ग के बहरदोई से पुरा तक के शेष भाग का निर्माण कार्य सरकार द्वारा कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

सम्प्रति प्रश्नगत मार्ग लोक निर्माण विभाग की किसी योजना में प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर की तहसील सादाबाद में धाधऊ शिखरा में नगला पचौरी तक लेपन स्तर तक सड़क निर्माण की मांग

123-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर की तहसील सादाबाद में धाधऊ शिखरा मार्ग से नगला पचौरी के लिए लेपन स्तर तक सड़क निर्माण कराने पर क्या सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

सम्प्रति प्रश्नगत मार्ग लोक निर्माण विभाग की किसी योजना में प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

124-श्री इमरान मसूद-

[2सरे शुक्रवार के अता0प्र0सं0-167 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बरेली के किसान सहकारी चीनी मिल लि0 सेमीखेड़ा में कार्यरत श्री ज्ञान सिंह यादव, ए0सी0ओ0 (अपर गन्ना अधिकारी) के स्थानान्तरण की मांग

125-श्री छत्रपाल सिंह-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जनपद अन्तर्गत किसान सहकारी चीनी मिल लि0 सेमीखेड़ा में श्री ज्ञान सिंह यादव ए0सी0ओ0 (अपर गन्ना अधिकारी) एक ही स्थान पर विगत 15-20 वर्षों से कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत सरकार उक्त कर्मचारी का स्थानान्तरण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

श्री ज्ञान सिंह यादव, अपर गन्ना अधिकारी, किसान सहकारी चीनी मिल सेमीखेड़ा, बरेली में दिनांक 11-10-2003 से कार्यरत थे। श्री यादव ने संघ के आदेश दिनांक 12-11-2008 के अनुपालन में किसान सहकारी चीनी मिल साथा, अलीगढ़ में दिनांक 15-11-2008 को कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

जनपद सहारनपुर की बजाज हिन्दुस्तान लि0 गगनोली द्वारा गन्ना किसानों को किये गये गन्ने का कम मूल्य के भुगतान की जांच

126-श्री इमरान मसूद-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सहारनपुर की बजाज हिन्दुस्तान लि0 गगनोली द्वारा गत वर्ष 2006-07 के गन्ना भुगतान से 7 (सात) रुपये प्रति कुन्तल प्रत्येक किसान से काटकर भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

यह भुगतान मा0 सर्वोच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश दिनांक 27-2-2008 में निर्धारित दरों के अनुसार किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर की बीडवी शुगर मिल से बकाये गन्ने मूल्य के भुगतान की मांग

127-श्री इमरान मसूद-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद-सहारनपुर की बीडवी शुगर मिल द्वारा गत वर्ष 16 दिसम्बर, 2007 तक का गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों को किया गया है ? बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश दिनांक 15-5-2008 द्वारा निर्धारित दर रु0 110/-प्रति कुन्टल की दर से चीनी मिल द्वारा सम्पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस सन्दर्भ में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन विशेष अनुज्ञा याचिका में अन्तिम निर्णय के उपरान्त प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित अली की चुंगी से न्यू एडा स्कूल तक की सड़क की मरम्मत की मांग

128-श्री इमरान मसूद-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित आली की चुंगी से न्यू एडा स्कूल तक सड़क निर्माण के दो माह के अन्दर

ही टूट गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं। नगरपालिका परिषद् द्वारा नाले के निर्माण कराने के दौरान जे0सी0बी0 के प्रयोग के फलस्वरूप कुछ स्थानों पर मामूली तौर पर सड़क क्षतिग्रस्त हुई है जिसे ठीक कराने हेतु नगरपालिका परिषद् को अवगत कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के क्षतिग्रस्त डा0 अम्बेडकर मार्ग निर्माण की जांच

129-श्री इमरान मसूद-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाया गया डा0 अम्बेडकर मार्ग निर्माण के मात्र छः महीने में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नगरपालिका सहारनपुर की सड़क डा0 अम्बेडकर मार्ग (कोर्ट रोड) के सुदृढ़ीकरण का कार्य स्पेसिफिकेशन के अनुसार माह अक्टूबर, 2007 में कराया गया है। उक्त सड़क के मध्य में नगरपालिका की अण्डरग्राउन्ड पुरानी जलापूर्ति लाइन के जगह-जगह पर टूटने के कारण पानी के रिसाव होने पर कहीं-कहीं सड़क क्षतिग्रस्त हो जाती है जिसे ठीक करा दिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र के कोड़ापुर से बलिकरनपुर मार्ग के सुदृढ़ीकरण की मांग

130-श्री जोखू लाल यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग कोड़ापुर से बलिकरनपुर तक जर्जर होने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में असुविधा हो रही है ? क्या सरकार द्वारा उक्त सम्पर्क मार्ग के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में धनराशि आवंटित की गयी है ? यदि हां, तो कब तक उक्त मार्ग का सुदृढ़ीकरण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्नगत मार्ग के विशेष मरम्मत के साथ नवीनीकरण हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में रु0 21.35 लाख की धनराशि आवंटित की गई है।

संदर्भगत मार्ग की मरम्मत/नवीनीकरण का कार्य पूर्ण करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र मियां का पुरा से भोपतपुर सम्पर्क मार्ग के चौड़ीकरण की मांग

131-श्री जोखू लाल यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर, जनपद-इलाहाबाद के अन्तर्गत मियां का पुरा से भोपतपुर जाने वाले सम्पर्क मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु सरकार की कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उसे कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

सम्प्रति प्रश्नगत मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की कोई कार्य योजना प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की कृषि योग्य असिंचित भूमि को सिंचित करने हेतु कार्य योजना की मांग

132-श्री जोखू लाल यादव-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की कुल कितनी हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि असिंचित है ? क्या सरकार द्वारा उक्त असिंचित भूमि के सिंचाई हेतु कोई कार्य-योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रदेश में कुल 58.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र असिंचित हैं।

वर्तमान में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना तक मुख्य एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से 11.70 लाख हेक्टेयर तथा राजकीय लघु सिंचाई परियोजनाओं से 3.60 लाख हेक्टेयर (कुल 15.30 लाख हेक्टेयर) अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजन का लक्ष्य निर्धारित है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य प्रगति में है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के छपरौली वाया सूप रढोड़ा मार्ग के निर्माण हेतु अधिग्रहीत किसानों की भूमि के मुआवजे के सम्बन्ध में प्रस्ताव

133-डा0 अजय तोमर-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता के पत्र के सन्दर्भ में कम्प्यूटर संख्या-सी0-10184284 पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम/

1184284/2008 द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण दिनांक 07-07-08 को सम्बोधित तथा जो जनपद बागपत के0डी0वाई0 रोड बगल से छपरौली बाया सूप रठोड़ा मार्ग के निर्माण हेतु अधिग्रहण की गयी किसानों की भूमि के मुआवजा देने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जनपद-बागपत में दिल्ली यमनोत्री मार्ग बराल में छपरौली बाया सूप राठौड़ा मार्ग में किसानों को ली गयी भूमि के मुआवजे के भुगतान के सम्बन्ध में प्रस्ताव जिलाधिकारी, बागपत/क्षेत्रीय अधिकारियों से शासन में प्राप्त हो चुका है जिसके सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बागपत के ग्राम बड़ौली निवासी श्री आनन्द के बकाया गन्ना भुगतान के सम्बन्ध में प्राप्त कथित पत्र पर कार्यवाही की मांग

134-डा0 अजय तोमर-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय का प्रेषित पत्र कम्प्यूटर संख्या सी-10184144 पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम/184144/2008, दिनांक 4-7-08, जो जनपद बागपत के ग्राम बड़ौली निवासी श्री आनन्द के बकाया गन्ना भुगतान के सम्बन्ध में था, प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

सम्बन्धित कृषक के समस्त देय गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है।

जनपद महामायानगर के अम्बेडकर ग्राम जारऊ से मजरे बास दल्ती के अपूर्ण मार्ग को पूर्ण कराने की मांग

135-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-महामायानगर के अम्बेडकर ग्राम जारऊ से मजरे बास दल्ती का अपूर्ण मार्ग कब से निर्माणाधीन है ? क्या इस मार्ग के लेपन स्तर तक निर्माण कार्य शासन द्वारा कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रश्नगत निर्माणाधीन मार्ग का कार्य अगस्त, 2006 से अपूर्ण था जिसे माह मई, 2008 में पूर्ण किया जा चुका है।

उपर्युक्तानुसार।

श्री धर्म सिंह, सेवानिवृत्त स्थाई लिपिक सहकारी गन्ना समिति, मोदीनगर के भविष्य निधि के अन्तिम भुगतान एवं ग्रेच्युटी के भुगतान की मांग

136-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 सहकारिता गन्ना संघ लिमिटेड, लखनऊ को सम्बोधित पत्र दिनांक 20-02-2008, जो धर्मवीर सिंह, सेवानिवृत्त स्थायी लिपिक सहकारी गन्ना समिति, मोदीनगर के भविष्य निधि के अंतिम भुगतान एवं ग्रेच्युटी के भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में है, उन्हें पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी हां।

भविष्य निधि की धनराशि रु0 69,446.00 का भुगतान दिनांक 19-12-2008 का तथा ग्रेच्युटी की धनराशि रु0 136,467.00 का भुगतान दिनांक 3-2-2009 को किया जा चुका है।

जिला गन्ना अधिकारी, बरेली के कार्यालय के निर्माण हेतु आवंटित धन की जानकारी

137-श्री छत्रपाल सिंह-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गन्ना अधिकारी, बरेली के कार्यालय के निर्माण हेतु सहकारी गन्ना विकास समिति हेतु (बरेली) द्वारा रु0 10 लाख मई, 2008 में दिये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त धनराशि से अब तक कौन से कार्य कराये गये ? यदि नहीं, तो उक्त धनराशि किस खाते में किसके आदेश से रखी गई है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के मोहल्ला अजीजगंज को जल भराव से बचाने हेतु बांध बनवाने की मांग

138-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर में दिनांक 24-9-2008 को आई भयंकर बाढ़ में अजीजगंज के 3000 से अधिक लोग बन्धा न होने के कारण प्रभावित हुये तथा सैकड़ों लोग मोहल्ला खाली करके सड़कों पर पांच दिन तक पड़े रहें ? क्या यह सही है कि नीची कुर्सी के मकानों में आज भी पानी भरा हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार मुहल्ला अजीजगंज को डूबने से बचाने के लिये 10,000 आबादी वाले इस क्षेत्र में उत्तर की ओर एक बंधा बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

दिनांक 24-9-2008 को शाहजहांपुर में बाढ़ अवश्य आई परन्तु अजीजगंज मोहल्ले के लोग सड़कों पर नहीं रहे।

जी नहीं।

जी नहीं। मोहल्ला अजीजगंज को बाढ़ से बचाने हेतु पूर्व वर्षों में बाबा बर्मदेव से मौजमपुर पम्प कैनाल तक बन्धा बनवाया गया था। कालान्तर में कुछ लोग नदी के डूब क्षेत्र में बस गये थे। दिनांक 24-9-2008 को अप्रत्याशित रूप से बाढ़ आने के कारण डूब क्षेत्र में बसे लोगों के मकान तक पानी आया जो दो दिन पश्चात् स्वतः निकल गया एवं कोई क्षति नहीं हुई। अतः मोहल्ला अजीजगंज के उत्तर की ओर बंधा बनाये जाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला मार्गों के किनारे पड़ने वाले ग्रामों की जल निकासी हेतु नाली (नाला) बनवाने की योजना की मांग

139-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय मार्ग, राज्य मार्ग एवं जिला मार्गों के किनारे पड़ने वाले गांवों में मार्गों के दोनों किनारे की ओर जल निकासी हेतु नाली (नाला) बनाने पर क्या सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उस योजना का प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

जनपद बागपत के बरनावा विधान सभा क्षेत्र में बरनावा से दाहा तक सड़क निर्माण में की गयी अनियमितता सम्बन्धी प्राप्त कथित पत्र पर कार्यवाही की मांग

140-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र में बरनावा से दाहा तक सड़क निर्माण में अनियमितता के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, लोक निर्माण, उ0 प्र0 को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 2027/रालोद/विधान मण्डल दल/08, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या प्राप्त पत्र पर टी0 ए0 सी0 द्वारा जांच कराये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की रतनखण्ड योजना के भूखण्ड मालिकों को कब्जा दिलाये जाने की मांग

141-श्री लालजी यादव-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखनऊ स्थित लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजना रतनखण्ड में आवंटित भूखण्ड मालिकों को कब्जा अब तक न दिये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार आवंटियों को कब्जा दिलाने व अवशेष कार्यों को पूर्ण कराकर बचे हुये लोगों की रजिस्ट्री कराने हेतु आदेश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजना रतनखण्ड में आवंटित भूखण्ड मालिकों को कब्जा में विलम्ब का मुख्यतः कारण मुआवजा सम्बन्धी विवाद एवं योजना की भूमि गड्ढे में स्थित होना है। वर्तमान में स्थल पर 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण कराया जा चुका है तथा कुल 1298 भूखण्डों में से 771 भूखण्डों के रजिस्ट्री की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है एवं प्राधिकरण द्वारा अभी तक 13 आवंटियों को भौतिक कब्जा प्रदान किया जा चुका है। प्राधिकरण द्वारा उक्त योजना में अवशेष विकास कार्य माह अक्टूबर, 2009 तक पूर्ण करा लिया जायेगा।

कार्यवाही प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के कतिपय ग्रामों में राजकीय नलकूप लगवाने की मांग

142-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के पट्टी, आसपुर देवसरा, बल्खरनाथ धाम, मंगरौरा में कितने राजकीय नलकूप वित्तीय वर्ष 2008-09 में स्थापित करने हेतु प्रस्तावित किये गये और उन्हें कब तक स्थापित कर चालू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

वर्ष 2008-09 में मात्र विकास खण्ड मंगरौरा के ग्राम शेखपुर में एक नया राजकीय नलकूप प्रस्तावित किया गया है। उक्त नलकूप वर्ष 2009-2010 में चालू किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र के नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने एवं सफाई की कार्य योजना की मांग

143-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र पट्टी जनपद-प्रतापगढ़ में किसानो को सिंचाई हेतु नहरों से पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार

नहरों की सफाई तथा उसके टेल तक पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं। वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना लागू होने से पूर्व कृषकों को नहरों से पर्याप्त पानी कठिनाई से उपलब्ध हो रहा था, किन्तु वर्तमान में वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना से नहरों के रिहैब्लिटेशन के कार्यों के अन्तर्गत आन्तरिक सेक्शन के सुधार का कार्य होने के कारण कृषकों को सिंचाई हेतु नहरों से पर्याप्त पानी उपलब्ध हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नहरों के सुधार की परियोजना लागू है।

जनपद सहारनपुर के अम्बेडकर ग्राम मरोडगढ़ ब्लाक सरसावा की क्षतिग्रस्त मुख्य सड़क की मरम्मत की मांग

144-श्री इमरान मसूद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सहारनपुर के अम्बेडकर ग्राम मरोडगढ़ ब्लाक सरसावा की मुख्य सड़क लगभग डेढ़ कि0मी0 क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो उक्त सड़क की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

प्रश्नगत सड़क की कार्यदायी संस्था गन्ना विकास परिषद् सरसावा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में धनराशि उपलब्ध न होने के कारण मरम्मत कार्य नहीं कराया जा सका। आगामी वित्तीय वर्ष में धनराशि की उपलब्धता पर कार्य कराया जायेगा।

जनपद इलाहाबाद की आवास विकास कालोनी झूंसी के पार्कों के सौन्दर्यीकरण हेतु कार्य-योजना पर कार्यवाही की मांग

145-श्री जोखू लाल यादव-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-इलाहाबाद में स्थित आवास विकास कालोनी झूंसी के पार्कों का सौन्दर्यीकरण हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है और कब तक पूर्ण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा संचालित झूंसी योजना संख्या-2 एवं 3 इलाहाबाद में स्थित पार्कों के मरम्मत व निर्माण हेतु अवस्थापना मद में अन्तर्गत रु0 15,38,160.00 की धनराशि की स्वीकृति मण्डलायुक्त, इलाहाबाद की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिनांक 6-1-2009 में प्रदान की गई है जिसे शीघ्र पूर्ण कराये जाने का प्रस्ताव है।

प्रदेश के गन्ना किसानों को (उ0 प्र0 गन्ना आपूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत बकाया भुगतान को ब्याज सहित भुगतान किये जाने की मांग

146-श्री चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2008 के पहले बुधवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 14 के उत्तर के संदर्भ में क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1994-95 के गन्ना मूल्य का पूरा भुगतान सरकार कब तक करायेगी ? क्या सरकार वर्ष 1994 से वर्ष 2008 के मध्य उक्त (उ0 प्र0 गन्ना आपूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत विलम्बित गन्ना मूल्य पर ब्याज सहित भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

चीनी मिल गौरी बाजार व आनन्द नगर पर वर्ष 1994-95 का कुल रुपये 1.57 करोड़ गन्ना मूल्य अवशेष है। उक्त चीनी मिलें वी0आई0एफ0आर0 के अन्तर्गत पंजीकृत है, जिसके तहत चीनी मिलों को परिसम्पत्तियों को बिक्री पूर्ण होने के उपरान्त ही गन्ना मूल्य का भुगतान हो सकेगा।

प्राविधानित नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

सहारनपुर मण्डल की माइनर पाण्डूखेड़ी में पानी टेल तक पहुंचाने की व्यवस्था की मांग

147-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर मण्डल के अन्तर्गत पड़ने वाले माइनर पाण्डूखेड़ी में वर्षों से पानी की आपूर्ति नहीं हो पायी है और न ही टेल तक पानी पहुंचता है ? यदि हां, तो क्या सरकार माइनर पाण्डूखेड़ी में पानी की आपूर्ति व टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दकी-

माईनर पाण्डुखेरी में पानी की आपूर्ति में कभी भी कोई व्यवधान नहीं रहा है तथा प्रत्येक फसल में पानी टेल तक पहुंचता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत अधूरे पड़े भंवरनाथ तहबरपुर मार्ग को शीघ्र पूर्ण कराने की मांग

148-श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आजमगढ़ के अन्तर्गत भंवरनाथ तहबरपुर मार्ग, जिसकी लम्बाई लगभग 10 कि0मी0 है का धनाभाव के कारण निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है जिससे क्षेत्रीय लोगों को आवागमन में काफी असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या इस अधूरे पड़े मार्ग का निर्माण कार्य सरकार शीघ्र पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री. नसीमुद्दीन सिद्दकी-

जी नहीं।

वर्तमान में कार्य प्रगति पर है तथा यह मार्ग यातायात के लिए चालू हालत में हैं।

जी हां।

अप्रैल, 2009 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत खोजापुर हौसपुर के पास निर्माणाधीन टोंस नदी के पुल को शीघ्र पूर्ण कराने की मांग

149-श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आजमगढ़ के अन्तर्गत टोंस नदी पर खोजापुर हौसपुर के पास हो रहे पुल का निर्माण कार्य धनाभाव के कारण रुका है जिससे वहां के लोगों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस अधूरे पुल तथा सड़क का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दकी-

जी हां।

पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अतः आवागमन में कठिनाई होना स्वाभाविक है।

जी हां।

अप्रैल, 2009 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत बेलवा बनहरा मार्ग पर टोंस नदी पर अधूरे पड़े पुल के निर्माण को जनहित में शीघ्र करवाने की मांग

150-श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आजमगढ़ अन्तर्गत बेलवा बनहरा मार्ग पर टोंस नदी पर पुल का निर्माण कार्य पूर्ण न होने से क्षेत्रीय जनता को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार शेष अधूरे कार्य को शीघ्र पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

पुल निर्माणाधीन है, अतः आवागमन में कठिनाई होना स्वाभाविक है।

जी हां।

वित्तीय संसाधनो की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत सियरदह गयासपुर सीलनी नदी पर अधूरे पड़े पुल के शीघ्र निर्माण कराने की मांग

151-श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आजमगढ़ अन्तर्गत सियरदह गयासपुर सीलनी नदी पर पुल का निर्माण कार्य अधूरा होने के कारण इसी वर्ष नाव दुर्घटना में लगभग 11 स्कूली बच्चों की डूबकर मृत्यु हो गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधूरे पुल को शीघ्र पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दकी-

जी हां।

जी हां।

आयुक्त, आजमगढ़ के माध्यम से प्रतीक्षित संशोधित आगणन प्राप्त होने के बाद।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के सदर विधान सभा क्षेत्र की नदियों पर पुलों एवं पुलियों के निर्माण हेतु धन उपलब्ध कराने की मांग

152-श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आजमगढ़ के सदर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्ष 2006-2007 के अन्तर्गत नदियों पर बनाये जाने वाले स्वीकृत पुल और पुलियों के निर्माण हेतु धन उपलब्ध कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दकी-

जनपद आजमगढ़ के सदर विधान सभा क्षेत्र हेतु वर्ष 2006-2007 में कोई पुल और पुलिया स्वीकृत नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड-2 सुल्तानपुर द्वारा मेसर्स रमा क्लाथ हाउस चौक, सुल्तानपुर से क्रय की गयी शीतकालीन वर्दी के भुगतान की मांग

153-श्री अनूप सण्डा-

क्या सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड-2 सुल्तानपुर ने अपने पत्रांक संख्या-1052, दिनांक 10-5-2005 मुद्रांक 8387.00, पत्रांक संख्या-660, दिनांक 22-3-2006 मुद्रांक 9792.90, पत्रांक संख्या-661, दिनांक 22-3-2006, मुद्रांक 7164.60 पत्रांक संख्या 662, दिनांक 22-3-2006, मुद्रांक 1076.86, द्वारा शीतकालीन वर्दी/आफिस के लिये दरी इत्यादि मेसर्स रमा क्लाथ हाउस चौक, सुल्तानपुर के यहां से क्रय किया गया है ? यदि हां, तो क्या क्रय की गयी सामग्री का भुगतान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या

भुगतान न करने वाले दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के गुड़ उत्पादक किसानों हेतु कल्याणकारी योजना एवं क्रेशर मशीनों पर लगने वाले सरकारी टैक्स के माफी की मांग

154-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष 2007 में प्रदेश में गुड़ का कुल कितना उत्पादन हुआ ? क्या यह उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में कम है ? क्या सरकार गुड़ उत्पादन मे लगे हुये किसानों के लिये कोई कल्याणकारी योजना बनायेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार क्रेशर मशीनों पर लगने वाले सरकारी टैक्स को माफ करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दकी-

लाइसेंसकृत खाण्डसारी इकाइयों द्वारा वर्तमान पेराई सत्र 2007-08 में माह जून, 2008 तक 11.50 लाख कुन्तल गुड़ का उत्पादन किया गया है।

जी नहीं।

गुड़ उत्पादन में लगे हुए किसानों को भारत सरकार द्वारा गन्ना नियंत्रण आदेश-1966 में निहित प्रतिबंधो से मुक्त कर दिया गया है, तदनुक्रम में प्रदेश सरकार द्वारा गुड़ उत्पादन करने वाली खाण्डकारी, इकाइयों को लाइसेंस व परिमिट से मुक्त करने पर विचार किया जा रहा है। खड़े कोल्हुओं को पहले ही लाइसेंस से मुक्त किया जा चुका है।

खाण्डसारी इकाइयों (क्रेशर मशीनों) पर सरकारी टैक्स को माफ करने हेतु विद्यमान नियमों/प्राविधानों में कोई व्यवस्था नहीं है।

जनपद महामायानगर, विकास खण्ड सादाबाद की ग्राम सभा कजरौठी में नगला से गिजरौला के अपूर्ण मार्ग के निर्माण की मांग

155-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड सादाबाद, जनपद-महामायानगर की ग्राम सभा कजरौठी में नगला भूतिया से गिजरौला के अपूर्ण मार्ग का निर्माण लेपन स्तर तक कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दकी-

प्रश्नगत अपूर्ण मार्ग का कार्य 11/08 में पूर्ण किया जा चुका है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद एटा में जिला योजना लोक निर्माण विभाग द्वारा कतिपय मार्गों के निर्माण की योजना

156-श्री कुबेर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे, कि जिला योजना वर्ष 2008-09 में सम्मिलित कर प्राथमिकता पर पूर्ण कराकर अवगत कराने के कार्यालय आदेश मुख्य विकास अधिकारी, एटा के पत्रांक 669/अ0 एवं स0/मा0 जन0प्रति0-प्रस्ताव/2008-09 दिनांक 6-10-08 जो अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, एटा को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित, उक्त छः मार्ग क्रमशः जलेसर आगरा मार्ग से मनीगढ़, जलेसर आगरा मार्ग से नगला बीरी, जलेसर इसौली मार्ग से नगला कांसे, जलेसर इसौली मार्ग से गढ़िया मौजमपुर, जलेसर सिकन्दराराऊ मार्ग से पिलखतरा तथा जिनावली मिर्जापुर मार्ग से नगला खड़ी तक पूर्ण करा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण करा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी नहीं। प्रश्नगत समस्त मार्ग लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के कतिपय मोहल्लों के बी0पी0एल0 के पात्रों को अन्त्योदय योजान्तर्गत राशन कार्ड उपलब्ध कराने की मांग

157-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि शाहजहांपुर के मो0 गदियाना, मो0 हाथी थान, मो0 महमंद हद्दफ, मो0 सराय काइया, अजीजगंज अब्दुल्लागंज के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 90 प्रतिशत लोगों के राशन कार्ड नहीं बन सके हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त राशन कार्ड अति गरीबों को पहले उपलब्ध कराने हेतु कोई नीति बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

शाहजहांपुर के प्रश्न में उल्लिखित मोहल्लों में दिये गये राशन कार्डों का विवरण निम्नवत् है:--

मोहल्ला	बी0पी0एल0	अन्त्योदय
गदियाना	28	13
हाथीथान	99	81

मोहल्ला	बी0पी0एल0	अन्त्योदय
महमद हद्दक	--	--
सराय काइया	01	01
अजीजगंज	90	55
अब्दुल्लागंज	82	29

भारत सरकार के लक्ष्य के अन्तर्गत जनपद शाहजहांपुर के लिए आवंटित लक्ष्य के अनुसार राशन कार्ड निर्गत किये हैं। सम्प्रति कोई नीति शासन के विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में नदियों पर बने पुलों पर वसूले जाने वाले टोल टैक्स को समाप्त किए जाने की मांग

158-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ में नदियों पर बने किन-किन पुलों पर टोल टैक्स लिया जा रहा है और उसे कब तक समाप्त कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद प्रतापगढ़ में निम्नलिखित 14 पुलों पर टोल टैक्स की वसूली की जा रही है।

1-गायघाट, 2-कादीपुरघाट, 3-तेजगढ़घाट, 4-गोपालपुरघाट, 5-जामतालीघाट, 6-बकुलाही घाट, 7-लोनी घाट, 8-सिघनी घाट, 9-धुइसरनाथ सेतु, 10-मट्टननाला सेतु, 11-रामपुर कसिया सेतु, 12-मट्टन नाला सेतु (चाहिन मार्ग पर), 13-मट्टन नाला सेतु (परानीपुर नसीरपुर ननौती कुम्भी आइमा मार्ग पर), 14-बीरशाहपुर सेतु।

उक्त सेतुओं पर शासकीय अधिसूचना दिनांक 31-3-2004 के प्राविधानों के अनुसार पथकार का उदग्रहण उस समय तक है जब तक कि उसके निर्माण की कुल लागत, जिसके अन्तर्गत पुल के निर्माण पर किये गये कुल व्यय पर ब्याज भी सम्मिलित है, पथकर की वसूली में और उसके रख-रखाव पर हुआ व्यय पूर्ण रूप से वसूल न हो जाय अथवा उस पुल पर पथकर लगाने के प्रथम दिनांक से अथवा 50 वर्ष की अवधि तक जो भी पहले हो, किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद रायबरेली के हैदरगढ़ से बछरावां तक सड़क के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रारम्भ कराने की मांग

159-श्री राजाराम त्यागी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-रायबरेली के अन्तर्गत पड़ने वाला सड़क वादा-बहराइच स्टेट हाइवे-13 को हैदरगढ़ से बछरावां तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर कब तक कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं में बढ़ती नशाखोरी की रोकथाम हेतु ग्रामीण क्षेत्रों की शराब की दुकान को समाप्त कराने की मांग

160-श्री जोखू लाल यादव-

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं में बढ़ती हुई नशाखोरी को दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की दुकानों को समाप्त कर उन्हें केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित रखने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र व शहरी क्षेत्र का विभाजन ऐसा नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को शहरी क्षेत्र में आने अथवा शहरी क्षेत्र से मदिरा प्राप्त कर उसका उपभोग करने से रोका जाये। ग्रामीण क्षेत्र में मदिरा के अवैध अड्डे विकसित होने, फलस्वरूप जनहानि होने तथा मदिरा व्यवसाय के रोजगार अवसर समाप्त होने आदि कारणों से ग्रामीण क्षेत्र में शराब की दुकानों को समाप्त किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है।

प्रदेश के विकास प्राधिकरणों द्वारा विभागीय अथवा प्रशासनिक कारणों से निरस्त आवंटन के आवंटियों को जमा धनराशि ब्याज सहित अदा करने हेतु नीति निर्धारण की मांग

161-श्री जोखू लाल यादव-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विकास प्राधिकरणों द्वारा विभागीय अथवा प्रशासनिक कारणों से आवंटन निरस्त किये जाने पर आवंटियों द्वारा जमा की गयी धनराशि को ब्याज सहित लौटाने हेतु शासन स्तर पर क्या कोई नीति निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो उक्त नीति का अनुपालन विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद द्वारा क्या किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां। शासनादेश संख्या-4049/9-आ-1-99/16 समिति/1998, दिनांक 20-11-99 द्वारा सम्पत्तियों की कास्टिंग के लिये मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी किये गये हैं।

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण की अपनी आवंटन नियमावली में आवंटन निरस्त किये जाने पर आवंटियों द्वारा जमा की गयी धनराशि को ब्याज सहित लौटाने का प्रविधान नहीं है। भवन/भूखण्ड न उपलब्ध कराने की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा आवंटी की जमा धनराशि प्राधिकरण कोष में एक वर्ष रहने पर 06 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिया जाता है तथा आवंटन निरस्तीकरण पर कटौती नहीं की जाती है।

उपाध्यक्ष, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण को शासनादेश दिनांक 03 फरवरी, 2009 द्वारा उक्त मार्गदर्शक सिद्धान्त/नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

जनपद इलाहाबाद के प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र हेतु पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश एवं जिलांश स्तर पर स्वीकृत निर्माण कार्यों के विवरण की मांग

162-श्री जोखू लाल यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के लिये पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश एवं जिलांश से वर्ष 2007-08 में कौन-कौन मार्ग निर्माण हेतु स्वीकृत किये गये हैं तथा उन मार्गों पर कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत है ? क्या उक्त मार्गों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है ? यदि नहीं, तो उसे कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 में कोई निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं था।

पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश) सामान्य मद एवं एस0सी0पी0 मद के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विवरण निम्नवत् है :

सामान्य मद

क्रम सं0	परियोजना का नाम	स्वीकृत धनराशि (रु0 लाख में)
1	2	3
1	दलपतपुर बलराम बालिका हाईस्कूल से चांदीपारा का निर्माण	9,936

एस0सी0पी0 मद

1	दलपतपुर से चांदीपारा जाने वाले मार्ग का निर्माण	9,697

जी नहीं।

कार्य माह 03/2009 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

बिनौली विधान सभा क्षेत्र से अमीनगर सराय तक सड़क निर्माण हेतु किसानों की अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे के भुगतान की मांग

163-श्री चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 07-10-08 जो विधान सभा क्षेत्र बिनौली से अमीनगर सराय तक सड़क निर्माण में किसानों के मुआवजे के

सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां। प्रकरण में 440 कृषकों को रु0 37.28 लाख का प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा अवशेष कृषकों को प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामसभा मुहीउद्दीनपुर में एक राजकीय नलकूप लगाने की मांग

164-श्री जोखू लाल यादव-

क्या सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा-मुहीउद्दीनपुर, विकास खण्ड-प्रतापपुर में एक राजकीय नलकूप लगाया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त राजकीय नलकूप को कब तक लगा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

जी हां।

जनपद इलाहाबाद, विकास खण्ड प्रतापपुर के ग्राम मोहीउद्दीनपुर में एक राजकीय नलकूप वित्तीय वर्ष 2008-09 में लगा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में लगे राजकीय नलकूपों की संख्या तथा रिबोरिंग कराने की मांग

165-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बांदा में कुल कितने राजकीय नलकूप हैं तथा उनमें से कितने चालू तथा कितने यांत्रिक/विद्युत दोष के कारण खराब हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि नलकूप संख्या-31 झंझरी जसपुरा का नलकूप फेल है ? यदि हां, तो क्या उक्त नलकूप कब तक रिबोर करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

जनपद बांदा में कुल स्थापित नलकूपों की संख्या-511 है, जिनमें से चलित नलकूपों की संख्या-445 है। उक्त चलित नलकूपों में से 10 राजकीय नलकूप यांत्रिक दोष एवं 06 राजकीय नलकूप विद्युत दोष से खराब हैं।

जी हां।

नलकूप संख्या-31 मझरी जसपुरा का रिबोर मार्च, 2009 तक करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के ब्लाक पूरा बाजार के अधूरे पड़े निर्माण कार्य को पूर्ण कराने की मांग

166-श्री लल्लू सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक पूरा बाजार जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत दर्शन नगर से कल्लू पुरवा मार्ग लम्बाई 3 कि0 मी0 में से दो कि0मी0 का कार्य पूर्ण करा लिया गया है ? यदि हां, तो अवशेष एक कि0मी0 का कार्य सरकार कब तक पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद में विल्हर घाट से दिलासीगंज तक बांध का निर्माण कराने की मांग

167-श्री लल्लू सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-फैजाबाद में विल्हर घाट से दिलासीगंज तक बन्धे का निर्माण कार्य प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त बन्धे का निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

धन की उपलब्धता होने पर।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद खीरी स्थित सुहेली जोरा नाले खैरीगढ़ निर्माणाधीन पुल के पूर्ण कराने की मांग

168-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-खीरी स्थित सुहेली जोरा नाले खैरी गढ़ पर चल रहे पुल का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो पुल का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं। पुल अभी निर्माणाधीन है।

पुल का निर्माण कार्य माह 5/09 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के विकास खण्ड मलिहाबाद के ग्राम पंचायत कहला की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान निरस्त किये जाने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही की मांग

169-श्री चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-2-2008 जो ग्राम पंचायत कहला वि0ख0 मलिहाबाद जनपद-लखनऊ की सरकारी सस्ते गल्ले

की दुकान निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी हां।

प्रकरण में जांचोपरान्त शिकायती बिन्दुओं की पुष्टि नहीं हुई।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक मंगरौरा के ग्राम मदुरा रानीगंज परशुरामपुर के बी0 पी0 एल0 राशन कार्ड धारकों के अनाज वितरण की व्यवस्था की मांग

170-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के ब्लाक मंगरौरा के ग्राम मदुरा रानीगंज परशुरामपुर में गरीबी रेखा व अन्त्योदय के कितने कार्ड अभी तक बने हैं ? क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि ग्राम मदुरा रानीगंज एवं परशुरामपुर में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी कार्ड धारकों को पिछले कई माह से अनाज नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे कार्ड धारकों को अनाज का वितरण ठीक प्रकार से कराने की व्यवस्था करायेगी एवं दोषी कोटेदारों का कोटा निरस्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मंगरौरा के ग्राम सभा मदुरा रानीगंज में बी0पी0एल0 योजना के 59 एवं अन्त्योदय योजना के 36 राशन कार्ड तथा ग्राम सभा परशुरामपुर में बी0पी0एल0 के 74, अन्त्योदय योजना के 46 राशन कार्ड प्रचलित हैं।

ग्राम सभा मदुरा रानीगंज एवं परशुरामपुर के सभी बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय कार्ड धारकों को हर माह राशन प्राप्त हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद में अल्पसंख्यक की बेटियों के विवाह हेतु शासन से मिलने वाले अनुदान की जानकारी

171-श्री अवधेश प्रसाद-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अल्पसंख्यक लोगों की बेटियों की शादी के लिए जो शासन से अनुदान मिलता है उसमें से इस साल कितनी धनराशि जनपद-फैजाबाद को प्राप्त हुयी है ? क्या उस धनराशि से पात्रता की सूची में आये सभी लोगों को अनुदान मिल गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अनीस अहमद खां)-

अल्पसंख्यक समुदाय की पुत्रियों की शादी के लिये वित्तीय वर्ष 2008-09 में जनपद फैजाबाद को रु0 10.20 लाख की धनराशि से पात्रता की सूची में आये सभी को अनुदान नहीं मिल पाया है क्योंकि पात्रता की सूची में अधिक लोग हैं।

उत्तर प्रदेश सचिवालय के सिंचाई अनुभागों में कार्यरत बाहरी कर्मचारियों की सम्बद्धता समाप्त करने की मांग

172-श्री लालजी यादव-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मंत्रिमंडलीय सचिव, उ0प्र0 शासन के आदेश सं0 985/ एम0एम0एस0-111/07 दिनांक 21-7-2007 के विपरीत उत्तर प्रदेश सचिवालय के सिंचाई अनुभागों में कितने बाहरी कर्मचारी सम्बद्ध/तैनात हैं ? क्या सरकार उनकी सम्बद्धता समाप्त करने का निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दकी-

उत्तर प्रदेश सचिवालय के सिंचाई अनुभागों में कोई बाहरी कर्मचारी सम्बद्ध/तैनात नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर के सिकन्दराराऊ विधान सभा क्षेत्र के पेयजल की समस्या के निदान की मांग

173-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में भीषण गर्मी एवं सूखे के कारण विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराराऊ जनपद-महामायानगर में तालाबों एवं जलाशयों के सूख जाने से जानवरों के लिए पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दकी-

जी नहीं।

विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराराऊ जनपद महामायानगर में पड़ने वाले कुल 47 तालाब/पोखरों को दिनांक 30-6-08 तक भरा जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर के कतिपय ग्रामों में पोखरों के रिटेनिंग वाल बनवाये जाने की मांग

174-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-महामायानगर में कस्बा सादाबाद से जनपद-मथुरा से कस्बा राया जाने वाले मार्ग पर ग्राम-कजरौठी व ग्राम मीरपुर से सड़क पोखरों (तालाबों) के किनारे पर है ? क्या उक्त दोनों स्थलों पर वाहन प्रायः दुर्घटना ग्रस्त होते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार पोखरों के रिटेनिंग वाल का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दकी-

मार्गों के किनारे स्थित तालाबों की रिटेनिंग वाल (पुस्ता) बनाये जाने हेतु रु0 26.87 लाख की धनराशि स्वीकृत कर दी गयी है। कार्य माह मार्च, 2009 तक पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बागपत से निकलने वाले इस्टर्न फेरिफेरल एक्सप्रेस हाइ-वे की अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

175-डा0 अजय तोमर-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र कम्प्यूटर संख्या-सी0 10183299 पत्र संख्या-सी0एम0/ वि0को0/एम-/183/99/2008, जो जनपद बागपत से निकलने वाले इस्टर्न फेरिफेरल एक्सप्रेस हाई-वे की अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे के सम्बन्ध में था तथा मुख्य मंत्री कार्यालय द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव राजस्व एवं आपदा को दिनांक 20-6-08 को भेजा गया था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दकी-

जी हां।

जनपद में प्रस्तावित, ईस्टर्न पैरीफेरल नेशलन हाई-वे के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा कुल 216.83 हेक्ट0 अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर नेशनल हाई-वे एक्ट-1956 की धारा 3जी के प्राविधान के अनुसार तत्समय प्रचलित सर्किल रेट को बाजारी दर घोषित करते हुए अंकन रु0 59.58 करोड़ निर्धारित किया गया है, जिसे कृषकों ने अप्राप्त मानकर नेशनल हाई-वे एक्ट के अन्तर्गत नियुक्त आर्बीट्रेटर/जिलाधिकारी, बागपत के समक्ष माह दिसम्बर, 2008 में योजित 10 माह जनवरी, 2009 में योजित 17 पंचाट केसों सहित अभी तक कुल 344 पंचाट केस प्रतिकर बढ़ाये जाने हेतु प्रस्तुत किये गये हैं, जिनमें माह, अगस्त, 2008 में सुनवाई प्रारम्भ कर प्रक्षकार भा0रा0रा0प्रा0, नई दिल्ली द्वारा परियोजना निदेशक, प्रोजेक्ट इम्प्लीटेशन यूनिट, फरीदाबाद (हरियाणा) को उत्तर दाखिल करने का अवसर देते हुए कृषकों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है।

अभी कृषक इन पंचाट केसों में अपने पक्ष में प्रतिकर बढ़ाये जाने हेतु प्रभावित ग्राम के बैनामे सहित आस-पास ग्रामों के बैनामों को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। कृषकों द्वारा प्रस्तुत इन पंचाट केसों में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर अभी और साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने हेतु समय प्रदान करने की प्रार्थना की गयी है। कृषकों की प्रार्थना को स्वीकार कर आर्बीट्रेटर/जिलाधिकारी, बागपत द्वारा कृषकों को अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अवसर प्रदान करते हुए ग्रामवार दिनांक 4-2-09 से दिनांक 22-02-09 तक की तिथियां कृषकों के साक्ष्य हेतु प्रस्तुत की गयी हैं। इस अवधि में भा0रा0रा0प्रा0, नई दिल्ली भी अपने साक्ष्य (माह दिसम्बर,2008 व जनवरी, 2009 में योजित पंचाट केसों में उत्तर दाखिल करने सहित) प्रस्तुत करेगा। तदोपरान्त साक्ष्यों के आधार पर इन पंचाट केसों में प्रतिकर के सम्बन्ध में कोई निर्णय पारित किया जाना सम्भव हो सकेगा।

जनपद में किसी भी कृषक को बल पूर्वक मुआवजा प्राप्त करने के लिये विवश नहीं किया गया है। अभी तक कुल 277 कृषकों ने स्वेच्छा से (कुल प्रभावित कृषक 1928) अंकन रु0 4.85 करोड़ प्रतिकर के रूप में प्राप्त कर अधिग्रहीत भूमि पर भा0रा0रा0प्रा0, नई दिल्ली को कब्जा हस्तान्तरित करने के लिये हस्ताक्षर किये हैं।

ग्राम लहचौड़ा व सिंगौली, तगा में चकबन्दी के विवादित कृषकों को दबाव देकर या किसी और कारण से प्रतिकर का भुगतान नहीं किया गया है। चकबन्दी प्रक्रियाओं की समाप्ति के उपरान्त उत्तर प्रदेश जोत अधिनियम, 1960 की धारा-52 के प्रकाशन के उपरान्त चकबन्दी अधिकारियों द्वारा तैयार किये गये अन्तिम अभिलेख जोत चकबन्दी आकार-पत्र 45 के आधार पर तैयार की गयी खतौनी में अंकित कृषकों को उनकी इच्छानुसार ही प्रतिकर का भुगतान किया गया है। केवल सिंगौली तगा में उन 04 कृषकों को प्रतिकर के चेक वापस करने के लिये नोटिस जारी किया गया था, जिन्होंने अपनी अधिग्रहीत भूमि अन्य व्यक्ति को बेच देने के बावजूद झूठे शपथ-पत्र के आधार पर प्रतिकर के चेक प्राप्त किये थे। फलस्वरूप इन कृषकों ने जिलाधिकारी को लिखित क्षमा याचिका सहित चेक वापस किये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 18 फरवरी, 2009 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 20 सूचनायें प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं :--

पहली सूचना डा0 अजय तोमर की जनपद बागपत में जिला योजना में स्वीकृत कतिपय मार्गों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री प्रदीप जैन आदित्य की झांसी महानगर में स्थित प्रसूति गृह में महिला चिकित्सक की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री अब्दुल वारिस खां की मुजफ्फरनगर के थाना भवन क्षेत्रान्तर्गत कतिपय विकास खण्डों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री इमरान मसूद की जनपद गाजियाबाद की वैशाली आवासीय योजना में कतिपय क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में है।

पांचवीं सूचना श्री राधेश्याम गुप्ता की फतेहपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

छठवीं सूचना श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भैया की फतेहपुर के खागा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा नक्सहरा के पास ससुर खदेरी नदी पर बने जर्जर पुल का पुनर्निर्माण कराने के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना श्री सुरेश्वर सिंह की जनपद बहराइच में बेलहा-घहरौली बांध के टूट जाने के प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराने के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव की वाराणसी के काशी विद्यापीठ ब्लाक में सुसवाही गांव की जल निकासी हेतु नाला बनवाने के सम्बन्ध में है।

नौवीं सूचना श्री प्रजापालन वर्मा की है।

(श्री प्रजापालन वर्मा का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

दसवीं सूचना श्री उदय राज की उन्नाव के विकास खण्ड असोहा अन्तर्गत बेलौरा चौपई मार्ग से देवरा घाट सई नदी पुल तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराने के सम्बन्ध में है।

ग्यारहवीं सूचना श्री कैलाश चौरसिया की है।

(श्री कैलाश चौरसिया का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

बारहवीं सूचना श्री विजय कुमार की जनपद गाजीपुर के कतिपय विकास खण्डों के ठेकमा रजबहा, लालगंज-रजबहा, तराव रजबहा को देवकली पम्प कैनाल से जोड़ने के सम्बन्ध में है।

तेरहवीं सूचना श्री मदन चौहान की गाजियाबाद के पर्यटन स्थल गढ़मुक्तेश्वर में विद्युत आपूर्ति सायं 8.00 बजे करने के सम्बन्ध में है।

चौदहवीं सूचना श्री अनूप कुमार गुप्ता की जनपद सीतापुर के मिश्रिख तहसील का विभाजन कर महौली तहसील बनाने के सम्बन्ध में है।

पंद्रहवीं सूचना श्री राम किशुन की जनपद वाराणसी से ढाबे क्षेत्र के लोगों के आवागमन हेतु रामचन्दीपुर गांव के पास पुल बनवाने के सम्बन्ध में है।

सोलहवीं सूचना श्रीमती सीमा द्विवेदी की जौनपुर के गढ़वारा क्षेत्रान्तर्गत जंगली जानवरों के काटने से कतिपय लोगों की हुई मृत्यु के फलस्वरूप परिजनों को आर्थिक सहायता एवं जंगली जानवरों के आतंक से निजात दिलाने के सम्बन्ध में है।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं उनके नाम निम्न हैं :--

1-श्री हरपाल सिंह 2-श्री उदयभान करवरिया

3-श्री अनूप सण्डा 4-श्री अमरमणि त्रिपाठी

जो दो माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं उनके क्रम में हरपाल सिंह जी और श्री उदयभान करवरिया जी की सूचनायें ली जाती हैं।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गईं।)

जनपद बागपत में जिला योजना में स्वीकृत कतिपय मार्गों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 अजय तोमर-

[जनपद बागपत जो मूल रूप से ग्रामीण पृष्ठ भूमि का जनपद है, इसमें शुगर मिल व मण्डियों तथा अन्य स्थानों पर जाने वाले ग्रामीण मार्ग अत्यन्त दयनीय स्थिति में हैं। इसी को

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दृष्टिगत रखते हुये जनपद बागपत की जिला योजना 2008-09 में प्रभारी मंत्री जी की उपस्थिति में लोक निर्माण विभाग निम्न मार्ग योजना में सम्मिलित कराये गये थे।

1-ग्राम सिनौली से चौबली गांव तक 1.00 कि0मी0।

2-ग्राम हसनपुर जिमानी से ग्राम जिमाना वाया करीमपुर 0.25 कि0मी0।

3-ग्राम फतेहपुर पुट्टी का बाईपास व नाली निर्माण 1.30 कि0मी0।

4-ग्राम ककर्डापुर से ग्राम किरठल 1.50 कि0मी0।

5-ग्राम मलकपुर (हरपाल प्रधान के मकान से) बड़ौत कोताना मार्ग तक 1.50 कि0मी0।

6-ग्राम नांगल में तेजवीर फौजी से बाईपास 0.80 कि0मी0।

7-ग्राम तुगाना बाईपास का अवशेष भाग 0.20 कि0मी0।

8-जिमानी खास से बासौली मार्ग पुनः निर्माण 1.70 कि0मी0।

जिला योजना 2008-09 में स्वीकृत इन मार्गों पर कार्य अभी तक शुरू न हो पाने के कारण क्षेत्रीय नागरिकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः उपरोक्त लोकमहत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कर सरकार से अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूं।]

झांसी महानगर में स्थित प्रसूति गृह में महिला चिकित्सक की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

[मैं इस सदन के माध्यम से जनपद झांसी महानगर में स्थित प्रसूति गृह की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। झांसी महानगर में प्रेमनगर एक ऐसा क्षेत्र है, जहां पर निर्धन एवं मध्यम वर्ग के अधिकांश लोग निवास करते हैं। यह झांसी महानगर का काफी घनी आबादी वाला एवं पुराना इलाका है। यहां पर महिलाओं की डिलीवरी हेतु वर्ष 1996 में एक प्रसूति गृह का निर्माण शासन की तरफ से कराया गया था, जिसमें 20 शैय्या हैं, ओ0टी0 है तथा आपरेशन की भी व्यवस्था है, किन्तु उक्त प्रसूति गृह में कोई डिलीवरी नहीं हुई है, क्योंकि इस प्रसूति गृह में कोई भी महिला चिकित्सक की नियुक्ति सरकार द्वारा नहीं की गयी है। महिला चिकित्सक न होने के कारण क्षेत्र की निर्धन एवं गरीब महिलाओं को अन्यत्र स्थलों पर डिलीवरी हेतु जाना पड़ता है, उन स्थलों की दूरी लगभग 06 से 10 कि0मी0 तक हैं तथा आने-जाने का कोई समुचित साधन भी उपलब्ध नहीं है। इस कारण अनेकों महिलाओं की दर्दनाक मृत्यु भी हो चुकी है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर इस सदन के माध्यम से सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मुजफ्फरनगर के थाना भवन क्षेत्रान्तर्गत कतिपय विकास खण्डों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अब्दुल वारिस खां-

[जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भवन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र प्रमुख रूप से विकास खण्ड ऊन व थाना भवन में विद्युत आपूर्ति मात्र तीन-चार घण्टे हो पा रही है। जिस कारण किसानों को सिंचाई की समस्या व विद्यार्थियों को परीक्षाओं के अध्ययन में बाधा उत्पन्न हो रही है।

जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भवन विधान सभा क्षेत्र में निर्बाध विद्युत आपूर्ति कराने हेतु निम्नलिखित कार्य अविलम्ब कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

1-अतिभारित 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र झिनझांना, पलठेढी (गढी गूजर), हाथी करौदा व ऊन की क्षमता वृद्धि एवं उपकेन्द्रों से संचालित सभी पोषको के जर्जर विद्युत तार बदलवाया जाना।

2-अति पिछड़े क्षेत्र ग्राम ऊदपुर, दथेडा गढी व चौतरा में 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराया जाना।

3-स्वीकृत 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र हथछोया, बुटराडा व गढी पुखता के निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाना।

4-अतिभारित 132 के0वी0 विद्युत केन्द्र झिनझांना (भाडीमाजरा) की क्षमता वृद्धि।

5-विद्युतीकरण से वंचित सभी शेष ग्रामों व मंजरों का सर्वेक्षण करा विद्युतीकरण पूर्ण कराया जाना।

6-कस्बा थाना भवन, ऊन झिनझांना व जलालाबाद में जर्जर विद्युत तारो को बदलवाकर ए0बी0सी0 वायर को लगाया जाना।

अतः उपरोक्त लोकमहत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कर सरकार से अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद गाजियाबाद में वैशाली आवासीय योजना में कतिपय क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री इमरान मसूद-

[जनपद गाजियाबाद में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा वैशाली आवासीय योजना को विकसित कर उक्त आवासीय योजना की सेवाओं को गाजियाबाद नगर निगम को हस्तान्तरित कर दिया गया था परन्तु गाजियाबाद नगर निगम द्वारा वैशाली आवासीय योजना में स्थित सड़कों एवं सफाई व्यवस्था पर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सेक्टर 3 व 4 की सड़कें काफी समय से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः--[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पूर्ण रूप से जर्जर एवं क्षतिग्रस्त हैं। क्षेत्रीय निवासियों द्वारा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों एवं समुचित सफाई व्यवस्था न होने की शिकायत नगर निगम में किये जाने पर गाजियाबाद नगर निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सड़कों के निर्माण व सफाई व्यवस्था का उत्तरदायित्व गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का बताया जाता है। गाजियाबाद नगर निगम एवं विकास प्राधिकरण की परस्पर लड़ाई के कारण उक्त क्षेत्र में समुचित सफाई व्यवस्था न होने तथा क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनः निर्माण न होने से जनसाधारण को अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तथा क्षेत्र में संक्रामक रोगों के फैलने का भय हर समय बना रहता है।

अतः मैं अविलम्बनीय इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर व्यापक चर्चा की मांग करता हूं।]

फतेहपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राधेश्याम गुप्ता-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर, जनपद फतेहपुर के निम्नलिखित मार्गों का निर्माण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर विकास खण्ड मिटौरा के ग्राम वी0वी0 मार्ग से मिश्रामऊ ग्राम हैवतपुर से हसनापुर, ग्राम जैचन्दापुर से सिरसी मलेवा तक, ग्राम अमैय्या सराय से पथुवा तक, जी0टी0 रोड से सेर्नापुर तक, रावतपुर से दुगरेई तक का मार्ग का निर्माण न होने के कारण इस क्षेत्र के निवासियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मार्ग के अत्यन्त घटिया होने के कारण आये दिन दुर्घटनायें होती हैं, और मार्ग के खराब होने के कारण ही अधिकांश मरीज अस्पताल तक समय से नहीं पहुंच पाते हैं जिसके कारण इलाज के अभाव में मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। मार्ग का निर्माण न होने से जनमानस में आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त मार्गों का निर्माण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

फतेहपुर के खागा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा नक्सहरा के पास ससुर खदेरी नदी पर बने जर्जर पुल का पुनर्निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भैया-

[मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र खागा, जनपद फतेहपुर अन्तर्गत नौबस्ता रोड पर ग्राम सभा नकसारा के पास ससुर खदेरी नदी पर बने पुल की हालत अत्यन्त जर्जर है। किसी भी समय उक्त पुल टूट सकता है और कोई अप्रिय घटना भी घट सकती है। उक्त जर्जर पुल का निर्माण न कराये जाने से क्षेत्र के निवासियों को जान-माल का खतरा बना हुआ है। उक्त पुल के निर्माण हेतु जिला स्तर पर काफी प्रयास किये गये परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त पुल का निर्माण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बहराइच में बेलहा-बहरौली बांध के टूट जाने के प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश्वर सिंह-

[मान्यवर, वर्ष 2006 में बेलहा-बहरौली बांध के टूट जाने के कारण इमामगंज शाखा का किमी0 14.350 क्षतिग्रस्त हो गया था। क्षतिग्रस्त मार्ग में विभाग द्वारा रिंग बांध बनाकर नहर चलाई जा रही थी।

अधिशासी अभियन्ता सरयू नहर खण्ड तृतीय बहराइच ने उक्त कार्य की निविदा न आमंत्रित करके सलेक्शन बांड बनाने की अनुमति जनवरी, 2009 में ले ली थी, जबकि 28 फरवरी तक इमामगंज शाखा रोस्टर के आधार पर चलनी है। निविदा आमंत्रित करने का पर्याप्त समय उक्त अधिकारी के पास था, किन्तु अपने चहेते ठेकेदारों को लाभ एवं विभाग को हानि पहुंचाने का कार्य सलेक्शन बाण्ड बनाकर किया गया है, जबकि उक्त कार्य को करने के लिये विभाग के पास लगभग ढाई वर्ष से ऊपर का पर्याप्त समय था।

अतः न्याय हित, राजस्व हित एवं विभागीय हित में यह आवश्यक हो गया है कि सम्पूर्ण प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर गलत आधार पर बनाये सलेक्शन बाण्ड को निरस्त करके दोषी अधिकारी के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने, निविदा कराने के लिये विभागीय आदेशों का पालन सुनिश्चित कराया जाय।

अतः विधान सभा कार्य प्रक्रिया नियमावली के अन्तर्गत नियम-301 के तहत सरकार को सदन में जवाब देने हेतु निर्देशित करें।]

वाराणसी के काशी विद्यापीठ ब्लाक में सुसवाही गांव की जल निकासी हेतु नाला बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव-

[मान्यवर, वाराणसी के काशी विद्यापीठ ब्लाक में सुसवाही एक बड़ा गांव है। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के चहारदीवारी के पीछे स्थित इस गांव में काफी कालोनी भी बन गई है, लेकिन पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। बरसात के समय पानी गांव के मुख्य सड़क पर नाले की तरह बहने लगता है। सड़क का ढाल भी कुछ ऐसा है कि पानी का बहाव बहुत तेज होता है तथा यातायात प्रतिबन्धित हो जाता है। वहां पर स्थित एक बड़ा पोखरा है पानी भी, ओवरफ्लो होकर चारों ओर फैलने लगता है। गांव की आबादी दिनोंदिन बढ़ती जा रही है, जिससे पहले की तरह अब खुला मैदान नहीं है, जहां पानी बह जाय।

नोटः--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसलिये बड़ा जरूरी है कि नाला बनाकर इस पानी की निकासी की व्यवस्था किया जाय। जिला पंचायत का ध्यान इस ओर दिलाया गया था लेकिन वह कुछ कर नहीं पाई, शायद धन की व्यवस्था नहीं कर पाई।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त गांव की पानी निकासी हेतु नाला बनाकर निकाले जाने की व्यवस्था कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करती हूं।]

उन्नाव के विकास खण्ड असोहा अन्तर्गत बेलौरा चौपई मार्ग से देवरा घाट सई नदी पुल तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री उदयराज-

[महोदय, अवगत कराना है कि वर्ष 2004-05 में विकास खण्ड असोहा, जनपद-उन्नाव के अन्तर्गत सई नदी पर देवराघाट पर पुल स्वीकृत हुआ था, जिसका निर्माण कार्य भी पूर्ण हो चुका था। पुल का निर्माण कार्य लगभग 3 वर्ष पूर्व पूर्ण होने के पश्चात् बेलौरा-चौपई मार्ग ग्राम नयाखेड़ा से सई नदी पर पुल तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण जो लगभग 1300 मीटर है उसे निर्माण कराने हेतु स्वीकृत नहीं किया गया है। मार्ग का निर्माण कार्य न होने के कारण जिस उद्देश्य से कि क्षेत्र की जनता को आने-जाने में सुविधा प्राप्त होगी, वह उद्देश्य आज भी पूरा नहीं हो सका है। लगभग 50 ग्रामों के निवासियों को लगभग 20 कि0मी0 की अधिक दूरी तय करके क्षेत्र पंचायत कार्यालय तथा तहसील मुख्यालय जाना पड़ता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए, विकास खण्ड असोहा, जनपद उन्नाव के अन्तर्गत बेलौरा-चौपई मार्ग से देवराघाट सई नदी पुल तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराने हेतु आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।]

जनपद गाजीपुर के कतिपय विकास खण्डों के ठकमा, लालगंज, तराव राजबहों को देवकली पम्प कैनाल से जोड़ने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विजय कुमार-

[महोदय, जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड जखनियां, वि0 खं0 सादात एवं वि0 खं0 सैदपुर में शारदा सहायक नहर से ठेकमा रजबहा, लालगंज रजबहा और तराव रजबहा की शाखाएं निकलती हैं जिसमें लगभग 4-5 वर्षों से पानी नहीं आ रहा है जिससे क्षेत्रीय किसानों की फसलें सिंचाई के अभाव में सूख जाती हैं किसान भुखमरी के कगार पर आ गये हैं। वर्षा ही एक मात्र सहारा है। नहर के होते हुए भी नहर में पानी न आने से क्षेत्रीय किसानों में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए ठेकमा रजबहा, लालगंज रजबहा, तराव रजबहा को देवकली पम्प कैनाल से जोड़ने की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः—| [यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गाजियाबाद के पर्यटन स्थल गढ़मुक्तेश्वर में विद्युत आपूर्ति सायं 8.00 बजे करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन चौहान-

[मान्यवर, जनपद गाजियाबाद में गढ़मुक्तेश्वर बृजघाट जो एक पवित्र गंगा के किनारे बसा एक पौराणिक व धार्मिक स्थल है। सरकार ने इसको हरिद्वार की तर्ज पर विकसित करने की योजना बनाई है। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान करने आते हैं तथा पूर्णिमा व अनेक अवसरों पर लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान करने आते हैं जो रात में भी स्नान करना अच्छा शुभ मानते हैं। विद्युत प्रकाश न होने से कितने ही श्रद्धालु पानी में डूबकर मर चुके हैं। अतः सरकार से विनम्र अनुरोध है कि एक पर्यटन स्थल होने व गंगा स्नान तथा तहसील मुख्यालय की दृष्टि से विद्युत आपूर्ति कम से कम सायं 8 बजे से कराने के लिये मैं शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं।]

जनपद सीतापुर की मिश्रिख तहसील का विभाजन कर महौली तहसील बनाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनूप कुमार गुप्ता-

[मान्यवर, जनपद सीतापुर में कुल 19 विकास खण्ड हैं एवं 6 तहसीलें हैं, सीतापुर तहसील में 4 विकास खण्ड महमूदाबाद एवं बिसवां में तीन-तीन विकास खण्ड सिधौली एवं लहरपुर में मात्र दो-दो विकास खण्ड हैं जबकि मिश्रिख तहसील में 5 विकास खण्ड हैं मिश्रिख तहसील में जनपद के कुल आबाद राजस्व गांवों 2312 में से 650 केवल मिश्रिख तहसील के अर्न्तगत हैं जबकि सिधौली एवं लहरपुर तहसीलों में क्रमशः 216, 212 राजस्व गांव हैं मिश्रिख तहसील आबादी के हिसाब से बड़ी तहसील है जनपद की 10-10 प्रतिशत आबादी सिधौली एवं लहरपुर तहसील का दर्जा पाई हुई है अतः मिश्रिख तहसील में इन तहसीलों से ढाई गुने से भी अधिक आबादी है इसे भौगोलिक दृष्टि से देखा जाये तो मिश्रिख तहसील का भौगोलिक क्षेत्रफल 1545.48 वर्ग कि0मी0 है जो जनपद की दूसरी बड़ी तहसील सीतापुर से डेढ़ गुना है जनपद की दूसरी बड़ी तहसील सीतापुर से सिधौली से लगभग 3 गुना अधिक भौगोलिक से क्षेत्रफल है।

अतः मिश्रिख तहसील का विभाजन किया जाना आवश्यक है और दूसरी तहसील महौली किया जा सकता है। जो जनहित में होगा।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हुये महौली तहसील बनाने की मांग करता हूं।]

जनपद वाराणसी से ढाब क्षेत्र के लोगों के आवागमन हेतु रामचन्दीपुर गांव के पास पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम किशुन-

[महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना है कि जनपद वाराणसी के विकास खण्ड चिरई गांव के अन्तर्गत गंगा नदी से चारों ओर से घिरे ढाब क्षेत्र के

नोटः--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आधा दर्जन गांव आते हैं, जिनकी हालत बहुत ही गम्भीर और चिन्ताजनक है। बरसात के दिनों व बाढ़ आने पर इस क्षेत्र का सम्पर्क पूरे जनपद से कट जाता है और ये ढाब क्षेत्र एक समुद्री टापू के रूप में दिखायी देने लगता है। इस क्षेत्र की आबादी लगभग 50 से 60 हजार के बीच में है। करीब एक दर्जन गांव स्थित हैं परन्तु इन गांव में आने-जाने के लिये न तो कोई पुल आज तक बनाया गया है, और न ही कोई रास्ता है। इतना ही नहीं यहां पर लोगों को बिजली भी नहीं मिलती है, क्योंकि गंगा नदी से घिरे होने के कारण विद्युत के खम्भे नहीं लगाये जा सके हैं। किसानों की सिंचाई के लिये यहां कोई राजकीय नलकूप भी नहीं लगाये जा सके हैं, किसान किसी प्रकार से सिंचाई करता है। किसानों का जीवन स्तर तथा गरीबों का जीवन स्तर प्रतिदिन पिछड़ता जा रहा है। पिछली सरकार में यहां पर एक अस्पताल गोबरहां गांव में बनाया गया है परन्तु आज तक डाक्टर आदि अभी तक उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। यह ढाब क्षेत्र लगभग 200 वर्ष पहले बना उस समय सिंगवार गांव के पास के एक छोटा नाला गंगा नदी की धारा से निकलकर 15 कि0मी0 तक बहकर पुनः धराधर गांव के पास गंगा नदी में मिल गया था जो आज धीरे-धीरे नदी के समान्तर नदी का रूप ले रहा है। इस नाला में अवैध बालू खुदाई तथा कटान के चलते वह दिन प्रतिदिन और चौड़ा और गहरा होता जा रहा है जिसके चलते कई गांव कटान की चपेट में आ गये हैं।

अतः इस लोकमहत्व के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनपद वाराणसी के ढाब क्षेत्र के लोगों के लिये राम चन्दीपुर गांव के पास आने-जाने हेतु एक पुल बनाये जाने की कार्यवाही कराये जाने की मांग करता हूं।]

जौनपुर के गढ़वारा क्षेत्रान्तर्गत जंगली जानवरों के काटने से कतिपय लोगों की हुई मृत्यु के फलस्वरूप परिजनों को आर्थिक सहायता एवं जंगली जानवरों के आतंक से निजात दिलाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सीमा द्विवेदी-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से विधान सभा क्षेत्र गड़वारा जनपद जौनपुर में जंगली जानवर के आतंक से हो रही मौतों से उत्पन्न स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं।

विधान सभा क्षेत्र गड़वारा जनपद जौनपुर में ब्लाक सुजानगंज तथा महराजगंज में भयंकर जंगली जानवर का आतंक व्याप्त है। कोई जंगली जानवर छोटे व्यक्ति को काट लेता है जिससे उक्त व्यक्ति की मौत हो जाती है। सुजानगंज में ग्राम खरितहा में श्री रामस्वरूप हरिजन आयु 70 वर्ष, देवी प्रसाद उम्र 28 वर्ष तथा धीरज हरिजन आयु 5 वर्ष तथा लालदेवी शर्मा पत्नी रामबरन शर्मा ग्राम बख्तेपुर की दिनांक 27-12-2008 को जानवर के काटने से मौत हो गयी है। उक्त जानवर के काटने के बाद न तो रैबीज का इंजेक्शन काम कर रहा है और न ही किसी का इलाज ही काम कर रहा है उक्त जानवर के काटने से मौत सुनिश्चित है। इस प्रकार की घटना से क्षेत्र की जनता में भय व्याप्त है। उक्त पीड़ित परिवारों को शासन एवं प्रशासन द्वारा कोई आर्थिक

नोटः--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सहायता प्रदान की गयी हैं। पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दिया जाना एवं जंगली जानवर के इस आतंकी कार्यवाही से निजात दिलाया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए पीडित परिवारों को आर्थिक सहायता दिये जाने एवं जंगली जानवर के आतंक से निजात दिलाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करती हूं।]

सहारनपुर के देवबन्द चीनी मिल के प्रबन्धतंत्र द्वारा मिल मजदूरों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जांच कराकर मजदूरों को न्याय दिलाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरपाल सिंह-

[मान्यवर, 18 मई, 2005 को सहारनपुर के देवबन्द चीनी मिल के मजदूरों द्वारा अपनी कुछ मांगों को लेकर शान्तिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। जिसमें चीनी मिल प्रबन्धतंत्र ने मनमाने तरीके से शान्तिपूर्वक धरना दे रहे मजदूरों पर अचानक फायरिंग करके जानलेवा हमला किया गया जिसमें कई मजदूर बुरी तरह से घायल हो गये और उनको उपचार के लिए देवबन्द सरकारी चिकित्सालय ने सहारनपुर जिला चिकित्सालय में दाखिल कराया। जिसमें जगदीश सिंह व अन्य मजदूर एक सप्ताह से अधिक समय तक चिकित्सालय में भर्ती रहे।

सहारनपुर के देवबन्द चीनी मिल के प्रबन्धतंत्र एवं तत्कालीन सरकारी मशीनरी के दबाव में पुलिस की मिलीभगत से घायल मजदूरों के विरुद्ध थाना देवबन्द में अपराध संख्या 153/05 धारा 307 के अन्तर्गत झूठा मुकदमा कायम करा दिया गया। पुलिस ने इसमें घोर लापरवाही बरतते हुए 8 लोगों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किये थे जिनमें से तीन व्यक्तियों के नाम व पिता के नाम गलत हैं। इस झूठे मुकदमें से पीड़ित मजदूरों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सरकार बनाम रामपाल सिंह पुण्डीर आदि के नाम से अपील की गयी जिसमें मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने 173(8) के तहत अग्रिम जांच के आदेश दिये थे। परन्तु मा0 न्यायालय के आदेश के बाद भी पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जिसके कारण इस घटना में घायल मजदूर ही परेशान किये जा रहे है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के अनुसार जांच कराकर पीड़ित मजदूरों को न्याय दिलाने एवं चीनी मिल प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

अम्बेडकर नगर के ग्राम बन्दीपुर के भूमि गाटा संख्या-1131 मि0 एवं 1079 मि0 पट्टे पर दी गई आवास हेतु भूमि पर कब्जा दिलाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री उदयभान करवरिया-

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में गरीब व्यक्तियों को पट्टे पर दी गई जमीनों पर कब्जा दिया जाना भी है। प्रदेश सरकार द्वारा चलाये जा रहे तहसील दिवस की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः--|] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

औपचारिकता मात्र रह गई है। तहसील दिवस में बार-बार शिकायत देने पर भी कार्यवाही न होना चिंता का विषय है।

खुरमुतली पुत्र टन्कू राजभर एवं हरिशचन्द्र पुत्र स्व0 रामराज (जो विकलांग है) निवासी बन्दीपुर तहसील जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर को भूमि गाटा संख्या 1131मि0 एवं 1079मि0 में आवास हेतु पट्टा दिया गया है किन्तु आज तक कुछ दबंग व्यक्तियों के हस्तक्षेप के कारण उपरोक्त लोगों को कब्जा नहीं मिल सका है। ऐसी परिस्थिति में पट्टा धारक अपने आवास का निर्माण नहीं करा पा रहे हैं तथा खुले आसमान में रहने को मजबूर हैं जबकि उन्हें सन् 1990 में पट्टा प्राप्त हुआ है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए गरीबों को आवंटित किये गये भूमि पर अविलम्ब कब्जा दिलाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नियम-300 के अन्तर्गत नियमानुसार केवल महत्वपूर्ण सूचनाओं को ही दिये जाने का अनुरोध

श्री अध्यक्ष-

आज हम सभी अपने माननीय सदस्यों से कुछ वरिष्ठ सदस्य हैं, कुछ नये सदस्य हैं सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि नियम-300 के अन्तर्गत सूचनायें जो देते हैं, आप सही सूचनायें दें वह आपका अधिकार है। लेकिन इस समय जो नियम-300 की सूचनायें आ रही हैं। अभी मैं पढ़ूं तो आज भी हमारे कुछ अनुभवी लोग हैं, पाण्डेय जी हैं, सब लोग बैठे हैं कहीं न कहीं कहेंगे कि आप लोग इसमें कहीं न कहीं ग्रेविटी गिराने का काम कर रहे हैं। कुछ नाले की सफाई है, कुछ खड़ंजा लगवाने के लिए हैं, कुछ चकरोड बनवाने के लिए हैं और ऐसी सूचनाओं को मैं शुरू में ही निरस्त कर देता हूं। नियम-300 की सूचनायें आयें तो बहुत स्वागत करना चाहिये हम लोगों की एक अच्छे विषय पर चर्चा होगी ऐसी सूचनायें आप लोग लाने का प्रयास करें हमारे नये सदस्य हैं उनके लिए तो हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं हमारे अनुभवी लोग बैठे हैं उनसे भी कहीं-कहीं ज्ञान लिया करें। खूब अध्ययन करें और नियम-300 की सूचनाओं के परिप्रेक्ष्य में आप उसका अध्ययन करें और इसमें हम सूचना लेने के लिए बहस कराने के लिए भी तैयार रहते हैं। लेकिन जब इसका महत्व घटाते जायेंगे जहां इस तरह विषय लायेंगें नियम-300 में तो निश्चित तौर पर इसकी संख्या तो बढ़ ही रही है, हमारे सामने भी आप लोगों को देख कर कष्ट होता है कि आप लोगों की सूचनायें मैं नहीं सुन रहा हूं लेकिन मैं अनुरोध कर रहा हूं कि नियम-300 की सूचनायें देने के लिए कहीं न कहीं इसके परिप्रेक्ष्य में जायं आप उसे देखिये बहुत उपयोगी उसमें प्रश्न भी हो सकते हैं। सदन की कार्यवाही हो रही है आपको उसमें बहुत अच्छे विषय मिल सकते है। आप अध्ययन करेंगे तो विषय मिलेंगे।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 18-02-2009 को नियम-300 के अन्तर्गत कुल 05 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। जिसमें प्रथम सूचना माननीय प्रमोद तिवारी जी व श्री पंकज कुमार की है जो लोक सभा सचिवालय

की भांति उत्तर प्रदेश विधान सभा में भी मा0 विधायकों के वाहनों के प्रवेश-पत्र पर विधायक या सदस्य, विधान सभा अंकित किये जोने के सम्बन्ध में है, मैं उसे लेता हूं।

लोक सभा सचिवालय की भांति विधान सभा सचिवालय में भी मा0 विधायकों के वाहन प्रवेश-पत्रों पर विधायक या सदस्य, विधान सभा अंकित न किये जाने तथा सूचना विभाग की डायरी उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, पार्लियामेंट में जो वहां के माननीय सदस्यों को और दूसरे अधिकारियों को पास मिलता है वह कई हजार संख्या में निर्गत होता है। परन्तु वहां पर जो एम0पी0 को पास मिलता है उसमें लाल रंग से लिख दिया जाता है। हमारे यहां विधान सभा सचिवालय से हमें वाहन पास मिलता है विधान भवन आने-जाने के लिये। लेकिन अब सचिवालय तो कई जगहों पर स्थापित हो गया है। वहां पर माननीय विधायकों को अपना वाहन ले जाने में असुविधा होती है। उनसे पूछा जाता है कि आपका कार्ड कहां है। हम चाहते हैं कि अगर लोकसभा की परम्परा का अनुपालन करते हुए अगर उस वाहन पास पर एम0एल0ए0 लिख दिया जाय तो सबको थोड़ी सुविधा हो जायेगी। लोक सभा और राज्य सभा में यह पहले से ही व्यवस्था है अगर यहां पर भी लिख देंगे तो विधायकों को उससे अन्य सचिवालयों में आने-जाने में सहूलियत हो जायेगी और थोड़ी प्राथमिकता मिल जायेगी। मान्यवर, पौने ग्यारह बजे के आस-पास सैकड़ों गाड़ियां आ जाती हैं, माननीय विधायकों के अलावा सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी गाड़ियों से आते हैं तो जो सुरक्षा कर्मी जानते हैं वह विधायकों को थोड़ा पहले प्रवेश देने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपके आदेशानुसार ग्यारह बजे हमें यहां पर पहुंचना होता है। लेकिन जब वह कार्ड के बारे में पूछते हैं तो थोड़ा समय लग जाता है। हमारे वाहन पासों में विशेष उल्लेख होने से हमें अन्य कार्यालयों में भी जाने में सुविधा हो जायेगी। मेरे ख्याल से इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं होगी। यह सदन की कार्यवाही से सम्बन्धित विषय है। वैसे तकनीकी रूप से मैं भी सहमत नहीं हूं कि यह इस नियम के अन्तर्गत आता है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसको दिखवा लें।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, माननीय विधायकों को वाहन पास विधान सभा सचिवालय द्वारा दिया जाता है। मान्यवर, इस पर आपको निर्णय लेना है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैं इसको दिखवा लूंगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इसको अलग कलर में बनवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, हम लोग बैठकर बात कर लेंगे।

*श्री अरविन्द गिरि-

मान्यवर, इसी तरह से माननीय विधायकों को जो परिचय-पत्र दिया जाता है वह भी बदले जाने की जरूरत है। शायद ऐसा प्रवेश-पत्र कहीं और नहीं मिलता होगा। इससे अच्छा तो सिक्योरिटी आफिसर्स को मिल जाता है। मैंने अन्य विधान सभाओं के साथियों का भी प्रवेश-पत्र देखा है वह इससे कहीं बेहतर होता है। न इसका कागज ठीक है और न रेपर ठीक है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आप चाहें तो अपने नेतृत्व में एक बैठक बुलवा लें और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को भी बुला लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, दलीय नेताओं की बैठक बुला लेंगे और उसमें इसको एप्रूव कर लेंगे। वह बैठक शीघ्र कर लेते हैं और इस पर विचार कर लेंगे।

सूचना विभाग द्वारा परम्परानुसार वर्ष 2009 की डायरी न छपवाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, फरवरी का महीना बीत रहा है और वर्ष के केवल 10 माह शेष बच रहे हैं लेकिन अभी तक सूचना विभाग की डायरी हम लोगों को नहीं मिली है।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

इस बार छपी ही नहीं है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, वह सूचना विभाग की डायरी केवल लिखने के लिये नहीं होती है उसमें अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं भी अंकित होती हैं और उसको रखने से माननीय विधायकों को बहुत सुविधा होती है। मान्यवर, अगर किन्हीं कारणों से वह इस बार नहीं छपी है और सूचना विभाग इतना कंगाल हो गया है कि वह डायरी न छाप सके तो उस अकर्मण्यता की निन्दा करता हूं। आप माननीय वित्त मंत्री भी हैं उनको कुछ पैसा दें जिससे वह उसे छपवा सकें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, सूचना विभाग द्वारा कोई डायरी नहीं छपाई गयी है। लेकिन विधायकों की सुविधा के दृष्टिगत जो डायरी उसमें रहती है विभिन्न अधिकारियों के नम्बर से सम्बन्धित, अन्य सम्बन्ध में उसके सम्बन्ध में सचिवालय प्रशासन द्वारा डायरेक्ट्री छपाई गयी है उसमें सारे नम्बरों का और अन्य जो जानकारियां हैं वह उसमें समावेश है। डायरेक्ट्री छपाई गयी है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आप भी इस पर विचार कर लें और माननीय मंत्री जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनायें, विचार कर लें। मैं भी सूचना मंत्री रहा हूं। यह एक डायरी जो छपती थी यह पचासों साल से छप रही थी तो कौन सा कारण आ गया जरा सदन को अवगत करा दें कि पचासों साल की एक अच्छी परम्परा को तोड़ने की जरूरत क्या है। अगर तोड़ने की कोई मजबूरी हो तो मैं उनसे सहमत हो जाऊंगा और सूचना विभाग की डायरी जो छपती थी पचासों साल से उसको न छापने की कोई वजह अगर मंत्री जी बता सकें तो मैं बड़ा आभारी होऊंगा।

*डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार डायरी है, अभी माननीय पाण्डे जी बैग में से कुछ निकाल रहे थे इस बार बजट में, पहले यहां बजट में हम लोगों को अच्छे-अच्छे बैग मिलते थे इसी प्रकार बहुत सारी कटौतियां की जा रही हैं यह क्या कारण है कि डायरी नहीं है, बैग नहीं है, पेन नहीं है इस तरह की सारी चीजें कम की जा रही हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे देख लिया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक के लिए साधारण चर्चा और अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान हेतु कम दिन निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मेरा था 300 में।

श्री अध्यक्ष-

आप चले गये थे। चलिये ठीक है, बजट पर कम बुलाया गया चर्चा के लिये, विचार करेंगे, अभी तो आप लोग बैठें। आपका इतना ही कहना था कि चर्चा कम हो रही है बजट पर। यही आपने औचित्य में उठाया था, चर्चा बढ़ेगी, बैठ जाइये।

चलिये ठीक है नियम से संज्ञान में ला दिया है चर्चा को बढ़ाना चाहिए।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मेरा नियम 300 में था। 24 दिन अनुदान मांगों पर चर्चा रखिये। इस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ है आप कोई व्यवस्था तो दीजिए। मान्यवर, हम नये सदस्य हैं, बोल भी नहीं पाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह सही है कि नियमावली में है। नये सदस्य हैं तो खूब बैठें जमकर, बुलवायेंगे, आप बैठिये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, बैठे तो रहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, बैठे नहीं रहते हैं अभी इसके बाद आप दिखाई ही नहीं पड़ेंगे, आप लोग मुश्किल से 8-10 लोग रह जाते हैं लास्ट में।

उत्तर प्रदेश विनियोग (2008-2009 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2008-2009 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2009, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2009 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 16 फरवरी, 2009 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 17 फरवरी, 2009 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2009, जो उत्तर प्रदेश, विधान सभा द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2009 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश, विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 17 फरवरी, 2009 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन विधेयक, 2009, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2009 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 17 फरवरी, 2009 को वापस प्राप्त हो गया।

डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्न रूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि-

डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्न रूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2009 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 17 फरवरी, 2009 को वापस प्राप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-5 में कुछ नहीं है।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के ग्राम सिठौली, मजरा-चकवां में इफको नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री नागेन्द्र यादव आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री जोखू लाल यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत ग्राम सिठौली, मजरा-चकवां में इफको नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री नागेन्द्र यादव तथा श्री लल्लन यादव व अन्य निवासीगण जनपद इलाहाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-7, 8 व 9 में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2009[1]

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करता हूं।

---

[1] दिनांक 19 मार्च, 2009 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री माधव पासवान की सुरक्षा विषयक व्यवस्था का प्रश्न

श्री माधव पासवान-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह मेरा निजी मामला है मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं पिछले साल जब मैंने चुनाव जीता था उसी वक्त मेरे ऊपर गोली चली थी और मुझे सिक्योरिटी देने की बात हुई थी, कई बार यह मामला विधान सभा में उठा। मान्यवर, आपने भी इसके बारे में कहा था लेकिन अब तक मुझे सिक्योरिटी नहीं मिली। मैं चाहूंगा कि यह मेरा निजी मामला है, कृपया मुझे सिक्योरिटी देने के लिये प्रमुख सचिव और माननीय मंत्री जी को आदेश देने की कृपा करें। जो आदेश आपने दिया था वह अब तक पूरा नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक जी ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा का विषय उठाया है, इसको आप दिखवा लें।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आपने भी इस सम्बन्ध में कहा था और मुझे स्मरण है कि घर में घुसकर इनके ऊपर गोली चलाई गयी थी। इसे आपने भी बहुत गम्भीरता से लिया था और माननीय मंत्री जी ने भी बहुत गम्भीरता से लिया था। आपने निर्देश भी दिया था कि इनको अतिरिक्त सुरक्षा दे दी जाय। अब मान्यवर, आपके निर्देश के बाद माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी दिखवा न लें बल्कि अब इनको सुरक्षा भिजवा दें, यही आपसे आग्रह है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 18 फरवरी, 2009 को नियम-311 की एक सूचना को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 की कुल 21 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गई हैं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता के आधार पर सुना जायेगा शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है :-

पहली सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी की जनपद लखनऊ के निगोहां में अवैध तरीके से बन रही देशी शराब के कारण हो रही मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री अजय कपूर, श्री अजय पाल सिंह, श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला, श्री अशोक सिंह, चौ0 रवीन्द्र प्रताप, श्री संजय कपूर तथा श्री माधव पासवान की तीसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री अजय पाल सिंह, श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला, श्री अशोक सिंह, चौ0 रवीन्द्र प्रताप, श्री संजय कपूर, श्री माधव पासवान, श्री प्रदीप जैन 'आदित्य', श्री विवेक कुमार सिंह, श्री विनोद चतुर्वेदी, श्री पंकज कुमार तथा श्री राजाराम त्यागी की चौथी सूचना डा0 अजय तोमर की, प्रदेश के किसानों के हो रहे उत्पीड़न से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पांचवीं सूचना श्री मदन चौहान की गाजियाबाद जिला कारागार में किसानों पर बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किये जाने के सम्बन्ध में है।

छठी सूचना श्री उदयभान करवरिया की इलाहाबाद के जमुनापार क्षेत्र में बढ़ रही नक्सल गतिविधियों के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय की सिद्धार्थनगर की तहसील इटवा में ग्राम समाज की भूमि पर स्थित वन एवं पेड़ों को अवैध रूप से काटे जाने के सम्बन्ध में है।

जो सूचनाएं विशेष उल्लेख के अन्तर्गत प्राप्त हुई हैं उनमें-

1	श्री उदय राज	की	प्रदेश के ग्राम पंचायतों में नियुक्त पंचायत मित्रों का मानदेय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है।
2	श्रीमती सीमा द्विवेदी	की	जौनपुर के थाना सुजानगंज के अन्तर्गत निर्दोष लोगों पर फर्जी तरीके से गैंगेस्टर लगाये जाने के सम्बन्ध में है।
3	डा0 अनिल चौधरी तथा श्री अब्दुल वारिस खां	की	प्रदेश में धनगर जाति को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र न मिलने के सम्बन्ध में है।
4	श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री जोखू लाल यादव, श्री अरविन्द सिंह यादव, श्री विशम्भर सिंह यादव तथा श्री कैलाश चौरसिया	की	प्रदेश के कहार, केवट, मल्लाह, निषाद, भर, राजभर आदि जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में है।
5	श्री प्रदीप माथुर	की	प्रदेश के निगमों के कर्मचारियों को छठा वेतन न दिये जाने के सम्बन्ध में है।

इन सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचना चयनित नहीं हुई, अतः अस्वीकार हुई :--

1. श्री राम किशुन,
2. श्री प्रदीप जैन 'आदित्य', श्री संजीव दरियावादी,
3. श्री कुबेर सिंह,
4. श्री इमरान मसूद
5. श्री राधेश्याम जायसवाल,
6. श्री राजाराम कोरी,
7. श्री अमरमणि त्रिपाठी,
8. श्री अब्दुल वारिस खां तथा
9. डा0 राजेन्द्र सिंह

*श्री श्याम देव राय चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने एक अत्यन्त लोक महत्व के दुखद विषय पर मुझे ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, निगोहां के रामदासपुर गांव में 3 लोगों की जहरीली शराब पीने से मृत्यु हो गयी। यह देखने में आता है कि इसके लिये आबकारी विभाग और पुलिस विभाग है, उनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने-अपने क्षेत्रों में इस बात की निगरानी करें कि कौन से लोग अवैध तरीके से कौन से कार्य कर रहे हैं और उसकी रोकथाम के वह उपाय करें। लेकिन दुख का विषय यह है कि आज व्यक्ति ही अर्थ के लिये सारा अनर्थ करने पर उतारू है और चूंकि ऐसे अपराधों में जो लोग लिप्त हैं, उनको माहवारी मिलती है और अच्छी-खासी रकम मिलती है, इसलिये वह अपनी निगाहें बन्द किये रहते हैं और अपने कानों पर ताला डाले रहते हैं तथा कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। जिसके परिणामस्वरूप केवल देशी शराब ही नहीं बल्कि तमाम आपराधिक कृत्य होते रहते हैं और उससे उनको फायदा होता रहता है। मान्यवर, निगोहां के रामदासपुर में कोई मांगलिक कार्य था और उसमें लोगों ने शराब पी, वह कच्ची देशी शराब थी और उसको पीने के बाद तीन लोगों की मृत्यु हो गई, एक की तत्काल और दो की अस्पताल जाने पर मृत्यु हो गई। मान्यवर, एक दुःखद पहलू यह भी है कि इसमें पुलिस ने अपना गला फंसता हुए देखकर बिना पोस्टमार्टम के ही एक व्यक्ति राम प्रकाश की अंत्येष्टि करा दी, जबकि उसके परिवार के लोग चाहते थे कि उसका पोस्टमार्टम हो और मृत्यु का कारण शराब है या क्या है यह स्पष्ट हो जाये लेकिन पुलिस वालों ने उसके परिवार वालों पर दबाव डालकर उसकी अंत्येष्टि करा दी और शेष दो लोग भी बाद में मर गये। मान्यवर, मेरा कहना यह है कि इस प्रकार की दुःखद घटनाएं होती रहती है आपके गृह-जनपद आज़मगढ़ में भी अभी जनवरी माह के अन्तिम सप्ताह में घटना घटित हुई थी और वहां पर भी जहरीली शराब से करीब 25 लोगों की मृत्यु हो गई थी। मान्यवर, यह बहुत बड़ी घटना है जिसमें 25 लोगों को शराब पीने के कारण मौत को गले लगाना पड़ा और कई लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई। मान्यवर, वहां भी पुलिस की लापरवाही, आबकारी विभाग की लापरवाही और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन न करने के कारण यह घटना घटित हुई। यहां निगोहां के रामदास पुर गांव में भी तीन लोगों की जानें चली गई और इससे पहले चौक में दो महिलाएं शराब पीने से मरी थीं, उनकी जांच चल रही है और परिणाम आना पेंडिंग है। मान्यवर, ऐसी घटनाओं में पुलिस की यह नियति रहती है कि इस प्रकार की जब घटनाएं प्रकाश में आती हैं और उच्चाधिकारियों का ध्यान उस ओर जाता है तो वह आनन-फानन में कुछ कार्रवाई कर देते हैं, कुछ छापे डाल देते हैं, कुछ बरामदगी दिखा देते हैं और अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर देते हैं और उसके बाद शासन द्वारा भी बीमा योजना के अन्तर्गत अनुग्रह राशि के रूप में उन मृतकों के परिजनों को कुछ रुपए दे दिये जाते हैं। लेकिन इसके लिए जिनके कन्धों पर जवाबदेही है कि वह अपने-अपने क्षेत्रों की रखवाली करें और इन गतिविधियों पर अंकुश रखें इनके विरुद्ध कुछ नहीं होता। अगर वह सस्पेंड हो गये तो महीने दो महीने बाद फिर बहाल हो जाते हैं। वह अपना गर्दा झाड़ लेते हैं और फिर उसके बाद अपने दुष्कर्मों में लिप्त हो जाते हैं।

---

*कक्ष ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, यह बहुत दुःखद घटना है, उससे भी दुःख की बात यह है कि पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी से भागने की नियति से एक व्यक्ति का बिना पोस्टमार्टम किये मृतक की अंत्येष्टि करा दी। यह बहुत गम्भीर मामला है, अविलम्बनीय है, लोकमहत्व का है इसलिए इसे मैंने कार्य-स्थगन के रूप में प्रस्तुत किया है। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए कोई ऐसी नीति बने जिससे कि जिनके क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं घटित हों, लोगों को जान से हाथ धोना पड़े, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि दूसरे लोगों को भी उससे नसीहत मिले। थानाध्यक्षों की उनके क्षेत्रों की निगरानी की जिम्मेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। इसी के साथ मैं इस अविलम्बनीय, लोकमहत्व की सूचना पर आपसे प्रार्थना करता हूं कि सदन के सभी कार्य रोककर इस विषय की गम्भीरता को देखते हुए इस पर आप चर्चा कराने की कृपा करें।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, इस घटना का जिनका उल्लेख मा0 सदस्य ने किया है, आबकारी विभाग के बारे में कि आबकारी विभाग इसमें सचेत नहीं है। आबकारी विभाग और पुलिस विभाग दोनों सतत एक प्रक्रिया के तहत पूरे प्रदेश भर में देशी या अवैध तरीके की शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए, अवैध शराब न बनने पाये इसलिए कि वह जहरीली भी होती है, विभाग पूरी तरह से सक्रिय है और इसके तहत विभिन्न छापे भी मारे जाते हैं, कार्यवाही भी होती है। इस तरह से माह जनवरी, 2009 में आबकारी विभाग के प्रवर्तन कार्य के अन्तर्गत अपराध शमन के सम्बन्ध में कार्यवाही का जो विवरण है, कुल पकड़े गये अभियुक्तों की संख्या है 8649 और मारे गये छापों की संख्या है 13912, छापों में जब्त अवैध शराब की मात्रा है 1,21,470.40 बल्क लीटर, गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या है 6,644 और गिरफ्तार व्यक्तियों में से जेल भेजे गये व्यक्तियों की संख्या है 813, पकड़े गये वाहनों की संख्या 16 है। मान्यवर, यह इस बात का परिचायक है कि प्रदेश सरकार, विशेष रूप से आबकारी विभाग, पुलिस के सहयोग से इस तरह के जो अवैध शराब है उस पर पूरी तरह से कार्यवाही करने के लिए कार्य करती है। हम निरन्तर प्रयासरत हैं कि इस तरह की कोई घटना न होने पाये। लेकिन कभी-कभार इस तरह की घटनायें होती हैं, यह दुःखद है। हमारा सतत् प्रयास है कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगे। इसलिए यह सब कार्रवाइयां की गयी हैं। जहां तक कार्य-स्थगन के रूप में है, यह ग्राह्य योग्य नहीं है। मैं आपसे चाहूंगा इस पर मा0 सदस्यों को चर्चा करने का विभिन्न अवसर मिलेगा इसलिए अनुरोध करूंगा कि इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, मैंने अपनी नोटिस में इस बात का उल्लेख किया है कि यह तो एक दुःखद घटना हुई जिसमें 3 लोगों की जानें गयीं उसमें यह भी उल्लेख किया है कि आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत इस प्रकार की दुःखद घटना हुई थी अभी जनवरी माह के अन्तिम सप्ताह में और उसमें 25 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। मा0 मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि उस घटना में किसकी जिम्मेदारी तय की गयी, किन लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी और यह जो निगोहां के रामदासपुर गांव में हुआ है उसमें भी किन अधिकारियों को जिम्मेदार माना गया उनकी

जवाबदेही सुनिश्चित की गयी और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? मंत्री जी ने ओवर ऑल उत्तर प्रदेश में इतने छापे मारे गये, उसका उल्लेख कर दिया लेकिन जो स्पैसिफिक सूचना है उसके विषय में कुछ नहीं कहा। मैं मा0 मंत्री जी से यह जानकारी चाहता हूं कि इस घटना में जो लोग लिप्त थे जिनकी जवाबदेही सुनिश्चित की गयी, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? और मेरी नोटिस में जो आजमगढ़ का उल्लेख है, आजमगढ़ में जो 25 लोग मर गये जहरीली शराब पीने से, उसके लिए किन लोगों की जवाबदेही तय की गयी और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी और जो पीड़ित परिवारीजन हैं उन्हें क्या कोई आर्थिक मदद/मुआवजा दिया गया ?

श्री भोला-

मान्यवर, जहां तक आजमगढ़ का सवाल है.....

श्री अध्यक्ष-

यह चर्चा नहीं हो रही है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

यह सूचना माननीय मंत्री जी के पास होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, जिस थानाध्यक्ष के क्षेत्र की घटना थी उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही हुई है, किसी पुलिस के अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्यवाही हुई हो तो बता दें। आजमगढ़ की सूचना आयी है, वहां मृतक के परिवारों को एक-एक लाख रुपये दिये गये हैं।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

छापे के बाद जो 25 लोग आजमगढ़ में मर गये, छापे के बावजूद जो 3 निगोहां में मर गये, उस पर आपने क्या किया ? मैं कोई अवांछित प्रश्न तो नहीं कर रहा हूं। जो सूचना में वांछित है वही प्रश्न कर रहा हूं। यह बात प्रदेश की जनता को मालूम होनी चाहिए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने पहले ही बताया कि जहां इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उस पर कार्यवाही होती है। इसमें जो भी दोषी होता है उसके खिलाफ समुचित कार्यवाही की गई है, की जायेगी।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मुझे बहुत दुःख है कि नियमानुसार सूचना आने के बाद भी, स्पैसिफिक घटना का उल्लेख करने के बाद भी आपने सूचना सम्बन्धित क्षेत्र से नहीं मंगवाई और यहां पर एक गोल मटोल जवाब देकर क्या संदेश देना चाहते हैं। यह बात जनता के समझ में नहीं आ रही है। न ही यहां पर बैठे तमाम सदस्यों को इस तरह की बात समझ में आएगी आपकी तरफ के सदस्य कुछ बोल तो सकते नहीं कार्य स्थगन भी नहीं ला सकते लेकिन उनके मन में जिज्ञासा है कि जो सूचना दी जा रही है उस सूचना के संदर्भ में उत्तर आना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, कितने लोगों के

खिलाफ कार्यवाही की गई ? मैंने यह भी आरोप लगाया कि एक व्यक्ति राम दास था उसकी अन्त्येष्टि जबरदस्ती करवा दी गई। आपने किसी का उत्तर नहीं दिया यह दुःखद है।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने कहा है कि दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

नियमानुसार यह अधिकार है, जनता को अधिकार है कि जो दुःखद घटना हुई है उस पर सरकार ने क्या किया यह जनता को जानकारी होनी चाहिए कि किसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी इसको दिखवा लें कि किसकी संलिप्तता है अगर किसी की संलिप्तता हो तो उसके खिलाफ कार्यवाही करें।

श्री लालजी वर्मा-

जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष-

मैंने प्रस्तुत सूचना पर श्री श्याम देव राय चौधरी व संसदीय कार्य-मंत्री को सुना। यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है इसलिए इसे अग्राह्य करता हूं।

अगली सूचना श्री प्रमोद तिवारी की है।

*श्री प्रमोद तिवारी-

अध्यक्ष महोदय, अगर पिछले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा उत्पीड़न किसी का हुआ है तो उत्तर प्रदेश के किसानों का हुआ है। हर मोर्चे पर चाहे उपकेन्द्रों के द्वारा क्रय किए जाने वाले धान की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे सिंचाई की बात हो, चाहे उनकी अधिगृहीत भूमि पर मुआवजे की बात हो हर मोर्चे पर अगर उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार ने किसी का उत्पीड़न किया है, किसी के प्रति बेरुखी दिखाई है तो वह इस प्रदेश का किसान है। इस सरकार को किसान से लेना देना नहीं है। एक घटना फिर घट रही है जिसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जाड़े के मौसम में मानसून आया करता था रबी की फसल को उससे भरपूर पानी मिल जाता था और एक सिंचाई बच जाती थी इस बार जाड़े के मौसम में प्रदेश के अधिकांश जिलों में पानी नहीं बरसा विंटर मानसून का फेल्योर हुआ है उसके कारण किसानों को अतिरिक्त सिंचाई करनी पड़ी। चाहे वह बिजली के माध्यम से हुई हो, नहरों के माध्यम से हुई हो या अन्य माध्यम से। कुल मिलाकर किसानों की लागत बढ़नी है। सबसे ज्यादा समस्या किसानों की यह है कि रासायनिक उर्वरक जो इस देश में जब फसल बढ़ जाती है तो यूरिया के रूप में सबसे ज्यादा लोकप्रिय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रासायनिक खाद है, वह दी जाती है। रासायनिक खाद यूरिया इस समय बाजार से लगभग गायब है मैं, मंत्री जी का जवाब भी जानता हूं। मंत्री जी कह देंगे कि इतने मीट्रिक टन यूरिया थी इतने टन यूरिया जिलों में भेजी गई जो मंत्री जी कहेंगे मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं लेकिन प्रश्न यह नहीं है, चिन्ता यह नहीं है। सदन इसको गम्भीरता से विचार करे। मंत्री जी की बात बिल्कुल सही है बात यह है कि यह रासायनिक खाद के वितरण का प्रकरण है। मान्यवर, इसको दो विभाग देखते है यह तो ले आयेंगे भारत सरकार से और ला कर जिलों में भेज देंगे लेकिन फिर सहकारिता विभाग आता है तो उसका किसानों में वितरण करता है यानि रिटेलर इसका कोआपेटिव है और होल सेलर आप हैं लक्ष्मी नारायण जी। तो मान्यवर, होल सेल में समस्या नहीं है। समस्या रिटेलर में है। यहां से मान्यवर, जिलों में जाता है। जिलों के बाद मान्यवर, यह समस्या तब उत्पन्न होती है जब जिलों में वितरण होने लगता है। मान्यवर, स्वीकार करें या न करें सार्वजनिक वितरण व्यवस्था पूरी तरह से छिन्न-भिन्न हो चुकी है। कोई स्वीकारे या न स्वीकारे लेकिन इस असलीयत को जनता स्वीकार करती है कि 10 रुपये सवा दस रुपये वाला मिट्टी का तेल बाजार में खुले आम 30 और 35 रुपये लीटर बिकता है। मान्यवर, उसी तरह यह हो रहा है, माननीय मंत्री जी को भारत सरकार जो देती है, यह जिलों में दे देते हैं और उसके बाद सहकारिता विभाग की सोसाइटीज इसको बांटती हैं। साधन सहकारी समितियां। मान्यवर, यह सच्चाई है कि साधन सहकारी समितियां उत्तर प्रदेश की दो तिहाई से ज्यादा वो डिफक्ट हो गई हैं। मान्यवर, वह कार्य कर ही नहीं रही हैं और मान्यवर, यही नेक्सेस है, एक गंदा एक्सेस है। भ्रष्टाचार से डूबा हुआ एक्सेस है, गठबंधन और वो गठबंधन है मान्यवर, सोसाइटी चलाने वालों और बाजार के कालाबाजारियों और उन पर निरीक्षण करने वाले निरीक्षक और पुलिस की। मान्यवर, साधन सहकारी समिति तो जो खाद आप भेजते हैं खासतौर से मैं यहां पर यूरिया का जिक्र कर रहा हूं मान्यवर वह मिली भगत से सहकारिता विभाग के इन चोर बाजारी करने वाले छोटे छोटे दुकानदारों तक चली जाती है और मान्यवर, यह कोई चोरी छिपे नहीं बेचते, इनकी दुकानों के आगे लगे हुए हैं ढेर। वहां चले जाइये आप मान्यवर, किसी बाजार में आप चले जाइये, आपको ब्लैक में जितनी यूरिया चाहिए, मिल जायेगी। ट्रक भर चाहिए मिल जायेगी, बढ़े हुए दाम पर। दो सौ, तीन सौ, चार सौ रुपये बोरी लेकिन जो दाम सरकार ने निर्धारित किया है, जो इच्छा माननीय सरकार उत्तर प्रदेश की होगी, केन्द्र सरकार की होगी मान्यवर, यह सच्चाई है कि उस दाम पर उपभोक्ताओं अर्थात् किसानों को नहीं मिल रहा है। तो मेरी चिन्ता मान्यवर, आज यह नहीं है इस सरकार को कठघरे में खड़ा करने की कि आप लाये नहीं, मेरी चिन्ता सिर्फ इस बात की है, कि आज वितरण सही नहीं हो रहा है। मान्यवर, आप जवाब दे दोगे, एक आध मान्यवर, आप ज्यादा से ज्यादा आप मुझे अनुमति दे देंगें कि मैं एक प्रश्न इनसे पूछ लूं और उसका उत्तर भी यह यही दे देंगें कि चारों तरफ राम राज है। लेकिन मान्यवर, मैं बता रहा हूं किसान इस समय सबसे बड़ी दुर्दशा का शिकार है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि जिन विधायकों के नाम आपने पढ़े नहीं मिल रहा है और एक सबसे बड़ी खतरनाक बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं और चाहता हूं कि सरकार के संज्ञान में ला दूं शायद थोड़ा फायदा हो जाय आपका। वह जो सिद्धार्थनगर,

महाराजगंज, बहराइच, गोरखपुर, गोंडा जो नेपाल सीमा पर हैं, बड़े पैमाने पर भारत में निर्मित यूरिया नेपाल भेजी जा रही है ब्लैक कराने के लिये तो कोई कमी नहीं है वहां से लाने में, कोई कमी नहीं वहां से जनपदों में पहुंचने में लेकिन जनपदों तक पहुंचने के बाद साधन सहकारी समितियों के डिफंक्ट होने के बाद वह या तो नेपाल जा रही है या चोर बाजारी और काला बाजारी में बाजारों में बिक रही है। मैं एक आग्रह करूंगा कि इस पर आप मुझे जवाब दें लेकिन एक निर्देश दे दें कि कृषि मंत्री, सहकारिता मंत्री जी यह सब मिलकर अपनी वितरण व्यवस्था की, थोड़ा चौधरी साहब भी सहयोग करें तो यह हो जाय, किसानों का भला हो जाय, मैं यह चाहता हूं।

मान्यवर, अभी रायबरेली में जो माननीय मंत्री जी का कर्मस्थली है, जन्मस्थली तो मेरे सौभाग्य से मेरे स्थल में है, कर्मस्थली उनकी रायबरेली है। वहां थाने में महाराजगंज जा रही थी वह पकड़ी गयी। यह माननीय मंत्री जी के जिले का है लेकिन जब खड़े होंगे तो बड़े तेज आवाज में बुलन्द आवाज में, कुछ ऊपर वाले ने उनकी आवाज में कृपा भी की है। मौर्या जी की आवाज जब दहलती थी मान्यवर, तो पूरे सदन की दीवारें हिल जाती हैं। अच्छा है बहुत मजबूत बनी है, वरन वह कब की ढह गई होती मौर्या जी की आवाज सुनकर। मैं उस पर नहीं जाता मान्यवर, मैं आज अपनी व्यथा, अपना दुःख, अपनी पीड़ा, अपने आंखों के सामने उत्तर प्रदेश में चलती हुई डकैती के बारे में मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और मैं यह चाहता हूं कि मुझे इस पर सिर्फ जवाब न दिया जाय, बल्कि सरकार स्वमेव विचार करके संतुष्ट हो। दूसरा, मान्यवर, बिल्कुल अच्छा जवाब आयेगा कि नहरों में पानी भरपूर उपलब्ध है। मान्यवर, बहुत कम सत्तापक्ष के साहसी विधायक होंगे जो स्वीकार कर सकें यहां पर कि हां नहरों में पानी आ रहा है। मान्यवर, नहरों में पानी कहीं टेल तक नहीं आ रहा है। पानी कम नहीं है, बांधों से रिलीज नहीं हो रहा है। यह दोनों मेरी समस्याएं हैं, मैं नहीं चाहता कि इन पर वही रटा रटाया जवाब मिले। मैं चाहता हूं कि किसान के खेत तक पानी पहुंच जाय, इसलिये इस पर विचार हो जाय। दूसरा मैंने कहा है सहकारिता विभाग, कृषि विभाग और थोड़ा सा हमारा खाद्य एवं रसद विभाग तीनों आपस में तालमेल बैठा लें। तीनों आपस में तालमेल बैठा लें थोड़ा पुलिस को खड़ा कर दें। एक हफ्ते बाद तो यूरिया किसानों को ऐसी ही मिल जायेगी जहां सीजन खत्म हुआ, अभी समस्या है। डी0ए0पी0 की बाजार में बड़ी शार्टेज थी लेकिन आजकल डी0ए0पी0 बाजार में उपलब्ध है। तो यूरिया का यही समय है अनाज का दाना पतला हो गया है वजन कम हो गया है। धूप पड़ रही है। किसान त्रस्त है मैं चाहता हूं कि किसान के हित में आप रूटीन जवाब नहीं देंगे। एक सकारात्मक कदम उठाया जाये यह हम चाहते हैं।

*डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

श्री अध्यक्ष-

शार्ट में कहें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, मैं छोटा करके बोलूंगा। किसानों से जुड़ी समस्या है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लाइफ लाइन के नाम से जानी जाने वाली पूर्वी यमुना नहर जो सहारनपुर से मुजफ्फरनगर तक होती हुई गाजियाबाद जाती है। मान्यवर, पिछले 20 वर्षों से इस नहर में पानी या तो आया नहीं है और अगर आया है तो केवल किसानों को परेशान करने के लिये, उनसे उगाही करने के लिये आया है। कभी उनकी फसलों की सिंचाई पूर्वी यमुना नहर द्वारा, पूर्वी यमुना नहर के रजबहों के द्वारा, पूर्वी यमुना नहर की माइनरों के द्वारा पिछले 20 वर्षों से नहीं हुई है। इस पूर्वी यमुना नहर में मान्यवर, जब यमुना का पानी घट रहा था तो समानान्तर देवबंध चैनल के रूप में इसके अन्दर गंगा का पानी डालने की परियोजना बनी थी 54 किलोमीटर लम्बा, समानान्तर देवबन्ध चैनल बन रहा है मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं 54 किलोमीटर के इस चैनल में कुछ मीटर, किलोमीटर नहीं, मान्यवर, 70 या 80 मीटर कार्य केवल शेष है। उसके कारण मान्यवर, पिछले तीन वर्षों से इस सरकार के समय में, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि निर्माण कार्य अब तक पूरा न होने के कारण वह चारों जनपद सूखे के कगार पर है। मान्यवर, इसी प्रकार मुजफ्फरनगर हिंडन परियोजना.....

श्री अध्यक्ष-

ग्राह्यता पर बोलें।

डा0 अजय तोमर-

हिंडन कृषि परियोजना जो पिछले पांच वर्ष से.....

श्री अध्यक्ष-

खत्म करें

डा0 अजय तोमर-

एक मिनट में अपनी बात कहना चाहूंगा। हिंडन कृषि परियोजना में पिछले पांच वर्ष से एक बूंद पानी नहीं आया है। किसान भुखमरी के कगार पर है। जेनरेटर द्वारा, पम्पिंग सेट के द्वारा निजी नलकूपों के द्वारा सिंचाई करने को बाध्य है। दूसरी तरफ उसी जनपद में बिजली का बिल हार्सपावर जो निजी नलकूपों का 5 से 7 था उसको बढ़ाकर 10 से साढ़े 12 कर दिया गया है। जबकि नये बिजली घर बनाने का काम नहीं किया गया और पुराने बिजली घरों की भार क्षमता बढ़ाने का काम नहीं किया गया है। मैं माननीय विद्युत मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से किसानों से 5 के स्थान पर 10 और साढ़े बारह के बिल लिये जा रहे हैं उसी प्रकार यहां के विद्युत घरों की अतिभारिता दूर करें और नये विद्युत उपकेन्द्रों को खोलने का काम किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, मैं गौतमबुद्धनगर के किसानों के मुआवजे की जो समस्या है उसकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और चर्चा करने की मांग करता हूं।

श्रीमन्, गौतमबुद्धनगर में एक तारीख को आन्दोलित किसान जो मुआवजे बढ़ाने की मांग कर रहे थे और दिल्ली जाना चाहते थे पुलिस ने लाठीचार्ज करके एक तारीख को जेल भेज दिया गाजियाबाद, और जब वह 14 दिन की हिरासत में रखे गये तो 14 दिन जब पूरे होने वाले थे तो मान्यवर, 13 तारीख की शाम को जो इसकी अगुवाई कर रहे थे जिले सिंह भाटी सन आफ जयपाल सिंह, सूबेदार मानचन्द्र सिंह सन आफ भूप सिंह श्री लाला सिंह सन आफ जयपाल सिंह, श्री फतेह सिंह जी, श्री चेतराम सिंह जी.....

श्री अध्यक्ष-

चलिये हो गया।

श्री मदन चौहान-

इनको बुलाया गया और वहां के जिला कारागार गाजियाबाद के पुलिस कर्मियों ने उनको बारी-बारी से लाठी से पिटाई की और उनसे कहा गया अगर आज के बाद आन्दोलन करोगे तो इसका बहुत बुरा असर होगा। मान्यवर, मेरा यह कहना है कि मुआवजे की मांग के लिये बहुत दिन से गौतमबुद्धनगर में चाहे घोड़ी बछेड़ी का मामला हो चाहे दादरी का मामला हो चाहे मथुरा का मामला हो.....

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें।

श्री मदन चौहान-

टोस पारदर्शिता की नीति न होने के कारण परेशान है। मान्यवर, घोड़ी-बछेड़ा गांव में भी 5 लोग मारे गये थे। इसलिये मेरी गुजारिश है कि जो 13 तारीख की 7.30 बजे इन किसान नेताओं को मार-पीट करके, इन पर बुरी तरह कहर बरपाया गया, उसकी जांच कराई जाये। वह लोग सुबह 14 तारीख को आल इण्डिया मेडिकल साइंसेज में गये, वहां इनकी डाक्टरी हुई, उसके पेपर मेरे पास हैं, कहें तो भिजवा दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आपकी बात आ गई, इसमें चर्चा नहीं हो रही है।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, मैं चर्चा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्राथमिकता पर ही बोल रहा हूं। मान्यवर, ये आज भी पीड़ित हैं, उनके हाथ पैरों पर प्लास्टर बंधे हुए हैं। मान्यवर, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। जिन लोगों ने जिला कारागार में इनको बेरहमी से पीटा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे आगे से किसानों का शोषण न हो। यह सूचना अविलम्बनीय है, लोक महत्व की है, इसलिये सदन की सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाए।

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला-

मा0 अध्यक्ष जी, अभी हमारे नेता, प्रमोद तिवारी जी खाद की समस्या के विषय में बता रहे थे। सिद्धार्थनगर जनपद एक ऐसा जनपद है जहां परदे एक लाख बोरी खाद नेपाल में जाती है

और जो उसके सटे हुए विकास खण्ड हैं, लोटन विकास खण्ड है, शोहरतगढ़ विकास खण्ड, बढ़नी आदि वहां पर सबसे ज्यादा कृषि विभाग ने लाइसेन्स दे रखा है, जब कि इन्होंने नियम बना रखा है कि 10 कि0मी0 के अन्तर्गत कोई भी लाइसेंस जारी नहीं होगा। आप किसी भी समय, किसी भी क्षण एक यहां से कमेटी या सरकारी अधिकारियों की कमेटी बना कर जांच कर लें, उसमें एस0एस0बी0 के जवान, पुलिस विभाग के जवान, एक्साइज यह सब लोग हिस्सा लेते हैं और खड़े होकर नरकुल बाजार से, ककरहवा से, अर्लीगढ़वा से, इन सारी जगहों से पूरी ट्रक की ट्रक रात-रात काला बाजारी कर पार कराते हैं। दिन भर इकट्ठा करते हैं और रात में यह सारी ट्रकें नेपाल पास करते हैं और किसानों को खाद रु0 500-550 प्रति बोरी खाद मिलती है। इस बार तो खाद मिली ही नहीं, सारे लोग डंडा खाये, लाठी खाये, लेकिन खाद मिली ही नहीं। इसलिये मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस पर विचार किया जाए और सरकार से यह कहा जाए कि इस पर तत्काल रोक लगायी जाए, धन्यवाद।

(श्री प्रदीप जैन 'आदित्य' के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

जैन साहब, पूरी बात आ गई है।

*श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

मान्यवर, मध्य प्रदेश से लगा हुआ बुन्देलखण्ड क्षेत्र है और वहां के किसानों को जो खाद मिलनी चाहिए वह वहां पर न बिककर, प्रदेश के बाहर मध्य प्रदेश में बिकती है। इस तरह की तस्करी हो रही है।

श्री अध्यक्ष-

सारी बात आ गयी है, सब लोग बता दिये हैं। मा0 तिवारी जी, मा0 चौहान जी, इन सब लोगों ने कह दिया है, पूरी बात आ गई है।

(श्री राजाराम त्यागी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपके दल के नेता ने सारी बात बता दी है, सारी बात आ गयी है। रायबरेली के बारे में बता दिया है।

श्री राजाराम त्यागी-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारे यहां रायबरेली सिंचाई खण्ड-1 में एक माइनर खोदी गयी थी, उसका मुआवजा वहां के किसानों को नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष-

चलिए, आपकी बात आ गई। आप बैठ जाइये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

*कृषि मंत्री (चौधरी लक्ष्मी नारायण)-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 तिवारी जी, मा0 विवेक सिंह जी, तोमर साहब, हमारे अन्य मा0 सदस्यों ने किसानों के प्रति चिन्ता जताई, पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं कि आज विवेक सिंह जी के और मा0 प्रमोद तिवारी जी के एक कागज पर हस्ताक्षर साथ हुए, ये बधाई के पात्र हैं। मान्यवर, सबसे पहले मा0 तिवारी जी ने धान की खरीद की बात कही, उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतने धान की खरीद पूरे भारतवर्ष में आज तक नहीं हुई। गेहूं की खरीद जितनी पहली बार उत्तर प्रदेश में 32 लाख मीट्रिक टन हुई है, कभी आज तक इतिहास में नहीं हुई। मान्यवर, मा0 तिवारी जी ने किसानों के प्रति चिन्ता की बात कही। तिवारी जी, हमारा मृदा स्वास्थ्य गिरता जा रहा है इसको देखते हुए 13 जनवरी, 2009 को माननीया मुख्य मंत्री जी ने एक बैठक बुलाई थी, उनकी अध्यक्षता में निर्णय लिये गये। मान्यवर, पिछली बार भी उनके निर्देश पर हमने एक अभियान चलाया था। पहली बार उत्तर प्रदेश में-अपनी माटी पहचानो अभियान। जिसमें 15 लाख मृदा नमूने लिये गये थे। प्रत्येक किसान को हमने उसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया था। मान्यवर, हमारा लक्ष्य है कि हम इस पंचवर्षीय योजना में कम से कम 60 फीसदी जमीन के नमूने लेकर प्रत्येक किसान को मृदा स्वास्थ्य कार्ड निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे। मान्यवर, मृदा स्वास्थ्य को गिरते हुए देखकर सबसे पहले मृदा स्वास्थ्य के लिए जिंक सल्फेट, बायो फर्टिलाइजर, जिप्सम, बायोपेस्टिसाइड इन चार चीजों को होना आवश्यक है। मान्यवर, वैसे तो जहां तक मेरी जानकारी है देश के किसी भी राज्य में इन चारों चीजों के लिए जो मृदा स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, पहली बार माननीया कुमारी बहन मायावती जी ने समस्त छोटे-बड़े किसानों को 90 फीसदी छूट सब्सिडी के रूप में केवल उत्तर प्रदेश में दी है जो भारतवर्ष में किसी प्रदेश में नहीं है। जहां तक हमारे जैन साहब खड़े हो रहे थे, इसी सदन में जैन साहब बुन्देलखण्ड के लिए यह मांग कर रहे थे कि स्प्रिंकलर सेट और ड्रिप इरिगेशन पर 75 प्रतिशत सब्सिडी कर दी जाये। तो मान्यवर, जैन साहब की आशाओं के और ऊपर जाकर 75 प्रतिशत सब्सिडी तो स्प्रिंकलर सेट और ड्रिप इरिगेशन पर बड़े किसानों को दी गयी लेकिन जहां तक लघु और सीमांत किसान की बात है बुन्देलखण्ड में 90 प्रतिशत सब्सिडी तो स्प्रिंकलर सेट और ड्रिप इरिगेशन पर दी गयी है। मान्यवर, वैसे तो मैं सोच रहा था कि जैन साहब इस पर बधाई देंगे, इसलिए बधाई देंगे कि आप पिछले 4 साल से अकाल से पीड़ित हो रहे थे, बहन कुमारी मायावती जी की सरकार आने पर अब बुन्देलखण्ड में बाढ़ आ गयी। इससे ज्यादा सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है ? मान्यवर, हमारे छोटे किसान धान का हाईब्रिड बीज नहीं खरीद पाते क्योंकि वह बीज 150-200 रुपये किलो बिकता है। हमारी सरकार ने बहन कुमारी मायावती जी ने धान के हाईब्रिड बीज पर 60 रुपये किलो, 6000 रुपये कुन्तल की सब्सिडी उत्तर प्रदेश के समस्त किसानों के लिए दी है। मान्यवर, गेहूं के बीज पर भी पूरे उत्तर प्रदेश में 700 रुपये कुन्तल की छूट दी गयी थी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, सदन में अगर कोई मंत्री ज्ञान प्रदर्शन करे तो विषय पर करे। प्रश्न सीधा सा यूरिया का है, प्रश्न सीधा सा नहरों का है। अब आप मृदा परीक्षण पर बता रहे हैं तो क्या आप बजट पर बोल रहे हैं। अभी तक मुख्य बिन्दु पर बात नहीं की है। यह समय बर्बाद कर रहे हैं मान्यवर।

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, मैं यह बात स्वीकार करता हूं। मान्यवर, सूचनाऐं भी मिली है। कुछ जगह से खाद नेपाल के लिए ब्लैक होता है उस ब्लैक को रोकने के लिए हमने आज भी 5.30 बजे मीटिंग बुला रखी है। हम पुलिस की मदद लेकर, कृषि विभाग और सहकारिता विभाग के साथ मिलकर चौकियां स्थापित करेंगे जिसमें आप सबके सहयोग की अपेक्षा की जाती है।

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला-

मान्यवर, पुलिस ही तो बिकवा रही है।

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, जो बात तिवारी जी ने कही है। मैं सभी सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि जहां भी किल्लत हो, आज बता दें, इतवार से पहले हर जिले में यूरिया पूरी तरह से उपलब्ध होगी। यदि कहीं भी कमी हो।

श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

हमारे बुन्देलखण्ड में यूरिया हर जगह ब्लैक में बिक रहा है।

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

जैन साहब यदि कमी हो तो मैं भिजवा दूं और रोकने की कोशिश करेंगे ब्लैक में नहीं बिकने देंगे। एक बात यह आई थी मान्यवर, छपरौली के माननीय विधायक जी ने तोमर साहब ने कही थी कि बीस साल से पूर्वी यमुना नहर में पानी नहीं आ रहा है। वैसे तो बात तोमर साहब ने अपनी जानकारी के मुताबिक ठीक ही कही होगी, लेकिन दो साल पहले तो लगातार तीन साल उन्हीं की पार्टी के पास सिंचाई विभाग रहा और उन तीन सालों में भी यदि पानी नहीं जा पाया एक बूंद तो मैं इतना जरूर यकीन दिलाता हूं कि उन तीन सालों में जितना पानी पहुंचा होगा उससे दुगना पानी पहुंचाने की निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे, इसलिए मान्यवर, वैसे तो किसानों का महत्वपूर्ण मामला है, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है, इसलिए यह अग्राह्य की जाय।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया कि यूरिया ब्लैक हो रही है। माननीय मंत्री जी को मैं यह भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिये कि इस साल हम कुछ नहीं कर पायेंगे, आगे पुलिस चौकी स्थापित करेंगे, जिससे चोरी रुके।

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

मैंने ऐसा तो नहीं कहा है।

श्री प्रमोद तिवारी-

अरे, अभी तो आपने यही कहा था।

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

मैंने कहा था आज साढ़े पांच बजे बैठक बुलाई है।

श्री अध्यक्ष-

हां इन्होंने बैठक बुलायी है, आज साढ़े पांच बजे।

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

जो आपने बात कही थी उसके जवाब में मैं आपको बता दूं, तिवारी जी हमने 28499 छापे डलवाये थे और जिनमें 114 प्रतिष्ठान के तो लाइसेन्स रद्द किये गये हैं, 94 एफ0आई0आर0 हुई हैं, 45 आदमी जेल भेजे गये तो पूरी तरह से हम इसमें सजग हैं और आज मीटिंग बुला रखी है, यह मैंने इस लिए कहा सूचनाओं को, मैं आपकी सूचना को असत्य कैसे मान लूंगा, आपने कहा ब्लैक हो रही है, तो इसलिए मैंने मान लिया कि इस तरह की सूचनायें मिल रही हैं, उसको रोकने का हम प्रबन्ध करेंगे।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, बस एक मिनट से ज्यादा का समय नहीं लूंगा। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार कर लिया कि यूरिया ब्लैक हो रही है और नेपाल जा रही है। मान्यवर, यह स्वीकार किया और इससे मुकर नहीं सकते हैं, यह सदन की सम्पत्ति बन गई है और अगर आप चाहें तो कार्यवाही निकलवा कर पढ़ लीजिए।

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

मैंने कहा कि इस तरह की सूचनायें मिल रही हैं, इसलिए हमने और सख्ती करने के लिए आज मीटिंग बुला रखी है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, सूचनायें मिल रही हैं, कोई लिखित रूप से चोर लिख करके तो दें नहीं जायेगा कि हम चोरी कर रहे हैं। जो आपको सूचनायें मिल रही हैं, हमको भी मिल रही है, हमारे और आपके विचार मेल खा रहे हैं कम से कम आपने तो अभी विवेक सिंह जी से कागज पर दस्तखत करने के लिए कहा आपका और हमारा मन्तव्य तो एक है। आप भी स्वीकार कर रहे हो, हम भी स्वीकार कर रहे हैं कि यूरिया ब्लैक हो रही है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि हम चौकियां बनवायेंगे और चौकसी करेंगे तो इस साल तो किसान गया राम भरोसे उसे मिलने से रहीं, यह सरकार चूंकि पूरी तरह असफल हो चुकी है, किसानों को यूरिया देने में इसलिए मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता हूं।

(तत्पश्चात् भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यगण सदन छोड़ कर चले गये)

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय अजय तोमर जी को सुना, माननीय कृषि मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है, इसलिए मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इनके पास और कुछ है ही नहीं, पूरे प्रदेश के किसानों को यूरिया और खाद मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको किसानों से कुछ लेना-देना नहीं है। मान्यवर, प्रमोद तिवारी जी, किसान तो यूरिया खाद पर्याप्त मात्रा में पा रहा है और माननीय कृषि मंत्री जी ने इस बात को कहा कि कहीं भी अगर कमी महसूस हो रही तो हम उसका तत्काल इन्तजाम करने के लिए तैयार हैं कहीं भी किसान को यूरिया खाद की कमी नहीं होने पायेगी।

श्री मदन चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, जिला कारागार, गाजियाबाद में 13 तारीख की शाम को जो उनके साथ दुर्व्यवहार और पिटाई हुई है उसकी भी थोड़ी सी जांच की व्यवस्था करा लें तो थोड़ा अच्छा होगा, यह किसानों का मामला है मान्यवर।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, ग्रेटर नोयडा का जो प्रश्न था, मान्यवर जो घोड़ी-बछेड़ा में 2006-2007 में अर्जित की गई थी भूमि मान्यवर, उस समय जो अर्जित की गई थी उसमें 385 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा दिया गया था और उसी बात को लेकर पुनः जब प्रदेश सरकार सत्तारूढ़ हुई बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में तो मेरठ में ग्रेटर नोयडा के किसानों की जो अन्य भूमि ली जाने वाली थी या ली गई थी, उस सम्बन्ध में आयुक्त मेरठ की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और उस कमेटी ने रुपये 850 प्रति वर्ग मीटर 01-04-07 से मुआवजा निर्धारित किया मान्यवर।

मान्यवर, यह किसानों के हित में जो पहले 385 रु0 था उसको बढ़ाकर 1-4-07 से 850 रु0 किया गया है। मान्यवर, जब इस बात को किया गया तो जो दूसरे काश्तकार थे जो पहले मुआवजा ले चुके थे उन्होंने भी कहा कि हमारी जमीन ली गयी है और इस तरह का मुआवजा हमें भी मिलना चाहिये। सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखकर माननीय मंत्री, श्री ठाकुर जयवीर सिंह जी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की। उस कमेटी द्वारा 2006-07 में अधिग्रहीत घोड़ी-बछेड़ा के किसानों की जमीन के सम्बन्ध में एक्स ग्रेशिया के रूप में 310 रु0 प्रति वर्ग मीटर अतिरिक्त देने का निर्णय लिया गया है। इस तरह से अब कोई समस्या नहीं रह गयी है। (व्यवधान) अब किसान संतुष्ट है किसानों को अतिरिक्त लाभ मिल गया है। अब इनकी राजनीति फेल हो गयी है। केवल उस विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास आप कर रहे हैं। मान्यवर, इसमें कोई तात्कालिकता नहीं है इसलिए अनुरोध है कि कृपया इसे अग्राह्य करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

मैं पहले ही इसको निरस्त कर चुका हूं।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, 13 तारीख को इनकी बुरी तरह से पिटाई हुई इस सम्बन्ध में आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की मेडिकल रिपोर्ट भी है। दो रिपोर्ट है उसमें चार किसानों की बुरी तरह से पिटाई हुई है। जिनकी भूमि ली गयी, जो आबादी से छूट गये, उनकी पिटाई क्यों हुई इसकी आप कम से कम जांच तो करा लें ? उनसे जेल में कहा गया कि तुम लोग नेतागिरी करोगे तो यही हश्र होगा। मान्यवर, उनकी भूमि चली गयी उसमें 5-5 लोगों की हत्यायें हो गयीं। वहां लोगों में असंतोष है। इसकी जांच करा दें कि पिटाई क्यों हुई ?

आप जांच कराने को तैयार नहीं है। ठीक है हम लोग सदन का बहिर्गमन करते हैं।

(श्री मदन चौहान, श्री इमरान मसूद सहित समाजवादी पार्टी के अन्य सदस्य नारे लगाते हुए सदन का त्याग किया)

*श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, इलाहाबाद के जमुना पार क्षेत्र में इन दिनों नक्सल गतिविधियां बहुत बढ़ गई है। इसके लिए मान्यवर हमने जिला स्तर पर भी प्रयास किया और यह कहा कि प्रशासन द्वारा इन गतिविधियों पर रोक लगायी जानी चाहिये। वहां पर एक दो घटनायें ऐसी घटी हैं जिसमें प्रशासन के लोग भी मार खा गये। मान्यवर, कांटी में एक घटना घटी, उसमें पुलिस की टीम जो एस0पी0(आर0) के साथ थी उनके साथ मारपीट हुई। एस0पी0(आर0) को इतना मारा गया कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जबकि वह पहले स्वयं कहते थे कि इस तरह की कोई गतिविधियां इधर नहीं हैं। जब मैं उनसे मिलने अस्पताल गया और पूछा कि आज क्या स्थिति है ? तो उन्होंने स्वीकार किया कि नक्सल गतिविधियां बढ़ रही हैं क्योंकि हमारे साथ इस तरह की घटना हुई है।

मान्यवर, मैं आपको अखबार की एक कटिंग भेजना चाहता हूं। इसमें बड़े-बड़े असलहों के साथ किसान मजदूर सभा के नाम पर शामिल लोगों का विवरण है। इन्होंने कई बार थाने का घेराव किया है। अवैध असलहे हैं उनके पास बल्लम, फरसे और कंट्रीमेड रिवाल्वर हैं। इनके साथ वह धरना प्रदर्शन में भाग लेते हैं। मैंने इस सम्बन्ध में इलाहाबाद के एस0एस0पी0 साहब से वार्ता की और उन्हें लिखकर भी दिया। हमने बताया है कि हमारे विधान सभा क्षेत्र से लेकर के मिर्जापुर के बार्डर तक यह गतिविधियां बढ़ रही हैं। मेजा के विधायक जी भी बैठे हुए हैं वह बीएसपी के विधायक हैं। सोनभद्र में तो यह गतिविधियां पहले से ही है और वहां पर विकराल रूप धारण कर चुका है। मान्यवर, यह गतिविधियां आज मिर्जापुर से मेजा, कोरांव बारा तहसीलों में बढ़ना प्रारम्भ हो गयी है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद का एक पत्र है जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि पुलिस उपाधीक्षक की जांच से पाया गया कि जनपद में यमुनापार क्षेत्र में विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत लालपुर, घूरपुर, खीरी, तौदियारा, शंकरगढ़, बारा, मेजा, मांदा व कोराव क्षेत्र में यमुनापार जनपद से बाहरी मजदूर किस्म के लोग जो मध्य प्रदेश व बिहार से आये हुए हैं उनके द्वारा नक्सल गतिविधियों की समस्या पैदा की जा रही है। यह बात उन्होंने स्वीकार किया कि बाहर से जो लोग इस प्रकार आते हैं, इसमें केवल एस0एस0पी0 ने एक चीज छिपा लीं उन्होंने मजदूर किस्म के लोगों का संज्ञान दे दिया जबकि ये वह लोग हैं जो नक्सल गतिविधियों की ज्ञात में आकर के ट्रेनिंग देते हैं। मान्यवर, शंकरगढ़ थानान्तर्गत कई बार भारी मात्रा में विस्फोटक भी पकड़े गये चालान भी हुआ। मान्यवर, एक जीप भर करके विस्फोटक ले जाये जा रहे थे यह आखिर क्यों ? विस्फोटक पकड़े गये, मुकदमें दर्ज हुए वह लोग जेल गये लेकिन उसके बाद पुनः विस्फोटक पकड़े गये। मान्यवर, रिपीटिडली यह घटनाएं घटित हो रही हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान भी आकर्षित करना चाहता हूं और सरकार से आग्रह भी करना चाहता हूं कि इन घटनाओं को बहुत हल्के ढंग से न ले करके केवल लीपा-पोती करके सदन में कोई ऐसा जवाब न दिया जाय कि इस प्रकार की घटनाएं हो ही नहीं रही हैं। मान्यवर, मैं प्रमाण के साथ यह बात कह रहा हूं एसएसपी इलाहाबाद का पत्र। मान्यवर, ग्राम्य विकास आयुक्त का भी एक पत्र गया जिसमें शंकरगढ़ विकास खण्ड के जो बीडीओ हैं उन्होंने भी एक पत्र लिखा। यह आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्र है 280 दिनांक 18-3-2008। इसमें भी इन्होंने स्वीकार किया है कि इलाहाबाद के यमुनापार क्षेत्र में नक्सल गतिविधियां इन दिनों बहुत तेजी से हो रही है। मान्यवर, घटनाएं बहुत छोटी बड़ी नहीं होती है। एक केसरवानी परिवार है प्रतापपुर में बहुत गरीब परिवार है और एक छोटी सी दुकान चौराहे पर रखकर अपने परिवार का जीवनयापन करता है। मान्यवर, उसके यहां कुछ लोग गये और उनसे उधार सामान मांगा। शाम का समय था सबके सब शराब के नशे में धुत्त थे। मान्यवर, उसने उधार सामान नहीं दिया केवल उसका अपराध इतना था कि उसने कहा कि मैं उधार सामान आपको नहीं दे सकता। उसके फलस्वरूप लगभग 100-200 की संख्या में लाल सलाम जिन्दाबाद करते हुए लोगों ने उसकी दुकान पर आक्रमण किया, उसके घर पर आक्रमण किया और यही नहीं उसी गांव का एक पूर्व प्रधान है जो मुस्लिम समुदाय से आता है उसने जब इस बात का विरोध किया तो उन लोगों ने उसका दरवाजा तोड़ दिया और उसके खिलाफ भी कार्यवाही की।

मान्यवर, आपने मुझे इसमें बोलने का मौका दिया। सदन की कार्यवाही रोक करके मैं कहना चाहता हूं कि न आज सही सोनभद्र के हमारे माननीय विधायकगण हैं, मिर्जापुर के हमारे माननीय विधायकगण हैं, इलाहाबाद के हमारे माननीय विधायकगण हैं यह सब नक्सलवाद गतिविधियों से कहीं न कहीं प्रभावित है। मान्यवर, हम सब जनप्रतिनिधि हैं और हमारा सबका यह कर्तव्य बनता है कि हम ऐसी गतिविधियों का विरोध क्षेत्र से लेकर विधान सभा तक करें। और उसके फलस्वरूप हम लोगों की भी जान का खतरा उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति विरोध करने के लिए खड़ा होगा यह नक्सल किसी के सगे नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से

आग्रह करता हूं कि आज नहीं किसी और दिन सही इस पर विस्तृत रूप से चर्चा कराई जाय कि इसको, नक्सल गतिविधियों को कैसे रोका जाय, किन-किन जगहों पर नक्सल गतिविधियां तेजी से बढ़ रही है इस पर चर्चा करा ली जाय और कम से कम इलाहाबाद का जो यमुनापार का क्षेत्र है इस पर कुछ इस प्रकार की कड़ी कार्यवाही करायें कि नक्सल गतिविधि जो अभी पनपना शुरू हुई है इस पर तत्काल तुरन्त रोकने का कुछ कारगर कदम उठाने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, प्रदेश सरकार किसी भी तरह की अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सजग हैं और विशेष रूप से नक्सल गतिविधियों को या आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के, लिए हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। जहां इलाहाबाद के इस क्षेत्र का व्यौरा है पुलिस और प्रशासन के प्रयास से ही थाना शंकरगढ़ में पुलिस द्वारा 28-12-08 को अभियुक्त हरीलाल आदि से कुल 15 बोरी में 7 कुन्तल अमोनियम नाइट्रेट, मैग्नेटिक फ्यूज वायर 1720 फिट व डिटोनेटर 100 अदद के साथ गिरफ्तार किया गया था जिसके सम्बन्ध में मुकदमा अपराध संख्या 206/08 धारा-3/4/5 पंजीकृत भी हुआ है और विवेचना की जा रही है। पुलिस की सक्रियता से ही यह तथ्य सामने आया और सदन को विश्वास में लेकर सभी माननीय सदस्यगण को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उक्त क्षेत्र में किसी भी तरह की नक्सलवादी गतिविधियां पनपने न पावें, इसके लिये हर सम्भव हर तरह का प्रयास किया जायेगा और पूरी तरह से नक्सलवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने का काम किया जायेगा। यह सूचना नियम-56 में नहीं आती, कृपया इसको अग्राह्य करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

इस सूचना पर मैंने माननीय सदस्य श्री उदयभान करवरिया को तथा माननीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह सूचना नियम-56 में नहीं आती इसलिये इसको अग्राह्य घोषित करता हूं। अगली सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी की है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, आजकल हमारे देश में पर्यावरण की जो समस्या है, उससे हम और पूरा सदन परिचित है। हमारे अपने सिद्धार्थनगर जनपद की इटवा तहसील में आजकल बड़े पैमाने पर हरे पेड़ों की कटान हो रही है और यह पेड़ व्यक्तिगत लोगों के तो काट ही लिये जाते हैं बल्कि ग्राम समाज की सम्पत्ति, जो ग्राम समाज की भूमि पर बड़े-बड़े वन लगे हैं उस पर कुछ प्रभावशाली लोग, जो शक्तिशाली लोग हैं जिनके कहने पर पुलिस है जिनके कहने पर प्रशासन हैं, वह लोग उन पेड़ों को खड़े होकर कटवाते हैं। मान्यवर, 31 जनवरी को धोबहा गांव में एक वन ग्राम समाज की तरफ से लगाया गया था। उसके 150 पेड़ कुछ प्रभावशाली लोग कटवाने लगे, गांव वाले मौके पर निकल पड़े और उन्होंने रोका तथा कहा कि यह वन विभाग के वृक्ष हैं इसे क्यों

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

काट रहे हैं, उसके बाद वह लोग चले गये और पुलिस बुला लाये। पुलिस ने अपनी उपस्थिति में खड़े होकर सारे हरे 150 पेड़, जो 25 वर्षों के पेड़ थे, काटकर गिरवा दिया और स्वयं ट्राली पर लदवाकर एक व्यक्ति के भट्टे तक पहुंचाया। इसी तरह एक गांव है बभनी और बभनी से ओझवा के बीच बहुत पुरानी सड़क थी, उस पर जिला पंचायत के पुराने बहुत बड़े-बड़े पेड़ लगे थे करीब 20 पेड़, जिनका मूल्य 2 लाख से ज्यादा होगा, वह काटकर हरे पेड़ आम के गिरा दिये गये और वह पेड़ उठाकर पता नहीं कहां चले गये। हमारे लोगों ने जब इसकी शिकायत करना शुरू की और अधिकारियों से हमने कहा तो पुलिस वालों ने हाथ-पांव ढीले कर दिये। जब जिलाधिकारी से कहा गया तो उन्होंने कहा कि यह सूचना मुझे नहीं दी जानी चाहिये। डी0एफ0ओ0 से कहा गया तो उन्होंने भी इस सूचना को लेने से इंकार कर दिया। मैंने तहसीलदार से व्यक्तिगत रूप से कहा कि यह ग्राम समाज की सम्पत्ति है प्रधान परेशान है, आज तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, कल प्रधान के खिलाफ आप मुकदमा पंजीकृत करायेंगे तो आप इस पर कुछ तो कार्यवाही करिये। उन्होंने साफ इंकार कर दिया और कहा कि अगर हम इन पर कार्यवाही करेंगे तो मेरी ही नौकरी खतरे में पड़ जायेगी और मैं कुछ नहीं कर सकता। विवश होकर 156(3) में हमने वहां के थानेदार के खिलाफ, डी0एफ0ओ के खिलाफ और राजस्व अधिकारियों के खिलाफ तथा कुछ व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने के लिये आवेदन दिया। मैंने इसलिए इस महत्वपूर्ण सवाल को यहां उठाया है कि जब प्रशासन सब कुछ बात मानने से इंकार कर दे सुनने से इंकार कर दे तो हमारे पास वह कौन सी जगह है जहां जाकर हम अपनी बात कहें। जब जिलाधिकारी कह दें कि मैं इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। पुलिस अधीक्षक कह दें कि मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता। राजस्व कर्मी कह दें मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता तो मैं विवश होकर इस प्रश्न को आज आपके सामने और सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं और आपसे मेरा निवेदन है कि मैं चर्चा के लिये मांग नहीं करूंगा क्योंकि चर्चा बहुत लगी है।

मेरी एक ही आपसे मांग है कि इस पर आप शासन से एक वक्तव्य दिला दें तो साफ पता चल जायेगा कि किन लोगों ने पेड़ काटा और कितने रुपये उसका मूल्य था। जब बहुत दबाव पड़ा है और पता चल गया कि सदन में मामला जायेगा तो वह विभाग के कुछ कर्मचारी गये थे शायद उन्होंने दो-चार बोटे का, पता नहीं कितने का कुछ लिखा पढ़ी की। मुझे इसका सवाल नहीं है कि वन विभाग ने इस पर कार्यवाही की या नहीं की। सवाल इसका है कि ग्राम समाज की सम्पत्ति को बिना अनुमति के उठा ले जाना बिना नीलामी और बिना किसी कारण के उस सम्पत्ति को हानि पहुंचाना महत्वपूर्ण विषय है। जहां वन विभाग है, जहां पर्यावरण है वहीं उसमें राजस्व कर्मियों की भी उदासीनता है। इसलिये आप एक दिन निर्धारित कर दें और सरकार से इस पर वक्तव्य दिला दें तो इससे साफ हो जायेगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। किन-किन लोगों ने पेड़ काटा है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश को निर्देश दे दिये गये हैं और उस आधार पर जो भी कार्रवाई की आवश्यकता होगी, वह की जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(श्री उदयराज यादव, श्री कुबेर सिंह एवं अन्य सदस्यों के खड़े होने पर)

* श्री उदयराज-

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, कृपया दो मिनट में सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, केवल दो मिनट में अपनी बात कहें।

श्री उदयराज-

मान्यवर, मैं एक ऐसी महत्वपूर्ण सूचना आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं जो इस प्रदेश के नौजवानों से सम्बन्धित है। मान्यवर, आप भी अवगत हैं कि हिन्दुस्तान की आजादी से ले करके हमेशा जब कभी भी देश-प्रदेश पर संकट आया जो नौजवानों ने ही अगली पंक्ति में खड़े होकर के कुर्बानी देने का काम किया है। आज नौजवानों की स्थिति इस वर्तमान सरकार में बहुत दयनीय है 13 मई, 2007 को जिस सरकार ने यह कहा था कि सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय उस सरकार में नौजवानों का हित किस तरह से किया जा रहा है वह किसी से छिपा नहीं है। मान्यवर, केन्द्र सरकार की तमाम योजनाएं गांवों में चलती हैं और मान्यवर, कर्मचारियों की कमी होने के कारण वहां पर सरकार ने ग्राम पंचायत मित्रों की नियुक्ति करने का काम किया है। आज पंचायत मित्रों की हालत क्या है, उन्हें मात्र 22 सौ रुपये प्रतिमाह देने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है वहीं मान्यवर, जिनको जॉबकार्ड जारी किया गया है उनको मजदूरी के रूप में सौ रुपये देने का काम किया जा रहा है। मान्यवर, मैं केवल सरकार से इतनी ही मांग करना चाहता हूं कि जो पंचायत मित्र हैं उन्हें धरना-प्रदर्शन और आन्दोलन करने का मौका न दें बल्कि उनका मानदेय कम से कम चार हजार रुपये प्रतिमाह करने का काम करें। आज एक तरफ जहां गैर पढ़े-लिखे मजदूर को 100 रुपये प्रति दिन के हिसाब से मजदूरी दी जा रही है वहीं पढ़े-लिखे नौजवानों को, जो बी0ए0, एम0ए0 किये हुए हैं, जिनको पंचायत मित्र में रखा गया है उनको केवल 75 रुपये देने का काम किया जा रहा है। इसलिए मान्यवर, इस अत्यन्त महत्वपूर्ण लोकमहत्व के प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इन पंचायत मित्रों का मानदेय कम से कम चार हजार रुपये करने का कष्ट करें, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री उदयराज-

मान्यवर, इस पर कुछ कह दें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

पहले ही मैंने व्यवस्था दे दी है इसलिए मैं इस सचना को अग्राह्य करता हूं।

श्रीमती सीमा द्विवेदी-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारे यहां 17-12-2008 को सुजान गंज थाने में एक लूट हुई और जिसकी लूट हुई उसने कहा कि हमारा ढाई लाख रुपया कोई ले करके भाग गया, सुबह साढ़े 6 बजे की यह घटना है। वहीं बगल में एक असुरोपुर गांव है, उस गांव में पुलिस गई और वहां के तीन बच्चे विजय पाण्डेय उम्र 18 वर्ष, अवधेश पाण्डेय उम्र 18 वर्ष, यह लोग चाँदपुर गांव निवासी सुल्तानपुर के रहने वाले थे और हमारे क्षेत्र असुरोपुर में एक बाल मुकुन्द दुबे जी के यहां आये हुए थे यह बच्चे आई0टी0आई0 की परीक्षा देने के लिए बदलापुर जा रहे थे, पुलिस वाले उनको जबर्दस्ती पकड़ लाये और धारा 411 और 392 के तहत फर्जी मुकदमा दायर करके उन्हें जेल भेज दिया और अभी मान्यवर, उनकी जमानत भी नहीं हो पायी थी कि 31 जनवरी, 2009 को उनके ऊपर फर्जी गैंगेस्टर लगा करके भेज दिया गया। मा0 अध्यक्ष जी, पुलिस, जिस पर हम भरोसा करते हैं, वह जिसे चाहे अपराधी बना दे, जिसे चाहे माफ कर दे, उसका यह निरंकुश तन्त्र हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा है। मान्यवर, मैंने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क किया और कहा कि यह मुकदमां फर्जी है तो उन्होंने उपाधीक्षक को जांच के लिए भेजा और मान्यवर जब वहां जांच हुई तो जिनकी लूट हुई थी उन्हीं के घर के बक्से से तलाशी में ढाई लाख रुपये बरामद हुए। मान्यवर, मेरा कहने का आशय यह है कि धन की लूट नहीं हुई थी और जब धन की लूट नहीं हुई उनके ऊपर 422 का मुकदमा क्यों कायम किया गया, 411 का मुकदमा क्यों कायम करके जेल भेजा गया। 18 वर्ष के बच्चे जिनके ऊपर कभी दफा 151 तक नहीं लगी ऐसे बच्चों के ऊपर गैंगस्टर ऐक्ट जैसा बड़ा मुकदमा कायम किया गया। मैं समझती हूं कि यह बहुत बड़ा अपराध है। इसकी जांच कराई जाए। अध्यक्ष महोदय मैं संसदीय कार्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि जो पुलिस का दस्तावेज आएगा, जो पुलिस विभाग के अधिकारियों की रिपोर्ट आएगी उसी दस्तावेज को मंत्री जी पढ़ने का काम न करें। मेरा अनुरोध है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करा ली जाय। अगर पुलिस अधीक्षक और वहां के तत्कालीन एस0ओ0 ने गलत किया है तो मेरी मांग है कि उनके ऊपर मुकदमा कायम करके उनको जेल भेजा जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रस्तुत सूचनो पर मैंने श्रीमती सीमा द्विवेदी को सुना यह सूचना नियम 56 में नहीं आती है लेकिन तब भी संसदीय कार्य मंत्री जी इसको दिखवा लें कि कहीं निर्दोष तो इस घटना में नहीं फंसा है।

* डा0 अनिल चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से कार्य स्थगन के इस प्रस्ताव की ग्राह्यता पर बोलते हुए सदन की संज्ञान में एक गम्भीर मसला लाना चाहता हूं। मान्यवर, संविधान की सूची में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

27वें नम्बर पर अनुच्छेद 341 में 27वें नम्बर पर धनगर जाति अनुसूचित जाति मानी गई है। वर्ष 1955 में बैकवर्ड कमीशन ने रिपोर्ट प्रकाशित की तब भी इस जाति को अनुसूचित जाति में माना गया। जब उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की सूची जारी हुई, पुनर्रक्षित सूची 1976 में जारी हुई तब भी इस जाति को अनुसूचित जाति के अन्तर्गत माना गया। यहां यह भी संज्ञान में लाना चाहता हूं भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 की धारा 2 में स्पष्ट उल्लेख है कि अनुसूचित जाति की लिस्ट में फेरबदल का अधिकार केवल और केवल भारत की संसद को है। अन्य कोई भी संस्था इसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकती है लेकिन इस जाति के साथ बड़ा अनाचार हो रहा है। चार शासनादेश जारी हुए एक 1986 में दूसरा 2002 में जारी हुआ तीसरा 3 जनवरी 2007 को जारी हुआ और चौथा 15 अप्रैल, 2008 को हुआ उन शासनादेशों की बदौलत इन लोगों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र देने पर रोक लगा दी गई इसके खिलाफ धनगर समाज के लोग भारत के अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग व इलाहाबाद उच्च न्यायालय में गए इन दोनों जगहों से सरकार को निर्देश दिये गये।

श्री अध्यक्ष-

इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी ने सदन को अवगत करा दिया है कि एक पत्र केन्द्र सरकार को भेजा गया है।

डा0 अनिल चौधरी-

उच्च न्यायालय द्वारा भी और अनुसूचित जाति आयोग द्वारा भी कि धनगरों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र जारी किया जाय लेकिन पता नहीं क्यों यह सरकार बहकाने का काम कर रही है। जब धनगर लोग मथुरा कलेक्ट्रेट पर धरना आयोजित किए हुए थे तो उन पर बर्बर लाठीचार्ज किया गया।

श्री अध्यक्ष-

यह बात आ चुकी है।

डा0 अनिल चौधरी-

मैं यह सवाल करना चाहता हूं इस सदन के माध्यम से कि दलितों की पार्टी की सरकार में दलितों के ऊपर अत्याचार, लाठीचार्ज करने का काम व उनको गम्भीर आरोपों में फंसाने उनके ऊपर गम्भीर धाराएं लगाने व ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम यह सरकार कर रही है। मैं मांग करता हूं कि इसकी जांच करानी चाहिए और धनगरों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र तुरन्त जारी कर देना शुरू कर देना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया।

श्री अध्यक्ष-

प्रस्तुत सूचना पर मैंने डा0 अनिल चौधरी को सुना यह सूचना नियम 56 में नहीं आती फिर भी जिन शासनादेशों का उल्लेख किया गया है उसका परीक्षण करवा लें।

विशम्भर निषाद जी, आपकी बात का उत्तर मुख्य मंत्री जी ने भाषण में दे दिया है। इसलिए मैं इस सूचना को निरस्त करते हुए इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, उ0प्र0 के कहार, केवट, मल्लाह, निषाद, कश्यप, धीवर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोंड, माझी, बिन्द, भर, राजभर, कुम्हार, प्रजापति आदि समाज के लोग अनुसूचित जाति में शामिल होने के लिए आन्दोलनरत हैं। मा0 नेता सदन में 4 मार्च, 2008 को उपर्युक्त जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की घोषणा करते हुए सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति के आधार पर उपरोक्त जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने हेतु सभी शर्तें पूरी होना बताया था ....

श्री अध्यक्ष-

श्री विशम्भर प्रसाद जी आपकी बात आ गयी है और उस पर मा0 मुख्य मंत्री जी ने उत्तर भाषण दे दिया है इसलिए इस पर शासन का ध्यान आकर्षित कर देता हूं और सूचना को निरस्त करता हूं।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 नेता सदन ने सभी शर्तें पूरी होना बताया था तथा केन्द्र को विधिवत प्रक्रिया पूर्ण कर प्रस्ताव भेजने एवं इस विषय में अपेक्षित संवाद स्थापित करते हुए अनुश्रवण करने की घोषणा की थी।

श्री अध्यक्ष-

इसमें आपका इतना ही कहा था, कि यह सुनिश्चित कर लीजिए कि भारत सरकार ने जो मांगा है उसको भिजवा दें, वह निर्देश मैंने दे दिया है। उसका परीक्षण हो जायेगा। अब मैं प्रदीप माथुर जी को बुला रहा हूं।

*श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे ग्राह्यता पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से.....

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, हाउस में कुछ कहा जाता है, बाहर कुछ कहा जाता है। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र मुख्य मंत्री जी के द्वारा भेजा गया था। जिसमें आर0जी0आई0 ने आपत्ति लगाकर उ0प्र0 को भ्रामक पत्र वापस करते हुए निर्धारित प्रपत्र कैबिनेट प्रस्ताव की संस्तुति मांगी गयी जिसे सरकार ने अभी तक पूरा नहीं किया और यह कहकर टाल दिया कि केन्द्र सरकार का मामला है। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नेता सदन ने जो 4 मार्च, 2008 को घोषणा की थी उसको पूरा करा दें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

जो आप चाहते थे, उस पर ध्यान आकर्षित हो गया है। मैंने प्रदीप माथुर जी को बुला लिया है, अब आपकी बात नोट नहीं की जायेगी।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आपने विनिश्चय कर दिया, मा0 सदस्य की सूचना निरस्त कर दी उसके बाद भी बोल रहे हैं, मैं चाहूंगा कि यह कार्यवाही में दर्ज न होने पाये।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

[x x x]

(श्री विशम्भर प्रसाद निषाद असंतुष्ट होकर सदन का बहिर्गमन कर गये)

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश सरकार के निगमों के उन कर्मचारियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अभी शासन ने मुख्य कर्मचारियों को 6वां वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू करने की घोषणा की लेकिन निगम के कर्मचारियों को 6वां वेतन आयोग नहीं दिया। निगम के कर्मचारी भी अप्रत्यक्ष रूप से शासन के अभिन्न अंग हैं परन्तु उनकी कोई सुनवाई नहीं है। बड़े खेद का विषय है कि बहुत से उत्तर प्रदेश के निगमों में पंचम वेतन आयोग भी नहीं लागू हो पाया है। मैं चाहता हूं कि इन निगमों के जिसमें हजारों कर्मचारी कार्यरत हैं उनके साथ यह सरकार सौतेला व्यवहार न करे और उनको 6वां वेतन आयोग देने की घोषणा करे। इसके लिए यदि आपको आवश्यकता है तो जल्दी से एक कमेटी का गठन करें जिसके चेयरमैन या सचिव जो भी हों, उसकी रिपोर्ट एक निश्चित समय सीमा के अन्दर दें जिससे कि हजारों कर्मचारी जो आन्दोलन की राह पर जा सकते हैं परन्तु वह देखते हैं कि विधान भवन के गेट नं0-3 पर हजारों लोग अपनी मांगों को लेकर आन्दोलन करते रहते हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती इसलिए उनके दिल में भी टीस है, सरकार उनके लिए क्यों नहीं 6वां वेतन आयोग की घोषणा करती है ? मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस पर सरकार अपना वक्तव्य दे और यह बताये कि कब तक 6वां वेतन आयोग उन निगमों के कर्मचारियों के लिए देना चाहती है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, यह विशेष उल्लेख में था, इस पर शासन का ध्यान आकर्षित कर दिया गया। साथ ही यह सूचना निरस्त कर दी गयी। अब मैं श्री उदयभान करवरिया जी को बुला रहा हूं कल उन्होंने बजट पर चर्चा जारी रखी थी, उसे प्रारम्भ करें।

श्री कुबेर सिंह-

मान्यवर, मेरी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर सूचना है केवल दो मिनट दे दीजिए।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री उदयभान करवरिया-

माननीय अध्यक्ष जी, सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

कुबेर सिंह जी, इस सूचना को आप कल फिर किसी नियम में दे दीजिएगा।

वित्तीय वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (क्रमागत)[*]

श्री उदयभान करवरिया-

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2009-2010 के बजट अनुमानों पर वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण पर आपने मुझे कल की चर्चा को प्रारम्भ करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने इस प्रकार का बजट बनाकर अपनी पीठ को खुद थपथपाया है। 2009-2010 में बजट के आकार को 19 प्रतिशत ज्यादा दिखाया गया है। 19 प्रतिशत बजट के आंकड़े को ज्यादा दिखा देना वह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि इतना बजट का आकार बढ़ाने के बावजूद भी रोजगार देने की नौजवानों को क्या व्यवस्था की गयी है ?

(इस समय 1 बजकर 50 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बृजेश सौरभ पीठासीन हुए।)

मान्यवर, मैंने इस पूरे बजट भाषण को पढ़ा है और इसमें मुझे कहीं पर यह नहीं दिखाई पड़ा कि रोजगार देने की व्यवस्था क्या बनाई गई है ? माननीय अध्यक्ष जी, बजट तो 19 प्रतिशत आकार में बढ़ाया गया लेकिन क्या सरकार ने इस बात को भी गौर किया कि सालाना बजट तो 19 प्रतिशत आकार में बढ़ा लेकिन कर्जा प्रति व्यक्ति उत्तर प्रदेश के ऊपर कितना बढ़ गया ? मान्यवर, अगर मोटे तौर पर देखा जाय तो जितना कर्ज उत्तर प्रदेश के ऊपर है वह प्रति व्यक्ति लगभग 11 हजार रुपये। उत्तर प्रदेश का प्रत्येक नागरिक लगभग 11 हजार रुपये का कर्जदार हो गया है। मान्यवर, छठे वेतन आयोग को लागू किया गया, स्वागत योग्य था। सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवाओं का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन लाभ किस सीमा तक मिलना चाहिए इसको भी सरकार को देखना चाहिए था। मान्यवर, मुझे एक प्रकरण याद है हमारे दल के एक व्यक्ति अस्पताल में भर्ती थे, उनके पैर का आपरेशन होना था पहले रॉड पड़ा हुआ था उनके पैर में और मेडिकल अस्पताल इलाहाबाद में हम लोगों ने उनको भर्ती करवा दिया। डाक्टर साहब ने उनके आपरेशन करने की तारीख भी घोषित कर दी और उसी तारीख के बीच में छठे वेतन आयोग को लेकर जूनियर डाक्टर्स एसोसियेशन ने इलाहाबाद में धरना प्रदर्शन का काम शुरू कर दिया।

मान्यवर, उसका नतीजा यह निकला कि हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, जिला प्रशासन ने बहुत प्रयास किया कि किसी प्रकार से उनका आपरेशन हो जाय जो चलने फिरने नहीं पा रहे थे और छठा वेतन आयोग की मांगों को लेकर डाक्टर्स ने जो धरना प्रदर्शन शुरू किया उसका

---

[*] दिनांक 17 फरवरी, 2009 की कार्यवाही से।

नतीजा यह हुआ कि 15 दिन के बाद उपाध्याय जी नाम है उनका, उनका आपरेशन हो गया। मान्यवर, बाद में सरकार ने इसको भी स्वीकार किया। छठे वेतन आयोग की अभी तक सरकार ने जितनी घोषणाएं की हैं उसकी वजह से लगभग 6 हजार करोड़ रुपये का ऋण सरकार के ऊपर ज्यादा बढ़ गया है। मान्यवर, बाजार ऋण के रूप में 44, 767 करोड़ रुपये का ऋण अल्प बचत के रूप में 45,765 करोड़ का ऋण, वित्तीय संस्थाओं से जो ऋण प्रदेश सरकार ने ले लिया है वह 6,750 करोड़ रुपये का। पावर बाण्ड का 3,523 करोड़ रुपये का, भारत सरकार से जो ऋण प्राप्त हुआ है वह 20,234 करोड़ रुपये का। भविष्य और पेंशन निधि से भी ऋण ले लिया गया मान्यवर। सरकारी कर्मचारियों का भविष्य और पेंशन निधि से भी ऋण ले लिया और वह ऋण है 33,890 करोड़ रुपये का। कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग का लाभ तो आपने दे दिया, उसको क्रियान्वित आप कब कर पायेंगे यह कठिन मुद्दा है। हो सकता है कि चुनाव का समय है, जो भी छठे वेतन की मांग करता हो, सरकार उसको स्वीकार कर लेती हो और कहती हो कि आपको छठे वेतन आयोग का लाभ दिया गया लेकिन मान्यवर, यह दिया भी जायेगा कि नहीं दिया जायेगा यह अभी भविष्य के गर्भ में है, इसके विषय में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। एक कहावत है- कि जाट मरा तब जानो जब तेरहीं हो जाय। मान्यवर, जब यह मिल जाय, तब यह माना जाय कि इसका लाभ लोगों को मिल गया। लेकिन मान्यवर, एक प्रश्न और इसके साथ में आता है, प्रदेश की सरकार जो दूसरी जगह से संस्थाओं से।

*डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, इसको कार्यवाही से निकलवाने का काम करें। कल भी जाट के ऊपर हमला था। कि यह सूअर घेरने का काम जाट कर रहे हैं आज जाट को मारने का काम किया जा रहा है। आप ठीक समझें तो इसे कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, मैं तो जो कहावत है, उसको कह रहा हूं। मेरा कोई जाट को मारने का विचार नहीं है। मैं उस कहावत को सदन में दुहरा रहा हूं। मान्यवर, जमा और अग्रिम के रूप में जो ऋण सरकार ने लिया है वह है 19,958 करोड़ रुपये का और करीब 55 करोड़ रुपये की अन्य देयताएं बनती है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमने वित्तीय वर्ष का बजट प्रस्तुत कर दिया, अपनी पीठ थपथपा ली कि 19 प्रतिशत बजट का आकार ज्यादा है। लेकिन क्या हमने यह भी देखा है कभी, कि जो बजट का आकार है उससे डेढ़ गुना ज्यादा है। ऋण प्रदेश के ऊपर है हम गरीबों के ऋण की माफी की बात करते हैं हम उनको आवास देने की बात करते हैं हम उनको हर तरह से मजबूत करने की बात करते हैं। लेकिन हम अपने वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने की बात नहीं करते हैं। प्रदेश सरकार अपने वित्तीय संसाधन बढ़ाए। अपने वित्तीय संसाधनों से प्रदेश को मजबूत करे इस पर कोई एतराज नहीं है लेकिन एक आदत सी पड़ गई है कि ऋण लेकर अपनी पीठ थपथपा ली जाए और बता दिया जाए कि बहुत अच्छा बजट हमने प्रस्तुत किया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय करवरिया जी थोड़ा संक्षिप्त करिए।

श्री उदयभान करवरिया-

अभी तो अधिष्ठाता महोदय शुरू किया है। पांच-सात मिनट एलाऊ कर दें ज्यादा समय नहीं लूंगा। बगल का जिला है आप मुझे थोड़ी राहत दे दीजिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह कहकर अपनी पीठ थपथपाई नहीं जा सकती है कि बजट का आकार ज्यादा है। बल्कि इस पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए कि हमारे प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के ऊपर जो कर्ज बढ़ रहा है ऋण लेने की वजह से, इसको हम कैसे ठीक करें ? प्रदेश को कैसे खुशहाल बनाएं इस पर अगर ज्यादा ध्यान दिया जाता तो मैं और मेरी पार्टी जरूर सरकार को बधाई देती। मान्यवर, पिछले वर्ष के बजट में एक योजना लागू की गई-अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग हेतु डा0 अम्बेडकर दुग्ध स्वरोजगार योजना, मान्यवर, दो सौ करोड़ रुपये की योजना थी। अच्छी योजना थी हम लोगों ने इसके लिए सरकार को बधाई दी थी। इसकी बधाई देने के दो कारण थे एक तो मान्यवर इस बार के बजट में मैंने देखा है कि जैविक उर्वरक खरीदने मे 90 प्रतिशत का किसानों को सरकार अनुदान देने जा रही है। पिछली बार दो सौ करोड़ रुपये की योजना जो थी वह समाप्त हो गई। और उस योजना का पैसा चला गया सी0सी0रोड बनाने में। वह पूरा का पूरा पैसा डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के तहत सी0सी0रोड एवं पक्की नाली के निर्माण में चला गया। मान्यवर, एक जानवर नहीं खरीदा गया। अगर जानवर खरीदा जाता तो उसके दो लाभ होते एक तो जो व्यक्ति बेरोजगार था उसको रोजगार मिल जाता और रोजगार के साथ-साथ जो हम जैविक उर्वरक में सब्सिडी की बात कर रहे हैं गोबर की खाद बनती वह खेतों में जाती तो खेतों की उपज बढ़ती और किसानों को उसका भी लाभ मिलता और जो दुधारू जानवर है उनके दूध को बेचकर किसान अपने पैरों पर खड़ा हो पाता।

मान्यवर, इस योजना का पूरे बजट में कहीं जिक्र ही नहीं है। इसका मतलब केवल बजट में योजनाओं का जिक्र किया गया है और उसके बाद सारा पैसा इधर का उधर चला गया है। मान्यवर, मेरा और मेरे ख्याल से सभी सम्मानित विधायकों का भी यह मत होगा कि सी0सी0रोड से ज्यादा आवश्यक ग्राम के ग्रामीण अंचल में रहने वाले गरीब आदमी को रोजगार से जोड़ना ज्यादा आवश्यक था। मान्यवर, इस योजना का तीन वर्ष का विवरण बनाया गया। तीन क्या चार वर्ष का विवरण बनाया गया ? वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक का, इसका योजनावार शासकीय अनुदान भी निर्धारित कर दिया गया। इकाई लगाने की जो अधिकतम लागत थी वह निर्धारित कर दी गई। पशु क्रय संख्या निर्धारित कर दी गई। इसके अलावा यह बताया गया कि इससे कुल प्रत्यक्ष रोजगार का जो सृजन होगा वह चार लाख नौ हजार 297 होगा। अप्रत्यक्ष रूप से 45 हजार 64 रोजगार सृजित होंगे। कुल मिला करके 4 लाख 54 हजार 361 लोग जो बेरोजगार थे उनको रोजगार देने के लिए इस बजट का आवंटन किया गया लेकिन इस बजट का पैसा दूसरे में चला गया तो जिनको उम्मीद बनी कि हम रोजगार से जुड़ जाएंगे उनसे रोजगार को छीनने का काम इस सरकार ने किया। मान्यवर, विधवा पेंशन और इन्दिरा आवास की बात आई। सरकार के

आधार पर बजट में लिख दिया गया इतना इंदिरा आवास देंगे लेकिन एक समस्या आ रही है मार्च, 2007 तक पांच वर्ष के लिए स्थाई पात्रता सूची ब्लाकों में बनाई गई। मार्च, 2007 तक 5 वर्ष के लिये स्थाई पात्रता सूची ब्लाकों में बनाई गई, मार्च, 2007 में उसकी अवधि खत्म हो गई। और मान्यवर, जिनको हम जान रहे हैं कि वह गरीब है कि इनके पास रहने के लिये स्थान नहीं है, झोपड़ी में किसी प्रकार से अपना जीवन-यापन कर रहे हैं और उनको आवास देने के लिये जब जिला प्रशासन से कहते हैं तो जिला प्रशासन कहता है कि स्थाई पात्रता सूची में इनका नाम नहीं है। अब मान्यवर, एक तो स्थाई पात्रता सूची समाप्त है, लागों के पास बी0पी0एल0 कार्ड हैं, बी0पी0एल0 कार्ड के आधार पर भी यदि उनको इन्दिरा आवास की योजना इस सरकार ने बना दी होती तो निश्चित रूप से इनको बधाई दिया जाता, लेकिन मान्यवर, वह भी क्रियान्वित नहीं हो पाया। मान्यवर, कन्याओं के लिये धन की बात सरकार ने कही, एक अच्छा कदम सरकार ने उठाया है, लेकिन उस पर भी एक समस्या आयेगी। उसमें भी बी0पी0एल0 कार्ड आ जायेगा, मान्यवर, इसका पुनः एक सर्वे करा लिया जाए, ग्रामीण अंचलों में बहुत सी ऐसी बालिकाएं हैं, बहुत से ऐसे परिवार हैं जो सामान्य जातियों के हैं, जो पिछड़े या अनुसूचित वर्ग के नहीं हैं, लेकिन वह भी गरीबी रेखा के नीचे है। यह सरकार सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की बात तो करती है और हमारे बहुत से मित्र विधायक यहां पर बैठे हैं लेकिन सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय कहां पर हो गया ? मान्यवर, एक सरसरी नजर में अगर यह पूरा बजट पढ़ा जाए तो केवल एक वर्ग विशेष के हित की बात इस बजट में कही गई है। जिसमें किसी दूसरे वर्ग के लिये, किसी योजना को क्रियान्वित करने के लिये, किसी योजना में नाम ही नहीं तो क्रियान्वित करना बहुत दूर की बात है, माननीय अधिष्ठाता जी, बुनियादी ढांचा मजबूत करने के लिये इस पूरे के पूरे बजट में कोई बहुत ऐसी मजबूत स्थिति में नहीं बताया गया है कि जिससे यह कहा जाय कि उत्तर प्रदेश का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा, जो नौजवान बेरोजगार हैं, उनको रोजगार से जोड़ने के लिये कोई कार्य किया जायेगा।

श्री अधिष्ठाता-

करवरिया जी, सारी बातें आ गई हैं, अब समाप्त करें।

श्री उदयभान करवरिया-

अधिष्ठाता महोदय, बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बहुत सी योजनाएं चलाने की बात सरकार ने की है। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र इलाहाबाद में, जिसका मैं जिक्र भी कर रहा था कि इलाहाबाद का जमुना पार का क्षेत्र नक्सल गतिविधियों से ग्रसित है, मान्यवर, बुन्देलखण्ड क्षेत्र की तरह ही इलाहाबाद का जमुना पार का क्षेत्र पूरा का पूरा जंगल और पहाड़ वाला क्षेत्र है। मान्यवर, कुछ जो बुन्देलखण्ड की योजनाएं हैं, चाहे वह डिप बोरिंग की हो, चाहे कोई और हो, उनका कम से कम जमुना पार के इलाहाबाद क्षेत्र तक विस्तार करना चाहिए था, उस क्षेत्र को भी उसका लाभ मिलना चाहिए था।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, केवल एक घटना का जिक्र करके अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। प्रदेश में दोनों प्रकार की बातें आती हैं, प्रदेश में किसी स्थान पर सूखा पड़ जाता है, कोई स्थान जलभराव से ग्रसित रहता है। मान्यवर, जहां सूखा पड़ा है, वहां भी खेती-किसानी नहीं हो सकती और जहां जलभराव का कारण बनता है, वहां भी खेती-किसानी नहीं हो सकती है और अन्ततः जा करके सारे के सारे जितने बुरे दिन देखने होते हैं, वह प्रदेश के किसान को देखने को मिलता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई ऐसे स्थान हैं, जहां खेती तो हो सकती है लेकिन जल भराव के कारण खेती नहीं हो पाती है। शंकरगढ़ विकास खण्ड एक ऐसा विकास खण्ड है जो जंगल और पहाड़ों से घिरा है और उसका एक छोटा सा क्षेत्र ऐसा है जो खेती योग्य है। पिछली बार हम लोगों ने इस प्रश्न को यहां पर रखा कि उसको सूखा क्षेत्र घोषित किया जाये, मान्यवर, यहां से जो अधिकारी गये, वह पहाड़ी क्षेत्र में पहुंच गये, जहां पर पत्थर था और उन्होंने पत्थर को देखा और कहा कि सूखा तब माना जाता है जब जमीन फटने लग जाये। अब मान्यवर, इतना सूखा कब पड़ेगा कि वह पत्थर फट जाये, मान्यवर, अगर पत्थर ही फट जायेगा तब तो कोई रह ही नहीं जायेगा। मान्यवर, मुझे विश्वास है कि इस पर सरकार जरूर ध्यान देगी।

श्री अविष्यता-

आपके बाद और भी सदस्य हैं, अब आप समाप्त करें।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, बहुत बचा है, हमारा। अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है, मैंने तो अभी शुरुआत किया है। मान्यवर, आप घड़ी देख लीजिए, 2 मिनट से ज्यादा समय लेंगे तो घण्टी बजा दीजिएगा। मान्यवर, इसी प्रकार से अल्पसंख्यक कल्याण योजना है। अल्पसंख्यकों के लिये बहुत सी योजनायें लायी गयी हैं, बधाई है, हम किसी का विरोध नहीं करते। प्रदेश का नागरिक जो भी है, उसको सुविधाएं मिलने का पूरा हक है लेकिन मान्यवर, मदरसों की मान्यता 100, आलिया स्तर तक, अरबी-फारसी के विश्वविद्यालय की स्थापना, 212 करोड़ रुपये छात्रवृत्ति के लिये और उर्दू अकादमी को अनुदान दो गुना कर दिया गया है, मान्यवर, बधाई योग्य है। हम इसके लिये सरकार को बधाई देते हैं कि उस वर्ग के लिये आपने जो किया है बहुत अच्छा किया है। हमारे भी मुसलमान मित्र हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनकर आता हूं लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी बहुत से ऐसे मुसलमान भाई हैं जहां पर उनकी बाहुल्यता है और वह वृथ में जीतकर आता हूं। हम इसके लिये बधाई देते हैं लेकिन मान्यवर, संस्कृत भाषा का बढ़ावा कैसे हो इस उत्तर प्रदेश में इस पर सरकार मूक है। मान्यवर, सबसे पुरानी भाषा संस्कृत भाषा है। जिस दिन संस्कृत भाषा लुप्त हो जायेगी उस दिन देश की संस्कृति समाप्त हो जायेगी। मान्यवर, आपने उन्हें अनुदान दिया था तो संस्कृति भाषा के लिए भी थोड़ा अनुदान दे देते। आज स्थिति यह है कि गांव का गरीब ब्राह्मण लड़का है वह कहीं पर जाकर संस्कृत केवल इसीलिए सीख लेता है कि पूजापाठ में दक्षिणा के लिए, उसके जीविकोपार्जन के लिए उसके लिए कुछ हो जाएगा। मान्यवर, बहुत से हमारे

ब्राह्मण विधायक भी बैठे हैं जो सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय के नारे को लेकर आगे बढ़ने का काम करते हैं और बहन जी को दिल्ली पहुंचाने का दावा भी करते हैं। दिल्ली तक पहुंचें, लेकिन अगर दिल्ली तक संस्कृत भाषा और संस्कृति को लेकर पहुंचेंगे तो मैं आपको बधाई दूंगा।

श्री अधिष्ठाता-

आपका दो मिनट का समय पूरा हो गया है। अब समाप्त करें।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, इस भाषा का विस्तार कैसे हो, उत्तर प्रदेश की संस्कृति कैसे बचे, हमारा नौजवान कैसे रोजगार से जुड़े। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। मान्यवर, एक बात और कहना चाहूंगा कि बहुत से महापुरुषों की मूर्तियों को लगवाने की बात की गयी उसका भी मैं स्वागत करता हूं। हम उसके विरोधी नहीं हैं। समाज में जिसने भी अच्छा काम किया है उसकी मूर्ति की स्थापना होती है, उनका स्मारक बनना चाहिए, उनके विषय में बड़ी-बड़ी लाइब्रेरियां स्थापित होनी चाहिए ताकि आगे आने वाली पीढ़ी उनसे कुछ सीख ले जो उन्होंने अपने जीवन में किया उसको अपने आचरण में लाकर प्रदेश हो और अपने को आगे बढ़ाने का काम करे। मान्यवर, इसके साथ-साथ मैं आपको इलाहाबाद की तरफ ले चलूं जो कि सांस्कृतिक राजधानी कहलाती है। राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण गुप्त, वृन्दावनलाल वर्मा, श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी, हरिभाऊ उपाध्याय आदि यह सब ऐसे नाम हैं जो भारत में मशहूर नाम हैं और इलाहाबाद से उठे हुए नाम हैं। मान्यवर, इन महापुरुषों की मूर्तियों की भी स्थापना कर दी जाती। कुछ इनके लिए भी कर दिया जाता। ताकि आने वाली पीढ़ी इनको भी याद रखे। इनके भी जो कार्यकलाप थे उनको भी अपने आचरण में ले आयें। माननीय अधिष्ठाता महोदय, दो और लोगों की मूर्ति स्थापित करा देनी चाहिए और उनको भी प्रचारित करना चाहिए-मंगल पाण्डेय जी की और चाणक्य जी की। क्योंकि इस समय जो सरकार चल रही है वह चाणक्य नीति से ही चल रही है। अगर उस मूर्ति की स्थापना आप नहीं करा पाये जो मुझे नहीं लगता है कि आप कुछ हो पाएगा। मान्यवर, इसको बजट में शामिल कराएंगे। मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट वर्ष 2009-10 की सामान्य चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। मान्यवर, कई परम्पराएं इस सदन में तोड़ी गयीं, नियमों और कानूनों को ताक पर रखा गया। मान्यवर, वैसे तो इस पीठ का अधिकार है कि जब चाहे नियमों को निलम्बित कर सकती हैं लेकिन मान्यवर, उसकी भी एक व्यवस्था होनी चाहिए। जो नियमावली बनी है इसमें इस बात की व्यवस्था है कि बजट के लिए एक निर्धारित समय है, उतने दिन इस पर चर्चा होनी चाहिए। उसमें पहली बार बहुमत के आधार पर इसको घटाया गया और सरकार की तरफ से पहली बार इस प्रकार का जो कार्यक्रम बना है उसमें जो चर्चा 24 दिन की होनी चाहिए उसको घटाकर 5 दिन करने का काम किया गया यह गलत परम्परा को जन्म दिया गया। आगे आने वाली पीढ़ी इसी को कोट करके इसी का अनुसरण करने का प्रयास करेगी जब कभी

भी सत्तापक्ष इस प्रकार का तानाशाही रवैया अपनाएगा। दूसरी बात मान्यवर, आपने बजट के चौथे पेज पर यह कहा है कि योजना आयोग द्वारा प्रदेश की वार्षिक योजना का आकार अभी निर्धारित नहीं किया गया है। हमने वर्ष 2009-2010 के बजट के निरूपण के लिए अनन्तिम रूप से 36 हजार करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। मान्यवर, योजना आयोग हमारे जो योजनागत व्यय है, हमारे संसाधन देख कर हमारी परिस्थितियों को देख कर हम कितने संसाधन जुटा पायेंगे उसके अनुसार ही हमारे बजट का जो आकार है वह तय करता है और अभी उसके द्वारा किसी भी प्रकार निर्देश या सन्देश मान्यवर, इस सरकार को नहीं दिया तो मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह पूरी तरह से अनन्तिम है, अभी इसको फाइनल न माना जाय न ही इसके आकार को फाइनल माना जाना चाहिए। तीसरी बात मान्यवर, इस बजट में आम आदमी को घोर निराशा हुई, यह बजट आम आदमी के विरुद्ध है और गांव, गरीब, किसान का आदमी तो खासतौर से इस बजट से बेइन्तहा निराश हुआ है मान्यवर, सबसे पहले बात मान्यवर, हम बिजली की करना चाहते हैं, पिछले वर्ष मान्यवर, वर्ष 2008-2009 में दस हजार तीन सौ तीस करोड़ रुपये का प्राविधान इस वार्षिक बजट में पेश किया गया था, इस वर्ष इसको घटाकर नौ हजार आठ सौ छियालीस करोड़ रुपये कर दिया गया जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग चार सौ छियासी करोड़ रुपये कम है।

मान्यवर, मुझे नहीं पता कि किन परिस्थितियों में किया गया। बिजली जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर के लिए जिसमें तात्कालिक आवश्यकता है, प्रति मिनट प्रति क्षण आवश्यकता है मान्यवर बिजली के लिए सरकार ने 2012 की सारी योजनायें बता दीं कि 2012 में हम 10 हजार मेगावाट पैदा करेंगे लेकिन शर्टटर्म प्लानिंग के तहत एक भी बार बिजली की उपलब्धता आज कैसे सुनिश्चित हो कैसे बढ़े मान्यवर, इसके विषय बजट मौन है, सरकार मौन है। विद्वान मंत्री जी मान्यवर, बैठे हैं, पिछले 15 साल से इस मंत्रिमण्डल में हैं और कई बार ऊर्जा विभाग सम्भाल चुके हैं, लेकिन उनको यह सोचना चाहिए कि अभी तुरन्त मार्च-अप्रैल माह से गर्मी का मौसम आयेगा और बिजली की जो स्थिति है वह आपको ज्यादा मालूम है पूरे प्रदेश को मालूम है। किसी से छिपी नहीं है मान्यवर, जो घोषित शेड्यूल है उसमें भी चार-चार, पांच-पांच घण्टे की इमरजेन्सी रोस्टिरिंग हो जाती है और इसका कोई निवारण नहीं सोचा गया न बजट में कहा गया और न मान्यवर हम सुनते रहे मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य कि शायद महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर कुछ कहा जाता, मेरा मान्यवर, इस बात पर विशेष रूप से बल है कि अगर जो यूनिट वर्तमान में बिजली पैदा करते हैं तो उनसे तत्काल की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इस सरकार को समझौता करना चाहिए, इस सरकार को बिजली को परचेज करना चाहिए और दूसरी बात मान्यवर, जो बिजली का कनेक्शन लेने वाले हैं उनके लिए मीटर उपलब्ध नहीं हैं जहां पर कामर्शियल कनेक्शन की आवश्यकता है वहां पर कहा जाता है मान्यवर कि ग्यारह हजार की लाइन है इस लाइन से कनेक्शन नहीं दिया जा सकता है। ट्रान्सफार्मर की चोरी, ट्रान्सफार्मर का तेल चोरी आज तक मान्यवर, इस समस्या का निदान नहीं हो पाया। हमसे यह कहा जायेगा जब तक आप थे तब आपने नहीं किया अगर हम नहीं कर पाये तो मान्यवर, हम

इधर बैठ गये लेकिन ट्रान्सफार्मर के तेल की चोरी उस क्षेत्र का जो जूनियर इन्जीनियर है, उस क्षेत्र का जो ए0ई है किसी न किसी रूप में मान्यवर, जब तक उसके ऊपर निर्धारित जिम्मेदारी नहीं की जायेगी तब तक इस समस्या का मान्यवर, निराकरण नहीं होगा। मैं खासतौर से माननीय मंत्री जी का आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कुप्रबन्धन रोक कर ही बहुत कुछ चीजों का हम समाधान ढूंढ़ सकते हैं। मैं विशेषरूप से इस बात पर बल देना चाहता हूं कि शार्टटर्म प्लानिंग के तहत तत्काल बिजली की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए माननीय मंत्री जी को सकारात्मक कदम उठाने चाहिए।

मान्यवर, दूसरी बात उद्योग और गन्ना के ऊपर है, इसमें किसी प्रकार के नये उद्योग की चर्चा नहीं हुई। उससे रोजगार भी बढ़ता और उससे एक पूरी साइकिल भी चलती है किसी भी प्रकार की अगर हम नई इण्डस्ट्री लगाते हैं या नई इण्डस्ट्री कोई इण्ट्रोड्यूज करते हैं, न ही कोई इण्डस्ट्री मान्यवर बाहर से लाने का प्रयास किया गया। गन्ना उद्योग इस प्रदेश का प्रमुख उद्योग है बहुत से यहां पर बैठे हुए लोगों की रोजी-रोटी का साधन है मान्यवर, इसकी भी गन्ना की नीति इतनी असफल हुई कि पिछले साल मान्यवर, 28 लाख 60 हजार हेक्टेयर गन्ना बोया गया था इस साल सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 21 लाख 40 हजार हेक्टेयर गन्ना बोया गया। कहा गया इसमें कि 132 चीनी मिलें संचालित हैं मान्यवर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 42 चीनी मिलें आज की तारीख तक बन्द हो चुकी हैं। पिछले साल शकर का उत्पादन 73 लाख मीट्रिक टन था इस वर्ष 40 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा होने की उम्मीद नहीं है। मान्यवर, गन्ने की बात बहुत इस प्रदेश में कही जाती रही है लेकिन सरकार ने इसकी प्रगति की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। मान्यवर, तमिलनाडु का काश्तकार एक हेक्टेयर जमीन में 1200-1300 क्विंटल एवरेज पैदावार करता है जबकि हमारे यहां एक हेक्टेयर जमीन में पांच सौ या पौने छः सौ क्विंटल गन्ने की पैदावार होती है। यह पैदावार की स्थिति है। मान्यवर, इस एक हेक्टेयर जमीन में गन्ने की पैदावार को बढ़ाया जा सकता है अगर हम अपने शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट को थोड़ा सा बढ़ावा दें उनको प्रोत्साहन दिया जाये उनको नई रिसर्च करने के लिये कहा जाये जब तक हम उन्हें प्रोत्साहित नहीं करेंगे तब तक प्रगति नहीं होगी। मान्यवर, तमिलनाडु में मौसम हमसे ज्यादा खराब होता है। अभी सरकार की ओर से यह जवाब आयेगा वह हमसे ज्यादा समय लेते हैं। दो महीने समय ज्यादा हो सकता है तो क्या हुआ लेकिन पैदावार तो हमसे सवा दो गुना ज्यादा है। जो बीज प्रदेश में इस्तेमाल होता है उसकी क्वालिटी को हम बढ़िया कर सकते हैं। अगर हम रिसर्च क्षेत्र को प्रोत्साहित करेंगे तो शायद बेहतर रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं।

मान्यवर, किसानों के सम्बन्ध में बात की जा रही है। मान्यवर, एक गंगा एक्सप्रेस वे के बारे में बजट में कहा गया। पिछले एक साल से कहा जा रहा है। मान्यवर, बहुत से काम इस प्रदेश की सरकार द्वारा हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिये किये जा रहे हैं। आज गंगा एक्सप्रेस वे योजना जिस प्रकार से दर्शायी गई है, यह प्रपोज्ड योजना है, उसकी बारीकी से निरीक्षण किया गया तो यह बात सामने आ रही है कि नदी के किनारे-किनारे विकास की बात है

और एक प्रकार से उस नदी को नाला बनाने की योजना है। मान्यवर, आज वहां स्थिति यह है कि एक हजार रुपये की कीमत देकर, दस हजार पांच सौ रुपये वर्ग मीटर की कीमत पर ग्रेटर नोएडा के लोग बेच रहे हैं। जो डेवलपमेंट की बात आती है मान्यवर, दो हजार रु0 से ज्यादा वर्ग मीटर में डेवलपमेंट की कास्ट नहीं आती है। तीन हजार रु0 वर्ग मीटर की जमीन को ग्रेटर नोएडा के लोगों से दस हजार पांच सौ रु0 की कीमत पर लिया जा रहा है। मान्यवर, जब इस तरह से किसानों की जमीन को ले लिया जायेगा तो इससे सारा भविष्य उनका अंधकारमय हो जायेगा। मान्यवर यह योजना किसानों की गला काटने वाली योजना के समान है। यह जनहितकारी काम नहीं है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो एक्जीस्टिंग रोड्स है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स है, उनको चौड़ा करने के लिये आप हाट मिक्स प्लांट से बनवाते तो आपकी इस उद्देश्य की पूर्ति उससे हो जाती। यह आपकी योजना जनहित योजना नहीं कही जा सकती है।

मान्यवर, खाद की बहुत चर्चा हो चुकी है। यूरिया और डीएपी की उपलब्धता और वितरण की जो स्थिति है वह सबको पता है। न खाद समय से उपलब्ध हो पा रही है और न ही आप उसका उचित ढंग से वितरण करवा पा रहे हैं काले बाजार में खुले आम वह बिकवा दी जाती है किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है। अगर आप किसानों का हित चाहते हैं तो तत्काल उस अवैध बिक्री को रोका जाना चाहिये।

मान्यवर, एक किसान ने क्रेडिट योजना की बात कही है। मान्यवर, बैंक जो लोन दे रहे हैं उसकी स्थिति से सब वाकिफ हैं, इसमें लीड बैंक भी इनीशियेटिव नहीं ले रहे हैं। जो 7 प्रतिशत की दर पर किसान क्रेडिट योजना की बात है उसका फायदा तमाम किसानों को नहीं मिल पा रहा है। मैं मंत्री जी का इसमें विशेष रूप से हस्तक्षेप चाहता हूं। आप किसान क्रेडिट योजना के बारे में एक विशेष रूप से निर्देश जारी करने का काम करें शासन से, तो उससे किसानों को बहुत फायदा होगा। मान्यवर, नहरों की सफाई की बात यहां हुई है, नलकूपों के खराब होने की बात भी आपको पता है। मैं बस समाप्त कर रहा हूं। मान्यवर, यह कहा गया कि शिक्षा के बजट में 42 प्रतिशत का इजाफा किया गया है पिछले साल के मुकाबले। मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी स्कूलों का जो हाल है वह सबको पता है। वहां छात्र है, भोजन है, टीचर है, बिल्डिंग है और सब कुछ है लेकिन क्वालिटी नहीं है। शिक्षा मित्रों के माध्यम से आप पढ़ाई करवा रहे हैं। शिक्षा मित्रों का हाल यह है कि एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को तो 8-9 हजार रु0 वेतन मिल जाता है लेकिन इस शिक्षा मित्रों को मात्र 3500 रु0 मिल पाता है। मान्यवर, अगर हम भविष्य के लिये किसी भी पीढ़ी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसके लिये वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर्याप्त नहीं है। यह किसी भी कंपीटेटिव इक्जाम के लिये बुनियादी ढांचा तैयार नहीं करा पा रही है। इस दृष्टि से यह उनके भविष्य को अंधकारमय बना रही है। हमको नकल करनी चाहिये कोरिया की, हमको नकल करनी चाहिये इग्लैण्ड की, हमको नकल करनी चाहिये अमेरिका की ताकि हम बच्चों को उस लायक बना सकें जिससे उनका भविष्य अच्छा हो सके।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री संजय कपूर-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है इसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, दो मिनट का और समय दे दें। मैं इसको समअप कर दूं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय कपूर जी, खन्ना साहब की बात अधूरी रह गयी है इनको एक मिनट का समय और दे दिया जाय।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अधिष्ठाता जी, मुझे हंसी आती है जब इस बजट पर देखते है कानून का राज। मान्यवर, यह कानून का राज है ? यह सरकार आई मई, 2007 में और 30 जून, 2007 को एक मुकुल गुप्ता नाम के एक व्यक्ति की हत्या बरेली में एक रेलवे क्रासिंग पर पुलिस पार्टी द्वारा कर दी गई। उसकी न रिपोर्ट लिखी गई न इन्क्वायरी हुई, हम सदन में चिल्लाते रहे, हम वेल में भी गये मान्यवर, उसका कोई सरकार के द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया। एक सांसद के द्वारा बाकायदा जमीन पर कब्जा करने, थाने में एक विधायक और मंत्री के द्वारा हत्या किये जाने, मान्यवर, कई विधायकों और मंत्रियों के ऊपर ऐसे आरोप लगे अगर औरैया का कांड नहीं होता, अगर बेसिक शिक्षा अधिकारी, औरैया को जिस दिन प्रताड़ित किया गया था, जिस दिन उसके कार्यालय में उसको पीटा गया था अगर उन विधायक महोदय के खिलाफ उस दिन कार्यवाही हो जाती, रिपोर्ट लिख दी जाती तो यह कार्यवाही नहीं होती। मैं कहना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था सबसे अहम मुद्दा है और कानून व्यवस्था के मामले में यह सरकार पूरी तरीके से असफल है। अगर 5-7 प्रतिशत मामलों में कार्यवाही कर दी गई तो इसका मतलब यह नहीं कि पूरे प्रदेश में ओवरआल कानून व्यवस्था की हालत अच्छी हो गई। जिन लोगों के ऊपर हत्या के आरोप हैं, इस सरकार ने स्वयं जिनको विपक्ष में रहते हुए कंडम किया, आज उनको पार्टी का टिकट सांसदी का टिकट आफर किया जा रहा है इन्हीं की पार्टी का। मान्यवर, एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। मान्यवर, दुष्यन्त कुमार ने एक शेर कहा था-

सिर से सीने में कहीं, पेट में पांव में कहीं,
एक जगह हो तो कहें कि दर्द कहां होता है।

जब पूरा शरीर मान्यवर दर्द करे तो कहां-कहां बतायें कि दर्द कहां हो रहा है और मुनव्वर राना ने इसी परम्परा को आगे बढ़ाया-

एक दो जख्म नहीं, जिस्म है सारा छलनी,
दर्द बेचारा परेशां है कहां से गुजरे।

मान्यवर, आपने बजट में चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। कई महत्वपूर्ण विषय रह गये बी0पी0एल0, स्वास्थ्य, उद्योग लेकिन फिर भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बजट चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया।

श्री संजय कपूर-

मान्यवर आपने मुझे मौका दिया इसके लिये मैं दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं कोई लम्बा चौड़ा भाषण करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि हमारा क्षेत्र तरक्की करे, प्रदेश तरक्की करे और जिन लोगों ने हमें इस उम्मीद के साथ चुनकर भेजा है कि हमारा प्रतिनिधि हमारे क्षेत्र की समस्याओं को उठायेगा और हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। उन बातों को मैं आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। कुछ समस्यायें जो उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित हैं और कुछ समस्यायें मेरे क्षेत्र से सम्बन्धित हैं। सबसे पहले मैं शिक्षा के क्षेत्र में बोलना चाहूंगा, शिक्षा इंसान के लिये बहुत जरूरी है। खासतौर से सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत सरकार की नीति है कि सभी को शिक्षा मिले, गरीब को शिक्षा मिले, देहात में रहने वाले लोगों को शिक्षा मिले, वह तो कार्यक्रम अपनी जगह चल रहा है। उसमें भी शिक्षा मित्रों की बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है। उसके समाधान के लिये मैंने कल विधान सभा में नियम-56 के अन्तर्गत प्रश्न लगाया था। मैं चाहूंगा कि सभी को बराबर का वेतन मिले। जितना काम नियमित अध्यापक कर रहे हैं उतना ही काम शिक्षा मित्र भी कर रहे हैं, उसको भी उनका हक मिलना चाहिये। इसलिये जो उनकी जायज मांगे हैं वह पूरी होना चाहिये। मान्यवर, आठवीं तक तो शिक्षा बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत मिल जाती है उसके बाद सबसे बड़ी समस्या आती है कि हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के बच्चे अपनी शिक्षा कहां ग्रहण करें। मैं मान्यवर, आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां आठवीं की शिक्षा के बाद गरीब अंचल में रहने वाले लोग अपने बच्चों को आगे पढ़ने के लिये नहीं भेज पाते, क्योंकि 10-10, 15-15 कि0मी0 दूर तक कोई विद्यालय नहीं है। राजकीय विद्यालय नहीं है।

मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों के निर्माण के लिये केवल 35 करोड़ रुपया बजट में रखा गया है यह बहुत कम है। मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में ही 5-6 जगहों पर जहां विद्यालयों की मांग चली आ रही है, जहां 15-15 कि0मी0 दूर तक माध्यमिक शिक्षा का कोई विद्यालय नहीं है जिनमें प्रमुख रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक जगह संतरा है, एक दंतरा है, एक खजूरिया खुर्द है, एक रमपुरा है, एक धमौरा है। यहां 15-15 किमी0 दूर तक कोई विद्यालय नहीं है। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि जो माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों के निर्माण के लिये 35 करोड़ का बजट रखा गया है उसको बढ़ाकर कम से कम 500 करोड़ किया जाना चाहिए तभी सरकार की जो मंशा है सबको शिक्षा देने की, वह पूरी हो पायेगी। इसके अलावा मैं उच्च शिक्षा के बारे में भी अपने क्षेत्र की एक बात को रखना चाहूंगा। मेरा मिलक ब्लाक है वह असेवित ब्लाक है। मान्यवर, मैंने नियम 51 में, 301 में बराबर अपने क्षेत्र के मिलक ब्लाक, जो बहुत गरीब और पिछड़ा क्षेत्र है, वहां न कोई राजकीय महाविद्यालय है और न कोई प्राइवेट महाविद्यालय है, का विषय उठाया है। मैं चाहूंगा कि इस बजट में मेरे मिलक तहसील को सम्मिलित किया जाय और राजकीय महाविद्यालय का वहां पर निर्माण कराया जाना जनहित में शिक्षा हित में बहुत आवश्यक है।

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं 2-3 बातें अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में जरूर कहना चाहूंगा। हमारी सरकार चाहती है कि विकास हो और जब तक विकास के लिये सड़क और पुल नहीं होंगे तब तक विकास नहीं हो सकता। मान्यवर, मेरे क्षेत्र बिलासपुर में खंडिया पर एक पुल है जो 50 गांवों को जोड़ता है उस पुल के निर्माण के लिये पिछले डेढ़ साल से मैं प्रयासरत हूं उसका इस्टीमेट शासन में लम्बित है। मगर अभी तक उस पर कार्यवाही नहीं हुई है। बरसात के दिनों में लगभग 100 कि0मी0 दूर घूमकर लोगों को आना जाना पड़ता है। मैं चाहूंगा कि इस बजट में खंडिया का पुल और बभरकी का पुल, यह दोनों पुल ऐसे हैं जो बरेली जनपद को रामपुर से जोड़ते हैं, यह बहुत आवश्यक है, इन्हें इस बजट में सम्मिलित किया जाय। जनता की समस्याओं के समाधान के लिये इन पुलों का बनाया जाना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा मिलक बिलासपुर मार्ग जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर और राष्ट्रीय राजमार्ग-87 को नोड़ने वाला मुख्य मार्ग है, यह 33 किमी0 लम्बा मार्ग है। इसकी हालत बहुत दयनीय है। यह स्टेट हाईवे है, इसका इस्टीमेट शासन में लम्बित है मैं चाहूंगा कि प्राथमिकता पर इसको स्वीकृत कराकर इस बजट में सम्मिलित करें क्योंकि यह उत्तरांचल को भी जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है। मान्यवर, मैं किसान हूं और देहात का किसान हूं और गन्ने की बात कई दिन से सुन रहा हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हमने 95 प्रतिशत भुगतान कर दिया है। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे यहां रुद्रविलास चीनी मिल है उसमें कुल साढ़े 9 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई हुई थी, उसका लगभग एक माह का सवा 4 करोड़ का भुगतान रह गया है किसान बहुत परेशान है। मान्यवर, आज किसान गन्ने से पीछे हटता जा रहा है यह कोआपरेटिव चीनी मिल है अगर इसका पैसा समय से लोगों को नहीं मिला तो गन्ने की काश्तकारी और कम हो जायेगी। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वह कृषि प्रधान क्षेत्र है। बिलासपुर तहसील का उत्तर प्रदेश की टाप 3 तहसीलों में नम्बर आता है। वह बहुत प्रोग्रेसिव तहसील है वहां का किसान बहुत परेशान है। मिल बन्द हो चुकी हैं जो भुगतान शेष रह गया है उसे इस बजट में सम्मिलित किया जाना चाहिये। मान्यवर, जहां तक अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग की शादी अनुदान का सवाल है, हमारी 70-80 प्रतिशत जनता देहात में रहती है। मान्यवर, सरकार की मंशा अच्छी है वह चाहती है कि गरीबों को उसके बच्चों की शादी के लिये अनुदान मिले। मैं बताना चाहता हूं कि मेरा रामपुर जनपद अल्पसंख्यक और गरीब बाहुल्य जनपद है वहां पर पिछले वर्ष से लगभग 3600 शादी अनुदान के फार्म लम्बित हैं जो 10 हजार रुपये शादी अनुदान मिलता है। मेरे बहुत प्रयास के बाद केवल सवा तीन सौ का पैसा मिला। मैं चाहूंगा कि इसका बजट बढ़ाया जाय और अल्पसंख्यक अनुदान बढ़ाया जाय। पिछड़े वर्ग के भी लगभग 600 फार्म लम्बित हैं। सामान्य जाति और अनुसूचित जाति के लिये भी बजट बढ़ाया जाय। मान्यवर, अन्त में एक बात और कहना चाहूंगा। मेरी बिलासपुर तहसील है जो उत्तरांचल के बार्डर पर है, बिलासपुर में रोडवेज का बस अड्डा अभी तक नहीं है। बहुत दिनों से इसकी मांग चली जा रही है, माननीय मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया और आश्वासन समिति में भी यह मामला चल रहा है। मैं चाहूंगा कि वहां पर रोडवेज का बस अड्डा तुरन्त स्थापित किया जाय। रोज वहां पर जाम लगता है और रोज कोई न कोई दुर्घटना होती है। मैं चाहता हूं कि जो बहन मायावती जी का सपना है सर्वजन हिताय और

सर्वजन सुखाय का, अगर वाकई में उसे जनता के बीच उतारना चाहते हैं, सही तरीके से लागू करना चाहते हैं तो जो मैंने मांगे रखी हैं, उन्हें इस बजट में शामिल करें तभी इस क्षेत्र की जनता को फायदा मिलेगा। गरीब जनता को फायदा मिलेगा और सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात तभी सम्भव हो पायेगी जब इन सब बातों को इस बजट प्रावधान में आप सम्मिलित करेंगे। मान्यवर, आपने इस बजट पर चर्चा में मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद, जयहिन्द।

*श्री इमरान मसूद-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने बजट चर्चा पर बोलने का समय दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। बजट सरकार ने पेश किया और सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई कि बजट किसानों के लिये पेश कर दिया। आदरणीय हमारे नेता स्व0 चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर जाता है। लेकिन यह प्रदेश का दुर्भाग्य है कि प्रदेश के अन्दर कृषि क्षेत्र का योगदान लगातार घट रहा है। यह मैं नहीं, इस बजट के आंकड़े बोल रहे हैं कि पिछले 4 साल के अन्दर 35 प्रतिशत से घटकर 28 प्रतिशत रह गया। यह उससे भी बड़ा दुर्भाग्य है कि कृषि क्षेत्र का योगदान 28 प्रतिशत होने के बाद बजट के अन्दर आवंटन मात्र 11 प्रतिशत हो रहा है।

मान्यवर, इससे ज्यादा दुखदायी बात और कोई नहीं हो सकती कि आज प्रदेश का किसान भुखमरी की कगार पर है। आज गन्ने का, आलू का किसान बरबाद हो गया है। चीनी मिलें चल नहीं पा रही हैं, गन्ना क्षेत्र खत्म हो रहा है, आलू सड़ रहा है और किसान तरह-तरह की योजनायें चलाने का काम कर रही है और लाभान्वित केवल एक वर्ग विशेष को करने का काम किया जा रहा है। हम किसी वर्ग की मुखालफत नहीं करना चाहते हैं लेकिन कहना चाहते हैं कि प्रदेश में रहने वाले 80 प्रतिशत किसानों की तरफ भी सरकार को देखना होगा। सरकार आलू किसान के लिये सब्सिडी देने का काम कर सकती थी, सरकार गन्ना किसानों को बीज और खाद के नाम पर परेशान कर रही है। आज माननीय कृषि मंत्री जी बता रहे थे कि बीज और खाद पर सब्सिडी उपलब्ध है लेकिन आज आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि खाद की कितनी चोरी और कालाबाजारी है। आज माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम चौकियां स्थापित करेंगे, हम चेकिंग करने का काम करेंगे लेकिन सरकार ने तो चौकियां समाप्त करने का निर्णय ले लिया। सरकार ने तो एक ऐतिहासिक निर्णय बताकर पूरे प्रदेश के अन्दर सभी विभागों की चौकियां समाप्त कर दीं।

और चोरों की पौबारह कर दी। आप देख लीजिये, व्यापार कर चौकी समाप्त, आबकारी की चौकी समाप्त, खनन की चौकी समाप्त, वन विभाग की चौकी समाप्त, ये तमाम चौकियां समाप्त होने से आज आय का नुकसान हुआ है। आज सरकार कह रही है कि हम बजट का आकार बढ़ा रहे हैं लेकिन सच्चाई यह है कि आज प्रदेश का प्रति व्यक्ति 10 हजार 3 सौ रुपये से ज्यादा का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर्जदार है। आज उसे घटाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। प्रयास हो रहा है तो केवल लोक लुभावनी बातों पर, प्रयास हो रहा है तो केवल एक वर्ग विशेष के लिये। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि सरकार की नीतियां किस प्रकार की हैं, सरकार पूरी तरह से बदले की भावना से काम कर रही है। हम भी निर्दलीय जीत करके आये और सरकार के पाले में नहीं बैठे तो मान्यवर, न मुझे हैण्डपम्प मिलेगा, न बिजली मिलेगी।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में हैण्डपम्प नहीं लगा। मान्यवर, मेरे क्षेत्र के अन्दर सात विधान सभायें हैं जनपद सहारनपुर की, दो विधान सभा, एक विधान सभा से मैं चेयरमैन हूं वहां की बिजली काट दी गई और पांचों विधान सभा क्षेत्रों को 24 घण्टे बिजली दी जायेगी। मा0 मंत्री जी हंस रहे हैं, दो बार मा0 मंत्री जी मुझे बर्खास्त कर चुके हैं नगर पालिका अध्यक्ष पद से। दो बार बर्खास्त कर चुके हैं, पूरी तरह से बदले की भावना से काम किया जा रहा है। मान्यवर, जिस प्रकार से आज कानून का राज होने का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, आज कानून की धज्जियां उड़ गई हैं। ऐसा प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि कानून का मजाक बन करके रह गया हो। मान्यवर, 1 दिसम्बर की मैं घटना बता रहा हूं वह व्यक्ति आज मौजूद नहीं है, उसके बारे में मैं कहना चाहता लेकिन एक दिसम्बर को जिस प्रकार से मेरे साथ एक व्यक्ति विशेष ने पुलिस के बल पर मुझे एक कस्बे में घुसने से रोका और वहां एक खूनी संघर्ष होते-होते बचा और पश्चिम के अन्दर ऐसी स्थिति बन गई आतंक की कि एक विधायक होने के बाद भी मुझे ए0डी0जी0 बृजलाल को टेलीफोन करके बताना पड़ा कि यह स्थिति हो रही है और आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हो तब कहीं जा करके मैं उस कस्बे में जा पाया। मान्यवर, यह स्थिति हो गई है, कानून का मजाक बनाया जा रहा हैं थानों के अन्दर छोटी-छोटी बच्चियों के साथ बदतमीजी हो रही है, थानों के अन्दर विधायक कत्ल करने और गोली चलाने का काम कर रहे हैं। मा0 मुलायम सिंह के लिये कहा जाता था कि अपराधियों के हौसले बुलन्द हो गये हैं, अपराध बढ़ गया है लेकिन आज आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि आज चालीस प्रतिशत से अधिक अपराध बढ़ा है तो आपकी सरकार में बढ़ा है। अपराधियों पर कोई काबू नहीं लगाया जा रहा है। मान्यवर, टटीरी के अन्दर हत्या व्यापारियों की, सहारनपुर के अन्दर सजल हत्याकाण्ड, मुजफ्फर नगर के अन्दर व्यापारी की हत्या, रंगदारी, ये तमाम ऐसे मसले हैं जिनके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिये। मैं आज खास तौर से कहना चाहता हूं, मा0 खनन मंत्री जी मौजूद हैं, मेरा पूरा क्षेत्र खनन का है, मैं बार-बार कह रहा हूं कि मेरे क्षेत्र में अवैध कटान के कारण पूरे क्षेत्र में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। आप केवल एक व्यक्ति की तरफ न देखें, पूरा प्रदेश आपका है, हम भी आपके हैं, आपको पूरा प्रदेश देखना है, केवल एक व्यक्ति को न देखो जनता को देखो। खनन विकास निधि के नलके पड़े हैं, पीने को पानी नहीं है कम से कम विकास निधि के नलके तो लगा दो। मैं कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं कर रहा हूं मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मेरे क्षेत्र के अन्दर पानी की व्यवस्था करा दो, आपकी खनन विकास निधि में पैसा पड़ा हुआ है उससे लगवा दो। मा0 ग्रामीण विकास मंत्री जी यहां पर नहीं हैं, जो विधायकों को वर्ष 2007 में नल दिये थे वह भी मान्यवर, आज तक नहीं लग पाये हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब मा0 सदस्य कृपया बैठ जायें। मा0 सदस्य श्री सत्येन्द्र सोलंकी जी अपनी बात कहें।

*चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, वर्ष 2009-2010 के बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार से कि सरकार ने जो बजट का दस्तावेज दिया है, जो भी सरकारें आती हैं वह प्रतिवर्ष बजट पेश करने का काम करती हैं और दस्तावेज सभी विधायकों को देने का काम करती हैं। लेकिन वह दस्तावेज केवल दस्तावेज नहीं है, वह प्रदेश की 17 करोड़ जनता का भाग्य निर्धारित करने का काम करता है, उनकी सुख-सुविधाओं को निर्धारित करने का काम करता है कि प्रदेश की जनता के लिये क्या-क्या हमारी योजनायें हैं, क्या-क्या हमारे कार्यक्रम हैं, क्या-क्या हम भविष्य में करने जा रहे हैं और कितनी हमारे पास धनराशि है, इसको बजट में लाने का काम करते हैं। लेकिन जो आज बजट लाने का काम किया इस मौजूदा सरकार ने, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसान की बात की गई, किसान को अपने दस्तावेज में, बजट में कहा भी गया कि यह किसान बाहुल्य प्रदेश है और जो कृषि अर्थव्यवस्था है, उसमें कृषि का योगदान भी 28 फीसदी है जैसा कि इस बजट में कहा गया है। मेरे पास जो आंकड़ा है उसमें 25 फीसदी है और आने वाले अगले साल में यह साबित भी हो जायेगा कि घटकर 25 फीसदी हो गया है लेकिन अभी भी 35 से घटकर 28 फीसदी हो गया है जो आपके दस्तावेज में है। कृषि का योगदान जितना आपकी अर्थव्यवस्था में है उसके अनुपात में कृषि के लिये बजट व्यवस्था नहीं की गई है। आज किसान परेशान है। मा0 मंत्री जी, जब हमारे प्रश्नों का जवाब देते हैं तो कहते हैं कि बहुत सारे काम किसानों के लिये किये गये हैं। लेकिन मैं यह नहीं जानता कि किसान के लिये इतने सारे लाभकारी काम करने का कार्य सरकार कर रही है उसके बावजूद भी जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो किसान दुखी मन से इस तरह की बात क्यों करता है कि यह सरकार हमें कब तक झेलनी पड़ेगी, कितने दिन यह सरकार रहेगी ? जबकि यह सब लोग जानते हैं कि 5 साल के लिये यह सरकार चुनी गई है और 5 वर्ष का कार्यकाल यह सरकार अपना पूरा करेगी लेकिन फिर भी पूछते हैं। तो इतना दुःखी किसान है तो उसके पीछे क्या कारण है मा0 मंत्री जी, इसकी भी सच्चाई जानने का काम करो। आम आदमी परेशान है, आपने कहा कि 97 फीसदी गन्ने का भुगतान करा दिया। मेरे क्षेत्र में कई सारी शुगर मिल हैं। आप पता करा लीजिये 40 से 50 फीसदी भी गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है। मलकपुर में शुगर मिल है उसके आंकड़े मंगवा लीजिये अब तक किसानों के एक भी पैसे का भुगतान इस साल नहीं किया गया। तमाम किसान मिल गेट पर बैठे हुए हैं आन्दोलन कर रहे हैं। 3 बार मिल को बन्द करने का काम किसान कर चुके हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो बजट आप ले करके आये हैं आज किसानों की बात उसमें नहीं हुई। नहरों की सिंचाई की बात है, टेल तक पानी पहुंचाने की बात सारी सरकारें करती हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पिछली सरकार थी उनकी भी प्राथमिकता थी, एजेण्डे में था कि टेल तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे। वर्तमान मा0 सिंचाई मंत्री जी भी टेल तक पानी पहुंचाने की बात करते हैं। लेकिन टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है। तो इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिये। मेरे क्षेत्र में चोगामा नहर परियोजना है वह कई वर्षों से चल रहा है, थोड़ा निर्माण कार्य बाकी है पिछले 2 वर्षों से सदन में इसको उठाता चला आ रहा हूं अगर वह परियोजना जो देवबन्द लिंक चैनल परियोजना है गंगा का पानी ला करके यमुना नहर में डालने का काम सरकार करेगी तो उसमें पूरे पश्चिम के किसानों को, उसमें सहारनपुर के हमारे माननीय सदस्य हैं, मुजफ्फरनगर के हमारे तमाम माननीय सदस्य हैं, आपके दल के भी सदस्य हैं, मुजफ्फरनगर के हमारे तमाम माननीय सदस्य हैं, आपके दल के भी सदस्य हैं, उन तमाम सदस्यों के विधान सभा क्षेत्रों में किसानों को पानी मिलने का काम होगा। तो उस योजना को पूरा कराने का काम जो अपने अन्तिम चरण में है उसको करने का सरकार काम नहीं कर रही है क्योंकि बजट में सरकार ने घोषणा नहीं की। सरकार घोषणा करने का काम करती है, पिछले साल उसने बहुत सारी घोषणायें की, मोहननगर से मोहन तक 4 लेन का, 8 लेन का एक्सप्रेस हाई-वे बनाने की बात की गई थी। आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। आपके बजट में उसका कोई जिक्र ही नहीं किया गया, कोई धन का आवंटन नहीं किया गया। लेकिन बड़ी प्रमुखता के साथ पिछली बार इस सदन में कहा गया था, गंगा एक्सप्रेस वे की बात हुई थी। तमाम सारी घोषणायें करने का काम जो सरकार कर रही है लेकिन उसको देखने की बात है कि धरातल पर कितना काम हो रहा है ? ये जो अधिकारी हैं सरकार को अपनी रिपोर्ट देने का काम करते हैं। (श्री अधिष्ठाता द्वारा लालबत्ती जलाने पर)

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने दल की तरफ से बजट चर्चा पर अपनी बात रखने के लिये खड़ा हुआ हूं चूंकि हमारे दल के नेता इस बजट चर्चा में नहीं बोले हैं, वह इस समय बाहर है इसलिये मैं चाहूंगा कि थोड़ा मुझे अधिक समय बोलने के लिये दें।

श्री अधिष्ठाता-

अभी तो आपको हमने सदस्य के रूप में बोलने के लिये समय दिया था, दल के नेता के रूप में रखते तो 15 मिनट के लिये तो पहले से निर्धारित है।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, हमारे दल के नेता बाहर हैं उन्हीं की जगह पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसलिये अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा चूंकि नये सदस्यों को ज्यादा मौका देना चाहिये। मैं तो यह भी कहूंगा कि जो सदस्य विधान सभा की विधायी कार्य में रुचि लेने का काम करते हैं उनको ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिये जो लोग विधान सभा में बैठने का काम ही नहीं करते उनकी रुचि ही नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

आपको उसी प्राथमिकता का लाभ मिल रहा है, आप अपनी बात जारी रखें।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

जहां तक विद्युत की बात है, अभी विद्युत मंत्री जी चले गये, हालांकि मुझे बजट से खुशी है और मैं बधाई देना चाहता हूं कि सरकार ने विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिये कई परियोजनाओं को पैसा देने का काम किया, इसके लियें मा0 मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि हम प्रदेश में विद्युत का बहुत कम उत्पादन कर पा रहे हैं। उनका कन्ज्यूम तो बहुत ज्यादा है उत्पादन उतना नहीं है। आज विद्युत संकट से उत्तर प्रदेश का किसान परेशान है, विद्यार्थियों की परीक्षायें शुरू होने को है मैं मांग करता हूं कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे जिससे हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट के छात्रों को परीक्षाओं के समय जो अभी होने जा रही है उस परीक्षा के समय गांव देहात में शाम 8 बजे से 6 बजे सुबह तक विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। भले ही सरकार को विद्युत की आपूर्ति कहीं से लेनी पड़े। तीन चार परियोजनाओं के लिये बजट में धन की व्यवस्था की गई है इसको थोड़ा और बढ़ाने का काम करें क्योंकि जब तक बिजली का हमारा उत्पादन नहीं होगा इस समस्या का समाधान नहीं होगा। भ्रष्टाचार की जहां तक बात है किसी भी प्रदेश का विकास वहां के उद्योग धन्धों से जुड़ा होता है। हमारे उत्तर प्रदेश में आज उद्योग धन्धे नहीं लग रहे हैं तो इसके कुछ कारण हैं। मैं पिछले दो साल से इस विधान सभा में हूं हमारे समय में एक भी बड़े उद्योग के इस प्रदेश में लगने का काम नहीं हुआ। ग्रेटर नोयडा से लेकर हरियाणा की सीमा तक मेरी जानकारी में है। इसके कई सारे कारण है और भी कारण हो सकते हैं लेकिन सबसे बड़ा मुख्य कारण चूंकि मेरी भी दिल्ली के कुछ लोगों से जान पहचान है उनके द्वारा जो मुझे बताया गया वह मैं बताना चाहता हूं। सबसे बड़ा कारण कानून व्यवस्था का है इसमें कानून व्यवस्था बहुत बड़ा रोड़ा है। जेलों में बन्द अपराधी मोबाइल फोनों का इस्तेमाल उद्योगपतियों को धमकाने में करते हैं उस तरह से अपराधी जेल में बैठकर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। हमने इस विषय को कई बार यहां पर सदन में उठाने का काम किया है। मेरठ जेल के बारे में मैंने दो बार शिकायत की मुझे जेल के अन्दर से धमकी मिली जब एक बार मुझे धमकी मिली तो मैंने आई0जी0 से शिकायत की और मैंने उनको फोन नम्बर भी बताया जिस नम्बर को ट्रेस किया गया तो पता चला कि वह मेरठ जेल से किया गया जिसके बाद जेल में छापा मारा गया तो पांच मोबाइल फोन बरामद हुए तीन दिन बाद फिर धमकी मिलने पर जेल में छापा मारा गया तो पांच फोन बरामद हुए। आज भी अपराधी जेलों के अन्दर बैठकर सुरक्षित तरीके से बहुत ही व्यवस्थित ढंग से अपने अपराधों को अंजाम देने का काम करता है। मैं वित्त मंत्री जी से मांग करता हूं कि कम से कम ऐसी व्यवस्था करें जिससे जेलों के अन्दर तो कम से कम मोबाइल फोन पर प्रतिबन्ध लगे और कोई जेल के अन्दर से व्यापारियों को धमकाने का काम न करे। हमारे यहां अपराधियों ने दिन दहाड़े व्यापारियों पर गोलियां चलाकर चार व्यापारियों की हत्या कर दी।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, मैं आपके पीछे लगी घड़ी देख रहा हूं अभी मुझे पांच सात मिनट हुए हैं।

श्री अधिष्ठाता-

मैं पीछे की नहीं आगे की घड़ी देख रहा हूं। कृपया समाप्त करें।

चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

कोई उत्तर प्रदेश के अन्दर उद्योग लगाना नहीं चाहता है। स्वास्थ्य सेवाओं का आज उत्तर प्रदेश में टोटा है। गरीब आदमियों को कैसे स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। यह सरकार के सोचने की बात है। सरकार ने करोड़ों रुपये मुहैया कराकर बहुत सारे इंतजाम किये हैं बहुत सारा बजट रखा है लेकिन धरातल पर आम आदमी को इन सेवाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। सड़क ही नहीं, उद्योग धन्धे नहीं है, कानून व्यवस्था है नहीं, बिजली है नहीं मैं कहना चाहता हूं कि जो बजट आप लेकर आये हैं इस बजट में तमाम ऐसी व्यवस्था भी करने का काम करें जिससे आम आदमी तक बजट पहुंचने का काम हो। विद्युत मंत्री जी इस बीच आ गये हैं मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि बिजली का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं नये प्लांट लगाने जा रहे हैं लेकिन एक मांग भी करता हूं हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट की परीक्षाएं होने जा रही हैं देहात में कम से कम 8 बजे शाम से सुबह 10 बजे तक विद्युत आपूर्ति कर सकें यह सुझाव भी है और मांग भी है। इन शब्दों के साथ आपने वर्ष 2009-2010 के बजट पर बोलने का मौका दिया आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री धनन्जय सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे वर्ष 2009-2010 के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और अपने माननीय वित्त मंत्री जी को बेहतर बजट प्रस्तुत करने के लिये बहुत-बहुत बधाई देता हूं। वर्ष 2008-2009 में जो बजट प्रस्तुत हुआ था उससे इस बजट में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, निश्चित तौर से अगर बजट में वृद्धि हुई है तो विकास दर में भी वृद्धि होगी। मान्यवर, विपक्ष सिर्फ आलोचना करने के लिये नहीं होता है, अगर बजट बेहतर प्रस्तुत हुआ है, तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिये और कुछ बेहतर सुझाव भी देने चाहिये। अभी कुछ बेहतर सुझाव भी आये हैं, अभी हमारे लोकदल के चौधरी साहब भी बोल रहे थे, और हमारे विद्युत मंत्री जी की तारीफ भी कर रहे थे। विपक्ष अगर बेहतर सुझाव देता है, तो इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। केवल आलोचना ही नहीं करना चाहिये। कल जब मैं सदन में बैठा था, तो हमारे वरिष्ठ सदस्य, आदरणीय जगदम्बिका चौधरी साहब बोल रहे थे जोकि एक झूठा तथ्य सदन के सामने रख रहे थे बिजली के बारे में कि पिछली सरकार में जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्य मंत्री थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 16 घण्टे प्रदेश में बिजली मिल रही थी। उस समय मैं भी सदन का सदस्य था और हम लोग भी ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र पूरे प्रदेश में रहा होगा जहां बिजली 16 घण्टे मिल रही होगी। उन्होंने विशेष रूप से कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में 16 घण्टे बिजली मिल रही थी। हमारे डाक्टर साहब भी हैं समाजवादी पार्टी के सदस्य ईमानदारी से खड़े होकर बोलें कि क्या ऐसा था तो मान्यवर, इस तरह से सदन को झूठा गुमराह नहीं करना चाहिये। आज वर्तमान समय में

साढ़े तीन हजार मेगावाट बिजली की कमी प्रदेश में होने के बाद भी, कम से कम 12 घण्टे ग्रामीण क्षेत्र में बिजली देने का काम प्रदेश सरकार कर रही है और शहरी क्षेत्र में 16 घण्टे चाहे ग्रामीण क्षेत्र में लगातार एक साथ ही क्यों न दे रही हो। (समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा टोकने पर) मैं अपने क्षेत्र की कह रहा हूं जहां उपलब्ध है हमारे जौनपुर जनपद के समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्य भी मौजूद होंगे। मैं कोई बात नहीं कह रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता-

आप सुन तो लें। बात आने तो दीजिये।

श्री धनन्जय सिंह-

सत्ता के हम में नहीं बोल रहा हूं जो सही है, वही बोल रहा हूं। आपको सुनना भी चाहिये। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे जनपद में इनकी (समाजवादी) पार्टी के विधायक होंगे, उनसे पूछ लीजिये, 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति है कि नहीं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, कल हमारे वरिष्ठ सदस्य अम्बिका चौधरी जी कह रहे थे, कि एक व्यापारिक घराने को लाभ सरकार पहुंचा रही है। इसी सदन में हमारे तमाम साथी सदस्य होंगे। उदयभान करवरिया जी भी उस समय सदन के सदस्य थे जब माननीय मुलायम सिंह जी मुख्य मंत्री इसी सदन के अन्दर सदन के नेता ने एक-एक घण्टे एक व्यापारिक घराने की तारीफ की थी जो सदन की कार्यवाही में दर्ज है। सदन के अन्दर और पूरे प्रदेश ने देखा है कि किस तरह से व्यापारिक घरानों का उपयोग करके सत्ता चलाई गई थी। वर्तमान सरकार ईमानदारी के साथ काम कर रही है इस सरकार में विभेद है तो सिर्फ अमीरी और गरीबी का। अभी मैं सुन रहा था वर्ग विशेष के लिये कुछ कहा जा रहा था हम लोग जातियों का विभाजन जो करते हैं सिर्फ अमीरी और गरीबी का करते हैं सवर्णों में भी गरीब व्यक्ति हैं, और पिछड़ों में भी गरीब हैं, दलित तो गरीब हैं ही, सरकार सिर्फ अमीरों और गरीबों का विश्लेषण करके कार्य कर रही है। गरीब तबके के लोगों के लिये बेहतर कार्य करने का प्रयास कर रही है। इसकी आप लोगों को तारीफ करनी चाहिये। अभी हमारे उदयभान करवरिया जी कह रहे थे कि सरकार सवर्णों के लिये कुछ नहीं कर रही है। (हंसी) मैं कहना चाहता हूं कि जिन सवर्णों की नियुक्तियों पर रोक लगी थी, इस सरकार ने वह रोक हटाकर आज तमाम सवर्ण नौकरियों में आ रहे हैं। जो सही बात है, उसकी तारीफ करनी चाहिये, इस बात की तो किसी ने तारीफ नहीं की।

श्री अधिष्ठाता-

करवरिया जी को भ्रम हो गया है, लगता है।

श्री धनन्जय सिंह-

नहीं मैं सुन रहा था, इसलिये कोट करना जरूरी है।

श्री उदयभान करवरिया-

मैं तो मान्यवर, इसलिये कहता हूं कि अगर कर रही है तो बहुत अच्छा है। और इस पर और ज्यादा करने का प्रयास करना चाहिये।

श्री धनन्जय सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब से यह सरकार बनी है तब से 4 लाख लोगों को प्रदेश भर में रोजगार देने का काम किया है, इसके लिये भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सरकार को। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं थोड़ा अपने क्षेत्र जौनपुर की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो कि लगभग 5 लाख की आबादी का शहर है। यहां के लिये मैंने माननीय मंत्री जी से पत्र लिखकर आग्रह किया था। आज हमारे मा0 वित्त मंत्री जी भी बैठे हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि जब जवाब आये तो इस बात का जरूर उल्लेख हो जाय कि जनपद जौनपुर में रिंग रोड की बहुत आवश्यक मांग है। जौनपुर बहुत पुराना शहर है, और जौनपुर के, पश्चिम छोर से एक पुल निर्माण की आवश्यकता है। जो कालीचाबाद एन0एच056 से गोमती नदी पर बनता है और दो-तीन सड़कें बहुत आवश्यक हैं उसका भी जिक्र करना चाहूंगा। शाहगंज से बदलापुर होते हुए मुंगरा बादशाहपुर के लिये सड़क जाती है।

श्री अधिष्ठाता-

लिखकर दे दें।

श्री धनन्जय सिंह-

यह लिखकर दिया गया लेकिन यह कहा गया कि धन का अभाव है। इसलिये बजट के समय कह देना चाहता हूं। सदन किसलिये है। इसमें हंसने की क्या बात है आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं ? सदन किसी दलीय व्यवस्था से नहीं चलता है इसलिये दलीय व्यवस्था का कहीं जिक्र नहीं आता सिर्फ हां और ना लाबी रखी गई है। इसलिये हम हों, चाहे आप हों, चाहे इधर बैठें चाहे उधर बैठें। अपने क्षेत्र की बात सदन में कहें जरूर। अभी लोकदल के चौधरी साहब कह रहे थे, कपूर साहब कह रहे थे, जनता चुनकर हमें यहां भेजती है, अपनी बात रखने के लिये इसमें हंसने की कोई बात नहीं है सिकरारा से सुजानगंज की एक सड़क बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, उस सड़क का उच्चीकरण चौड़ीकरण की बात है उसके लिये धन की व्यवस्था अगर इस बजट में कर दी जाये तो मैं आभारी रहूंगा क्योंकि सात हजार करोड़ से ज्यादा का बजट रखा गया है। बक्शा से लोहिन्दा एक महत्वपूर्ण सड़क इसका भी उच्चीकरण और चौड़ीकरण की बात माननीय मंत्री जी से कही थी इसमें अगर व्यवस्था कर दी जायेगी, तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा हमारे जनपद की एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क है जो मछलीशहर से मड़ियाऊं से जलालपुर, जलालपुर से केराकत यह बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, इस सड़क का चौड़ीकरण और उच्चीकरण होना बहुत आवश्यक है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री अनूप कुमार गुप्ता-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह सरकार दलितों की हितैषी सरकार है ऐसा इन लोगों का कहना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक दलित गांव के अन्दर जाबकार्ड लेकर जाता है तो उसको काम नहीं मिलता है जब उसको काम नहीं मिलता है तो वह भूख हड़ताल पर बैठ जाता है। मान्यवर

हद तो तब हो जाती है जब उसकी कोई नहीं सुनता है और भूख हड़ताल करते-करते वह मर जाता है। यह मेरे जनपद सीतापुर का मामला है अखबारों में भी निकला है। केशवराज पुत्र महावीर दलित, उसने केवल जाबकार्ड के आधार पर काम मांगने का काम किया भूख हड़ताल इसने किया लेकिन इसको काम नहीं दिया गया। मान्यवर, सीतापुर जनपद की बात कहना चाहता हूं हमारा जिला दलित बाहुल्य जिला है और दलितों की बेटियों की शादी के लिये जो धन दिया जाता है वह धन बहुत कम दिया जाता है। 50 फीसदी पात्र लोग धन पाते हैं बाकी का धन सरकार द्वारा न ही भेजा जा रहा है और जो भेजा जा रहा है वह अपात्र लोगों को दिया जाता है। पात्र लोगों को सुविधा नहीं मिलती है। चक्कर लगाते रहते हैं। मान्यवर, हमारे ब्लाक पिकांवा में अर्सेनिक ब्लाक है। कोई कन्या इण्टर कालेज नहीं है। दो साल से एक फाइल पड़ी है उसकी मान्यता भी नहीं मिल पा रही है।

मान्यवर, जनपद सीतापुर के अन्दर जितने कार्य हैं, हमने माननीय मंत्री जी को भी लिखा, सबको लिखा लेकिन कहीं किसी तरह की सुनवाई नहीं हो पाई। जिला योजना की बैठक होती है उसमें भी हम लोग अपनी बातें रखते हैं लेकिन उसको सुना-अनसुना कर दिया जाता है। नैमिषारण्य पर्यटन स्थल है लेकिन इसको पर्यटन स्थल का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। नगर पालिका नैमिषारण्य मिश्रिख को आदर्श नगरपालिका भी घोषित नहीं किया जा रहा है। श्रीमन् गोमती नदी पर विरौला घाट एवं रामनगर पुल की मांग मैं कई दिनों से करता आ रहा हूं लेकिन उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारे यहां मिश्रिख में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है लेकिन वहां ओ0पी0डी0 की कोई व्यवस्था नहीं है। न ही वहां विशेषज्ञ डाक्टर की व्यवस्था है। मान्यवर, राजीव गांधी विद्युत परियोजना के अन्तर्गत खम्भे लगे हैं लेकिन वहां तार नहीं लगे हैं यह, मैंने पिछली बार भी कहा था कि जो राजस्व वहां दिया गया है वह गांव को दिया गया है लेकिन मजरों का विद्युतीकरण नहीं किया गया है। पहले हमारे यहां जनपद सीतापुर में इण्टर पास होने के बाद बी0ए0 में दाखिले के लिये बहुत दिक्कत होती है। वहां पर सीटें बढ़वाई जायें और मान्यवर, मैगलगंज से मढ़िया तक की 6 कि0मी0 के रोड का चौड़ीकरण और मरम्मत का कार्य कराया जाये। मान्यवर, व्यापारियों की हितैषी यह सरकार के वैट लगाने के बाद व्यापारी अपने को बहुत ही असहाय महसूस कर रहा है। ईंट का धन्धा बिल्कुल चौपट हो गया है, हर माह सर्वे के नाम पर उनको डराया धमकाया जा रहा है। ईंट उद्योग आज पूरी तरीके से फेल हो गया है। इसी तरीके से चावल का उद्योग भी फेल हो गया है। चावल, चावल मिलों में पड़ा हुआ है, धान खरीदा हुआ पड़ा है, लेकिन सरकार आज चावल नहीं ले रही है, इससे व्यापारियों के सामने बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। लेवी समाप्त कर दी गई है, लेवी का उठान नहीं हो पा रहा है, इन सब बातों पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, हमारा कृषि प्रधान देश है, कृषि के ऊपर मात्र 8.2 परसेन्ट का बजट में प्राविधान किया गया है जबकि मा0 वित्त मंत्री जी ने कहा है कि कृषि का 28 प्रतिशत का योगदान रहा है। इसलिये मैं मा0 वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि कृषि के ऊपर बजट बढ़ाया जाए। मान्यवर, इस बार खाद की जो दिक्कत आई है, लोगों ने लाइन में लग करके अपनी साइकिलें चुरवाई, लाठियां खाई।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, संक्षिप्त करें।

श्री अनूप कुमार गुप्ता-

मान्यवर, जो मैंने बाते कही हैं, असेवित जो ब्लाक है, वहां पर डिग्री कालेज खुलवाने की भी कृपा करें, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजाराम त्यागी-

श्री अधिष्ठता महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद; आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, बजट में निर्धन पुत्रियों की शादी और बीमारी के लिये इस बजट में 117 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है, जो अपर्याप्त है। इस बात के लिये मैं इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड में उन्होंने 10 हजार की जगह 20 हजार किया है जो वहां के अनुसूचित जाति की पुत्रियों की शादी के लिये है लेकिन इस 117 करोड़ के बजाय कुछ और बढ़ा दिया जाता और बुन्देलखण्ड की तरह पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति की पुत्रियों की शादी के लिये 20 हजार रुपये कर दिया जाता तो बहुत अच्छा होता। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं, पारिवारिक लाभ योजना में इस बजट में 2009-2010 में 78 करोड़ रुपये की योजना है लेकिन मैं यह बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, विशेष कर रायबरेली में, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और सामान्य वर्ग के पारिवारिक लाभ का पैसा अभी वर्ष 2007-08 का पूरा नहीं मिला मैं बड़े विश्वास के साथ यह बात कह रहा हूं। यह भी व्यवस्था होनी चाहिये कि जितना पैसा आप बजट का दे रहे हैं, वह अगर पर्याप्त है तो पिछले सत्र का भी दिया जाना चाहिये। मा0 अधिष्ठाता महोदय, इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। शिक्षा के क्षेत्र में, अपने 500 रुपये शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाया है और उनका मानदेय 3500 रुपये किया है। इसके लिये धन्यवाद तो अवश्य दे रहा हूं लेकिन यह बात भी सोचने की है कि हमारे अन्य मा0 सदस्यों ने भी कहा है कि शिक्षामित्रों का मानदेय बहुत कम है। यह बात सत्तापक्ष के लोग भी जानते हैं व वित्तमंत्री जी को भी पता है कि जो पूर्णकालिक शिक्षक होता है, वह 10 हजार रुपये से ज्यादा वेतन पाता है लेकिन काम कितना करता है यह हमारे सदन में सब माननीय सदस्य कह चुके हैं और उसका आधा पैसा भी शिक्षा मित्रों को नहीं मिलता है। इस शिक्षा के बजट में यदि आप कुछ और बढ़ा देते तो बहुत अच्छा होता और कम से कम 5 हजार रुपये शिक्षामित्रों का मानदेय होता, तो बड़ी कृपा होती, बहुत अच्छा होता। मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, फैक्ट्रियों के मामले में, जब रायबरेली का नाम आता है तो पता नहीं क्यों सदन की नेता मा0 मुख्य मंत्री जी को कुछ गुदगुदी जैसे लगने लगती हैं। अभी मा0 महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया कि रायबरेली के 11 ऐसी फैक्ट्रियां बन्द हैं, मैं उसी बात को कहना चाहता हूं कि 11 फैक्ट्रियों में उत्तर प्रदेश सरकार की कितनी है। मैं उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं कि यू0पी0 टायर ट्यूब फैक्ट्री है जो उत्तर प्रदेश सरकार की है, यू0पी0 स्टेट स्पिनिंग मिल है, जो

उत्तर प्रदेश सरकार की है और मान्यवर, जब वह खुली थी, आज से लगभग 15 वर्ष पहले, उसमें 4500 कर्मचारी काम करता था और आज यह स्थिति है कि वहां कुल 1300 कर्मचारी रह गये हैं वह मिल बंद होने की स्थिति में आ गयी है। मान्यवर, अंत में एक और महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं कि नन्दगंज सिरोही शुगर मिल दरियापुर है वह आज पूरे तरीके से डायलिसिस पर है। यह कब बंद हो जाए यह कहा नहीं जा सकता है और इसको बेचने के लिए सरकार ने टेण्डर भी जारी किया है लेकिन टेण्डर लेने वाला कोई नहीं निकला है। इसके अतिरिक्त अंत में एक बात और कहना चाहता हूं कि लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत हमारी विधान सभा के लिए भी कम बजट दिया गया है हमारी विधान सभा के अन्तर्गत बछरावां से महाराजगंज की सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है उसमें आज तक मेंटीनेंस का भी पैसा नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त भवानीगढ़ से बहुदाकला, तिलेण्डा से असहन हलोर, महाराजगंज से शिवगढ़ मार्गों की स्थिति दयनीय है उसके लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। अधिष्ठाता महोदय, अन्त मे लॉ एण्ड आर्डर की बात कहना चाहता हूं कि लोक निर्माण बजट में राज्य सम्पत्ति विभाग भी आता है। मान्यवर, राज्य सम्पत्ति विभाग में हमारे ज्यादातर साथियों के पास चार पहिए की गाड़ियां हैं। लेकिन आप यह भी सोच लीजिए कि आपने अपने सरकारी आवासों में चाहे बहुखण्डी हो, चाहे दारुलशफा हो, चाहे ओ0सी0आर0 हो, आपने कितने गैरेज बनवाये हैं। इसके लिए आपने बजट में कोई प्राविधान नहीं किया। इसके लिए बजट में व्यवस्था होनी चाहिए ताकि विधायकों की गाड़ी चोरी न जाये।

श्री अधिष्ठाता-

त्यागी जी, आपकी बात आ चुकी है। अब सैय्यदा शादाब फातिमा जी को मौका दीजिए।

श्री राजाराम त्यागी-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि गांवों मे आंगनवाड़ी में छोटे-छोटे बच्चों को भुलाया जाता है, उनकी संख्या गलत दर्शायी जाती है, रजिस्टर पर गलत पंजीकरण होता है। उनका पुष्टाहार बाजारों में बेचा जाता है। इसके लिए प्रदेश सरकार से कोई ऐसी समिति नहीं बनायी गयी है जिससे उसकी अचानक जांच करके उस पर कार्यवाही की जाये। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

* श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे इस बजट भाषण पर बोलने पर अवसर दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इस बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री जी ने शुरू में ही उल्लेख किया है कि लम्बे समय के अंतराल के बाद जनता ने अस्थिरता से ऊबकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का निर्णय लिया। वर्ष 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। इसका मतलब यह स्वीकारोक्ति भी है कि इसके बाद इस सरकार के ऊपर किसी का दबाव नहीं रहा। सहयोगी दलों का कोई दबाव सरकार पर नहीं था। इससे यह अपेक्षा की जाती थी कि जो बजट होगा वह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विकासोन्मुखी बजट होगा। लोगों में आशा का संचार करेगा। परन्तु यह देखकर अत्यन्त निराशा हुयी कि ऐसा कुछ भी इस बजट में नहीं था। यह बजट विकासोन्मुखी नहीं था। दूसरी बात जो इसमें सबसे ज्यादा खली, वह जेंडर बजटिंग का न होना था। पूर्ववर्ती सरकारों ने ऐसा किया था कि अपनी जो योजनाएं थीं उनका अगर कम से कम 25 प्रतिशत भी इस सरकार ने सुनिश्चित कर दिया होता कि उसका लाभ महिलाओं को मिलेगा तो वह एक अच्छी बात होती। महिला मुख्य मंत्री थीं परन्तु जेंडर बजटिंग नहीं हुयी। हां एक बात यह रही कि इस पर बल दिया गया कि यह अब तक का सबसे बड़ा बजट था। 1 लाख 33 हजार 596 करोड़ 98 लाख रुपये का यह बजट पेश किया गया था। मान्यवर, सिर्फ बजट का आकार ही महत्वपूर्ण नहीं होता। बजट बड़ा है, धनराशि बहुत ज्यादा है इसका मतलब यह नहीं कि वह बजट वास्तव में अच्छा है। अच्छा बजट की पहली शर्त होती है कि वह डेफिसिट नहीं होना चाहिए था। जो राजस्व घाटा था वह कम होना चाहिए था। परन्तु आपने स्वयं देखा हालांकि उसका उल्लेख बहुत बाद में आया है कि वित्तीय घाटा बहुत ज्यादा था, लगभग 23 हजार करोड़ रुपये का वित्तीय घाटा आया है जो कि आपके सकल घरेलू उत्पाद अर्थात् टोटल जी0डी0पी0 का 5.3 परसेण्ट है। 5.3 परसेण्ट बहुत होता है, किसी भी दशा में यह 3 परसेण्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि जब-जब वित्तीय घाटा बढ़ता है तो अर्थ व्यवस्था के ऊपर उसके दूरगामी दुष्प्रभाव नजर आते हैं, दूरगामी तो आते ही हैं, तात्कालिक जो प्रभाव नजर आयेगा आपकी अर्थ व्यवस्था के ऊपर वह होगा कि केन्द्र से जो ऋण अर्नेस्टमेंट के लिए ऋण समायोजन के लिए सेण्ट्रल ग्राण्ट आपको मिलती है, एक हजार इकसठ करोड़ रुपये की उस ग्राण्ट को रोक दिया जायेगा क्योंकि शुरू में ही स्पष्ट कर दिया गया था कि यह 2008-09 में जीरो डेफिसिट होना चाहिए जबकि आपने देखा कि जीरो डेफिसिट के बजाय डेफिसिट आपका अर्थात् वित्तीय घाटा 5.3 परसेन्ट तक पहुंच गया तो यह एक हजार इकसठ करोड़ की धनराशि आपको आने वाले वर्षों में नहीं मिलेगी और इतनी ही धनराशि जो आपको मिल चुकी थी 2008-09 में उसकी भी आपसे वसूली होगी। दोहरा आपको घाटा हुआ। सवाल यह है कि आखिर इतना घाटा बढ़ा क्यों ? उत्तरोत्तर मान्यवर, घाटा बढ़ता गया है, पिछले वर्ष जो इनका वित्तीय घाटा था उससे इस बार वित्तीय घाटा बढ़ गया। पिछले बजट में आपने थ्री-पी का मॉडल प्रस्तुत किया था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत लम्बी-लम्बी बातें कही गई थीं कि प्रदेश का विकास हो जायेगा, उद्योग धन्धों का विकास होगा लेकिन आज की तारीख में अगर देखा जाय तो सिवाय कन्सेलटेण्ट की नियुक्ति के और कुछ नहीं हो पाया उसके अन्दर। कोई भी विकास का कार्य उसमें नहीं होने पाया। वित्तीय घाटा इस कारण से बढ़ा कि अनुत्पादक चीजों का उपयोग किया गया। हालांकि हम लोगों ने उस वक्त भी कहा था कि यह थ्री-पी मॉडल जो है यह पब्लिक प्राइवेट रिलेशनशिप के बजाय हम समझते हैं कि फ्लडिंग ऑफ पब्लिक प्रापर्टी से कहा जाय तो ज्यादा अच्छा होता उस वक्त भी समूचे विपक्ष ने इसका विरोध किया था लेकिन आपने उस बात को नहीं माना, हमारा सच हार गया और आज भी हम जानते हैं कि हम जो बात कहेंगे उसे नकार दिया जायेगा "हम सच कहेंगे मगर उससे हार जायेंगे, वह झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा" इसलिए कि वह झूठ इस खूबी से बोलते हैं कि हम लाजवाब हो जाते हैं लेकिन फिर भी

एक फर्ज होता है। हमारा कर्तव्य होता है, दायित्व होता है कि हम सत्ता पक्ष को उसका आईना जरूर दिखाते रहें। आखिर इतना ज्यादा घाटा हुआ क्यों, कारण यह था सरकार के अनुत्पादक खर्चे, एक भी नया उद्योग नहीं लगा एक यूनिट भी एक्स्ट्रा उत्पादन नहीं हुआ जो भी खर्च हुआ वह अनुत्पादक था। आपने जो भी अनुदान रखे, अनुपूरक अनुदान रखे गये उसमें भी धनराशि ऐसे ही खर्चों के लिए ली गई, लगभग एक चौथाई .....

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मान्यवर, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगी मैं जानती हूं लेकिन कुछ बातें जरूर कहूंगी कि डा0 भीमराव अम्बेडकर स्मारक जो बना, सामाजिक परिवर्तन स्थल 584 करोड़ रुपये उसके ऊपर खर्च किये गये, खर्च किये गये अच्छी बात है, दूसरी बात हुई कि कोई भी शहर का इण्टर सेक्शन ऐसा नहीं बचा जिसके ऊपर मूर्तियां न लगाई गई हों और लगभग 161 करोड़ रुपये खर्च हुए। 161 करोड़ रुपये सिर्फ मूर्तियों को लगाने पर खर्च हुए। महापुरुष का सम्मान कीजिए, निश्चित रूप से कीजिए हम इसको मना नहीं करते हैं। लेकिन क्या केवल दूसरे प्रदेशों के ही महापुरुषों का सम्मान होगा। उत्तर प्रदेश के भी महापुरुष थे मान्यवर, आप जिनकी तस्वीर के नीचे बैठे हुए हैं यदि उनका भी कुछ सम्मान हो गया होता तो हम लोगों को तसल्ली होती। तमाम लोग थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खां थे यह वह लोग थे जिन्होंने हमारे आने वाले कल के लिए अपने आज को कुर्बान कर दिया था इसलिए कि हिन्दुस्तान आजादी के सूरज को देखे। आजादी के सूरज को देखना उनका सपना था उनका यकीन था

"इन काली सदियों के सर से, जब रात का आंचल ढलकेगा
जब अम्बर झूम कर नाचेगा, जब धरती नगमें गायेगी,
वह सुबह कभी तो आयेगी, वह सुबह कभी तो आयेगी,
जिस सुबह की खातिर युग-युग से, हम सब मर-मर कर जीते थे,
जिस सुबह की अमृत की धुन में, हम जहर के प्याले पीते थे,
वह सुबह कभी तो आयेगी।"

वह सुबह आई और अफसोस की बात है कि आज हम लोग उन महापुरुषों को भूल गये जिन्होंने हमें आजाद फिजाओं में सांस लेने के काबिल बनाया था।

श्री अधिष्ठाता-

मोहतरमा जी, समय का ध्यान रखिये।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मान्यवर, हमें हमारी बात कह लेने दीजिए, एक भी महिला नहीं बोली है, इसलिए कृपया हमें बोलने दीजिए।

मान्यवर, जब गांधी सेतु के ऊपर वह बना था तब उसके इधर-उधर अम्बेडकर द्वार बनाया गया, उसकी दीवार गिरायी गयी। आप जब उसे दुबारा बनायेंगे तो उस सम्बन्ध में हम चाहेंगे कि उसका नाम आप महात्मा गांधी द्वार रख दें। यह राष्ट्रपिता को सच्ची श्रृद्धांजलि होगी।

आपने अपने बजट में कहा कि हम भ्रष्टाचार को जड़ से मुक्त करेंगे। मान्यवर, अभी एक लाख सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति हुई, 88 हजार प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की गयी। उन नियुक्तियों में लाखों-लाख रुपये लिये गये हैं। इसके अलावा यहां पर सिर्फ स्थानान्तरण उद्योग चलता है दूसरा कोई उद्योग नहीं चला है। मान्यवर, यही नहीं लोगों को सस्पेंड किया गया फिर वहीं पर बहाल भी कर दिया गया और इनको बहाल करने के लिए पैसा लिया गया है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ धान और गेहूं की खरीद करता है। करवरिया साहब यहां पर नहीं हैं इनके इलाके में धान की खरीद होती है। वहां के क्षेत्रीय प्रबन्धक ने करोड़ों रु0 का घोटाला किया। उस व्यक्ति को बहुत कहने पर निलम्बित किया गया। यह मैं आपको पत्र देना चाहती हूं। मान्यवर, गुरु प्रसाद मौर्य जी ने एक पत्र लिखा उनकी बहाली के लिये। माननीय सहकारिता मंत्री जी ने उस पर आदेश कर दिये कि इन्हें बहाल किया जाय और उसी जगह पर पोस्ट किया जाये। मान्यवर, जो आदमी करोड़ों रु0 का गबन करे उसके लिए इस तरह के आदेश हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है। मान्यवर, उन्होंने प्रबन्ध निदेशक को लिखा कि क्षेत्रीय प्रबन्धक, श्री ओ0 पी0 श्रीवास्तव, ओ0 एस0 डी0 को तत्काल बहाल कर दिया जाये तथा पूर्व की भांति इन्हें कार्य वहीं पर करने दिया जाय और इसको सुनिश्चित कर लिया जाये।

मान्यवर, अल्पसंख्यकों की बात कही जाती है और यह कहा जाता है कि यह सरकार उन पर बहुत मेहरबान है। मान्यवर, आपने अल्पसंख्यकों के लिए कहा कि आलिया स्तर के 100 मदरसों को मान्यता दी जायेगी। अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में 212 करोड़ रु0 दिये गये हैं। मान्यवर, आज से तीन वर्ष पहले माननीय मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल में छात्रवृत्ति के रूप में 243.45 करोड़ रु0 दिये गये थे। यह आपकी कैसी हमदर्दी है।

आपने बजट में कहा है कि आप राष्ट्रीय आय का मुकाबला करना चाहते हैं। आप उद्योग लगायेंगे नहीं। मान्यवर, औद्योगिक विकास की दर पहले 12 प्रतिशत थी वह 2007 में घटकर 7.6 प्रतिशत हो गयी और अब अगर आप अप्रैल और अगस्त, 2008 के बीच की अवधि का देखेंगे तो यह 5 प्रतिशत आ गयी है। यह शर्म का विषय है। अगर आप नये उद्योग नहीं लगायेंगे तो प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़ेगी और लोगों को रोजगार कैसे देंगे। क्या आप उनको भीख देना चाहते हैं।

कृषि पर आपने क्या खर्च किया है। प्रथम वर्षीय योजना में उसमें 24 प्रतिशत बजट की धनराशि दी जाती थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उस पर 27 प्रतिशत हो गयी।

मान्यवर, आप कहते हैं कि कानून का राज है कानून का कैसा राज है ? अपराधी भयमुक्त हो गया आप कहते हैं कि अपराधी सलाखों के पीछे है अपराधी आपके साथ बेंचों के ऊपर बैठे हुए हैं। तमाम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं यह कैसा अपराधमुक्त समाज है।

मान्यवर, इस सरकार में लगता है कि क्या मंत्री क्या सन्तरी, माननीय विधायकगण बलात्कार में संलिप्त हैं, माननीय मंत्रिगण बलात्कार में संलिप्त हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप बैठ जाइये।

ऊर्जा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे वर्ष 2009-10 के बजट की सामान्य चर्चा पर बोलने के लिए समय दिया मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

(श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा द्वारा बोलने का प्रयास करते रहने पर)

श्री अधिष्ठाता-

आप बैठ जाइये, हमने आपको समय दिया अकेली थीं आप। अकेली देख कर्के मैंने आपको समय दिया है अब उसका लाभ न उठाइये, माननीय मंत्री जी को अपनी बात कहने दीजिए।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, पिछले 12 वर्ष से मैं इस सदन का सदस्य हूं। हम जब इधर बैठते थे तब भी सुनने को मिला और जब उधर बैठते थे तब भी सुनने को मिला कि साहब बिजली पूरी नहीं मिल रही है, प्रदेश में बिजली की बहुत कमी है और कोई दिन ऐसा बाकी नहीं गया जब सत्र चला और बिजली के बारे में कोई चर्चा न हुई हो। 1997 से मुझे याद है इस सदन में चर्चा तो हुई लेकिन बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। 2002 में माननीय तिवारी जी हैं उनको ज्यादा पता है, माननीय हुकुम सिंह आज यहां नहीं हैं उनको भी ज्यादा पता है वह ऊर्जा मंत्री रहे हैं, माननीय तिवारी जी भी ऊर्जा मंत्री रहे हैं। 1979 में आनापारा बी लगा था 1000 मेगावाट का, जिसका कमीशन हुआ 1992 में एक मशीन आई 500 मेगावाट की उसके बाद 1994 में 500 मेगावाट की दूसरी मशीन चालू हुई। उसके बाद आज तक किसी सरकार ने सिवाय बहन मायावती जी के अलावा किसी सरकार ने उत्तर प्रदेश में पावर हाउस लगाने का काम नहीं किया। जब बहन जी तीसरी बार मुख्य मंत्री बनीं तो उन्होंने 210-210 मेगावाट की दो मशीनें धारीछा जनपद झांसी में लगाने का काम किया। मुझे याद है 30-11-2002 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसको लगाने का काम किया था और उसका कमीशन 2006 में हो जाना चाहिए था लेकिन हमारी सरकार जाने के बाद उस पर एक साल तक काम नहीं किया गया। अभी जब हमारी सरकार बनी तब 30-11-2007 को माननीय बहन कु0 मायावती ने उसका लोकार्पण किया जिससे हमें 400 मेगावाट बिजली मिलना शुरू हुआ है अभी 30-11-2007 को और जब चौथी बार बहन कु0 मायावती जी मुख्य मंत्री बनीं तो उत्तर प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्वावलम्बी हो उसके लिए हमको निर्देश दिये पूरे सभी वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाकर निर्देश दिये कि उत्तर प्रदेश इसी पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा के क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्वावलम्बी हो जाय इसके लिए 10,000 मेगावाट का पावर हाउस बनाने का कार्य योजना तैयार कर लेनी चाहिए।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि बार-बार जो बातें आती हैं वह इसलिए आती हैं कि पिछली सरकार ने पावर हाउस बनाने का काम नहीं किया, खन्ना साहब आ गये अच्छा है यह अभी आलोचना कर रहे थे कि बिजली नहीं मिल रही है तो क्यों नहीं मिल रही है। अधिष्ठाता जी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1992 तक आपकी सरकार थी और 13 फरवरी, 1992 को तत्कालीन मुख्य मंत्री, मुख्य मंत्री उस समय कौन थे मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं 440 मेगावाट का अत्याधुनिक ऊंचाहार विद्युत परियोजना को 925 करोड़ रुपये में एन0टी0पी0सी0 को बेचने का काम किया। कौन मुख्य मंत्री थे मैं आपसे पूछना चाहता हूं उसके बाद 14 जनवरी, 2000 को उस समय कौन मुख्य मंत्री थे यह आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, इस सदन से ज्यादा कोई नहीं जानता, आपकी पार्टी के मुख्य मंत्री थे उस समय टॉडा को 800 करोड़ रुपये में एन0टी0पी0सी0 को बेचने का काम किया आज जो परेशानी खड़ी हो रही है बीच में जो सरकारें आईं, जो हमारे सामने बैठे हैं उनकी सरकारें आईं, कांग्रेस और लोकदल की मिलीजुला सरकार आई, आपकी भी सरकार आई एक मेगावाट का भी पावर हाउस भी लगाने का काम नहीं किया बल्कि 440 मेगावाट का एक पावर हाउस और दूसरा पावर हाउस टॉडा को इन्होंने बेचने का काम किया। मान्यवर, मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं अपनी माननीया मुख्य मंत्री जी का क्योंकि उन्होंने बिजली के लिए ठोस कार्यवाही की है। हम आपको बता दें अब तक जो पॉवर हाउस की क्षमता है जो बिजली हमको मिलती है वह है 63 सौ मेगावाट मात्र और डिमाण्ड है करीब 8 हजार से ले करके 9 हजार मेगावाट तक यानि कि करीब ढाई हजार से ले करके तीन हजार मेगावाट की कमी आती है और मान्यवर, किसी भी कीमत पर कहीं से भी बिजली नहीं मिल रही है, हमने अभी 8 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से हिमांचल प्रदेश से बिजली ली लेकिन वह भी अब हमको नहीं मिल पा रही है और ओवर-ड्रा करते हैं तो किसानों को जो बिजली हम दो रुपये तक देते हैं उद्योगपतियों को चार रुपये से पांच रुपये तक देते हैं, उस बिजली का दाम हम 10 रुपये प्रति यूनिट देते हैं। उसके बाद भी जब फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है तो बिजली वाले कभी सहारनपुर काट देते हैं, कभी मेरठ काट देते हैं और कभी लखनऊ काट देते हैं। इस तरह से बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई ठोस कार्यवाही पिछली सरकारों में नहीं की गई और जब हमारी बहन जी की चौथी बार सरकार बनी तो उन्होंने 30-11-2007 को पांच सौ मेगावाट का पॉवरहाउस लगाने का काम हरदुआगंज, अलीगढ़ में किया, उसका शिलान्यास किया उसमें बहुत तेजी से काम चल रहा है और उसके बाद 30-11-2007 को ही पांच सौ मेगावाट का पॉवरहाउस लगाने का काम पारीछा में किया गया, उसका भी काम बहुत तेजी से चल रहा है और अनपरा-डी जो एक हजार मेगावाट की हमारी परियोजना है उसके लिए 24-10-2007 को बी0एच0एल0 को आर्डर किये थे जिसके लिए जनवरी, 2008 में हमने 456 करोड़ रुपये एडवांस में दिया, इसमें भी काम बहुत तेजी से चल रहा है।

अनपरा-सी के लिए एक साल पहले ही हमने जमीन उपलब्ध करा दी थी जब तमाम आन्दोलन हुए थे, हमने उनको समझाया कि यह जनहित का काम है इसे होने दीजिए, वहां भी

काम तेजी से चल रहा है। एन0टी0पी0सी0 के साथ इलाहाबाद में 1320 मेगावाट का पॉवरहाउस बनाने का काम किया जा रहा है इससे हमें 990 यानि कि लगभग एक हजार मेगावाट बिजली मिलेगी। इस प्रकार से मान्यवर, इन्हीं बीस महीनों में हमने चार हजार मेगावाट के काम धरातल पर शुरू करा दिये और 3300 मेगावाट निजी क्षेत्र में बारा-करछना जो कि इलाहाबाद में है उसके लिए भी जमीन अधिग्रहण हम कर चुके हैं, पानी की व्यवस्था हो चुकी है, तीन से चार महीने के अन्दर हम बारा-करछना में 3300 मेगावाट का पॉवरहाउस लगाने का काम शुरू कर देंगे और ओबरा में भी हम एक हजार मेगावाट का एक्सटेंशन लगाने जा रहे हैं। मान्यवर, इस प्रकार से मा0 मुख्य मंत्री जी के दिशा-निर्देश पर और उन्होंने अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि पॉवरहाउस लगाइये बिजली के काम को आगे बढ़ाइये पैसे की कमी नहीं आने दी जायेगी। आपको आश्चर्य होगा अब तक जो हमारी क्षमता है वह है 6300 एम0वी0ए0 और जो हम बढ़ाने जा रहे हैं वह है 11,972 और यह इसी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हम बढ़ाने जा रहे हैं और मान्यवर, इस पर करीब 60 हजार करोड़ रुपये खर्चा आयेगा।

इसी के साथ-साथ जब हमारा बिजली का उत्पादन बढ़ेगा तो हमें ट्रांसमीशन लाइन को भी मजबूत करना होगा, उसके लिए अभी हमारी क्षमता है मात्र 34,710 एम00वी0ए0 जिसको हम बढ़ाने जा रहे हैं। इसमें करीब 22 हजार करोड़ रुपये का खर्चा आयेगा और इसके साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन को भी मजबूत करने के लिए हम 38,800 एम0वी0ए0 की क्षमता बनाने जा रहे हैं जिस पर करीब 30 हजार करोड़ रुपये का खर्चा आयेगा। इस प्रकार से मान्यवर, बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए आदरणीया बहन कुमारी मायावती जी की सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है और हम आपको सदन में विश्वास दिलाते हैं कि इसी पंचवर्षीय योजना में यानि कि करीब तीन साल के अन्दर हमारा उत्तर प्रदेश पूरी तरह से ऊर्जा के क्षेत्र में स्वावलम्बी होगा और जिस तरह से काम चल रहा है और जिस प्रकार से मा0 मुख्य मंत्री जी का आर्शीवाद मिल रहा है, हम चार साल के बाद 2012 के बाद कम से कम एक हजार से लेकर दो हजार मेगावाट बिजली दूसरे प्रदेशों को देने लगेंगे। यह अब तक हो गया होता यदि बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए यदि काम किया होता लेकिन वह तो केवल भाषण देते रहे, जमीन अधिग्रहण करते रहे। मैं पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पूरी तरह से ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने के लिए कटिबद्ध हैं और चार साल के अन्दर हम उत्तर प्रदेश को 24 घण्टे बिजली देंगे। तुरन्त नहीं हो सकता क्योंकि थर्मल पावर हाउस लगाने के लिए 36 महीने से ले करके 40 महीने लगते हैं। काम चल रहा है और मैं समझता हूं कि एक साल के अन्दर 6 हजार मेगावाट के पावरहाउस लगाने का काम हम धरातल पर शुरू कर देंगे।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, बच्चों की परीक्षा आ रही है उसके बारे में भी कुछ कह दें।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, यह प्रश्न विधान परिषद् में भी उठाया गया था मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास 63 सौ मेगावाट बिजली है और 500 मेगावाट हम और खरीद रहे हैं लेकिन जब ग्रिड

में 49 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी जाती है तो फिर हमें काटनी पड़ती है, इसलिए मान्यवर, किसी भी निश्चित समय में पूरे प्रदेश में एक साथ हम बिजली नहीं दे सकते हैं। अप्रैल में देंगे, पूरा प्रयास है कि छात्रों को पूरी बिजली दें, किसानों, उद्योगपतियों तथा आम आदमी को दें और इसके लिए रातों-दिन हम लगे हुए हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि छात्रों को पूरी बिजली मिलेगी और इसी पंचवर्षीय योजना के अन्दर उत्तर प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में स्वावलम्बी होगा। धन्यवाद।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने नाम लिया है और हमारी तरफ इंगित करके कहा कि कौन-कौन सरकारें थीं।

श्री अधिष्ठाता-

कोई गलत इशारा थोड़े ही किया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, गलत इशारा नहीं किया लेकिन जब नाम ले करके कोई बात कही जाती है तो उत्तर देने का अधिकार बन जाता है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी का उत्तर भाषण हुआ, मा0 मंत्री जी ने अपनी बात कही है। इशारों को इतनी गम्भीरता से न लें। आपके दल के सदस्य डा0 राजेन्द्र सिंह को बुला लिया गया है।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, यह सही बात समझते नहीं हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

संसदीय कार्य मंत्री जी, आप बस मुस्कराते रहिये, हमें वही देखकर अच्छा लगता है कम से कम आप गुस्सा न रहो।

श्री अधिष्ठाता-

बैठ जाइये, मंत्री जी ने अब मुस्करा तो दिया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, केवल एक बात मैं कहना चाहता हूं। मैंने लॉग-टर्म प्लानिंग को कण्ट्रोवर्ट नहीं किया अपने भाषण में, मैंने मांग की थी आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कि आज भी जब उसके सिर पर पंखा चले, उस गरीब के घर में लाइट जले तब मा0 मंत्री जी आपको सराहना मिलेगी। हमने शार्ट टर्म प्लानिंग की बात कही थी, अगर हम नहीं कर पाये तो इधर बैठे हैं, और जो 6 वर्ष मंत्री रहे वह आपके संग हैं।

श्री अधिष्ठाता-

चलिये आपकी बात आ गयी। डा0 राजेन्द्र सिंह जी अपनी बात रखें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जो कुछ कहना है उनसे कह लें, हमसे क्यों कह रहे हो ?

डा0 राजेन्द्र सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे वर्ष 2009-2010 के बजट चर्चा पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, जब भी बजट आता है तो आम आदमी इसको बड़ी हसरत की निगाह से देखता है, वह देखना चाहता है कि उसमें भविष्य की रोशनी हो, विकास की सुगन्ध हो और सुरक्षा का वातावरण हो। मान्यवर, मैं इस बजट को राजनीतिक कार्यकर्ता की हैसियत से नहीं देखना चाहता हूं। बल्कि उस आम आदमी की नजर से देखना चाहता हूं जो दबा और कुचला है, वक्त और हालात को मारा हुआ है जो मजलूम है और उसका कोई भला नहीं होने वाला नहीं है। हमें सारे बजट बहुत अच्छे लगते हैं। चाहे वर्तमान बजट हो, चाहे इससे पहले का बजट हो, सब बहुत अच्छे लगते हैं और सारे बजटों को देखकर लगता है कि आम आदमी को बहुत फायदा होने वाला है लेकिन इतने अच्छे बजट होने के बावजूद गरीब, गरीब क्यों रहता है, उसके हालात क्यों नहीं बदलते ? इसका मुख्य कारण क्या है ? उसका मुख्य कारण है, भ्रष्टाचार। जब तक भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगा पायेंगे तब तक कितना भी अच्छा बजट बना लें, आम आदमी की सेहत पर असर नहीं पड़ने वाला। हम एक बात कहना चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार है वह झरने की तरह होता है, झरना जिस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ चलता है उसी तरह से भ्रष्टाचार भी ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। आज सरकार अगर यह संकल्प कर लें कि हमें भ्रष्टाचार हटाना है तो कोई कारण नहीं कि हमारे इस बजट का जो आपने यहां पर प्रस्तुत किया है 6 से 12 महीने के अन्दर अच्छे रिजल्ट्स आना न शुरू हो जाए। हम आगरे से अपनी बात शुरू करना चाहते हैं, शाहजहां के ताजमहल की नगरी से अपनी बात शुरू करना चाहते हैं जहां पर कभी मुमताज महल रहा करती थी। मैं बताना चाहता हूं कि आगरा वह सिटी है जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा नाम है। लेकिन आज आगरे की जो हालत है उसका वर्णन किया जाए तो मुझे लगता है कि आगरे से ज्यादा खराब सिटी आजकल कोई नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि आज वहां पर आने जाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का कोई एअरपोर्ट नहीं है, न अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का कोई स्टेडियम। हालात यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटक आते हैं लेकिन कानून व्यवस्था इतनी ज्यादा खराब है कि सब्जीवाला, तपके से लेकर डाक्टरों द्वारा उनको लूटा जाता है। आपको आश्चर्य होगा कि पर्यटन उद्योग आगरा में पूरी तरह से तबाह हो रहा है। हम बार-बार इस बात को कहते रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आगरा से 20 कि0मी0 दूर तक कोई प्रदूषणकारी उद्योग न लगाये जाएं। हमने पहले भी कहा था कि आगरा को इलेक्ट्रानिक सिटी बनाने का काम करें लेकिन अब तक सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। एक बात और कहना चाहता हूं अभी जल निगम द्वारा वहां यमुना प्रदूषण इकाई का काम किया जा रहा है यह 34 करोड़ का प्रोजेक्ट है वहां पर जो काम हो रहा है वह गुणवत्ता विहीन काम हो रहा है। पी0डब्लू0डी0 ने सड़क बना दी लेकिन उसको तोड़कर जल निगम अपनी पाइप डाल देता है। ग्रेविटी से मलवा ले जाने का काम कर रहा है। जो मजदूर काम करता है उसके

लिए सटरिंग का इंतजाम नहीं है 6 लोग पिछले साल मर भी चुके हैं। क्रेडिंल में सीमेन्ट नहीं डाला जा रहा है। इसके अलावा बार-बार एक सड़क की बात सदन में कहते हैं सुबह भी कहा था। पी0डब्लू0डी0 मिनिस्टर यहां हैं मेरा एक ही निवेदन है कि पूरे आगरा में केवल एक सड़क की मैं मांग करता हूं। वित्त मंत्री जी भी बैठे हुए हैं मैं उनके संज्ञान में भी लाना चाहता हूं। आगरा-शमसाबाद-राजाखेड़ा रोड है उस सड़क की मैं मांग करता हूं। इस सड़क को जरूर दे दिया जाय। हमारे कहने से चिकित्सा मंत्री जी ने एक मेडिकल कालेज में पी0पी0पी0 के तहत सी0टी0 स्कैन मशीन भेजी थी लेकिन उसमें जो फिल्म आती है उससे बीमारी किसी तरह से डायग्नोसिस नहीं हो सकती न तो नार्मल टिसू का पता चलता है न एबनार्मल टिसू का पता चलता है यह इन्द्रा डायग्नोस्टिक की तरफ से भेजी गई है। आगरा में चिकित्सक समुदाय के ऊपर हमले हो रहे हैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी एक आंध्र प्रदेश ने प्रिवेंशन आफ मेडिकल परसनल एण्ड मेडिकल इन्स्टीट्यूशन ऐक्ट लाया है उसी तरह का एक्ट उत्तर प्रदेश में लाएं जिससे उन लोगों को राहत मिले। दूसरी बात कृषि के बारे में कहना चाहता हूं आलू का आपने 300 रुपये प्रति कुन्तल मूल्य कर दिया हमारे कुछ साथी कह रहे हैं कि इसे 500 रुपये प्रति कुंतल कर दें। ऊर्जा मंत्री जी टी0टी0 जेड के अन्दर किसानों से 135 रुपये प्रति हार्स पावर बिजली के रेट लिए जाते हैं जबकि अन्य जगहों पर 20 रुपये से 70 रुपये प्रति हार्स पावर बिजली के रेट हैं। यहां पर इस सम्बन्ध में हमारे डा0 अनिल चौधरी साहब भूख हड़ताल पर भी थे इसको दिखवा लें। फतेहाबाद के अन्दर दो कस्तूरबा गांधी कन्या विद्यालय आए हैं एक स्कूल पूरा हो चुका है दूसरे के लिए जगह छूटी हुई है उसको बनवा दें। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि आपके यहां समाज कल्याण विभाग द्वारा जो काम हो रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है मैं चाहता हूं कि जितनी भी आपकी योजनाएं हैं उसमें लेखपाल, प्रधान, सेक्रेटरी को जिम्मेदारी दें और जितने लोग पात्र हैं उनकी सूची बनाकर दें। एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि 90 हजार बी0पी0एल0 परिवार आगरा में हैं जबकि वहां की जनसंख्या 36 लाख है इसके 27 प्रतिशत के हिसाब से 10 लाख बी0पी0एल0 लोग होंगे इस हिसाब से यहां दो लाख परिवार होने चाहिए पता नहीं कि किस तरह की बी0पी0एल0 सूची है। क्या आगरा की जनता अमीर हो गयी। अधिष्ठाता महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

* चौधरी सत्यपाल सिंह-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से सरकार के सामने कुछ बातें रखना चाह रहा हूं। बजट की किताब है, उसमें लिखा हुआ है कितने हजार लाख करोड़ रुपये आये और कितने कहां जायेंगे लेकिन यह सच्चाई है इस देश की नहीं पूरी दुनिया की कि जब तक गांव में रहने वाले लोगों का उत्थान नहीं किया जायेगा, जब तक किसानों के लिये कोई योजना नहीं बनायी जायेगी और उसका क्रियान्वयन ईमानदारी से नहीं किया जायेगा यह देश, यह प्रदेश, यह जिला कोई भी तरक्की नहीं कर सकता।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस बजट में बड़े-बड़े प्राविधान है, आज एक बहुत बड़ा बजट बढ़ा दिया गया है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि किसानों की आखिर यह दशा, किसानों के बारे में सभी नेता बोलते हैं, सभी सरकारें बोल रही हैं। किसानों की उपज का सही मूल्य कौन निर्धारित करता है ? सरकारें करती हैं, सरकार उस पर बोनस देती है। हमारे आगरा के मंत्री जी कहां गये ? आलू का मूल्य 300 रुपये आपने घोषित कर दिया कि लेगी सरकार।

मैं यह पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार से कि क्या एक क्विंटल आलू सरकार ने कहीं से खरीदा है ? क्या खरीद केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं ? कृषि मंत्री जी धान के बारे में बोल रहे थे। मैं एक छोटा सा किसान हूं। मैंने इस बार गन्ना उखड़वा दिया कि धान बोऊंगा। मैंने धान बोये। धान पूरा का पूरा गांव में सब किसानों के यहां पड़ा है। एक क्विंटल भी इस सरकार ने नहीं खरीदा है और कहां खरीदा हो मेरे क्षेत्र खैर अलीगढ़ में, बता दें। मुझे वह जगह बता दें कि कहां से खरीददारी हो रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि आखिर किसानों की दशा सुधरेगी कैसे ? किसान क्या पैदा करता है ? किसान इस देश के लिये, इस प्रदेश के लिये, पूरी जनता के लिये खाने के लिये पैदा करता है चाहे गेहूं हो, गन्ना हो, धान हो, दालें हों और किसान की आवश्यकता 10 मन की है और उसके पास 20 मन है तो वह 10 मन बेच देगा आपके लिये बेच देगा और आपके द्वारा निर्धारित की हुई दरों पर। मेरा आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से ऊर्जा मंत्री जी से यह निवेदन है कि मैंने कभी भी किसानों पर बिजली चोरी की एफ0आई0आर0 होती कभी दुनिया में नहीं देखी। हम डब्ल्यू0 टी0ओ0 के युग में है, वर्ल्ड ट्रेड आरग्नाइजेशन में पूरी दुनिया आज तरक्की की बात कर रही है। अमेरिका बहुत बड़ा और शक्तिशाली देश है जरा यह उठवा कर देख लें कि वह कितनी सब्सिडी अपने किसानों को दे रहा है। किसान के ऊपर एफ0आई0आर0। किसान किसके लिये विद्युत चोरी कर रहा था ? खेत में क्या वह एयर कंडीशनर लगा के सो रहा था वह क्या वहां बिजली का हीटर लगा रखा था कि गर्म पानी से नहाऊंगा। वह उत्पादन के लिये कर रहा था चोरी और इसलिये कर रहा था चोरी कि आपके लिये अन्न देगा, आपके लिये खाने के लिये धान देगा, गेहूं देगा, दाल देगा। अगर कोई चोरी करता है तो ठीक है, उसको दण्ड दिया जाय लेकिन मेरा आज इस सदन के माध्यम से निवेदन है कि किसी भी किसान पर विद्युत चोरी की एफ0आई0आर0 नहीं होनी चाहिए। किसान तो आपके लिये अन्नदाता हैं। किसान आपको दे रहा है, आपकी निर्धारित दरों पर दे रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

अभी और माननीय सदस्यों को चर्चा में शामिल होना है। आपकी बात आ गई है। अब आप समाप्त करें।

चौधरी सत्यपाल सिंह-

गांव की तरक्की नहीं है, सारे पुल टूटे पड़े हैं और सरकारों ने नहीं किया, आपके माध्यम से निवेदन करते हैं कि देहात के कई पुल टूटे पड़े हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आपको लिखकर दे दूंगा। बीस-बीस किलोमीटर से महिलाएं अपने कपड़े ऊपर करके निकलती हैं तो यह बहुत शर्म

की बात है इस सरकार के लिये, पुल बनवाया जाय। एक सड़क है, माननीय ऊर्जा मंत्री जी, यहां से मैं तीन चार बार गया हूं।

श्री अधिष्ठाता-

अब आपकी बात आ गई है। राम किशुन जी अब आप अपनी बात रखें।

चौधरी सत्यपाल सिंह-

माननीय ऊर्जा मंत्री जी वह सड़क पूरी तरह से टूटी पड़ी है। माननीय मंत्री जी का आवागमन रहता है, मैं तो हैरान हूं कि इस सरकार में चलने वाले लोग किस तरीके से उन सड़कों से जाते हैं। स्वास्थ्य के नाम पर कोई ऐसा गांव बता दें जहां पिछले दो साल में डी0डी0टी0 छिड़की गई हो।

* श्री राम किशुन-

मान्यवर, आपने वर्ष 2009-2010 के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय इस सरकार के वित्त मंत्री द्वारा जो बजट पेश किया गया है इस बजट मे किसी प्रकार से भी सर्वजन सुखाय की बात कहने वाली यह सरकार, सर्वजन दुखाय और बहुजन समाज पार्टी सुखाय का बजट है। सिर्फ एक वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाने का यह बजट है। इसमें किसानों के लिए कोई काम अधिष्ठाता महोदय नहीं किया गया। अभी माननीय बिजली मंत्री जी ने अपने उत्पादन की बात कही, हमारे किसानों को ट्यूबवेल चलाने के लिए बिजली नहीं, लिफ्ट पम्प कैनाल चलाने के लिये बिजली नहीं, जो सड़कों की बातें हैं मैं जिस जनपद से आता हूं जनपद चन्दौली, वह नक्सल प्रभावी जिला है जहां पिछली सरकार में विकास के लिए बहुत सारी परियोजनायें, योजनायें चलाई गईं वह सब बन्द कर दी गई। उस नक्सल प्रभावी जनपद के लिये कोई विशेष पैकेज नहीं हुआ था।

उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार की मुखिया ने उत्तर प्रदेश में जब नये जिले सृजित किये थे तो उसमें जनपद चन्दौली को एक नया जिला बनाने का काम किया था। वहां की जनता को एक विश्वास हुआ कि नया जिला बनने से यहां विकास की चीजें होंगी। लेकिन इतना दिन हो गया नया जिला बने हुए लेकिन जिला मुख्यालय के लिए इस सरकार ने बजट में कोई प्राविधान किया ही नहीं। चन्दौली धान का कटोरा कहा जाता है। धान सबसे ज्यादा पैदा होता है। किसानों के धान की जो कीमत है वह आज तक वापस नहीं हुई उन्हें कीमत नहीं मिली सहकारी समितियों द्वारा यह सरकार कहती है हम किसानों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। एक नरायनपुर पम्प कैनाल है जहां से नरवन को टेल तक पानी दिया जाता है। नरवन का किसान को, जब धान को पानी की जरूरत होती है तो उसको पानी उपलब्ध नहीं कराया जाता है। माननीय ऊर्जा मंत्री जी, आपके माध्यम से अधिष्ठाता महोदय जी कहना चाहता हूं ढाई-तीन सौ करोड़ का प्रोजेक्ट है नरायनपुर पम्प कैनाल का। दस हजार की ओ0सी0बी0 होती है दो ट्रांसफार्मर लगाये गये थे उसको चलाने के लिये लेकिन

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक ओ0सी0बी0 खराब हो गई। तीन महीने लगातार सात पम्प, नरायनपुर पम्प कैनाल जो एशिया का सबसे बड़ा पम्प कैनाल है वह बन्द था और बन्द होने के कारण नरवन, जमनिया तक पानी नहीं पहुंचा सके। किसानों की बात आप करते हैं। आपकी बिजली आपके संसाधन आपने बढ़ाये लेकिन वह काम नहीं हुआ। इसी तरह से मान्यवर, नहरें जर्जर हमने पिछले बजट में कहा था, आप किसानों की बात कर रहे हैं जो भी सरकारें आती हैं वह करती हैं। श्रीमन् राजनीति और विकास दलगत और जातिगत भावनाओं से ऊपर उठकर करना चाहिए। आपकी सरकार अगर राजनीति की भावनाओं से ऊपर उठकर जातिगत भावनाओं से ऊपर उठकर काम करना चाहती है तब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लाल बहादुर स्टेडियम मुगलसराय में बनाने की बात पिछली सरकार में हुई थी।

लाल बहादुर स्टेडियम 25 करोड़ में बनाने की बात हुई थी वह परियोजना बन्द है। बैठे हैं दो-दो तीन-तीन विधायक आपके चन्दौली के हैं आपके दल के हैं, जो जीवन रक्षक यंत्र है चन्दौली जनपद में, जिला अस्पताल में, उसको चकिया में लगाया गया। जी0टी0 रोड अस्पताल, वहां तीस-चालीस लाख की मशीन चकिया में लगाया गया। आपसे कहना चाहता हूं क्योंकि आप बिजली विभाग के मंत्री हैं नरायनपुर पम्प कैनाल पर एक ओ0सी0बी0 एक्स्ट्रा कर दीजिए। ढाई-तीन सौ सौ करोड़ की योजना है और उस सड़क को उस नहर को आप ठीक कर दीजिए। आप सड़कें बनाने की बात कर रहे हैं नई सड़कें बना रहे हैं लेकिन जनपद चन्दौली दो भागों में बंटा है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी माननीय अधिष्ठाता महोदय के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहता हूं। एक पटना लाइन है, एक गया लाइन है। ओवर ब्रिज न बनने से घण्टों जाम लग जाता है, इस बजट में आपने ओवर ब्रिज बनाने का कोई प्राविधान नहीं किया है जो पैसा रखा भी है, वह शायद चन्दौली के लिए नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, चन्दौली धान का कटोरा है, वहां किसानी पर 90 फीसदी लोग रहते हैं। कोई नया उद्योग आपने प्रदेश में लगाने की बात नहीं की, प्रदेश का विकास ठप हो गया है, सिर्फ एक काम हो रहा है, आप पार्क बनवाइये हम लोगों को कोई एतराज नहीं है लेकिन मैं भी मानता हूं डा0 भीमराव अम्बेडकर जी को, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, अधिष्ठाता महोदय के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं सबसे पहले डा0 भीमराव अम्बेडकर जी ने पानी के सवाल पर सत्याग्रह किया था। बम्बई में पानी लेने के सवाल पर सत्याग्रह किया था। एक भी योजना क्या उनके नाम से चलाया कि एक सुन्दर सा तालाब गांव में बनाया जाए ? यह काम आपकी सरकार नहीं कर रही है। आप बहुजन सुखाय, एक पार्टी को खुश करने के लिए एक पार्टी के समर्थकों को लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रहे है। जहां तक सी0सी0 रोड की बात आप करते हैं, सी0सी0 रोड का निर्माण बहुत घटिया किस्म का हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री राम किशुन-

मान्यवर, वह रोडें अच्छी नहीं बन रही हैं। विकास आप करिए, हर सरकार विकास करने का काम करती है लेकिन आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगाया जा रहा है। एक खास क्षेत्र है,

वाराणसी जनपद में, जब बरसात आती है, तब चारों तरफ से गंगा नदी से घिर जाता है। आजादी से आज तक उसका पुल बनाने का काम नहीं हुआ है। हमारी सरकार थी, हजारों पुल बनाने का काम हुआ और जो पुल बनाने की गति थी, उनके काम को या तो रोकने का काम किया जा रहा या फिर धीमी गति से उसको कराया जा रहा है। कन्या विद्या धन, आपने कहा कि हम लड़कियों को साइकिल देंगे। उसके लिए हमारी सरकार ने भी किया था, अच्छा काम है, सभी लड़कियों के लिए करिए। पूरे प्रदेश की लड़कियों के लिए शिक्षा अनिवार्य करिए, पूरे प्रदेश के 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा अनिवार्य कर दीजिए और उनके लिए हास्टल सिस्टम बना करके, उनका विकास कराने का काम करिएगा। निश्चित तौर से जनकल्याणकारी योजना होगी। लेकिन कुछ लोगों को खुश करने के लिए किसी मिशन को लेकर चलने का काम करेंगे तो इससे पूरे प्रदेश का भला होने वाला नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री राम किशुन-

मान्यवर, चन्दौली को मुख्यालय बनवाने के लिए इस बजट में प्राविधान करवाइये। वह नक्सल प्रभावित जिला है, उससे बहुत सी समस्याएं पैदा हो रही हैं, विकास अवरुद्ध हो गया है, कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। चन्दौली नक्सल प्रभावित जिला है, आपके लोगों को जिताया भी चन्दौली के लोगों नें, तीन लोग जीते, आपके एम0पी0 भी उसी सवाल पर जीते, जब जिला टूट गया था, लेकिन उसके लिए काम आप कहां कर रहे हैं ? इस बजट में उसके लिए कोई प्राविधान नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भपौली पम्प कैनाल को ठीक करवाइए, नरवन को पानी आप दे सकते हैं नरवन को जमनिया पम्प कैनाल से जोड़ने का काम कर देंगे तो बहुत लाभ हो जायेगा। आज भी गड़ई नदी में बेकार पानी बह रहा है उसी पानी को बिहार सरकार रामगढ़ में लिफ्ट लगा करके उस पानी से सिंचाई कर रही है। आप गंगा माइनर को बबुरी के क्षेत्र में साइफन लगा करके, लिफ्ट लगाकर के बबुरी के पचासों गांवों को पानी दे सकते हैं, उससे किसानों का भला हो सकता है। यह जो शारदा सहायक नहर है, उससे चिरई गांव और सैदपुर विधान सभा क्षेत्र को जो पानी मिलता है वह नहर जर्जर हो गई है, उसको ठीक कराकर आप पानी टेल तक पहुंचाने का काम करें तो निश्चित तौर से किसानों का भला होगा। बेरोजगारों की स्थिति ठीक करने के लिए उनको रोजगार दिलवाने के लिए आप कोई नये कारखाने लगवाने का काम करें।

श्री अधिष्ठाता-

राम किशुन जी, अब संक्षिप्त कर दीजिए, आप लिखकर दे दीजिए।

श्री राम किशुन-

मान्यवर, एक-दो बातें जो छूट गयी हैं उनको कहने के बाद समाप्त कर देता हूं। मान्यवर, जी0टी0 रोड है, आये दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं ट्रामा की गाड़ियां हैं लेकिन उससे दुर्घटनाएं रोकी नहीं जा रही हैं और मान्यवर, सफाई कर्मियों के नाम पर वसूली करके भर्ती करने

का काम किया जा रहा है। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

* श्री जुल्फिकार अहमद भुट्टो-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि तथा विद्युत आपूर्ति को बेहतर बनाये जाने के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं हेतु वर्ष 2009-2010 के बजट में 9846 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है और इसी के साथ हरदुआगंज विस्तार द्वितीय परियोजना में 250 मेगावाट की दो इकाइयों की स्थापना प्रस्तावित है। जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2009-2010 में 170 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। मान्यवर, इसी के साथ पनकी ताप विद्युत गृह की इकाई संख्या-3 व 4 की क्षमता 110 मेगावाट से बढ़ाकर 120 मेगावाट किया जाना है जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2009-2010 में बजट में 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। मान्यवर, इसी के साथ सड़क एवं सेतु हमारे प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2009-2010 में सड़कों एवं सेतुओं हेतु 7657 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इसी के साथ प्रदेश के राज्य राजमार्गों के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण, राजमार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, जिला मार्गों के उच्चीकरण तथा ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के निर्माण की नई योजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2009-2010 के बजट में 1983 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, ग्रामीण मार्गों का विशेष ध्यान रखा गया है। प्रदेश की महत्वपूर्ण नदियों एवं नालों पर नये सेतुओं का विशेष ध्यान रखा गया। इसी के साथ मान्यवर, परिवहन के क्षेत्र में वर्ष 2009-2010 में 2200 नई बसें क्रय करने का लक्ष्य है। मान्यवर, एक जो हमारे माननीय साथी सदस्य कह रहे हैं कि राजकोषीय घाटा हमारे प्रदेश का बढ़ा है तो मान्यवर, जो हमारा राज्य घरेलू उत्पाद का 5.3 प्रतिशत बताया जा रहा है। मान्यवर, वहीं केन्द्र सरकार का 6 प्रतिशत है उन्हें तो यह समर्थन दे रहे हैं। इनको तो तत्काल अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए। जब यह 5.3 को बेकार कह रहे हैं तो 6 प्रतिशत तो और ज्यादा होता है। इसी के साथ मान्यवर, जिसको यह समर्थन दे रहे हैं, निर्यात की उस व्यवस्था से 17 प्रतिशत की गिरावट आयी है जिससे आर्थिक मंदी का असर केन्द्र सरकार की बदौलत इस प्रदेश की सरकार पर भी पड़ा है। तो इसके लिए जिम्मेदार यह भी हैं क्योंकि यह केन्द्र सरकार को समर्थन दे रहे हैं। इसी के साथ मान्यवर, राजकोषीय घाटा हमारा 11698 करोड़ से हमारा 23298 करोड़ है जो दुगुना बैठता है। उसी के क्रम में मान्यवर, केन्द्र का 1 लाख 33 हजार 287 करोड़ से घाटा बढ़कर 3 करोड़ 26 लाख हुआ है। जोकि लगभग पौने तीन गुना बैठता है। मान्यवर, जो बजट इस बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने निकाला है और भी प्रदेशों का जो बजट निकल रहा है, इससे बेहतर बजट इस देश में देखने को नहीं मिल रहा है। मैं अपनी सरकार को इसमें बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मदन चौहान-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे वर्ष 2009-2010 के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, देश आजाद होने के बाद में जो गरीब और अमीर की खाई बढ़ी है उसका एक मुख्य कारण यह भी है कि बजट कितना भी बड़ा हो, उसका आकार कितना भी लम्बा-चौड़ा हो, अगर उसका लाभ नीचे के स्तर पर नहीं पहुंचता तो निश्चित रूप से उसकी विकास दर नहीं बढ़ सकती। इसका आकार बढ़ने के साथ-साथ अगर इसका क्रियान्वयन सही नहीं होगा तब भी यह खामी रहेगी। क्रियान्वयन उचित रूप से होना जरूरी है। अभी माननीय ऊर्जा मंत्री जी कह रहे थे कि तमाम नई परियोजनाएं आ रही हैं और अभी बजट दिया जा रहा है। माननीय मंत्री जी जब तक किसी गरीब आदमी के घर पर बल्ब नहीं जलता तब यह हसीन सपने चलते रहेंगे और चलते रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि विद्युत आपूर्ति जिस ढंग से गांवों में प्रभावित हुयी है। 3-4 घण्टे के अलावा बिजली नहीं आ रही है। मैं कहना चाहूंगा कि हम पर थोड़ी सी कृपा कर दें, क्योंकि जनपद गाजियाबाद का गढ़मुक्तेश्वर बहुत ही पौराणिक और गंगा के किनारे बसा हुआ एक धार्मिक स्थल है और सरकार ने भी उसको हरिद्वार की तर्ज पर विकास करने का फैसला लिया है। वहां पर बहुत सारे श्रृद्धालु आते हैं डेली और कभी-कभी लाखों लोग स्नान करने के लिए गंगा में आते हैं और रात को स्नान करना बड़ा शुभ माना जाता है वहां पर रात 12 बजे बिजली आती है रात को अगर मान्यवर, आठ बजे से वहां की व्यवस्था हो जाये तो यह जनहित में होगा। लाखों लोगों के लिए जो बहुत बार गहरी गंगा में गिरने के बाद दुर्घटना हो जाती है, उसमें राहत मिलेगी। एक बात और कहते हुए मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि जो उपभोक्ता एक-एक बल्ब जलाते हैं उन पर कर्मचारियों के द्वारा बगैर किसी इन्फारमेशन के बगैर जाए वहीं पर बिजली घर में बैठकर उनके ऊपर अधिभार लगाकर उनसे समन शुल्क के नाम पर बहुत बड़ा उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उनके खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज हो रही है और सीमा शुल्क के नाम पर और पुलिस के नाम पर बहुत बड़ी उगाही चल रही है, इस पर भी निरीक्षण करने की आवश्यकता है। कमजोर और गरीब लोगों पर अगर यह समन शुल्क को दोबारा से विचार कर लिया जाय अगर इसको खत्म कर दिया जाय तो यह वास्तव में बहुत बड़ा वरदान होगा।

मान्यवर, दूसरी बात कृषि के बारे में कहना चाहूंगा देश की विकास दर या शहर की विकास दर बढ़ सकती है, लेकिन गांव की और किसान की विकास दर दिन-प्रतिदिन घटती जा रही है। जिसका कारण है खाद और बीज, उर्वरक का मंहगा होना, सब्सिडी न मिलना। अभी माननीय कृषि मंत्री जी बैठे हैं, सरकारी खाद को सिम्भावली शुगर मिल की गन्ना समिति ने असली खाद बेंच तो दिया और नकली खाद समिति के माध्यम से बेचा गया और यह पकड़ा गया, इसके खिलाफ कोई कार्यवाही भी नहीं हुई है मेरा अनुरोध है माननीय मंत्री जी से इसको दोबारा से दिखवा कर के अगर असली की जगह नकली बेचा गया तो उसमें कार्यवाही होनी चाहिए। मान्यवर, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा गन्ना किसान की दुर्दशा के बारे में, गन्ना किसान दिन पर दिन गन्ना

को बोना कम कर दिया है, चीनी का उत्पादन कम हो रहा है, बाहर से आयात करने की योजना है। आज जब बाहर से आयात होगा तो यहां का किसान और बदतर हालत में हो जायेगा। अगर किसानों के गन्ने का रेट नहीं बढ़ा और मिल मालिकों के दबाव में गन्ना उत्पादक रहा, मिल मालिकों के दबाव में सरकार अपनी नीतियां बनाती रही तो निश्चित तौर से गन्ना उत्पादक भी आत्महत्या के कगार पर पहुंच जायेगी। उसी तरह से आलू किसान की हालत है। आलू किसान को आज भी सब्सिडी की आवश्यकता है। मान्यवर, दूसरा प्वाइण्ट पर्यावरण के बारे में बताना चाहूंगा। आज गंगा प्रदूषण के नाम 112 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि कहीं भी प्रदूषण के नाम पर यह व्यवस्था कोरी काल्पनिक साबित होती है सिम्भावली शुगर मिल के द्वारा और दूसरी गोपाल डेरी के द्वारा एक बहुत बड़े नाले के द्वारा पर नामक जगह पर गंगा के स्नान की जगह पर बहुत भारी कचरा बहता है। इस पर आज भी कार्यवाही नहीं हो पाई है, अगर इसको बन्द कराने का काम करेंगे तो यह काम जनहित में होगा। मान्यवर, चिकित्सा के सम्बन्ध में भी 6503 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है मगर जब तक डाक्टर पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 पर उपलब्ध नहीं होगा तब तक इसका कोई मायने नहीं बनता। मैं मान्यवर से अनुरोध करना चाहूंगा कि जखेड़ा गांव और कई अन्य ऐसी जगहें हैं जहां पर बिल्डिंग है लेकिन वहां पर डाक्टर नहीं हैं, अगर डाक्टर की उपलब्धता हो जाय मान्यवर तो यह बजट की सार्थकता नजर आती है। पेयजल व्यवस्था के बारे में भी 378 करोड़ रुपये की जो व्यवस्था की है मान्यवर, मेरे क्षेत्र में कई टंकी बन गई है लेकिन वहां पर एक साल से जो पाइप लाइन गई है वह पाइप लाइन इतनी घटिया है, आज तक उसकी जलापूर्ति नहीं हो पाई है। मान्यवर, ऐसी टंकी और ऐसी जलापूर्ति की योजना से कोई फायदा नहीं है। गांव बता देना चाहता हूं गढ़मुक्तेश्वर में उपेहड़ा और जखेड़ा ग्राम पाइप लाइन खराब बनने की वजह से वहां पेयजल की व्यवस्था सुचारु नहीं हो पाई है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया अब समाप्त करें। अभी कुछ और भी सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, थोड़ा सा तो बोलने दें। पर्यटन के सम्बन्ध में बताना चाहते हैं मान्यवर, हमारा गढ़मुक्तेश्वर पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, अगर वहां पर पर्यटन की योजना बनाई जाय, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा राजस्व मिलेगा। वहां पर दो झील हैं कल्याणपुर और कोशला नामक झील अगर उनका सौन्दर्यीकरण कर दिया जाय तो भारत सरकार से विदेशी पर्यटक भी विदेशों से आयेंगे। मान्यवर, दूसरी कानून व्यवस्था पर भी मैं बात करना चाहता हूं। मान्यवर, मैं नोएडा में रहता हूं, नोएडा में जब भी अखबार सुबह खोलते हैं या तो गैंग रेप की या कोई बलात्कार की या किसी बाईक से लूट लिया या चेन छीन ली, इस तरह की सुबह ही आप घटनायें देखेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

आपकी बात चौहान साहब आ गई, अब समाप्त करें।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, गाजियाबाद में कांग्रेसी नेता, माननीय तिवारी जी बैठे हैं, प्रदीप त्यागी की हत्या हुई वह भी दिन दहाड़े हुई, यह कानून व्यवस्था का आलम है, बागपत में रंगदारी न देने पर व्यापारी की हत्या हुई। मान्यवर, राजेश तलवार की बेटी का आरूषी काण्ड हुआ। मान्यवर, थाने में आज तक कानून के रक्षकों के द्वारा दुष्कर्म किया जाता है। मान्यवर, एक तरफ जब यह व्यवस्थायें नजर आती हैं तो दूसरी तरफ स्थिति भिन्न होती है। नोएडा में जब कानून-व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब होती है तो फर्जी इनकाउन्टर कर दिये जाते हैं और फर्जी इनकाउन्टर के नाम पर दहशत फैला दी जाती है।

मान्यवर, आबकारी के बारे में कहना चाहता हूं कि नकली शराब की बिक्री बढ़ रही है। आबकारी की दुकानें जो खुलती हैं तो उनका कोई समय निर्धारित नहीं है कि कब खुलेंगी और कब बंद होंगी। मान्यवर, बस समाप्त कर रहा हूं। मान्यवर, हमारे यहां नोएडा में आवास विकास परिषद् की जो योजनायें हैं उनमें गरीब लोगों के लिए, झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए, दुर्बल आय वर्ग के लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री अधिष्ठाता:-

अब आप की कोई बात कार्यवाही में शामिल नहीं की जायेगी। मदन चौहान जी आप कृपया बैठें।

होम्योपैथिक चिकित्सा एवं धर्मार्थ कार्य राज्य मंत्री (श्री राजेश त्रिपाठी)-

मान्यवर, इससे पहले कि मैं अपनी बात बजट पर रखूं। दो वाक्ये सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

मान्यवर, पिछले दिनों हमने दिल्ली की यात्रा की थी और दिल्ली में ट्रेन से उतरने के बाद हमारी नजर भा0ज0पा0 की एक बड़ी सी होर्डिंग पर पड़ी। जिस पर लिखा हुआ था। 'कांग्रेस बड़ी मंहगी पड़ी'। मैंने एक साथी से पूछा जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था कि इसका क्या मतलब है कि कांग्रेस बड़ी मंहगी पड़ी तो उसने बताया कि 70 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है और 50 रु0 किलो हरी मिर्चा बिक रही है तो उस हिसाब से जनता को बताया गया है कि कांग्रेस बड़ी मंहगी पड़ी है। मान्यवर, इसी तरह से हमें याद है कि जब भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल था उस समय प्याज 70 रु0 किलो में मिल रहा था। वास्तव में यह दोनों पार्टियां हम लोगों को मंहगी पड़ी हैं। एक ने मंहगाई के चलते लोगों की कमर तोड़ दी और दूसरे ने लोगों की आस्था को खत्म कर दिया। दोनों पार्टियों ने हिन्दुस्तानियों के दिलों को तोड़ा है और जनता को दोनों पार्टियां मंहगी पड़ी हैं। अभी हाल ही में मैं माननीय वित्त मंत्री जी के साथ छत्तीसगढ़ गया था वहां कांग्रेस वालों ने एक जगह लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी मंहगी पड़ी। मैंने पूछा कि भाई साहब यह बतायें कि यहां पर यह क्यों कहा जा रहा है। तो सच यह सामने आया कि दिल्ली में जब विश्वास प्रस्ताव पर घटना घटी और बड़े-बड़े नेता बहन मायावती जी को प्रधान मंत्री के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे उस समय भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोगों के

बीच एक सौदा हुआ था वह शायद इनको मंहगा पड़ गया। कांग्रेस वालों को लगा कि उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद लिये वह बहुत मंहगे पड़े तो यह वह दौर था जब इस तरह की बातें लिखी गयीं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं इन्हें बता दूं कि उसका मतलब था कि कांग्रेस महंगी नहीं पड़ी भारी पड़ी।

श्री राजेश त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं होर्डिंग की बात बता रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता-

महंगी और भारी दोनों एक ही बात है।

श्री राजेश त्रिपाठी-

अभी कल कांग्रेस के जैन साहब यहां कल बोल रहे थे। कहा गया कि यह सरकार दशा तो सुधारना चाहती है मगर दिशा सुधारना नहीं चाहती है। मान्यवर, किसी जगह पर एक चित्र लगा हुआ था उसमें किसी सज्जन ने लिख दिया कि जो इसमें कमियां हों आप बतायें। सुबह जब चित्र देखा तो उसमें लिख दिया गया कि इन कमियों को ठीक कीजिये तो पता लगा कि किसी एक ने भी उन कमियों को ठीक करने की कोशिश नहीं की चित्र ज्यों का त्यों रहा है। इसी तरह से जब विपक्ष के लोगों को, सपा के लोगों को, भाजपा और कांग्रेस के लोगों को जनता ने इस प्रदेश की कमियां ठीक करने का मौका दिया तो इन्होंने उसे कभी ठीक करने का प्रयास नहीं किया और जब कमियां बताने की बात आती हैं तो सारे लोग सत्ता पक्ष की कमियां बताने लगे। दिशा के बारे में कहना चाहता हूं कि करवरिया साहब अभी यहां नहीं हैं। वे कह रहे थे कि बेरोजगारी दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया है। इस सरकार के द्वारा लगभग सात लाख बेरोजगारों को 20 महीने में नौकरियां दी गयीं उन्हें नजर नहीं आता। प्रदेश को दिशा देने की बात बहन मायावती जी ने की है, उसके लिये मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। प्रदेश की दशा को ठीक करने और उसे नई दिशा देने का काम उन्होंने किया है।

मान्यवर, इसके लिए सिर्फ एक उदाहरण ही देना चाहता हूं। महात्मा गौतमबुद्ध की आदरणीया मां महामाया के नाम पर उन्होंने जो बालिका आशीर्वाद योजना शुरू की है। मैं इस पर चर्चा करना चाहता हूं अभी यहां फातिमा जी कह रही थीं कि महिलाओं के लिए कोई बात एक महिला मुख्य मंत्री नहीं सोच रही हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि न जाने आप कौन सा राजनीति का चश्मा लगाई हैं फातिमा जी कि इतने बड़े बजट में इतनी बड़ी योजना आपको नजर नहीं आयी यह मेरी समझ में नहीं आया है। मैं आपको बता रहा हूं मैं यह कहना चाहता हूं कि एक योजना बहन जी की परिपूर्ण सोच दर्शाती है। दिशा की बात की जा रही है, वह दिन भी हमने देखा है कि घर की चौखट के अन्दर जिस आधी आबादी को दम तोड़ते हुए सिसक कर यह समाज मजबूर करता था, एक मां कसाई के रूप में अपने ही गर्भ में पल रही बच्ची की हत्या करने पर मजबूर होती है, धरती का दूसरा भगवान कहा जाने वाला डाक्टर कसाई के रूप में एक अबोध बालिका की हत्या

कर रहा होता है। भ्रूण हत्या, यह इसी प्रदेश में, इसी देश में हो रही है। निश्चित रूप से एक महिला होने के नाते, एक झोपड़ी में पैदा हुई गरीब की बेटी हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी लगातार इस बात को सोच रही थीं कि कैसे आधी आबादी के इस सबसे बड़े कलंक को मिटाया जाय ? एक तीर से उन्होंने कई कुप्रथाओं का शिकार किया। दिशा की बात जो जैन साहब ने की मैं उसको बताना चाहता हूं इस बालिका योजना के तहत भ्रूण हत्या निश्चित रूप से रुकेगी। उसके कारण भी बताना चाहता हूं न केवल भ्रूण हत्या रुकेगी जबकि दूसरी तरफ बाल विवाह जैसी कुप्रथा भी क्योंकि जब बेटी सयानी होने लगेगी वो 16 साल की होगी मां गरीब पिता से कहेगी वर खोजो बेटी सयानी हो रही है, बाप कहेगा' ठहर जा बहुरिया बहन कुमारी मायावती जी ने जो एक लाख रुपया इस बिटिया के लिए दिया है उसको पाने में दो साल रह गये हैं निश्चित रूप से 18 साल के होने के बाद ही उसकी शादी होगी। इससे बाल विवाह रुकेगा। मान्यवर, हमारे साथियों को बड़ी चिन्ता है कि मातृ और शिशु की मृत्युदर बहुत बढ़ रही है। निश्चित रूप फिर से अगर बाल विवाह प्रथा रुकी तो अबोध बालिका मां नहीं बनेगी तो न तो मां की मौत होगी न शिशु की मौत होगी। इस प्रकार से बाल विवाह, भ्रूण हत्या और मातृ और शिशु मृत्युदर में कमी आयेगी। एक योजना से पूरी महिला जगत को उन्होंने सम्मान देने का काम किया है। आदरणीय प्रमोद तिवारी जी इस बात को कहा करते हैं, सारे लोग जानते हैं कि एक नवजात जब धरती पर जन्म लेता है तो वह मां की गर्भ से धरती पर आते ही 3400 रुपये से 4000 रुपये के बीच का कर्जदार हो जाता है, धरती पर आता है वह कर्जदार हो जाता है। धन्य है, हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ! उन्होंने बेटी के पैदा होते ही 1 लाख रुपये की व्यवस्था कर दिया वह एक लाख रुपया लेकर पैदा होगी। हमारे राम किशुन जी का कहना है कि सभी को।

श्री अधिष्ठाता-

आपके इशारों को मोहतरमा शाहाब फातिमा समझ रही हैं कि क्या कह रहे हैं।

श्री राजेश त्रिपाठी-

मान्यवर, अगर वह समझ गयीं तो धन्यवाद। मैं राम किशुन जी की बात पर कहना चाहता था राम किशुन जी के विपक्ष के समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि यह योजना सबके साथ लागू होनी चाहिए सभी को दिया जाना चाहिए। बड़ा अजीब ख्याल है समाजवादी पार्टी के लोगों का जो दस रोटी थाली में लिये बैठा है आप कहते हो कि उसको भी दो रोटी दे दो और जो व्यक्ति भूखों मर रहा है हम उसको रोटी देना चाहते हैं कहते हो बराबर बंटवारा कर दो। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय तभी होगा जब सबकी थाली में रोटी होगी हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी यह चाहती हैं इसलिए मैं केवल एक उदाहरण के साथ कहना चाहता था कि यह बहुत ही बेहतरीन बजट है इस पर मैं बल देता हूं। लेकिन यह कहना चाहता हूं कि एक उदाहरण यह बालिका महामाया योजना और जो कन्या बालिका शिक्षा ज्योतिबा फुले के नाम पर जो ज्योतिबा फुले की अर्द्धांगनी माननीया सावित्री बाई फुले के नाम पर जो योजना शुरू की गयी है उसमें भी कक्षा 10 से यह कहते हैं कि हमारी नकल है, आपकी नकल नहीं है। आप नकल के हिमायती रहे

हैं। बहुजन समाज पार्टी की नेता कभी नकल की हिमायती नहीं रहीं। कक्षा 10 के बाद बेटी कैसे पढ़ेगी, इसकी चिन्ता हमारी नेता को थी। मैं बस एक उदाहरण देना चाहता था। यह एक उदाहरण बता रहा है कि बहुजन समाज पार्टी किस दिशा की तरफ जा रही है। निश्चित रूप से प्रदेश की जो दिशा पटरी से उत्तर चुकी थी उसको पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं इस बजट प्रस्ताव के पक्ष में बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

(डा0 पी0 के0 राय का नाम पुकारे जाने पर और सैय्यदा शादाब फातिमा के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

आपने इशारा समझ लिया, बाकी बाद में बात कर लीजियेगा।

श्रीमती सैयदा शादाब फातिमा-

हमको इशारा समझने की जरूरत नहीं है, वह आप लोग समझिये। चूंकि इन्होंने हमारा नाम लिया इसलिये मुझे कहने की आवश्यकता है।

श्री जोखू लाल यादव-

मान्यवर, सूची में पहले मेरा नाम है।

श्री अधिष्ठाता-

पहले डा0 पी0के0 राय जी को हमने बुलाया है, उन्हें अपनी बात रख लेने दें।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मान्यवर, पहले आप मेरी बात सुन लें।

श्री अधिष्ठाता-

आप इतने वरिष्ठ नेता के बगल में बैठी हैं। कम से कम उनका तो सम्मान करिये।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

हम उनकी बात का जवाब दे दें, बस इतना ही चाहते हैं, उन्होंने मेरा नाम लिया है।

श्री अधिष्ठाता-

मोहतरमा, यह कोई वाद-विवाद प्रतियोगिता नहीं है।

(श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा के पुनः खड़े होने पर)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस तरह से कोई जवाब देने का अवसर नहीं है। यदि माननीय मंत्री जी कोई आपत्तिजनक बात कहे होते तो जवाब देने का आप अवसर देते। माननीय मंत्री जी ने कोई आपत्तिजनक बात नहीं कही है तो यदि इस तरह से उठापटक होगी तो यह बात ठीक नहीं

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

[x x x]

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता-

इसको कार्यवाही में शामिल नहीं किया जायेगा। डा0 पी0 के0 राय साहब अपनी बात रखें।

डा0 पी0 के0 राय-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने वर्ष 2009-2010 के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। वर्ष 2008 का बजट भी माननीय वित्त मंत्री जी ने 12 फरवरी, 2008 को इस सदन में प्रस्तुत किया था। उसका उल्लेख करना इसलिये आवश्यक है कि मेरा मानना है कि आज समाज विश्वसनीयता के संकट के दौर से गुजर रहा है और यह विश्वसनीयता का संकट कथनी और करनी के अन्तर की वजह से हुआ है उसके लिये जिम्मेदार भी हम सियासत करने वाले लोग हैं और जिम्मेदारी भी हमारी होती है कि उससे हम निजात दिलायें। पिछले वर्ष के बजट में सरकार ने यह कहा कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के सिद्धान्त पर चलकर समतामूलक समाज की स्थापना करना है। संकल्प लिये गये। संकल्प यह लिया गया कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या अधिक कर दी जायेगी। संकल्प यह लिया गया कि मातृत्व मृत्युदर और शिशु मृत्यु दर आधा कर दिया जायेगा लेकिन उन संकल्पों और उन विषयों का कोई उल्लेख इस बार नहीं किया गया। एक चिन्तन-मन्थन के बाद एक मध्यम मार्गीय आर्थिक नीति पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का इजाद हुआ और उसमें यह भी कहा गया कि 8.11 लाख करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। जिसमें 5.75 लाख करोड़ निजी क्षेत्र से और 2.36 लाख करोड़ सार्वजनिक क्षेत्र से और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के तीसरे वर्ष में जब हम प्रवेश कर रहे हैं तो 10 प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मान्यवर, एक शब्द आता है कि बहुमत का अत्याचार वर्ष 2009 में इनके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। राजस्व घाटा 2008-2009 में 21 हजार करोड़ और 2009-2010 में 23 हजार करोड़ रुपये सम्भावित है। बजेटरी मैनेजमेंट में यह प्राविधान है कि सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत से अधिक घाटा यदि होगा तो भारत सरकार ग्रांट नहीं देगी और उत्तर प्रदेश का घाटा 5.3 प्रतिशत और इसके पूर्व 4 प्रतिशत था। ऐसी स्थिति में यह सम्भावना है कि जो अनुदान भारत सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश को मिला है उसकी भी रिकवरी की जायेगी और अगले अनुदान को नहीं दिया जायेगा। योजना का आकार आपने अनन्तिम रूप से 36 हजार करोड़ रुपये का बनाया है। 36 हजार करोड़ के बारे में योजना आयोग की न कोई सिफारिश है और न ही उसका कोई निर्देश है, मेरिट के आधार पर योजना आयोग यह निर्धारित करेगा कि यह 36 हजार करोड़ रहेगा या यह बढ़ेगा या यह घटेगा। लेकिन वहीं पर यह बधाई हम आपको देते हैं कि आपने काफी आगे बढ़कर छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की वजह से प्रदेश सरकार पर जो वित्तीय भार बढ़ा है वह 5 हजार करोड़ रुपये हर साल है और 2006 से जो आपने लागू किया है तो 14 हजार करोड़ रुपये का भार भी है। यह धनराशि आपको आठ लाख

सरकारी कर्मचारी, 6 लाख शिक्षक और 4 लाख पेंशनर को देना पड़ेगा। निश्चित तौर पर यह 36 हजार करोड़ रुपये का जो आपने प्रावधान किया है वह पूरा का पूरा छठे वेतन की देनदारियों को पूरा करने में चला जायेगा तो विकास कैसे होगा। अच्छे फैसले भी आपने लिये हैं विगत वर्ष की तुलना में आपने 19 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है। हमारे साथियों ने कृषि के बारे में बहुत कुछ कहा है उसे दोहराने की आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है 35.5 प्रतिशत से घटकर लगभग 28.4 हो चुका है और संकल्प है कि किसानों की आय को दो गुना किया जायेगा। किसानों की आय को आप कैसे दो गुना करेंगे, अभी रासायनिक खाद की बात हो रही थी तो इसमें आपका लक्ष्य था 35 लाख मीट्रिक टन आपने दिखाया कि उपलब्ध हुआ 38 लाख मीट्रिक टन और वितरित हुआ है 29.9 लाख मीट्रिक टन यानि कि जितनी उपलब्धता थी उतने का वितरण नहीं हुआ है। चाहे इधर बैठे हुए लोग हों और चाहे उधर के सभी इस बात को महसूस करेंगे कि खाद के लिए जगह-जगह लाइन लगी है, जगह-जगह पुलिस का इन्तजाम करना पड़ा और उसके बावजूद भी खाद किसानों को नहीं मिल पायी है। गन्ना की बात है तो मैंने पहले भी कहा कि भ्रामक सूचनाएं आपके बजट और महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में दी गई हैं। कभी कहा जाता है कि 142 चीनी मिलें चलेंगी। आबकारी के बारे में कह दिया जाता है कि हमारे यहां 155 चीनी मिलें हैं। पिछले वर्ष 133 चीनी मिलें चलीं, वर्ष 2008-2009 में 142 चीनी मिलें चलेंगी। वर्ष 2009-2010 की बजट में कह दिया गया कि पिछले वर्ष 132 चीनी मिलें चलीं।

जहां तक ऊर्जा की बात है, मा0 मंत्री जी ऊर्जावान मंत्री हैं जब भी बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ऊर्जा की समस्या समाप्त होने वाली है। पिछले वर्ष ऊर्जा के लिए 10330 करोड़ रुपया दिया गया था, इस बार 9846 करोड़ रुपया दिया गया है। मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसको घटाने के पीछे क्या मकसद है ? यह भी कहा गया था कि बागास बेस्ड ऊर्जा का उत्पादन, गैर-पारम्परिक ऊर्जा के माध्यम से 600 मेगावाट का उत्पादन किया जायेगा, लेकिन हम बजट भाषण के पन्नों को पलटते रहे, वह कहीं भी नजर नहीं आया।

श्री अधिष्ठाता-

राय साहब थोड़ा संक्षेप करें।

डा0 पी0के0 राय-

मान्यवर, एक-दो मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। जो संकल्प था कि 600 मेगावाट बागास बेस्ड ऊर्जा का उत्पादन किया जायेगा। उसका कोई उल्लेख नहीं है। कुछ सराहनीय कार्य आपने किये हैं। महिला सशक्तीकरण के लिए कन्याओं का शिक्षित होना अत्यन्त आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि आपने पहली बार किया है। जब हम लोगों की सरकार थी, मा0 मुलायम सिंह यादव ने कन्या विद्या धन की योजना शुरू की थी। आपने भी महसूस किया। मेरा काम आपको आईना दिखाना है। मैं केवल आलोचना करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं लेकिन जो अच्छे काम किसी के द्वारा किये जाएं उसकी सराहना होनी चाहिए। विद्यालयों में लड़कियों की संख्या बढ़ गयी है, कक्षाओं में छात्र कम और छात्रायें ज्यादा हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं कि आपने बदले स्वरूप में

हमारी सरकार द्वारा शुरू की गयी योजना को लागू किया है, पहले तो रोक दिया था लेकिन आपने पुनः प्रारम्भ किया है। चाहे वह सावित्री बाई फुले जी के नाम से हो या चाहे महामाया के नाम से योजना लागू की गयी हो, सराहनीय है और मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। लेकिन वहां पर यह भी कहना है कि जब तक लड़कियों की शिक्षा के लिए और इंतजाम नहीं किये जायेंगे केवल अनुदान दे देने से बहुत ज्यादा हालात में सुधार नहीं होगा। आपने बजट में कहा कि 426 ब्लाकों में निजी क्षेत्र के सहयोग से कन्या हाई स्कूल खोला जायेगा। जब जनता का धन इतने बड़े पैमाने पर पत्थरों का जंगल बनाने में खर्च हो रहा है तो क्या वह विद्यालय के ऊपर पैसा नहीं खर्च किया जा सकता। विद्यालयों की तरफ निश्चित तौर पर मा0 अधिष्ठाता जी, आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहेंगे कि कन्याओं की शिक्षा का इंतजाम करने के लिए विद्यालयों की व्यवस्था किया जाना बहुत ही आवश्यक है।

मान्यवर, मैं चिकित्सक हूं इसलिए चिकित्सा की बात कहकर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। कानून-व्यवस्था के ऊपर बहुत चर्चा हुई है उस पर ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं। सरकार अवस्थापना की बात पर चिन्तित है उसमें शिक्षा भी है, चिकित्सा भी है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इजाफा किया है। पिछली बार यह कहा गया था कि दो इन्जीनियरिंग कालेज सम्भवतः मा0 कांशीराम जी के नाम पर खोलने की बात कही गयी थी। वह इन्जीनियरिंग कालेज खुले या नहीं खुले, वह किस स्थिति में है उसका उल्लेख नहीं किया गया है ? फिर इस बात का संकल्प लिया गया है। जो संकल्प लिये जाते हैं उनकी प्रगति के बारे में सदन को और सदन के माध्यम से अवाम को अवगत कराने की आवश्यकता हुआ करती है। आपने एक संकल्प आज की तारीख में लिया, दूसरे दिन दूसरा संकल्प ले लिया। पहले संकल्प लिया था उस दिशा में क्या किया, इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं होता है तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। इस बार कानपुर में प्राविधिक इन्जीनियरिंग कालेज खोलने की बात कही गयी है। 5 इन्फार्मेशन टेक्नॉलोजी इन्स्टीट्यूट खोलने की बात कही गयी है। ईश्वर करे जो संकल्प लिया है वह पूरा हो। चिकित्सा के क्षेत्र में जो स्थिति है उससे आप सभी अवगत हैं।

श्री अधिष्ठाता-

राय साहब संक्षेप करिये।

डा0 पी0 के0 राय-

मान्यवर, मैं अनुशासन प्रिय व्यक्ति हूं, अब घड़ी देखकर एक मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा। चिकित्सा के क्षेत्र में पिछली बार आपने 20 प्रतिशत चिकित्सा का बजट बढ़ाया इस बार उसको घटाकर 14 प्रतिशत कर दिया। दवाइयों के मद में पिछली बार सम्भवतः आपने 37 प्रतिशत बढ़ाया था इस बार यह वृद्धि मात्र 14 प्रतिशत हो गयी। जब चिकित्सा एक मूल-भूत सुविधा है कल्याणकारी सरकार का दायित्व है कि जनस्वास्थ्य की रक्षा करेंगे ऐसी स्थिति में चिकित्सा को प्राथमिकता पर रखते, शिक्षा को प्राथमिकता पर रखते तो निश्चित तौर पर आपके बजट का ज्यादा अंश इस क्षेत्र में जाना चाहिए। नगर विकास मंत्री जी बैठे हैं शायद मुझे पहचानते भी नहीं होंगे

मेरे क्षेत्र में मेरी विधान सभा में आपकी पानी की टंकियां सफेद हाथी बनकर खड़ी हुई है इन टंकियों को केवल देखा जा सकता है उससे पानी नहीं पिया जा सकता है। हमारे यहां बाधा चौर, पिपराघाट और भी बहुत जगहों पर मैं बिहार सीमावर्ती इलाके से हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र का 45 कि0मी0 क्षेत्र गण्डक नदी के किनारे पड़ता है। उसके बाद जंगल पार्टी का इलाका है। वहां पर बाढ़ की आपदा हमेशा आया करती है। इस बार भी कटान अमवा कस्बा बंधे पर 9 ए0पी0 तटबन्ध 9.5 से 10 कि0मी0 के बीच टूट रहा है मानसून आने से पहले बाढ़ बचाने का कार्य नहीं किया गया तो बन्धे को नहीं बचाया जा सकता है। अगर भ्रष्टाचार निवारण की बात करते हैं तो जवाबदेही और बिना पारदर्शिता के यह संभव नहीं होगा। पारदर्शी व्यवस्था ही गुणवत्तापरक होगी। बाढ़ बचाओ कार्य को पूर्ण कराया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

डा0 पी0 के0 राय-

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट की सामान्य चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। नगर विकास मंत्री जी सामने बैठे हुए हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं नगर विकास मंत्री जी को कि आपके साथ जवाहर लाल नेहरू अरबन रेन्यूअल मिशन से सम्बन्धित बैठक जल निगम के गेस्ट हाउस में हुई थी वहां पर उत्तर प्रदेश के सारे अधिकारी उपस्थित थे कुछ विधायक भी उपस्थित थे। माननीय लालजी टण्डन मौजूद थे, बनारस से चौधरी साहब मौजूद थे और लोग मौजूद थे। वहां पर सीवर डालने की योजना पर बात चल रही थी। मैंने यह बात कही थी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जहां सीवर डाला जा रहा है वहां पर बेस नहीं बनाया जा रहा है यह सीवर किसी भी समय फट सकता है, धंस सकता है सीवर पाइपों की गुणवत्ता ठीक नहीं है। आपने अधिकारियों से कहा था आपने मेरे लिए कहा था कि एक टाइम निश्चित करिए हम लोग सआदतगंज वार्ड में स्थान निश्चित कर वहां पर जाकर उसका मुआइना करेंगे लेकिन अधिकारियों ने आपकी बात नहीं सुनी, परिणाम क्या हुआ परिणाम वही हुआ जो मैं कह रहा था कुछ दिनों में बालागंज में जहां सीवर लाइन पड़ी थी सीवर टूटने और जमीन धंसने से दो लोगों की मौत हो गयी। मंत्री जी हमारा निवेदन है और मैं मांग करता हूं कि आपने जल निगम के अधिकारियों से इसकी जांच कराई है। जल निगम ही कार्यदायी संस्था है। जल निगम ने ही अपने ठेकेदार को मालामाल करने के लिए यह कार्य दिया जिसकी शिकायत की थी। लखनऊ के मेयर ने पत्र दिया था कि इसकी जांच कराइए। आपने जल निगम से जांच कराई जो कार्यदायी संस्था है। जल निगम ने लीपापोती करने का काम किया है। मैं मांग करता हूं कि इसकी जांच किसी टेक्निकल हैण्ड से कराएं जिससे दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो सके। मान्यवर, मैं आपके सामने चर्चा करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र राजाजीपुरम् में जब मेरी सरकार थी

तो एफ0 ब्लाक में जोनल पम्पिंग स्टेशन बन रहा था। वह जोनल पम्पिंग स्टेशन उस समय तक काफी हद तक बन गया था लेकिन जबसे आपकी सरकार आई जोनल पम्पिंग स्टेशन पूरा नहीं हो पाया और वहां पर जल निगम के अधिकारी यह कह रहे हैं कि इसके बनने में टेक्निकल फाल्ट हो गया है। इस टेक्निकल फाल्ट के कारण यह चालू नहीं हो पाया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे ही क्षेत्र मेंहदीगंज मोहल्ले में जोनल पम्पिंग स्टेशन के लिये पूरा पैसा दे दिया गया। जोनल पम्पिंग स्टेशन बन रहा था जिससे लोगों को काफी राहत होती। लेकिन सारा पैसा जल निगम वाले खा गये। काम अधूरा का अधूरा पड़ा हुआ है, कोई काम प्रगति पर नहीं है, जरा इस पर ध्यान देकर के इसकी भी इन्क्वायरी करवाइये कि पैसा कहां चला गया और यह मेंहदीगंज का पम्पिंग स्टेशन क्यों नहीं बन पाया। माननीय मंत्री जी इतना ही नहीं, इसी सदन में मैंने प्रश्न के माध्यम से आपसे कहा था कि गोमती नदी लखनऊ के लोगों की जीवन रेखा है, यह लखनऊ के लोगों को पानी देती है और इतनी प्रदूषित हो गई है कि इसकी ऊपर से सफाई करने से काम नहीं चलेगा, इसके तल से सफाई करिये और मैंने प्रश्न लगाया था। आपने उस प्रश्न के उत्तर में यह जवाब दिया था कि गोमती तल की सफाई की कोई योजना हमारी नहीं है। आपने साफ इंकार कर दिया था कि इसके तल की सफाई नहीं कर सकते। टेक्निकल हैंड्स ने यह कहा है कि यह उचित नहीं है। फिर मैंने अखबार में पढ़ा कि आपने घोषणा की है कि हम (सत्ता पक्ष के किसी सदस्य के टोकने पर) क्यों भई, क्यों बैठ जायं ? आप भी जरा मर्यादा का पालन करिये कैलाश जी। माननीय मंत्री जी, आपने इसके लिये कितना धन आवंटित किया है, इसकी बजट में कोई चर्चा नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने क्षेत्र के रानी लक्ष्मीबाई राजकीय संयुक्त चिकित्सालय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

यह विभागीय बजट नहीं है।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

विभागीय बजट नहीं है लेकिन विभागीय बजट पर किसको बोलने को मिलेगा किसको नहीं, यह आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं और यह कल आप ही ने कहा था कि चर्चा के अन्दर सारे विषय विधायक रख सकते हैं। इसीलिये मैंने यह बात रखने की कोशिश की है। यह अस्पताल 30 बेड का बना था बाद में वह 70 बेड का बन गया किन्तु डाक्टरों की नियुक्ति नहीं की गयी है और आपके यहां से जो शासनादेश जारी हुआ है, जिसमें डाक्टरों के पद सृजित कर दिये गये वहां से अस्पताल का जो सी0एम0एस0 है उसने लिखकर आपको पत्र भेजा है कि यहां पर डाक्टरों की नियुक्ति कर दीजिए। ई0 एण्ड टी0 सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट और ऑथोपेडिक सर्जन की तैनाती न होने के कारण एक्सीडेंट केस में विशेष उपचार उपलब्ध कराने में कठिनाई हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा कि माननीय लाल जी वर्मा जी यहां बैठे हुए हैं, इन्होंने बड़े धूमधाम के साथ शताब्दी अस्पताल का उद्घाटन किया। हवा महल बन गया, इतना पैसा लग गया लेकिन वह किस उपयोग में आयेगा ? अभी तक उसका उपयोग प्रारम्भ नहीं हुआ। आज

चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी हैं, मैं चाहूंगा कि वो इस ओर भी ध्यान देंगे। मान्यवर, आर0सी0एच0 योजना के अन्तर्गत मैं लखनऊ की बात कर रहा हूं इसके अन्तर्गत डाक्टरों की नियुक्ति नहीं हुई। मैंने पता लगाया, मालूम यह हुआ है कि चार-चार महीने से जिन डाक्टरों की नियुक्ति हुई थी उनको पैसा भी नहीं दिया गया। जो कान्ट्रेक्ट बेसिस पर रखे गये थे। कृपया इस ओर ध्यान दें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं गृह विभाग पुलिस विभाग की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। केवल दो बातें इसके विषय में कहना चाहूंगा। एक तो मैंने लखनऊ के उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े पुलिस अधिकारी का बयान पढ़ा। उसने कहा कि उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ आबादी में यहां पर केवल 22 हजार पुलिसकर्मी हैं। इन 22 हजार पुलिसकर्मियों के सहारे उत्तर प्रदेश में कैसे कानून का राज स्थापित होगा, मैं नहीं जानता यह इस सरकार की कैसी कल्पना है ? यह सरकार कैसे कानून का राज स्थापित करने की बात करती है। मान्यवर, मेरी जानकारी में जो काम पुलिस को करना चाहिए वह काम होमगार्ड्स से कराया जा रहा है होमगार्ड्स इतने दिनों से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनका भत्ता बढ़ाया जाय। लेकिन मैंने जो बजट में देखा है ना के बराबर भत्ता बढाया गया है। मेरी मांग है मेरा निवेदन है कि होमगार्ड्स का भत्ता बढ़ाया जाए, मैं समाज कल्याण के बारे में भी बात करना चाहूंगा। मान्यवर, अभी 31 तारीख को लखनऊ के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समाज कल्याण की बैठक हुई इस बैठक में अनुसूचित जाति, सामान्य वर्ग के लोगों के लिए, गरीब लोगों की लड़कियों की शादी के लिए और इलाज के लिए पैसा देने की बात थी। अनुसूचित जाति के 1460 पात्र लोग थे और केवल पांच लाख रुपये जिलाधिकारी के पास थे। उन्होंने कहा कि पांच लाख रुपये मैं किसको बांटूं। पांच लाख रुपये में से 1460 लोगों की पुत्रियों को पैसा देना था। यह ज्यादती अनुसूचित जाति के लोगों के साथ हो रही है। सामान्य वर्ग के लोगों के लिए एक पैसा भी नहीं दिया गया। वहां साफ कह दिया गया कि सामान्य वर्ग के लिए हमारे पास एक पैसा ही नहीं है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता चाहूंगा कि यह सरकार चाहे जितना कहे और अपनी पीठ थपथपा ले लेकिन इस सरकार को कम से कम इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि जब प्रदेश का राज्यपाल प्रदेश सरकार के कार्यकलापों पर ऊंगली उठाता है तो सरकार को विचार करना चाहिए। प्रदेश के राज्यपाल महोदय ने स्थानान्तरण के विषय को लेकर के राज्यपालों के सम्मेलन में साफ-साफ कहा कि राज्य में अफसरों का तबादला और निलम्बन बड़ी आसानी से कर दिया जाता है। एक जिलाधिकारी के दस साल के कैरियर में उसका 27 बार तबादला किया गया। जहां तक निलम्बन का सवाल है वह तो कई बार बिना मतलब कभी भी कर दिया जाता है। राज्यपाल चिन्तित हो रहे हैं। सुबह अखबार उठाइए तो आप देखेंगे कि आई0ए0एस0, आई0पी0एस0, पी0सी0एस0 का मनमाने ढंग से बिना विवेक का इस्तेमाल किये हुए अधिकारियों के तबादले इस सरकार में हो रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

एक बात और कहना चाहूंगा इस सरकार ने हर व्यक्ति को उसकी चिकित्सा कराने का वायदा किया है। मुझे यह पढ़कर बड़ा ताज्जुब हुआ कि सबसे बड़ी आवश्यकता मरीज के लिए रक्त है। क्योंकि मरीज जब अस्पताल में भर्ती होता है उसका आपरेशन होता है या अनेक बीमारियों में उसे रक्त की आवश्यकता होती है इस सरकार ने शासनादेश जारी करके जो ब्लड बैंक हैं सरकारी ब्लड बैंक से रक्त लेने में मूल्य का इजाफा करने का काम किया है।

(इस समय 4 बजकर 35 मिनट पर श्री अधिष्ठाता पुनः पीठासीन हुए)

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मेरी मांग है, रक्त का मूल्य जो निर्धारित किया है उसको कम करने पर आप विचार करें। जिसके बारे में महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य ने भी कहा है कि हम इसमें परामर्श करके कम करने पर विचार कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि रक्त के मूल्य को कम करने पर सरकार ध्यान दे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, बस हो गया।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अब चर्चा जारी करा दें विधेयक ले लें।

* श्री जोखू लाल यादव-

मान्यवर, पहले व्यवस्था आ चुकी है और आपने बोलने के लिये समय देने की बात कही थी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है कहें।

श्री जोखू लाल यादव-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने वर्ष 2009-2010 के बजट में सामान्य चर्चा पर भाग लेने का अवसर दिया इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। श्रीमन् 2009-2010 के बजट अनुमानों पर जो बजट अभिभाषण पढ़ा तो बड़ी हताशा और निराशा हुई। इस बजट अनुमानों के बजट भाषण में कहीं भी किसानों के हितों की बात नहीं कही

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गई है और मेरा सीधा यह मानना है कि देश की तरक्की का रास्ता गांव के खेत और खलिहान से गुजरता है। लेकिन 80 फीसदी किसान जो गांव में बसते हैं, उनके ऊपर इस बजट में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हां, एक बड़ी ही बारीकी से मा0 वित्त मंत्री जी ने यह उल्लेख किया है कि हम किसानों के हितैषी हैं।

मान्यवर, यह किसानों के कितने हितैषी हैं, इस बजट भाषण को पढ़ने से कहीं भी नहीं लगता है कि 80 फीसदी किसान जो गांवों में रहते हैं और खेती पर निर्भर हैं, उन पर कितना बजट इन्होंने खर्च किया है। मान्यवर, यह किसानों के हितैषी बनने की बात करते हैं, हमें तो पूरा इस बात का एहसास है कि जैसा पिछले वित्तीय वर्ष में जब इस प्रदेश के किसानों से खाद मांगी, जब उन्हें डीएपी की जरूरत रही, जब उन्हें यूरिया की जरूरत रही तो खाद के बदले उन पर लाठी चलवाने का काम किया गया। मान्यवर, यह सरकार अपने को किसानों की हितैषी कहती है। वह सरकार जिसके हाथ किसानों के खून से रंगे हैं, ग्रेटर नोयडा में 5-5 किसानों की हत्या जिनके जमाने में हुई, मान्यवर, ग्रेटर नोएडा के किसानों का क्या दोष था ? वह अधिग्रहण की गई जमीन का मुआवजा ही तो मांग रहे थे। मान्यवर, मथुरा के तीन-तीन किसानों की हत्या हो गई, आखिर उन मथुरा के किसानों का क्या दोष था ? घोड़ी-बछेड़ा के किसानों का क्या दोष था जो अपने हितों के लिए आन्दोलन कर रहे थे ? 5-5 लोगों की हत्या हो गयी और सरकार कहती है कि हम किसानों के हितैषी हैं। हम कहना चाहते हैं, यह बजट किसान विरोधी हैं और किसानों की इसमें घोर उपेक्षा की गयी है। इसलिये इस सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि यह कहे कि हम किसान हितैषी हैं। वह सरकार कहे, जिसके जमाने में किसानों पर गोलियां चलीं हों, 17-17 किसानों की हत्यायें हुई हों ? किसानों पर अत्याचार करने वाली यह सरकार आज किसानों की अनदेखी करने का काम किया है जो बजट से परिलक्षित होता है।

मान्यवर, सत्ता में बैठे हुए लोग जो सर्वजन हिताय की बात करते हैं, मैं केवल एक झांकी दिखाना चाहता हूं, सर्वजन हिताय करने वाले लोगों को। मा0 मुलायम सिंह यादव ने पिछले वित्तीय वर्षों में जिन कल्याणकारी योजनाओं को चालू किया था, आपने उन सबको भुला दिया था। लेकिन हमें खुशी है कि कुछ याद आई आपको, उस कन्या विद्या धन की तरफ जो योजना आपने ली लेकिन मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों से लेकर 60 हजार वार्षिक आय वाले लोगों को, गरीब बेटियों को कन्या विद्या धन का 20-20 हजार रुपये देने का काम किया गया था। मान्यवर, यह सरकार क्या कर रही है, जो सर्वजन हिताय की बात करती है, यह केवल बी0पी0एल0 कार्डधारकों की बेटियों को मुहैया करायेगी। चाहे वह कक्षा 11 की हों या कक्षा 12 की हों। मान्यवर, मा0 मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने कभी भी भेद नहीं किया, जाति-धर्म के आधार पर देने का काम नहीं किया था। चाहे वह ब्राह्मण की बेटी हो, चाहे वह चमार की बेटी रही हो, अगर 60 हजार तक वार्षिक उसकी आमदनी थी तो उसको देने का काम किया था। मान्यवर, गांव में बी0पी0एल0 कार्डधारक कितने होते हैं ? मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, मैं आपका ध्यान मा0 अध्यक्ष जी के माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं। वह जवाब दें, गांव में बी0पी0एल0 कार्डधारक लोग कितने होते हैं,

20, 30, 40 लेकिन गांव में लोग हजारों की तादात में बसते हैं। लेकिन आप देने का काम कर रहे हैं सिर्फ 10 या 20 लोगों को। मान्यवर, अखबारों में ज्ञापन दे करके, प्रचार करके, पूरी तरह से मा0 मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने उन बेटियों को गांव से बसों पर बैठाकर जिला हेड क्वार्टर पर ला करके ससम्मान उनके हाथों में 20 हजार रुपया देने का काम किया था। आप लोगों ने तो 4-5 दिन की डेट निर्धारित करके उसकी लास्ट डेट भी खत्म कर दी। हम तो चाहते हैं, सत्ता पक्ष में जो भी लोग बैठे हैं, ठीक हैं, वह किसी लोभ में विधान सभा तक पहुंचने के लिए अपने हिसाब से बैठे रहें लेकिन सच्चाई है। मान्यवर, सर्वजन हिताय की बात यह सरकार नहीं कर रही है, बल्कि लिमिटेड लोगों को, कुछ लोगों को, जिन्हें अल्पजन हम कह सकते हैं हम उनको वर्ग-जाति में नहीं बांट सकते हैं, यह अल्पजन लोगों की हिताय करने वाली सरकार, सर्वजन हिताय की बात करती है ? मान्यवर, कानून-व्यवस्था के नाम पर आज पूरा प्रदेश त्राहि-त्राहि कर रहा है। कानून-व्यवस्था आजे ध्वस्त हो चुकी है। हम कहना चाहेंगे, सत्ता में बैठे हुए लोगों से कि आज हम इधर बैठे हैं, कल हम लोग भी उधर बैठे हुए थे। वह सारे गुण आप में भी विद्यमान हो गये हैं। अब कोई गुण बचा नहीं है। जिन लोगों की वजह से और जिन कारणों की वजह से हमारी सरकार चली गयी थी हम स्वीकार करते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं। आप उन्हीं लोगों को सम्मानित करने का और पार्लियामेंट का टिकट देने का काम करने जा रहे हैं। मैं इलाहाबाद जनपद से चुनकर आता हूं। राजूपाल की हत्या के बारे में बड़ा हल्ला होता है। दुखद प्रकरण है जितनी निन्दा की जाये उतना ही कम है। हम शर्मिंदा हैं इस घटना पर और सारे लोग ही शर्मिंदा होंगे। राजूपाल के हत्यारों को तो माननीय मुलायम सिंह ने जेल में रखा था। आप उनसे क्या कर रहे हैं, गलबहियां कर रहे हैं। आप उनकी पत्नी को पार्लियामेंट का टिकट देने जा रहे हैं। जब भी श्री कृष्णानन्द राय की हत्या का प्रकरण उठेगा तो हम कहना चाहेंगे कि श्री कृष्णानन्द राय के हत्यारों को माननीय मुलायम सिंह यादव ने जेल में रखा था। आप तो उनको पार्लियामेंट का टिकट देकर सम्मानित करना चाहते हैं।

इसलिए मान्यवर, मैं कहना चाहता कि आज इस सरकार में बैठे हुए लोग जो सर्वजन हिताय की बात करते हैं जो कानून-व्यवस्था की बात करते हैं मैं कहना चाहता हूं कि सरकार में बैठे हुए लोगों ने अपना नैतिक अधिकार खो दिया है। हम कहना चाहेंगे कि यह सरकार किसानों की हितैषी होने के लिए कहने का नैतिक अधिकार खो चुका है। इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार में बैठे हुए लोगों से यह कहना चाहता हूं कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी आप बिजली कब देंगे, 3-4 साल बाद। लेकिन हमें एक सवाल का जवाब दे दें कि आखिर हम इन 3-4 सालों में कैसे रहें। कैसे अपनी पढ़ाई करें, हम कैसे खेतों की सिंचाई करें, कैसे और अपने काम करें। 3-4 सालों के लिए आप पूरे प्रदेश को उनके रहमो-करम पर छोड़ देंगे। आप बिजली का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं लेकिन आप वैकल्पिक व्यवस्था करते। बिजली खरीदकर प्रदेश के किसानों को बिजली देना चाहिए था।

मान्यवर, देश का सबसे बड़ा बोर्ड यू0पी0 बोर्ड है, उसकी परीक्षाएं होने जा रही हैं। मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि आने वाले दिनों में यू0पी0 बोर्ड परीक्षाओं के समय कम से कम इम्तिहान के समय उनको बिजली दे दीजिएगा। हम आपसे कहना चाहेंगे कि आज पूरे प्रदेश में चाहे बिजली का सवाल हो, चाहे किसानों का सवाल हो इस सरकार ने कोई काम नहीं किया है। बेरोजगारी दूर करने के लिए इस सरकार ने कोई काम नहीं किया है। माननीय मुलायम सिंह यादव ने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया था आपकी सरकार ने बेरोजगारी भत्ता समाप्त करके करोड़ों नौजवानों के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। इसलिए मान्यवर, हम कहना चाहेंगे कि आप नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं, खाद, बिजली नहीं दे पा रहे हैं तो हम सरकार में बैठे हुए लोगों को कहना चाहेंगे कि अब भी समय है बजट में संशोधन करें और इसमें गरीब, किसान, नौजवान के हितों की बात करें और सर्वजन हिताय के नारे पर जो जीतकर आये हैं अगर उसकी समीक्षा कर लेंगे तो आपको बहुत-बहुत बधाई दूंगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री माधव पासवान-

मान्यवर, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, यह बजट सही नहीं है, जनहित में ठीक नहीं है। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र के बगल में रामगढ़ ताल है। बरसात के दिनों में रामगढ़ ताल में पानी भर जाता है तो उससे तीन विधान सभा क्षेत्र प्रभावित होता है। गोरखपुर सदर, कौड़ीराम व विधान सभा मुंडेरा बाजार। मान्यवर, जब उसमें पानी भर जाता है तो उसका पानी गोर्रा नदी में गिरता है। वहां रेगुलेटर बना हुआ है। वह रेगुलेटर बन्द हो जाता है। बरसात का पानी रामगढ़ ताल में जमा हो जाता है। जिससे तीन विधान सभा क्षेत्र प्रभावित होते हैं। मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करता हूं। वहां पर पम्प हाउस का निर्माण किया जाय जिससे तीन विधान सभा सुरक्षित हों। मान्यवर, वहां एक एयर फोर्स है, अबकी बरसात में वहां पर भी पानी चला गया था और दर्जनों हैण्ड पाइप लगाकर के वहां के पानी की निकासी करवाई गई थी बरसात के सीजन में तो मान्यवर मैं चाहूंगा कि यहां पर पम्प हाउस लगवाने की व्यवस्था की जाय, जिससे पानी निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले 21 दिसम्बर को बंधे पर बाढ़ राहत का, मरम्मत का कार्य चल रहा था, जिसमें बालू डाला जा रहा था उसमें गांव के लोगों ने मना किया। ठेकेदार के दबाव में गांव में थाने की पुलिस पहुंच गई और कुछ लड़के खेल रहे थे, गांव वाले कुछ चहेंट दिये और तीन लड़के जो हैं नदी की तरफ भागते हैं जिसमें दो लड़के तैर कर निकल जाते हैं एक लड़का उसमें डूब कर मर जाता है। मान्यवर, मौके पर ऐसा हुआ जब लड़के नदी में कूद जाते हैं तो पुलिस वाले जो हैं नाव पर बैठकर के बच्चों को दौड़ाने लगते हैं, कुछ दूर जाते हैं जब वह डूबने लगते हैं तो पुलिस वाले अपनी नाव बाहर कर लेते हैं, वहां से भाग जाते हैं, जिसमें चौकी इन्चार्ज सहित कई पुलिस वाले सस्पेंड हुए। मान्यवर, मेरी मांग है, उन लड़कों के नाम हैं संतराज यादव, राहुल यादव बारह बरस, राम प्रकाश पिण्टू यादव, यह तीन लड़के थे जिसमें 12 बरस वाले तो तैर कर निकल गये, बड़ा जो है नहीं तैर पाता था। मान्यवर, वह कर्ज लेकर के एक ट्रैक्टर लिया था, उस पर तमाम हमारे मण्डल के नेतागण लोग भी मौके पर देखने

गये थे। मान्यवर, मैं चाहता हूं उसका लोन माफ कर दिया जाय, उसकी दो बहन हैं, एक भाई है, बूढ़े मां-बाप हैं, उसको आर्थिक सहायता देने को, वहां तमाम लोग पहुंचे थे जिन लोगों ने दस लाख रुपये की मांग किया और मैं भी यही चाहता हूं कि उसको दस लाख का मुआवजा दे करके, उस दुःखी परिवार को शान्ति दिया जाय।

मान्यवर, मेरे विधान सभा में हम अगल-बगल भी देखते हैं बिजली की व्यवस्था के बारे में, बिजली अगर कभी आ भी गई तो दो बजे के बाद ही आती है मान्यवर अगर 12 घण्टे की व्यवस्था है तो हम चाहेंगे कि उसको छः बजे से ही दे दिया जाय जिससे अभी जो हाई स्कूल, इण्टर की परीक्षा सामने आने वाली है, जिसमें पढ़ने-लिखने वाले लड़कों को छः बजे से बिजली मिल जाय। आप ठीक उसको 12 बजे रात को भगा दीजिए और फिर उसे 10 बजे के बाद 12 बजे तक दे दीजिए फिर 06 बजे से 12 बजे रात तक दे दीजिए तो मैं ऊर्जा मंत्री से चाहूंगा मैंने कई बार चिट्ठी भी दिया था और अनुरोध भी किया था कि आप जो हैं बिजली की व्यवस्था इस तरह से करने का कष्ट करेंगे। मान्यवर, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आपको कि मेरे विधान सभा में कई ऐसे गांव हैं कि बिजली लगते-लगते गई और जहां अनुसूचित का घर है वहां पर जाकर के पोल समाप्त हो गया है तो मान्यवर, इसकी जांच कराकर के अनुसूचित जाति को भी बिजली देने का काम करें इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, 'जय हिन्द'।

श्री सलिल बिश्नोई-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने वर्ष 2009-2010 के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। बजट किसी भी सरकार का वह दस्तावेज होता है जो उसकी प्रगति का पैमाना होता है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, चर्चा जारी कर दें, कल बोल लेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

बस एक माननीय सदस्य रह गये हैं, लालजी यादव जी।

श्री सलिल बिश्नोई-

मान्यवर, पिछले और वर्तमान की कठिनाइयों से मुक्ति के लिए उज्जवल भविष्य की जो योजनाएं होती हैं उनका आधार तैयार करने के लिए जो विजन होना चाहिए, वह विजन इस सरकार के बजट में कहीं भी नहीं दिखाई दिया है। किसी भी प्रदेश की सम्पन्नता और इसकी प्रगति का आधार जहां कृषि का क्षेत्र तो सबसे ज्यादा होता है, लेकिन उसके बाद उसके उद्योग और व्यापार की ओर भी ध्यान देना चाहिए उस प्रदेश के उद्योग और व्यापार की क्या स्थिति है। इससे उसके प्रदेश की सम्पन्नता का पता चलता है। पूरे बजट में कहीं भी इस तरह का कोई उद्योगों के लिए इस तरह की कोई आकर्षक योजना नहीं दी गई है कि दूसरे प्रदेशों के उद्योगपति आकर इस प्रदेश में अपने उद्योग लगायें और उस उद्योग से जहां इस प्रदेश को राजस्व प्राप्त हो, वहीं लाखों लोगों को रोजगार नौजवानों को मिल सके। आज हम एक उदाहरण के रूप में गुजरात

को देख सकते हैं तमाम राजनैतिक झंझावतों के बाद भी आज आर्थिक दृष्टि से सबसे ज्यादा सम्पन्न राज्य गुजरात सिर्फ इसलिए है कि सबसे ज्यादा उद्योगों को लगाने के लिये वहां सुविधाजनक स्थितियां हैं। जिन आधारभूत चीजो की आवश्यकता होती है उद्योगों को लगाने के लिये बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा। मान्यवर, इनका अभाव अपने प्रदेश में है। इन सबके बारे में इस बजट में कोई विस्तृत योजना नहीं दी गयी है। कानपुर नगर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है। कभी कानपुर महानगर मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। आज की स्थिति यह है कि बंद उद्योग कब्रिस्तान के रूप में मौजूद हैं। वहां के लिए कोई ऐसा पैकेज नहीं दिया गया है कि उन बंद मिलों को कैसे चालू किया जायेगा। मान्यवर, वैट को लागू किया गया जबरदस्ती। वह वैट व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिये जी का जंजाल बन गया है। वैट को लागू करने के लिये व्यापार कर विभाग के पास आज तक कम्प्यूटर में प्रोग्रामिंग नहीं है। जिन व्यापारियों का टैक्स जमा हो गया है वह वापस नहीं मिल पा रहा है। मान्यवर, आज इसके चलते जो टैक्स वसूली में कमी हुई है उसकी भरपाई के लिए हर जिले में हर नाके पर ट्रकों को रोककर वसूली की जा रही है। उससे पूरे प्रदेश के व्यापारी और उद्योगपति परेशान हैं।

मान्यवर, कानपुर महानगर की यातायात व्यवस्था के लिये कोई भी उल्लेख नहीं दिया गया है। यह कहा गया कि कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना लागू की जायेगी लेकिन बजट में इसके लिये कोई प्राविधान नहीं है। मान्यवर, कानपुर नगर के यातायात को सुगम बनाने के लिये बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है। मान्यवर, सरकार से मांग करता हूं कि कानपुर नगर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिये उसे सुधारने के लिये समुचित प्रावधान किये जायें। आज कानपुर की स्थिति कलकत्ता जैसी हो गयी है हर जगह पर 2-3 घण्टे का जाम लगा मिलता है। इस ओर विशेष ध्यान दिया जाये। कानपुर की बहुत बड़ी समस्या पेयजल आपूर्ति की है उसको ठीक कराया जाये। वहां पर उफनती सीवर लाइन है उनके लिये कोई बहुत बड़ा पैकेज आपको देना होगा। हम चाहते हैं कि कानपुर नगर की सभी व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिये योजनाओं में आमूल-चूल परिवर्तन किया जाय और बड़ी योजनायें बनायी जायें। आज कानपुर के बारे में बहुत बड़ा विज्ञापन सरकार की ओर से छपा है। इसमें तमाम वह योजनायें हैं जो इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड से जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना से तथा पर्यटन विभाग से बन चुकी हैं या बन रही हैं। इन सबको इस तरह से प्रकाशित कर जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया गया है। इसमें कोई नयी योजना नहीं है। मान्यवर, आज कानपुर में सबसे बड़ी आवश्यकता ओवर ब्रिजों के निर्माण की हैं। लेकिन इस बजट में एक भी ओवर ब्रिज के निर्माण का उल्लेख नहीं है। मान्यवर, बिजली उद्योग के बारे में इसमें पनकी के बारे में थोड़ा उल्लेख है। वहां पर रिवर साईड पावर हाउस है। वह पावर-एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत था लेकिन वहां की मशीनें बेच दी गयी हैं। शासन उस रिवर साईड पावर हाउस के स्थान पर थर्मल पावर हाउस लगाये ताकि कानपुर की जनता को और उद्योगों को राहत मिल सके। मान्यवर, नगर विकास मंत्री जी बैठे हुए हैं। मान्यवर, कानपुर में नगर निगम के माध्यम से गृहकर, सरल करके नाम पर जिस प्रकार से जनता के साथ अन्याय किया जा रहा है उसको रोका जाय और पुरानी व्यवस्था लागू की जाये। मान्यवर, वहां पर हाउस

टैक्स के नाम पर 10 प्रतिशत से लेकर 40 प्रतिशत तक वृद्धि कर दी गयी है। वहां जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जबकि नगर निगम के सदन ने वहां पर इस सम्बन्ध में एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था। उसको भी ध्यान में नहीं रखा गया है और वहां के अधिकारी बिल्कुल निरंकुश होकर जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि जनता को इस प्रकार के अन्याय से मुक्ति दिलाने का काम करें। धन्यवाद।

श्री लालजी यादव-

मान्यवर, मैं सिद्धार्थनगर के बांसी क्षेत्र से आता हूं। मान्यवर, इस बजट में सरकार ने लड़कियों की शिक्षा के लिए उनकी उन्नति के लिए बहुत वायदे किये गये हैं और बजट में लिखा गया है। लेकिन मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए एक भी डिग्री कालेज नहीं है। मान्यवर, समाज का जो निर्माण होता है वह पुरुष और औरत से मिलकर होता है। जब लड़कियों की वहां पर शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी तो फिर कैसे अच्छे समाज का निर्माण होगा। मान्यवर, यहां पर कहा गया कि लड़की के पैदा होते ही उसके नाम पर धन की व्यवस्था की जायेगी और उसके 18 वर्ष के होने पर उसे एक लाख रु0 मिल जायेगा। यह लोक लुभावन योजना बतायी है। मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन बाल विवाह जब नहीं रुकेगा तो यह कैसे सफल होगी। वह बाल विवाह कैसे रुकेगा। यह तब तक नहीं रुकेगा जब तक हमारे समाज में बेटियां और हमारी बहनें शिक्षित नहीं होंगी। यह हमारे जनपद के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूं हमारे गांव के अगल-बगल के परिवारों की एक-दो दलित और पिछड़ी जाति की लड़कियों को छोड़कर कोई भी लड़की इण्टर के बाद बी0ए0 और एम0ए0 की शिक्षा के लिए नहीं जाती है। उसका कारण क्या है, कारण है कि गरीब क्षेत्र है बाढ़ का क्षेत्र है हमारा क्षेत्र बाढ़ का होने के नाते सात-सात नदियों का क्षेत्र है, उधर नेपाल का बार्डर है। वहां एक फसल होती है एक फसल से किसान कुछ नहीं कर पाता है लड़कियों की बाहर पढ़ाई नहीं करा पाता। मैं आपके माध्यम से सरकार से और माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कम से कम हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक महिला डिग्री कालेज खुलवा दिया जाय और छोटे-छोटे संसाधन के लिए लड़कियों की पढ़ाई के लिए आई0टी0आई0 कालेज खोला जाय। अभी हमारे ऊर्जा मंत्री जी कह रहे थे, माननीय ऊर्जा मंत्री जी आप भी गांव से आते हैं हम भी गांव से हैं आप बिजली विभाग में चले जाइये एक लाइन मैन नहीं है, लाइन मैन रिटायर होते जा रहे हैं। इंजीनियर जे0ई0 के पास हम लोग जाते हैं, एम0एल0ए0 होकर जाते हैं तो बिजली का अगर इंजीनियर है तो वह खोजता है कि प्राइवेट लाइन मैन लाओ। तो कम से कम जैसे शिक्षा मित्रों की भर्ती हो रही है वैसे ही लाइन मैन की एडहाक पर भर्ती कराकर गांव की सुविधा के लिए उसकी बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित करने का काम करें। आज गांवों में बिजली के तार बहुत पुराने हो चुके हैं लेकिन तार बदले नहीं जा रहे हैं, रोज तार टूटते हैं। मैं आपके माध्यम से बिजली के बारे में कहना चाहता हूं। अभी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात हो रही थी।

माननीय अध्यक्ष जी, थोड़ा विषय से हटकर पीड़ा के नाते कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के अन्दर धर्मसिंगवा थाना है, हरैया गांव है और करीब 10 घर मुसलमान हैं अल्पसंख्यक हैं,

धुनियां हैं जाति के और वह अपनी कुर्बानी करने के लिए बकरा नहीं काट पाये। आपके सत्तारूढ़ पार्टी के दो-दो विधायक, मैं भी जाना चाहता था पिछली बार कुर्बानी नहीं हुई थी लेकिन हम और आपके सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक बैठकर कराये और कुर्बानी हो गयी थी। लोग 27 से आज तक सिद्धार्थनगर की जेलों में बन्द हैं और इस बार मैं नहीं आपके सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक माननीय तौफीक खां, माननीय मोहम्मद तारिस खां गिड़गिड़ाते रहे। सुबह कुर्बानी की नमाज पढ़के आपके सत्तारूढ़ पार्टी का विधायक लखनऊ भागकर चला आया। मैं उनसे मिलने गया हमारा अगल-बगल का क्षेत्र है पता चला उसके बच्चे ने बताया, सद्दाम नाम है, उसने कहा पापा गये हैं लखनऊ, कुर्बानी नहीं हो रही है। मैंने कहा कि क्यों नहीं हो रही है फिर हमने टेलीफोन से बात किया तो आपके सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक ने माननीय लोक निर्माण मंत्री से बात किया। मेरी जहां तक जानकारी है यह उन्होंने बताया लेकिन तीसरे दिन तौफीक खां आये और मोहम्मद तारिस खां गये और डी0एम0 सिद्धार्थनगर क्योंकि थाना है सिद्धार्थनगर, पुलिस व्यवस्था है सिद्धार्थनगर और रैवन्यू व्यवस्था है सन्तकबीर नगर लेकिन दोनों विधायक गिड़गिड़ाते रहे और कुर्बानी नहीं हो पाई इससे पूरे मण्डल के अल्पसंख्यकों में रोष व्याप्त है। यह आपकी सरकार में बात थी, पिछले साल कुर्बानी हो गयी थी लोग अभी भी सिद्धार्थनगर की जेलों में बन्द हैं। मान्यवर, माननीय राजेश त्रिपाठी हमारे बगल के बड़हलगंज के विधायक हैं मंत्री हैं। हम लोगों के जो नेता हैं वह अभी परसों भाषण दे रहे थे कौन सा सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय है मेरी बात का अगर विश्वास न हो माननीय अध्यक्ष जी अपने दोनों विधायकों को अपने कमरे में बुला लीजिए, यह बात सही है कि नहीं ? मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि कम से कम सदन में सही बात आ जाय। मैंने नहीं रोका है आप ही के पार्टी के नेताओं ने कुर्बानी नहीं होने दी यही सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में बहुत नदियां हैं बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है। धर्मासंगवा से सकारपार होते हुए और सिद्धार्थनगर मुख्यालय पर एक राप्ती नदी का बीच में पुल बन जाय तो हमारी दूरी 50 कि0मी0 से काफी घट जायेगी। क्षेत्र की जनता की, सिद्धार्थनगर की जनता की भी लिहाई दूरी कम हो जायेगी और हम 15 किमी0 में मुख्यालय पहुंच जायेंगे। शिक्षा के लिए स्वास्थ्य के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बांसी जिले का सबसे पुराना मुख्यालय है बहुत बड़ी तहसील है। वहां महिला डाक्टर नहीं है और संविदा पर नियुक्ति हुयी थी लेकिन आपके मुख्य चिकित्साधिकारी ने संविदा को बढ़ाने के लिये आदेश करवाया लेकिन डायक्टरेट से अभी गया नहीं, उसको आप जारी करवा दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आपका अब हो गया। माननीय अशोक कंसल जी, आप दो लाइन बोल दें, कल आपका जारी करा देंगे।

श्री अशोक कंसल-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने वित्तीय वर्ष 2009-2010 के आम बजट की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया मैं दिल की गहराइयों से आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय विधायक जी, आप खूब तैयारी कर लीजियेगा। आपकी चर्चा मैं जारी कर रहा हूं, कल आप बोलियेगा।

श्री अशोक कंसल-

कल तो हम चले जायेंगे, हमको जल्दी जाना है।

श्री अध्यक्ष-

तो फिर बोल दीजिये और अगर कल रहना है तो फिर इत्मीनान से बोलियेगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आपने कह दिया कि जारी रहेगा तो कल रहेंगे तो फिर बोलेंगे। सदन का एक निर्णय आपने दे दिया।

श्री अध्यक्ष-

नहीं उनकी समस्या का ख्याल भी तो करना है।

श्री लालजी वर्मा-

अब सदन से बड़ा उनका काम थोड़े है।

(श्री अशोक कंसल जी के पुनः खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

चलिये, अब चर्चा जारी रहेगी।

उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल (निरसन) विधेयक, 2009

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल (निरसन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल (निरसन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल (निरसन) विधेयक, 2009

उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल अधिनियम, 2007 का निरसन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम — 1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल (निरसन) अधिनियम, 2009 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-43 सन् 2007 का निरसन — 2- उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल अधिनियम, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

इसके बारे में बताइये भी तो इसमें क्या है।

श्री लालजी वर्मा-

उद्देश्य और कारण में सब लिखा है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल (निरसन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल (निरसन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2009

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय ?

श्री अध्यक्ष-

डा0 राजेन्द्र सिंह जी, अपना संशोधन प्रस्ताव रख दें।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2009 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो

अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मान्यवर, शीरे की बिक्री पर आप 5 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रशासनिक प्रभार लेते हैं लेकिन जो कैप्टिव उपयोग के लिये शीरा है जिसको चीनी मिल का अध्यासी चाहे अन्तरण करें चाहे संभरण करें, आप उससे प्रशासनिक प्रभार नहीं ले रहे हैं। कैप्टिव उपभोग में आपने उसी मिल परिसर में स्थित आसवनियों को माना है जहां शीरा का उत्पादन होता है साथ ही उसमें स्वामित्व भी चीनी मिल का है। समीपस्थ स्थल पर स्थित हो जिससे किसी वाहन द्वारा चीनी मिल के परिसर या गेट के बाहर शीरे के अन्तरण या परिवहन की आवश्यकता न हो, यही आरक्षण प्रशासनिक छूट की हकदार होगी। लेकिन मेरा जो मुख्य मुद्दा है और मेरा मानना है कि आसवनियां जो भी शीरा लें, उसे क्रेता मानकर, विक्रेता से प्रशासनिक प्रभार के रूप में प्रभार लेना चाहिये। यह पालिसी होनी चाहिये न कि कैप्टिव उपभोग वालों को इससे छूट मिले। इस अधिनियम को लाने के बजाय आप ऐसा अधिनियम लायें जो सभी के लिये एक सा हो। आसवनियां लगाने वाले को छूट देने का मुझे कोई औचित्य समझ नहीं आता। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि आपने इसमें उल्लेख किया है सिविल अपील 2007 का जिसमें आपने माना भी है कि आपका 23 करोड़ रुपया चीनी मिलों पर बकाया है। यह सिविल अपील जिस आधार पर चीनी मिल-मालिकों ने उठायी है उसमें वह कह रहे हैं उन्होंने दावा किया है कि वह कैप्टिव उपभोग के रूप में इस शीरे का उपभोग कर रहे हैं इसलिये उनसे यह प्रभार न लिया जाय। अब आप ही बताइये कि आप जब इस ऐक्ट को लागू कर देंगे तो उनका दावा तो सही हो जायेगा और उनका दावा जब सही हो जायेगा तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो यह 23 करोड़ रुपये आप प्राप्त करना चाहते हैं उसे आप किस तरह से प्राप्त करेंगे। इसलिए मान्यवर, मेरा मानना है कि इस विधेयक को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये और वह बताये कि यह 23 करोड़ रुपये किस तरह से लायेंगे और उन आसवनियों को चाहे वह किसी मिल मालिक के परिसर में स्थित हों या दूरी पर स्थित हों, किसी भी तरह के प्रभार से छूट देना मिल-मालिकों को फायदा पहुंचाने वाला विधेयक बनाने के समान है इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, डाक्टर साहब की भावना से तो मैं इनका स्वागत करता हूं क्योंकि वह चाहते हैं कि राजस्व बढ़े। लेकिन मान्यवर, जो यह प्रस्ताव लाये हैं वह मिल-मालिकों को फायदा पहुंचाने वाला है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला किया और उसके तहत उन्होंने कहा कि जो मिल है और उनकी स्वयं की आसवनियां हैं उनमें आप कोई प्रभार नहीं ले सकते उनके शीरे पर आरक्षण नहीं कर सकते। मान्यवर, इसके कारण हमें दिक्कत आने लगी क्योंकि देशी मदिरा बनाने के लिए जितनी हमें शीरे की आवश्यकता थी वह पूरी नहीं हो पा रही थी दूसरे, प्रशासनिक शुल्क भी हम उनसे नहीं ले पा रहे थे। इसलिए इस ऐक्ट के माध्यम से कैप्टिव को परिभाषित किया गया कि कैप्टिव में क्या माना जायेगा। विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि चीनी मिल-मालिकों

के कुल 18 ग्रुप हैं और इन 18 ग्रुप के मिल-मालिकों के पास 91 मिल हैं इनमें से 34 मिलें ऐसी हैं जिनके परिसर में या सन्निकट आसवनियां हैं। अब इस विधेयक में जो हम परिभाषित कर रहे हैं उसके आधार पर 57 मिलें इस ग्रुप से बचेंगी जिन पर हम आरक्षण लागू कर लेंगे और इससे 135 क्विंटल हमें शीरे का लाभ मिलेगा जिन पर हम आरक्षण कर सकेंगे और उससे जो हमारी शीरे की आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो सकेगी। इसके साथ ही साथ यह भी परिभाषित किया गया है कि उन जगहों पर उसके अतिरिक्त जो मिलें हैं उनको जो प्रशासनिक शुल्क है वह भी देना पड़ेगा। इसलिए यह प्रदेश के हित का विधेयक है, राजस्व को बढ़ाने वाला विधेयक है इसलिए मैं चाहूंगा कि यदि उनका उद्देश्य मिल-मालिकों के पक्ष का नहीं है तो उन्हें अपना संशोधन वापस ले लेना चाहिए क्योंकि आज हमें शीरे की जरूरत है अगर हम यह नहीं ले पायेंगे तो इससे निश्चित रूप से प्रदेश का अहित होगा इसलिए मैं चाहूंगा कि वह अपने संशोधन को वापस लें और इसे सर्वसम्मति से पास करें।

श्री अध्यक्ष-

डाक्टर साहब बतायें क्या आप अपना संशोधन प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, कैप्टिव उपभोग वालों को इतना आरक्षण का लाभ क्यों दे रहे हैं ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। यदि आप उद्देश्य और कारण पढ़ लें तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है तो हम कैप्टिव उपभोग को परिभाषित कर रहे हैं कि कैप्टिव उपभोग में कौन माना जायेगा। इससे 57 मिलें ऐसी हो जायेंगी जो उस श्रेणी में नहीं आयेंगी और उन पर हम आरक्षण लागू कर सकेंगे।

श्री अध्यक्ष-

राजेन्द्र सिंह जी क्या अब आप संशोधन प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, नहीं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2009 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

न यह है कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-5 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2009

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 2009 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-24 सन् 1964 की धारा 2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया की धारा 2 में,-

(क) खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

"(घ-1) 'कैप्टिव उपभोग के लिये शीरा' का तात्पर्य ऐसे अन्तरित शीरे से है जो चीनी मिल के अध्यासी द्वारा किसी ऐसी आसवनी अथवा अन्य औद्योगिक इकाई को अन्तरित किया गया हो, जिनका स्वामित्व चीनी मिल का ही हो और वह चीनी मिल के परिसर में या चीनी मिल से लगे हुए समीपस्थ स्थल पर स्थित हो, जिससे किसी वाहन द्वारा चीनी मिल के परिसर या गेट के बाहर ऐसे शीरे के अन्तरण या परिवहन की आवश्यकता न हो।"

(ख) खण्ड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

"(झ) 'संभरण' के अन्तर्गत किसी चीनी मिल के अध्यासी द्वारा किसी आसवनी या औद्योगिक इकाई को शीरे का अन्तरण सम्मिलित होगा;

(ञ) 'अन्तरण' के अन्तर्गत किसी चीनी मिल के अध्यासी द्वारा किसी आसवनी या औद्योगिक इकाई को स्टाक का अन्तरण या कैप्टिव उपभोग हेतु शीरे का अन्तरण सम्मिलित होगा।"

धारा 8 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 8 में :-

(क) उपधारा (1) में, शब्द "बेचने या सम्भरित करने" के स्थान पर शब्द "अन्तरित करने अथवा बेचने अथवा सम्भरित करने" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (4) में, शब्द "बेचे गये या सम्भरित" के स्थान पर शब्द "अन्तरित या बेचे गये या सम्भरित" रख दिये जायेंगे तथा उपधारा (5) में शब्द "बेचा या सम्भरित" के स्थान पर शब्द "अन्तरित या बेचा या सम्भरित" रख दिये जायेंगे।

धारा 14 का संशोधन — 4-मूल अधिनियम की धारा 14 में, उपधारा (1) में, खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा अर्थात् :-

"(ख ख) ऐसे पात्र या बण्डल के प्रवहण में प्रयुक्त प्रत्येक पशुवाहन, वैशल कंटेनर या अन्य सवारी का अभिग्रहण,"

धारा 17 का संशोधन — 5-मूल अधिनियम की धारा 17 में शब्द "शीरा सम्भरित किया जाय" के स्थान पर शब्द "शीरा अन्तरित अथवा सम्भरित किया जाय" रख दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-5 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2009

*नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय ?

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2009 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मान्यवर, पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री श्री असीम दास गुप्ता की अध्यक्षता में गठित कमेटी पूरे भारतवर्ष में एक सी कर प्रणाली की वकालत कर रही है। स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर, जहां तक मेरी जानकारी है अन्य राज्यों में शायद नहीं लिया जाता है। एक बार पूरे भारत में वैट लागू हो गया तो अन्य करों से सरकार को व्यापारियों के हित में बचना चाहिए। अब

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं अपने आगरा के बारे में बात करना चाहते हैं कि छावनी क्षेत्र में प्रवेश कर लगाने के लिए कह दिया गया। आपने कहा कि जब एक जगह स्थानीय कर ले लिया जायेगा तो दूसरे क्षेत्र में कर नहीं लिया जायेगा तो क्या जब छावनी क्षेत्र में प्रवेश कर व्यापारी दे देगा तो क्या उसको दूसरी जगह कर देना होगा या नहीं देना होगा ? एक तो हमारी यह चिन्ता है। दूसरी बात, यह कहना चाहते हैं कि क्रेता और विक्रेता को या निर्माता को माल वापस देता है तो क्या प्रवेश कर को क्रेता को वापस कर दिया जायेगा ? जैसाकि आपने उपधारा-6 में कहा है कि इन परिस्थितियों में प्रवेश कर वापस कर दिया जायेगा जैसे कि स्थानीय क्षेत्र में उपभोग किये बिना राज्य के बाहर के किसी स्थान पर किसी माल को पारेषित कर रहे हैं। दूसरा जो आपने दिया है कि जो व्यापार या वाणिज्य के दौरान भारतीय सीमा के बाहर निर्यात, विक्रय या पुनर्विक्रय किया जायेगा उस प्रवेश कर को आप वापस कर देंगे या लगाये रहेंगे। यदि माल चोरी हो जाए या एक्सीडेण्ट में खत्म हो जाए तो क्या प्रवेश कर को व्यापारी को वापस करने का कोई प्राविधान किया जायेगा ? दूसरी बात पूछना चाहता था कि यदि क्रेता यदि व्यापारी न हो और निजी उपभोग के लिए माल खरीदे तो फिर क्या स्थानीय स्तर पर प्रवेश कर लिया जायेगा। इन चीजों के बारे में मा0 मंत्री जी थोड़ा सा क्लीयर कर दें।

श्री नकुल दुबे-

माननीय अध्यक्ष महोदय, डा0 राजेन्द्र सिंह जी बहुत ही विद्वान हैं, उनके नाम के आगे डाक्टर लगा है। जहां तक इन समस्याओं के समाधान की बात है यह तो मैं वैसे ही कर देता आपने कटौती क्यों प्रस्तुत किया। मा0 अध्यक्ष जी, इसमें 4 संशोधन करने का प्रस्ताव है। धारा-4, 5, 6 और धारा-12। इन चारों धाराओं के माध्यम से प्रदेश के सभी व्यापारियों को जो सुविधायें उनको अभी तक अनुमन्य नहीं थी वे सारी सुविधायें देने का काम कर रहे हैं। सबसे पहला धारा-4 में हम जो संशोधन कर रहे हैं उसमें 3-क जोड़ करके हम स्पष्ट प्राविधान करने जा रहे हैं कि जिसने भी पहली बार कर दे दिया है, उसको अब दुबारा कर देने की आवश्यकता नहीं है। वह मात्र घोषणा-पत्र के माध्यम से यह अवगत करा दें उसको पहले जो कर दिया गया है उसके हिसाब से उसको सुविधा दे दी जायेगी। जहां तक धारा-6 का प्रश्न है उसमें रिबेट का प्राविधान किया गया है। पहले यह था कि अगर वैट अधिनियम के अन्तर्गत कर लग जाता था तो उसको प्रवेश कर का लाभ नहीं मिलता था। हमने स्पष्ट प्राविधान कर दिया है कि अब वैट कर पहले लगे या बाद में लगे उसे रिबेट अनुमन्य होगी, रिबेट की सुविधा उसको दी जायेगी। धारा-12 में जो भी कर जमा हो जायेगा। उसको विनिर्माता द्वारा क्रेता से प्राप्त व जमा किये गये कर को क्रेता की ओर से जमा माना जायेगा। विनिर्माता द्वारा क्रय इनवाइस या सेल इनवाइस में कर की धनराशि का उल्लेख किया जायेगा और इसी को हमारा विभाग अपना साक्ष्य मान लेगा और इसके बाद उसको कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से सभी धारायें व्यापारियों को सुविधा देने के लिये पारदर्शिता व्यक्त करने के लिये और व्यापारियों का किसी तरह से अनावश्यक रूप से उत्पीड़न न हो, इसके लिए है। इस योजना के तहत इन प्राविधानों को ला करके हम इस अधिनियम में संशोधन कर रहे हैं। जहां तक आपके संज्ञान के लिए है इस वक्त भारत देश के लगभग 19 से ज्यादा प्रदेशों में आपका यह प्रवेश कर अधिनियम चल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय

ने अभी बिहार के एक फैसले में यह उद्धरित कर दिया चूंकि कि यह कम्पन्सेटरी नेचर का होता है। प्रवेश कर प्रदेशों में लगे तो प्रदेश की उन्नति होगी मैं सदस्य महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि व्यापारियों के हित में संशोधन लाने जा रहे हैं इसलिए हमारा साथ देते हुए अपना कटौती प्रस्ताव वापस ले लें। आपकी जो भी जिज्ञासाएं हैं हम उनका समाधान करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य अपना संशोधन प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

नहीं।

श्री अध्यक्ष-

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2009 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-5 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2009

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

एतद्द्वारा भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2009 कहा जायेगा।

(2) धारा 2, 3 एवं 5 दिनांक 1 नवम्बर, 1999 से प्रवृत्त हुई समझी जायेंगी तथा धारा 4 दिनांक 1 जनवरी, 2008 से प्रभावी हुई समझी जायेगी।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-30 सन् 2007 की धारा 4 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-30 सन् 2007), जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 में,-

(क) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

"(3-क) उपधारा (1) या उपधारा (3) में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, किसी व्यापारी या अनुवर्ती व्यापारी से कोई कर उद्ग्रहीत या संग्रहीत नहीं किया जायेगा, जो किसी स्थानीय क्षेत्र में ऐसा माल लाता या मंगवाता है जिसके सम्बन्ध में उक्त उपधारा के अन्तर्गत किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र में कर का भुगतान किया जा चुका हो और ऐसा व्यापारी इस आशय के लिए विहित घोषणा-पत्र ऐसे समय के अन्दर जैसा कि विहित किया जाय, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर देता है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अन्तर्गत जमा कर की धनराशि, उस व्यापारी या किसी अनुवर्ती व्यापारी के निमित्त और उसकी ओर से जमा समझी जायेगी जिसे उक्त घोषणा-पत्र जारी किया गया हो।"

(ख) उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी अर्थात् :-

"(6) उपधारा (1) या उपधारा (3) में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए किसी व्यापारी से कर उद्ग्रहीत या संग्रहीत नहीं किया जायेगा, जो किसी माल को स्थानीय क्षेत्र में लाता या मंगवाता है, जिसे :-

(एक) उसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग किये बिना राज्य के बाहर के किसी स्थान को पारेषित किया गया हो;

(दो) या तो अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान या भारत की सीमा के बाहर निर्यात के दौरान विक्रय या पुनर्विक्रय किया गया हो।

स्पष्टीकरण-केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 3, धारा 5 और धारा 6-क यह अवधारित करने के प्रयोजनार्थ लागू होंगी कि अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान या भारत की सीमा के बाहर निर्यात के दौरान कोई माल बेचा गया है अथवा नहीं :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां किसी माल के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश के समय, उस माल का मूल्य या मात्रा अविनिश्चित न हो जिसे उपभोग, उपयोग या बिक्री किये बिना माल को राज्य के बाहर ले जाने के उद्देश्य से लाया गया हो, व्यापारी माल की कुल मात्रा के मूल्य पर कर की धनराशि का भुगतान करेगा और माल के राज्य के बाहर या निर्यात के

दौरान पारेषित हो जाने या बिक्री हो जाने के पश्चात् व्यापारी कर के रूप में संदत्त ऐसी धनराशि की वापसी या समायोजन का दावा उस माह में कर सकता है, जिसमें ऐसे माल के सम्बन्ध में ऐसा माल राज्य के बाहर अंतरित किया गया हो या अन्तर्राज्यीय या निर्यात के दौरान बिक्री किया गया हो।"

(ग) उपधारा (7) निकाल दी जायेगी।

धारा 5 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"5-जहां किसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिए कोई व्यापारी धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित माल लाया हो या मंगवाया हो या परिदान प्राप्त किया हो और ऐसे स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल के प्रवेश के सम्बन्ध में कर का भुगतान किया गया हो या ऐसा माल खरीदा हो जिस पर प्रवेश कर का पहले ही भुगतान किया जा चुका हो, ऐसा कर ऐसे व्यापारी को वापस या समायोजित कर दिया जायेगा, जिसके द्वारा ऐसा माल उस स्थानीय क्षेत्र में उपयोग या उपभोग के बिना राज्य के बाहर के किसी स्थान को पारेषित कर दिया गया हो अथवा या तो अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान या भारत की सीमा क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान विक्रय कर दिया गया हो।"

धारा 6 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 6 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"6-जहां धारा 4 की उपधारा (1) के अन्तर्गत विज्ञापित किसी अनुसूचित माल के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत ऐसे माल की किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा खरीद या बिक्री के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कर देय हो, राज्य सरकार, विज्ञप्ति के द्वारा तथा ऐसी शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाय, इस अधिनियम के अन्तर्गत उदग्रहणीय कर की सम्पूर्ण धनराशि की सीमा तक छूट अनुमन्य कर सकती है।"

5-मूल अधिनियम की धारा 12 में,- धारा 12 का संशोधन

(क) उपधारा (एक) में शब्द 'ऐसा माल क्रेता को नहीं देगा' के स्थान पर 'ऐसा माल क्रेता को परिदत्त नहीं करेगा' रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

"(6) इस धारा में जमा कर की धनराशि उस व्यापारी के निमित्त और उसकी ओर से जमा की गयी समझी जायेगी जिससे ऐसा कर प्राप्त किया गया हो। निर्माता ऐसे कर को क्रेता व्यापारी के लिए जारी टैक्स इनवाईस या बिक्री इनवाईस, जैसी भी स्थिति हो, में पृथक से दर्शायेगा। इसे कर के भुगतान का साक्ष्य समझा जायेगा, जब तक कि टैक्स इनवाईस या सेल इनवाईस जैसी भी स्थिति हो, कूटरचित या मिथ्या या फर्जी न पायी जाय या वैधानिक रूप से जारी न की गयी हो या कपटपूर्वक प्राप्त न की गयी हो।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-5 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नकुल दुबे-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2009 को पारित किया जाय ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2009 को पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 18-02-2009 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 44 सूचनाएं प्राप्त हुईं, स्वीकृत सूचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :-

पहली सूचना श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की जो जनपद बांदा में भीषण पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना डा0 पी0 के0 राय की जो प्रदेश में वर्ष 1992 से

कार्यरत तदर्थ रूप से नियुक्त आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों का विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री मदन भैया की जो सुल्तानपुर स्थित अधूरी पड़ी मसियाव ताल नहर का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव की जो वाराणसी में व्यापारियों को फार्म नं0-38 न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, है तथा पांचवीं सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की जो आजमगढ़ के ग्राम कम्मरपुर राजभर बस्ती बीकापुर में बेसो नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयीं। छठी सूचना श्री अंगद यादव की जो आजमगढ़ के ग्राम दुर्वासा निजामाबाद के मध्य तमसा नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, तथा सातवीं सूचना श्री राम किशुन की जो वाराणसी की बरूणा नदी पर कोइराजपुर पुल व दीनदयालपुर पुल को चालू किये जाने के सम्बन्ध में, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं। आठवीं सूचना श्री कृष्ण गोपाल पटेल की जो जनपद खीरी के ग्राम नई बस्ती भिडौरा निवासी श्री सुन्दर लाल के हत्यारों को गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री अमरमणि त्रिपाठी की जो महराजगंज स्थित नवतनवा गिट्टी मण्डी में खनिज विभाग द्वारा फार्म-सी के नाम पर अवैध वसूली किये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री अनूप सण्डा की जो सुल्तानपुर स्थित गोमती नदी के किनारे कटया घाट पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, ग्यारहवीं सूचना डा0 आर0 ए0 उस्मानी की जो बदायूं स्थित छोटी जियारत व बड़ी जियारत के सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री माधव पासवान की जो गोरखपुर के मुण्डेरा बाजार के समीप तरकुलानी पुल पर पम्प हाउस स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में, तथा तेरहवीं सूचना श्री दीनानाथ कुशवाहा की जो देवरिया डी0 आर0 डी0 ए0 में अनियमित रूप से सहायक अभियन्ता को समयमान वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में दी गई सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई :-

1-श्री सर्वेश कुमार सिंह,

2-श्री अब्दुल वारिस खां,

3-श्री आरिफ अनवर हाशमी,

4-श्री जोखूलाल यादव,

5-डा0 अजय तोमर,

6-डा0 अनिल चौधरी,

7-श्री सुरेश चन्द्र तिवारी,

8-श्री राघव लखनपाल शर्मा,

9-श्री सुरेश कुमार खन्ना,

10-श्री सुरेश्वर सिंह,

11-श्री राधेश्याम गुप्ता,

12-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल,

13-श्री राधेश्याम जायसवाल,

14-डा0 राजेन्द्र सिंह,

15-श्री अशोक सिंह चौहान,

16-श्री अशोक कंसल,

17-श्री जगन प्रसाद गर्ग,

18-श्री उदयराज यादव,

19-श्री विशम्भर सिंह यादव,

20-श्री संजीव दरियाबादी तथा श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल,

21-श्री इमरान मसूद,

22-श्री राजाराम त्यागी,

23-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा,

24-डा0 कौशल किशोर,

25-श्री कुबेर सिंह,

26-श्री अनूप कुमार गुप्ता,

27-श्री प्रदीप जैन "आदित्य",

28-श्री विद्यासागर गुप्ता,

29-श्री प्रमोद तिवारी,

30-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव तथा

31-श्री प्रदीप माथुर।

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं। कल 11.00 बजे पुनः मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 05 बजकर 30 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 18 फरवरी, 2009

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अता0 प्र0 सं0-97 का उत्तर पीछे पृष्ठ 71 पर)

तहसील सादाबाद, जनपद-महामायानगर में पड़ने वाली नहरों का विवरण।

क्रमांक	राजवाहे का नाम	कुल लम्बाई (कि0मी0 में)	रबी 1415 फसली में पहुंचने की स्थिति	
			पानी पहुंचने का चैनज	अभियुक्ति
1	राजवाहा दघैटा	30.10	25.00	रोस्टरानुसार फीड
2	राजवाहा खन्दौली	21.80	15.00	रोस्टरानुसार टेल फीड
3	राजवाहा बल्देव	21.60	15.00	रोस्टरानुसार फीड
4	राजवाहा जुगसना	27.80	27.80	टेल फीड
5	राजवाहा कुरसण्डा	36.80	16.40	--
6	राजवाहा सादाबाद	46.30	40.00	रोस्टरानुसार फीड

क्रमांक	राजवाहे का नाम	रबी 1415 फसली में जल का विवरण		
		रोस्टर के अनुसार प्राविधानित जल की मात्रा (क्यूसेकस में)	वास्तविक प्राप्त जल क्यूसेक	प्राप्त जल का प्रतिशत
1	राजवाहा दघैटा एवं राजवाहा खन्दौली	4970	1029	20 प्रतिशत
2	राजवाहा बल्देव	7938	1094	13 प्रतिशत
3	राजवाहा जुगसना	4550	684	15 प्रतिशत
4	राजवाहा कुरसण्डा	4347	1522	35 प्रतिशत
5	राजवाहा सादाबाद	2233	14420	65 प्रतिशत

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0 सं0	नहर का नाम	नहर की कुल लम्बाई	पानी पहुंचने का प्रस्तावित लक्ष्य	पानी पहुंचने की स्थिति	अन्तिम कुलाबे की सींच हे0 में
1	रा0 सादाबाद	46.30	40.00	40.00	शुन्य
2	रा0 कुरसण्डा	36.80	30.00	16.40	शून्य
3	रा0 जुगसना	27.80	27.80	27.80	शुन्य
4	रा0 दघेटा	30.10	25.00	25.00	शून्य
5	रा0 खन्दौली	21.80	15.00	15.00	17
6	रा0 बल्देव	21.60	15.00	15.00	2
7	मा0 दुर्जिया	3.40	3.40	3.40	1
8	मा0 रदोई	11.20	11.20	11.20	शून्य
9	मा0 अवैरनी	16.90	16.90	16.90	शून्य
10	मा0 सैमरा	लक्ष्य में नहीं है			
11	मा0 कुपा	लक्ष्य में नहीं है			

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 21 विधान सभा (461-18-5-2009-813 (कम्प्यूटर/आफसेट)।